रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-30112021-231501
CG-DL-E-30112021-231501

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 355] नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 30, 2021/अग्रहायण 9, 1943
No. 355] NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 30, 2021/AGRAHAYANA 9, 1943

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

अधिसूचना

अंतिम जांच परिणाम

नई दिल्ली, 30 नवम्बर, 2021

मामला सं. एडीडी-ओआई-20/2020

विषयः बहरीन और मिस्र के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "ग्लास फाइबर और उसकी वस्तु" के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच।

फा. सं. 6/24/2020-डीजीटीआर.—समय-समय पर यथा संशोधित सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 (जिसे बाद में "अधिनियम" भी कहा गया है) और उसकी समय-समय पर यथा संशोधित सीमा प्रशुल्क (पाटित वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क की पहचान, मूल्यांकन एवं संग्रहण तथा क्षति के निर्धारण के लिए) नियमावली, 1995 (जिसे आगे यहां "नियमावली" अथवा "पाटनरोधी नियमावली" भी कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए;

क. मामले की पृष्ठभूमि

1. ओवेन्स-कार्निंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और ओवेन्स-कार्निंग (इंडस्ट्रीज) इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (जिन्हें यहां आगे "आवेदक" अथवा "घरेलू उद्योग" भी कहा गया है) ने बहरीन और मिस्र (जिन्हें यहां आगे "संबद्ध देश" भी कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित ग्लास फाइबर और उसकी वस्तु (जिसे यहां आगे "विचाराधीन उत्पाद" अथवा "संबद्ध सामान" भी कहा गया है) के आयातों के संबंध में अधिनियम और नियमावली के तहत पाटनरोधी

जांच शुरू करने का अनुरोध करते हुए निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें यहां आगे "प्राधिकारी" भी कहा गया है) के समक्ष एक आवेदन पत्र दायर किया। आवेदकों ने संबद्ध देशों से पाटन और परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को क्षति होने का दावा किया है।

2. प्राधिकारी ने आवेदकों द्वारा दायर विधिवत सिद्ध आवेदन पत्र और प्रस्तुत प्रथम दृष्टया साक्ष्य के मद्देनजर, संबद्ध सामानों के तथाकथित पाटन की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव निर्धारित करने के लिए तथा पाटनरोधी शुल्क की राशि, जो यदि लगायी जाती है और घरेलू उद्योग को तथाकथित क्षति समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगी, की सिफारिश करने के लिए नियमावली के नियम 5 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9क के अनुसार संबद्ध देशों से विचाराधीन उत्पाद के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच शुरू करते हुए भारत के राजपत्र में प्रकाशित दिनांक 4 अगस्त, 2020 की अधिसूचना संख्या 6/24/2020-डीजीटीआर द्वारा एक सार्वजनिक सूचना जारी की।

ख. प्रक्रिया

3. इस जांच के संबंध में यहां परिभाषित निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई गई हैः

क. प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली के नियम 5(5) के अनुसार जांच की शुरूआत की कार्रवाई से पूर्व वर्तमान पाटनरोधी आवेदन पत्र की प्राप्ति के बारे में भारत में बहरीन और मिस्र के दूतावासों को अधिसूचित किया।

ख. प्राधिकारी ने संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों के आयात के संबंध में पाटनरोधी जांच शुरू करते हुए भारत के राजपत्र असाधारण में प्रकाशित दिनांक 4 अगस्त, 2020 की सार्वजनिक सूचना जारी की।

ग. प्राधिकारी ने उपलब्ध सूचना के अनुसार संबद्ध देशों की सरकारों को उनके भात में स्थित दूतावासों के माध्यम से, ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं तथा घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को जांच की शुरूआत की अधिसूचना की प्रति भेजी। हितबद्ध पक्षकारों से अनुरोध किया गया था कि वे निर्धारित स्वरूप एवं तरीके में संगत सूचना उपलब्ध कराएं और निर्धारित समय-सीमा के भीतर लिखित में अपने ज्ञात अनुरोध दें।

घ. प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(3) के अनुसार, भारत में संबद्ध देशों के दूतावासों को और ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को आवेदन पत्र के अगोपनीय रुपांतर की प्रति उपलब्ध कराई।

ङ. भारत में संबद्ध देशों के दूतावासों से अनुरोध किया गया था कि वे अपने-अपने देश के निर्यातकों/उत्पादकों को सलाह दें कि वे निर्धारित समय-सीमा के भीतर प्रश्नावली का उत्तर दें। ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को भेजे गए पत्र और प्रश्नावली की प्रति संबद्ध देशों के ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों की सूची सहित दूतावासों को भी भेजी गई थी।

च. प्राधिकारी ने समय-समय पर हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए कई अनुरोधों पर उनके उत्तर तथा अनुरोध दायर करने के लिए 9 अक्तूबर, 2020 तक कई बार समय बढ़ाए जाने की स्वीकृति दी।

छ. व्यापार एवं उद्योग मंत्रालय, व्यापार उपचार क्षेत्र, मिस्र गणराज्य और बहरीन साम्राज्य की ओर से खाड़ी के अरब राज्यों के लिए सहयोग परिषद के लिखित अनुरोध प्राप्त किए थे।

ज. प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार, संबद्ध देशों में निम्नलिखित ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को प्रश्नावली भेजीः

(i) सीपीआईसी अबेहसेन फाइबर ग्लास डब्ल्यू.एल.एल.

(ii) जूशी इजिप्ट फॉर फाइबर ग्लास इंडस्ट्री एस.ए.ई.

संबद्ध जांच की शुरूआत की अधिसूचना के उत्तर में, संबद्ध देशों के दोनों उत्पादकों ने उत्तर दिया है और प्रश्नावली के उत्तर प्रस्तुत किए हैं।

झ. प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार आवश्यक सूचना मंगाने के लिए भारत में संबद्ध सामानों के निम्नलिखित ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं को प्रश्नावली भेजीः

i. एजी फाइब्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड
ii. आकाश यूनिवर्सल लिमिटेड
iii. आरवी मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड
iv. एडवांस कूलिंग टावर्स प्राइवेट लिमिटेड
v. एडवांस टेक्सटाइल
vi. अक्ष कंपोजिट्स प्राइवेट लिमिटेड
vii. अक्ष ऑप्टिफाइबर लिमिटेड
viii. एलाइड मार्केटिंग कंपनी
ix. अमियनटिट फाइबरग्लास इंडिया लिमिटेड
x. अपार इंडस्ट्रीज लिमिटेड
xi. आर्क इंसुलेशन एंड इंसुलेटर
xii. एसोसिएटेड पॉलीटेक इंडस्ट्रीज (पी) लिमिटेड
xiii. ऑटोडायनामिक टेक्नोलॉजीज एंड सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड
xiv. ऑटोटेक-सिरमैक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
xv. बडवे ऑटो कॉम्प्स प्राइवेट लिमिटेड
xvi. बालाजी फाइबर रिइंफोर्स प्राइवेट लिमिटेड
xvii. बालाजी ट्रेडिंग कंपनी
xviii. बीएएसएफ इंडिया लिमिटेड
xix. भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड
xx. ब्रेक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
xxi. ब्रेकवेल ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
xxii. कैल्को पॉली टेक्निक प्राइवेट लिमिटेड
xxiii. कैलस्टार स्टील लिमिटेड
xxiv. केमिकल प्रोसेस इक्विपमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
xxv. केमिकल प्रोसेस पाइपिंग प्राइवेट लिमिटेड
xxvi. क्लासिक एएल मेटल इंडस्ट्रीज
xxvii. क्लासिक मार्बल कंपनी प्राइवेट लिमिटेड
xxviii. कम्पलीट सर्वेइंग टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड
xxix. कंक्रीट सॉल्यूशन्स
xxx. डैनब्लॉक ब्रेक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
xxxi. डेसीमिन कंट्रोल सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
xxxii. ढींगरा प्लास्टिक एंड प्लास्टिसाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड
xxxiii. डिनसन्स सेल्फ स्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड
xxxiv. डॉ. प्लास्टो टेक प्राइवेट लिमिटेड

xxxv. एक्मास एजेंसीज

xxxvi. एक्मास रेजिन प्राइवेट लिमिटेड

xxxvii. एमाक ग्लास फाइबर एंड एक्सेसरीज (पी) लिमिटेड

xxxviii. ईपीपी कम्पोजिट्स प्राइवेट लिमिटेड

xxxix. एरकॉन कम्पोजिट

xl. एक्सीलेंस ऑर्गनाइजेशन प्राइवेट लिमिटेड

xli. फॉरेशिया एमिशन्स कंट्रोल टेक्नोलॉजीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड

xlii. फाइबर केम एजेंसीज

xliii. फाइब्रो प्लास्ट कॉर्पोरेशन

xliv. फाइब्रो प्लास्टिसेम इंडिया (पी) लिमिटेड

xlv. फिनोलेक्स केबल्स लिमिटेड

xlvi. एफएमआई ऑटोमेटिव कंपोनेंट्स प्राइवेट लिमिटेड

xlvii. फॉरमॉस्ट मार्बल्स

xlviii. फ्यूचर केम प्रो प्राइवेट लिमिटेड

xlix. जीकेडी इंडिया लिमिटेड

l. ग्रेफाइट इंडिया लिमिटेड

li. ग्रिंडवेल नॉर्टन लिमिटेड

lii. ग्रुपो एंटोलिन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड

liii. गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड

liv. हरिता फेहरर लिमिटेड

lv. हेरिटेज मार्बल प्राइवेट लिमिटेड

lvi. हिमाचल फ्यूचरिस्टिक कम्युनिकेशंस लिमिटेड

lvii. हिमगिरी कूलिंग टावर्स प्राइवेट लिमिटेड

lviii. हिंदुस्तान कम्पोजिट लिमिटेड

lix. हिरोटेक मार्क एग्जॉस्ट सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड

lx. हाईटेक फाइबर ग्लास मैटिंग्स (पी) लिमिटेड

lxi. एचटीएल लिमिटेड

lxii. आईएसी इंटरनेशनल ऑटोमोटिव इंडिया प्राइवेट लिमिटेड

lxiii. इंदौर कम्पोजिट प्राइवेट लिमिटेड

lxiv. इंटेक एफआरपी प्रोडक्ट्स

lxv. आयन एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड

lxvi. जैम जेन टेक्नो इंजीनियरिंग

lxvii. जय के. एफआरपी प्राइवेट लिमिटेड

lxviii. जेके बिल्डिंग सॉल्यूशंस

lxix. जेआरडी फाइबर कम्पोजिट्स प्राइवेट लिमिटेड

lxx. जूशी (इंडिया) एफआरपी एसेसरीज प्राइवेट लिमिटेड

lxxi. केमरॉक इंडस्ट्रीज एंड एक्सपोर्ट्स लिमिटेड

lxxii. किनेको लिमिटेड

lxxiii. किंगफा साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंडिया लिमिटेड

lxxiv. किशोर ऑटो एंसिलरी प्राइवेट लिमिटेड

lxxv. कृष्णा ग्रुपो एंटोलिन प्राइवेट लिमिटेड

lxxvi. कुश सिंथेटिक्स प्राइवेट लिमिटेड

lxxvii. लियो साइन कम्पोजिट (एसडी) प्राइवेट लिमिटेड

lxxviii. लिंक कम्पोजिट्स प्राइवेट लिमिटेड

lxxix. मैसेडोन विनीमे प्राइवेट लिमिटेड

lxxx. मदुरा कोट्स प्राइवेट लिमिटेड

lxxxi. महान पॉलिमर

lxxxii. महिंद्रा सीआईई ऑटोमोटिव लिमिटेड

lxxxiii. मैकसन इंटरप्राइजेज

lxxxiv. मंगलचंद ट्यूब्स प्राइवेट लिमिटेड

lxxxv. मेकोलम इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड

lxxxvi. मेघा फाइबर ग्लास इंडस्ट्रीज लिमिटेड

lxxxvii. मोंटेक्स ग्लास फाइबर इंडस्ट्रीज प्राइवेट

lxxxviii. एमआरजी कंपोजिट्स इंडिया

lxxxix. मुरुगन अरुल मेटल्स

xc. मुस्कान इंटरप्राइजेज

xci. मैसूर लाइट एंड इंटिरियर्स प्राइवेट लिमिटेड

xcii. नेशनल कूलिंग टावर्स

xciii. नेल्सन ग्लोबल प्रोडक्ट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड

xciv. न्यूकेम प्रोडक्ट्स कारपोरेशन

xcv. नेक्स्ट पॉलिमर्स लिमिटेड

xcvi. नोबल एजेंसीज

xcvii. ओ.के. ग्लास फाइबर लिमिटेड

xcviii. ओएफआर टेलीकॉम प्राइवेट लिमिटेड

xcix. ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक लिमिटेड

c. ओम ऑप्टेल इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड

ci. पैनिक इंटरप्राइजेज

cii. पेंटेयर वाटर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड

ciii. पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड

civ. प्रीमियम पॉलीअलॉयज प्राइवेट लिमिटेड

cv. पायरोटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड

cvi. आरके मार्बल प्राइवेट लिमिटेड

cvii. राधा इंडस्ट्रीज

cviii. रेनबो पेट्रोकेम इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड

cix. राजसरिया ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज (पी) लिमिटेड

cx. राणे ब्रेक लाइनिंग लिमिटेड

cxi. रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड

cxii. रेवेक्स प्लास्टिसाइज़र (प्राइवेट) लिमिटेड

cxiii. रिद्धि इंटरप्राइजेज

cxiv. रिवेरा ओवरसीज प्राइवेट लिमिटेड

cxv. आरएमसी स्विच गियर्स लिमिटेड

cxvi. रुक्मिणी फाइबर ग्लास

cxvii. सेर्टेक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड

cxviii. समुद्यम प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड

cxix. संकेई गिकेन इंडिया (प्राइवेट) लिमिटेड

cxx. संस्कृति कंपोजिट्स प्राइवेट लिमिटेड

cxxi. एससीएम नोबल एजेंसीज

cxxii. शारदा मोटर इंडस्ट्रीज लिमिटेड

cxxiii. श्री बिल्डिंग सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड

cxxiv. श्री जी फाइबरग्लास प्राइवेट लिमिटेड

cxxv. शुभदा पॉलिमर्स प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड

cxxvi. सिका इंडिया प्राइवेट लिमिटेड

cxxvii. सिंटेक्स-बापल लिमिटेड

cxxviii. स्काई फाइबरग्लास सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड

cxxix. एसएम एग्जॉस्ट टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड

cxxx. शोभा लिमिटेड

cxxxi. स्पेशियलिटी कंपोजिट्स

cxxxii. श्री वेंकटेश्वर पॉलीथिन

cxxxiii. स्टार्क इंटरनेशनल एक्ज़िम प्राइवेट लिमिटेड

cxxxiv. स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड

cxxxv. स्ट्रॉन्गबॉन्ड्स पॉलीसील प्राइवेट लिमिटेड

cxxxvi. सुदर्शन प्लास्टिब्लेंड्स प्राइवेट लिमिटेड

cxxxvii. सुंदरम ब्रेक लाइनिंग्स लिमिटेड

cxxxviii. सनप्योर टेक्नोलॉजीज लिमिटेड

cxxxix. सनराइज इंडस्ट्रीज (इंडिया) लिमिटेड

cxl. सुप्रीम नॉनवॉवन्स इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड

cxli. सुप्रीम ट्रियन प्राइवेट लिमिटेड

cxlii. सिनर्जी ऑप्टिक प्राइवेट लिमिटेड

cxliii. सिनर्जी पॉलिमर्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड

cxliv. टाटा ऑटोकॉम्प सिस्टम्स लिमिटेड

cxlv. टेकफैब इंडिया (इंडस्ट्रीज) लिमिटेड

cxlvi. टेक्नोमैक इंजीनियरिंग वर्क्स

cxlvii. टेनेको क्लीन एयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड

cxlviii. टेराकॉम (एफआरपी) प्राइवेट लिमिटेड

cxlix. टेराकॉम लिमिटेड

cl. सुप्रीम इंडस्ट्रीज लिमिटेड

cli. टाइम टेक्नोप्लास्ट लिमिटेड

clii. अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड

cliii. उनेकर पॉलिमर एजेंसी

cliv. यूपी ट्वीगा फाइबरग्लास लिमिटेड

clv. ऊर्जा प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड

clvi. वी3 डिज़ाइन बिल्ड

clvii. वैलियो फ्रिक्शन मैटेरियल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड

clviii. विंध्य टेलीलिंक्स लिमिटेड

clix. वेस्ट कोस्ट ऑप्टिलिंक्स (वेस्ट कोस्ट पेपर मिल्स का एक डिवीजन)

clx. विलेट कम्युनिकेशंस

clxi. युटाका ऑटोपार्ट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड

ञ. निम्नलिखित आयातकों/प्रयोक्ताओं ने प्रश्नावली के उत्तर दायर कर उत्तर दिए हैं:

i. एरोन कम्पोजिट्स लिमिटेड

ii. अग्नि फाइबरबोर्ड प्राइवेट लिमिटेड

iii. अरविंद पीडी कम्पोजिट्स लिमिटेड

iv. ईआरपी कम्पोजिट्स लिमिटेड

v. इंदौर कम्पोजिट्स प्राइवेट लिमिटेड

vi. सौमित इंटरनेशनल

vii. सौमित इंटरग्लोब

viii. सेडाक्सिस एडवांस मैटेरियल प्राइवेट लिमिटेड

ix. सुमिप कम्पोजिट्स प्राइवेट लिमिटेड

ट. प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार, परिचालन और आवश्यक सूचना मंगाने के लिए भारत में संबद्ध सामानों की निम्नलिखित ज्ञात एसोसिएशनों को प्रश्नावली भेजीः

(i) एसोसिएटेड चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया

(ii) कांफेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री

(iii) फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री

(iv) इंडियन केमिकल काउंसिल (आईसीसी)

ठ. कम्पोजिट एसोसिएशन, एफआरपी इंस्टीट्यूट, तेलंगाना एंड आंध्रा कम्पोजिट मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन और कंपोजिट एसोसिएशन द्वारा कानूनी अनुरोध दायर किए गए हैं।

ड. प्राधिकारी ने दिनांक 10 अप्रैल, 2020 की व्यापार सूचना सं. 01/2020 (अगली सूचना तक विस्तारित) के माध्यम से निर्धारित तरीके में विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य का अगोपनीय रुपांतर परिचालित किया। सभी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों को प्राधिकारी द्वारा आवश्यक पाई गई सीमा तक ध्यान में रखा गया है।

ढ. वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय (डीजीसीआईएंडएस) से जांच की अवधि और पिछले तीन वर्षों के लिए संबद्ध सामानों के आयातों के लेन-देन वार ब्यौरे उपलब्ध कराए जाने का अनुरोध किया गया था जो प्राधिकारी को प्राप्त हो गए हैं। डीजीसीआईएंडएस के आंकड़ों का विश्लेषण कर दिया गया है और यह पाया गया है कि प्राधिकारी द्वारा किए गए विश्लेषण और घरेलू उद्योग द्वारा किए गए विश्लेषण में कोई खास अंतर नहीं है।

ण. घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के अनुसार और सामान्यतया स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों (जीएएपी) तथा नियमावली के अनुबंध-III के अनुसार भारत में संबद्ध सामानों की इष्टतम उत्पादन लागत और निर्माण एवं बिक्री लागत के आधार पर क्षति रहित कीमत (एनआईपी) निर्धारित की गई है। यह क्षति रहित कीमत यह सुनिश्चित करने के लिए मानी गई है कि क्या पाटन मार्जिन से कम पाटनरोधी शुल्क घरेलू उद्योग को क्षति समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगा।

त. नियम 6(6) के अनुसार, प्राधिकारी ने दिनांक 19 जनवरी, 2021 को वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से आयोजित सुनवाई में सभी हितबद्ध पक्षकारों को अपने विचार मौखिक रूप से प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया, जिसमें सभी हितबद्ध पक्षकारों ने भाग लिया था।

थ. निर्दिष्ट प्राधिकारी बदल जाने के कारण, दूसरी मौखिक सुनवाई 12 फरवरी, 2021 को वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से आयोजित की गई थी जिसमें सभी हितबद्ध पक्षकारों ने भाग लिया था। जिन हितबद्ध पक्षकारों ने मौखिक सुनवाई में अपने विचार प्रस्तुत किए, उनसे यह अनुरोध किया गया था कि वे मौखिक रूप से व्यक्त अपने विचारों के लिखित अनुरोध दायर करें। पक्षकारों को यह भी सलाह दी गई थी कि वे विरोधी पक्षकारों द्वारा किए गए लिखित अनुरोध प्राप्त करें और उन्हें उसके बाद उनके प्रत्युत्तर प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया गया था।

द. घरेलू उद्योग द्वारा दी गई सूचना का सत्यापन प्राधिकारी द्वारा आवश्यक सीमा तक किया गया था। आवश्यक संशोधन, जहां भी लागू था, के साथ उस सत्यापित सूचना पर ही संबद्ध जांच के प्रयोजन के लिए विश्वास किया गया है।

ध. वर्तमान जांच के प्रयोजन के लिए जांच की अवधि (पीओआई) 1 अप्रैल, 2019 – 31 मार्च, 2020 (12 माह) है। क्षति विश्लेषण अवधि में 1 अप्रैल, 2016 – 31 मार्च, 2017, 1 अप्रैल, 2017 – 31 मार्च, 2018, 1 अप्रैल, 2018 – 31 मार्च, 2019 और जांच की अवधि शामिल है।

न. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा इस जांच प्रक्रिया के दौरान किए गए अनुरोध जहां भी संगत पाए गए, प्राधिकारी द्वारा इस दस्तावेज में हल कर दिए गए हैं।

प. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर दी गई सूचना की गोपनीयता के दावों की उनकी पर्याप्तता के संदर्भ में जांच की गई थी। प्राधिकारी ने संतुष्ट होने पर जहां कहीं भी आवश्यक था, गोपनीयता के ऐसे दावों को स्वीकार किया है और ऐसी सूचना को गोपनीय माना है और उसे अन्य हितबद्ध पक्षकारों के समक्ष प्रकट नहीं किया है। जहां कहीं भी संभव हुआ है, वहां गोपनीय आधार पर सूचना प्रदान करने वाले पक्षकारों को निदेश दिया गया था कि वे गोपनीय आधार पर दायर सूचना का पर्याप्त अगोपनीय रुपांतर उपलब्ध कराएं।

फ. जहां कहीं किसी हितबद्ध पक्षकार ने वर्तमान जांच प्रक्रिया के दौरान आवश्यक सूचना देने से इंकार किया है अथवा अन्यथा उपलब्ध नहीं कराई है अथवा जांच में काफी बाधा है, वहां प्राधिकारी ने ऐसे पक्षकारों को असहयोगी माना है और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर विचार/टिप्पणियां रिकार्ड की हैं।

ब. नियमावली के अनुसरण में, प्राधिकारी ने मामले के अनिवार्य तथ्यों का प्रकटन किया जो 30.07.2021 को प्रकटन विवरण के रूप में अंतिम जांच परिणामों के आधार का निर्माण करेंगे और हितबद्ध पक्षकारों को इस पर टिप्पणी करने के लिए 16.08.2021 तक के समय की अनुमति प्रदान की गई। हितबद्ध पक्षकारों की टिप्पणियों पर संगत समझे जाने की सीमा तक, प्राधिकारी द्वारा विचार किया गया है और इस अंतिम जांच परिणाम में उनका समाधान किया गया है।

भ. प्राधिकारी द्वारा जारी किये गये प्रकटन विवरण के उत्तर में, विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों ने प्रकटन विवरण में अपने मुद्दों का निवारण नहीं होने पर आपत्तियां उठाईं। घरेलू उद्योग के अनुरोध पर, प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग को अलग अलग सुनवाई का अवसर दिया और उसके साथ ही मैसर्स सी पी आई सी बहरीन के प्रतिनिधि के साथ कीमत वचन पत्र पर भी चर्चा की। हितबद्ध पक्षकारों द्वारा व्यापक रूप से उठाये गये मुद्दों को समझने और उसके बाद उसका निवारण करने के उद्देश्य से, प्राधिकारी ने राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय से तत्काल जांच पूरी करने के लिए समय विस्तार की मांग की। वित्त मंत्रालय ने 30.11.2021 समय विस्तार दिया।

म. इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि इस प्रकार की सुनवाई का अन्य पक्षकारों पर भी प्रभाव पड़ सकता है, प्राधिकारी द्वारा एक प्रकटन पश्चात सुनवाई की मंजूरी 09.11.2021 को दी गई थी ताकि सभी पक्षकारों को उठाये गये मुद्दों पर उनके विचारों को प्रस्तुत करने के लिए समान अवसर मिले। इन पक्षकारों ने 12.11.2021 तक अपने अनुरोध प्रस्तुत किये और इसके अलावा, प्रतिउत्तर अनुरोध 15.11.2021 को दायर किया गया था।

य. इस सीमित प्रकटन जुसी इजिप्ट को 27.11.2021 को जारी किया गया था जिसने 29.11.2021 को अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत कीं।

र. इस अधिसूचना में "***" किसी हितबद्ध पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर दी गई सूचना तथा नियमावली के तहत प्राधिकारी द्वारा मानी गई सूचना दर्शाते हैं।

ल. संबद्ध जांच के लिए प्राधिकारी द्वारा अपनाई गई विनिमय दर 1 अमेरिकी डॉलर = 71.65 रुपये है।

ग. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु

ग.1 घरेलू उद्योग द्वारा अनुरोध

4. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

(i) विचाराधीन उत्पाद ग्लास रोविंग (असेम्बल्ड रोविंग्स (एआर), डायरेक्ट रोविंग (डीआर), ग्लास चोप्ड स्ट्रेन्ड (सीएस) और ग्लास चोप्ड स्ट्रेन्ड मैट्स (सीएसएम) सहित ग्लास फाइबर है।

(ii) घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तावित पीसीएन सिद्धांत चीन जन. गण. से संबद्ध सामानों के आयातों से संबंधित निर्णायक समीक्षा जांच के अनुरूप है।

(iii) वेस्ट यूज्ड चोप्ड स्ट्रैंड विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से अलग किए गए हैं और उसके लिए पीसीएन अधिसूचित करने का कोई संगत कारण नहीं है।

(iv) हाई मॉड्यूल्स रोविंग्स और अन्य डायरेक्ट रोविंग्स की उत्पादन लागत बहुत कम अंतर के साथ ही तुलनीय है, अतः दो भिन्न पीसीएन पर विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

(v) अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उनके अपने आंकड़ों का प्रयोग करके उनके द्वारा अनुरोध किए गए पीसीएन में संशोधन को सिद्ध करना चाहिए। अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा अभिज्ञात उत्पादों की लागत काफी भिन्न नहीं है।

(vi) इस तर्क का उत्तर देते हुए कि हाई मॉड्यूल्स ग्लासफाइबर पर कोई शुल्क नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि उसे भारत के वाणिज्य में शुरू नहीं किया गया था, घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया कि अनुच्छेद 2 में आयातक देश के वाणिज्य में शामिल किए जा रहे और प्रत्येक उत्पाद किस्म में शामिल न किए जा रहे उत्पाद का उल्लेख है।

(vii) एचएम ग्लास कोई हटाया जाना आवश्यक नहीं है क्योंकि इसका आयात नहीं किया गया है, बल्कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित किया गया है। एचएम ग्लास और ईसीआर ग्लास के विनिर्माण के लिए समान मशीनरी का उपयोग किया जा सकता है। एक मात्र अंतर कच्ची सामग्री/इनपुट, तापमान और ग्लास रसायन का है।

(viii) यह अनुरोध कि आवेदक ने यह प्रकट नहीं किया कि नई भट्टी विशेष रूप से एचएम ग्लास के विनिर्माण के लिए थी, अनदेखा किया जाना चाहिए क्योंकि दोनों भट्टियों का प्रयोग एचएम ग्लास और ईसीआर ग्लास के उत्पादन के लिए किया जा सकता है। घरेलू उद्योग ने प्रचालनात्मक दक्षताओं के कारण ही एचएम ग्लास के लिए एक नामित किया है।

(ix) यह अनुरोध कि ओवेन्स कार्निंग द्वारा प्रकाशित दिशा-निर्देशन के अनुसार, एचएम ग्लास के उच्च अंतिम प्रयोग और अभिलक्षण हैं, भ्रामक हैं क्योंकि हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उल्लिखित अभिलक्षण और प्रयोग एस ग्लास के हैं, न कि एचएम ग्लास के।

(x) एचएम ग्लास की मांग देश में कम है जिसके कारण एचएम ग्लास की बिक्री और आयात की मात्रा कम है। इस प्रकार घरेलू उद्योग की कैप्टिव खपत तुलनात्मक रूप से अधिक है। किसी उत्पाद को केवल इसलिए अलग नहीं किया जा सकता क्योंकि उसका कैप्टिव रूप से उपभोग अथवा निर्यात किया जाता है। किसी भी दशा में, घरेलू उद्योग ने बाजार में एचएम ग्लास की बिक्री की है।

(xi) एचएम ग्लास और ईसीआर ग्लास का परस्पर परिवर्तनीय रूप से प्रयोग किया जा सकता है। घरेलू उद्योग प्रयोक्ताओं को ईसीआर ग्लास की आपूर्ति कर रहा था जिनकी आपूर्ति अब एचएम ग्लास द्वारा की जा रही है।

(xii) केवल विचाराधीन उत्पाद से संबंधित लेन-देन शामिल किए गए हैं, आयात पृथक्करण पद्धति याचिका में दी गई है।

(xiii) घरेलू उद्योग थर्मोसेट चोप्ड स्ट्रैंड्स का उत्पादन करता है और उसे अलग नहीं किया जा सकता।

(xiv) एस-ग्लास और आर-ग्लास का भारत में आयात नहीं किया जा रहा है और इसीलिए उसे अलग नहीं किया जाना चाहिए।

ग.2 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा अनुरोध

5. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

(i) चूंकि विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से बाहर के उत्पाद उप-शीर्ष 7019 के तहत आयात किए जा सकते थे, जो कि "अन्य" से संबंधित हैं, अतः विचाराधीन उत्पाद और एनपीयूसी के आयात पृथक्करण संबंधी स्पष्ट एवं विस्तृत सिद्धांत दिया जाना चाहिए।

(ii) एचएम/एचएस/हाई परफॉर्मेंस ग्लासफाइबर का बहरीन और मिस्र में विनिर्माण नहीं किया जाता है और संबद्ध देशों से उनका निर्यात नहीं किया गया है। बहरीन में एक मात्र उत्पादक सीपीआईसी के पास उसके विनिर्माण के लिए प्रौद्योगिकी, संयंत्र और उपस्कर नहीं हैं, जैसा कि पेटेंट किया गया है। एक बार यह सिद्ध हो जाए कि संबद्ध सामानों का भारत में आयात नहीं किया जाता है, इन किस्मों पर पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने का प्रश्न नहीं उठता।

(iii) कोई उत्पाद विचाराधीन उत्पाद के ही क्षेत्र में तब हो सकता है, यदि दूसरे देश के वाणिज्य में वह सामान्य मूल्य से कम पर शामिल हो। कोई उत्पाद पाटनरोधी शुल्क के अध्यधीन होने के लिए पाटित किया जाना होता है।

(iv) संबद्ध देशों से आयात किए जा रहे रोविंग्स को आवेदक द्वारा उत्पादित विंड ग्रेड रोविंग्स और एचएम ग्लास की समान वस्तु नहीं माना जा सकता।

(v) आवेदक ने यह प्रकट नहीं किया कि नई भट्टी को विशिष्ट रूप से एचएम/ एचएस ग्लास के विनिर्माण के लिए शामिल किया गया था, जो कि 2018-19 के वित्तीय विवरणों से स्पष्ट है। ईसीआर ग्लास के विनिर्माण के लिए अपेक्षित भट्टी और एचएम ग्लास के विनिर्माण के लिए अपेक्षित भट्टी भिन्न-भिन्न हैं।

(vi) ओवेन्स कार्निंग द्वारा प्रकाशित दिशा-निर्देशों के अनुसार, एचएम ग्लास में अधिक स्ट्रैंड्स, अधिक मॉड्यूल्स/कठोरता, अधिक फटिग गुणधर्म, बेहतर इम्पैक्ट रेसिस्टेंस, बेहतर एजिंग और कोरोजिन रेसिस्टेंस और बेहतर तापमान प्रतिरोधकता है, जो उसे विंड मिल ग्रेडों जैसे उच्च अंतिम अनुप्रयोगों के लिए उपयुक्त बनाते हैं। इसमें उच्च निष्पादन पुनर्बलन, हाई स्ट्रैंथ कंटीन्यूस ग्लास फिलामेंट्स जैसी विशेषताएं हैं और इसका प्रयोग विभिन्न अनुप्रयोगों में किया जाता है।

(vii) वाणिज्यिक अवधारणा परीक्षण पर विचार करते हुए, एचएम ग्लास को उत्पाद क्षेत्र से अलग किया जाना चाहिए।

(viii) ईसीआर ग्लास और एचएम/एचएस ग्लास के रासायनिक और यांत्रिक गुणधर्मों में अंतर भी जूशी और सीपीआईसी चीन द्वारा जारी ब्रोशर द्वारा उल्लिखित किया गया है, जो यह बताता है कि इसमें पारंपरिक ई-ग्लास की तुलना में कम विस्तार सह दक्षता, उच्चतर सॉफ्टनिंग प्वाइंट, हायर इलास्टिक मॉड्यूलर है।

(ix) ओसीआईपीएल ने व्यापारिक बाजार में एचएम/एचएस ग्लास की बिक्री नहीं की है, इस तथ्य का घरेलू उद्योग द्वारा मौखिक सुनवाई में खंडन नहीं किया गया है। चूंकि इसका प्रयोग निचले स्तर के व्यापार के लिए किया गया है अथवा इसका निर्यात भारत के बाहर किया गया है, अतः इसे विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से अलग किया जाना चाहिए।

(x) नियम पुस्तक के अनुच्छेद 3.10 के अनुसार, विचाराधीन उत्पाद में अधिमान्य रूप से वाणिज्यिक मात्राओं में घरेलू बाजार में घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और बेची गई वस्तुएं शामिल होनी चाहिए।

(xi) एचएम/एचएस ग्लास की सामान्य ग्लास की तुलना में काफी अधिक लागत हैः

क. एक ही आकार की भट्टी में एचएम ग्लास की उत्पादन दर ईसीआर ग्लास की तुलना में कम है। यह इस तथ्य से सिद्ध है कि ओसीआईपीएल की नई भट्टी के लिए सूचित क्षमता 40,000 मी. टन है परंतु उसी भट्टी ने पूर्व वर्ष में 77,122 मी. टन ईसीआर ग्लास का उत्पादन किया।

ख. ओसीआईपीएल के वित्तीय विवरणों के अनुसार, विनिर्माण प्रचालनों में परिवर्तन हुआ था जिससे निर्धारित लागतों को अधिक अपनाया गया था, मूल्यह्रास में अधिक राशि लगाई गई थी और अधिक वित्तीय लागत लगाई गई जिससे ईसीआर ग्लास की तुलना में हाई मॉड्यूल्स ग्लास की उत्पादन लागत बढ़ जाती है।

ग. एचएम ग्लास के उत्पादन के लिए प्रति मी. टन ऊर्जा आवश्यकता ईसीआर ग्लास से अधिक है।

घ. आयात आंकड़ों की जांच से यह बात सामने आएगी कि तीसरे देशों से एचएम ग्लास के आयातों की कीमत ईसीआर ग्लास से 65-70 प्रतिशत अधिक है। यहां तक कि एचएम ग्लास की ओसीआईपीएल की निर्यात कीमत सामान्य ग्लास फाइबर की आयात कीमत से अधिक है।

(xii) चूंकि घरेलू उद्योग ने समान वस्तु अर्थात ई-ग्लास का उत्पादन किया है, अतः एचएम ग्लास को समान वस्तु की परिभाषा के दूसरे उत्तर में शामिल नहीं किया जा सकता।

(xiii) चूंकि एचएम ग्लास का उत्पादन आवेदक द्वारा पूरी तरह से कैप्टिव खपत के लिए किया जा रहा है, अतः उसे विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र के तहत शामिल नहीं किया जा सकता।

(xiv) आवेदक के अनुरोध की बहरीन और मिस्र के उत्पादक हाई मॉड्यूल्स फाइबर का विनिर्माण करने के लिए प्रौद्योगिकी ले सकते हैं, नहीं पाए गए हैं और अवधारणाओं पर आधारित हैं। यह अनुरोध कि उत्पादक चीनी निवेश हैं, भ्रामक हैं। घरेलू उद्योग विदेशी कंपनी की एक सहायक कंपनी है।

(xv) चूंकि घरेलू उद्योग का क्षेत्र और देश में आयातित उत्पाद मिश्र चीन जन. गण. से आयातों के विरुद्ध जांच में इनकी अपेक्षा भिन्न है, अतः उसी विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र को यहां नहीं माना जा सकता।

(xvi) थर्मोसेट चोप्ड स्ट्रैंड का उत्पादन आवेदक द्वारा नहीं किया जा रहा है और उसे अलग किया जाना चाहिए।

(xvii) एस ग्लास और आर ग्लास जैसे हाई स्ट्रैंड ग्लासफाइबर का प्रयोग अधिकतर पवन ऊर्जा क्षेत्र में किया जाता है और ओसीआईपीएल द्वारा घरेलू बाजार में उनकी आपूर्ति नहीं की जा रही है।

(xviii) ईसीआर रोविंग एलएफटी (लांग फाइबर थर्मोप्लास्टिक) को अलग किया जाना चाहिए क्योंकि आवेदक इसका उत्पादन नहीं कर रहा है बल्कि उसका आयात कर रहा है और भारत में जॉब वर्क किया जा रहा है।

(xix) "उसकी वस्तुओं" को शामिल करके उत्पाद क्षेत्र को अस्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है, जिसमें कई किस्मों और रूपों के ग्लासफाइबर शामिल हैं, जिनमें स्ट्रैंथ, ग्रेड, घनत्व और प्रयोग जैसी विशिष्टियों में अंतर है। एकल पाटन मार्जिन, क्षति मार्जिन और पाटनरोधी शुल्क निर्धारित करना उपयुक्त नहीं है।

(xx) पीसीएन सिद्धांत उपयुक्त नहीं है और इसमें रोविंग और चोप्ड स्ट्रैंड्स मैट्स के भार और घनत्व तथा चोप्ड स्ट्रैंडों के डायमीटर पर विचार किया जाना चाहिए।

(xxi) उत्पाद किस्मों के और पृथक्करण के लिए पीसीएन सिद्धांत में संशोधन के लिए निम्नलिखित रूप में आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त, रोविंग की लाइनर डेनसिटी, चोप्ड स्ट्रैंडों के फाइबर डायमीटर और मैट्स के लिए जीएसएम को मानने की आवश्यकता है।

क. असेंबल्ड रोविंग्स, डायरेक्ट रोविंग्स और वॉल्यूमनाइज्ड अथवा टेक्सचर्ड रोविंग्स

ख. डाई-यूज और वेट-यूज चोप्ड स्ट्रैंड्स

ग. इम्लसन बाइंडर और पाउडर बाइंडर से युक्त चोप्ड स्ट्रैंड्स मैट्स

घ. इम्लसन बाइंडर और पाउडर बाइंडर से युक्त कंटीन्यूस फिलामेंट मैट्स

ग.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

6. जांच की शुरूआत की अधिसूचना में उल्लिखित किए गए अनुसार विचाराधीन उत्पाद में ग्लास रोविंग (असेम्बल्ड रोविंग्स (एआर), डायरेक्ट रोविंग (डीआर), ग्लास चोप्ड स्ट्रेन्ड (सीएस), और ग्लास चोप्ड स्ट्रेन्ड मैट्स (सीएसएम) सहित ग्लास फाइबर है, परंतु जिसमें ग्लास वूल, फाइबर ग्लास वूल, वूल फॉर्म में फाइबर ग्लास इंसुलेशन, ग्लास यार्न, ग्लास ओवन फैब्रिक्स, ग्लास फाइबर फैब्रिक्स, ग्लास वूवन रोविंग्स, थर्मोप्लास्टिक अनुप्रयोगों के लिए बने चोप्ड स्ट्रैंड्स, 0.3 से 2.5 माइक्रोन की रेंज में फाइबर डायमीटर से युक्त माइक्रो ग्लास फाइबर, सरफेस मैट/सरफेस वेल/टिश्यू, वेट चोप्ड स्ट्रैंड्स और सेमफिल (ठोस पुनर्बलन के लिए अलकाली प्रतिरोधक ग्लास फाइबर) शामिल नहीं हैं।

7. संबद्ध सामान उप शीर्ष संख्या 7019 के तहत सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 के अध्याय 70 के अंतर्गत वर्गीकरणीय है। सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल संकेतात्मक है और विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र पर बाध्यकारी नहीं है।

8. हितबद्ध पक्षकारों ने यह तर्क दिया है कि पीसीएन सिद्धांत में उत्पाद किस्म के भार, डायमीटर, घनत्व और जीएसएम जैसे मानदंड शामिल किए जाने की आवश्यकता है। तथापि, यह नोट किया जाता है कि उत्पाद किस्म

की लागत हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उल्लिखित मानदंडों में परिवर्तन के कारण काफी भिन्न नहीं है। जहां तक एच-ग्लास को भिन्न पीसीएन में मानने का संबंध है, घरेलू उद्योग ने बाजार में केवल 1,289 मी. टन एच-ग्लास की आपूर्ति की है। अतः यदि दोनों को पृथक पीसीएन माना जाए तो उसका पीसीएन-वार विश्लेषण पर कोई वास्तविक प्रभाव नहीं होगा। अतः प्राधिकारी ने वर्तमान जांच के प्रयोजन के लिए निम्नलिखित पीसीएन पर विचार किया हैः

(i) डायरेक्ट ग्लास रोविंग।

(ii) असेम्बल्ड ग्लास रोविंग।

(iii) ग्लास चोप्ड स्ट्रेंड्स।

(iv) ग्लास चोप्ड स्ट्रैंड्स मैट्स।

9. हितबद्ध पक्षकारों ने यह तर्क दिया है कि हाई मॉड्यूल्स ग्लास फाइबर (एच-ग्लास) को विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से अलग किया जाना चाहिए क्योंकि संबद्ध देशों में उसके विनिर्माण के लिए कोई प्रौद्योगिकी नहीं है और क्षति की अवधि के दौरान संबद्ध देशों से एच-ग्लास का आयात नहीं किया गया था। संबद्ध पक्षकारों ने यह भी अनुरोध किया कि घरेलू उद्योग ने व्यापारिक बाजार में एच-ग्लास की बिक्री नहीं की है और केवल कैप्टिव रूप से उसकी खपत की है। तथापि, प्राधिकारी की यह तय स्थिति है कि केवल वे उत्पाद किस्में, जिनका जांच की अवधि के दौरान आयात किया गया है और घरेलू उद्योग ने उनकी समान वस्तु की आपूर्ति नहीं की है, विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से अलग की जा सकती हैं। घरेलू उद्योग द्वारा दिया गया साक्ष्य यह दर्शाता है कि उसने जांच की अवधि के दौरान एच-ग्लास की आपूर्ति की है। अतः एच-ग्लास को विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से अलग नहीं किया जा सकता।

10. इसके अतिरिक्त, प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग द्वारा दी गई विनिर्माण प्रक्रिया को भी नोट किया है जो यह दर्शाती है कि एच-ग्लास और ईसीआर ग्लास विनिर्माण प्रक्रिया की दृष्टि से समान हैं। यद्यपि अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने यह दावा किया है कि एच-ग्लास के उत्पादन के लिए भिन्न संयंत्र की आवश्यकता होती है, तथापि घरेलू उद्योग ने इस बात पर जोर दिया है कि दोनों का उत्पादन एक ही संयंत्र पर किया जा सकता है। दोनों का उत्पादन प्रयुक्त कच्ची सामग्री में अंतर तथा उसके प्रसंस्करण में थोड़े से संशोधन के साथ समान मशीनों का प्रयोग करके किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, घरेलू उद्योग ने यह दावा किया है कि ईसीआर ग्लास और एच-ग्लास का प्रयोग परस्पर परिवर्तनीय रूप से किया जा सकता है जो कि इस तथ्य से सिद्ध है कि एच-ग्लास की आपूर्ति उन्हीं ग्राहकों को की जा रही है जो पूर्व में ईसीआर ग्लास का प्रयोग कर रहे थे। प्राधिकारी उसको हटाए जाने के लिए अनुरोधों में कोई औचित्य नहीं पाते।

11. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने यह तर्क दिया है कि थर्मोसेट चोप्ड स्ट्रैंड्स, हाई स्ट्रैंथ ग्लास फाइबर, यथा – एस-ग्लास और आर-ग्लास तथा ईसीआर रोविंग एलएफटी (लांग फाइबर थर्मोप्लास्टिक) को विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से अलग किया जाना चाहिए। प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उदयोग ने थर्मोसेट चोप्ड स्ट्रैंडों का उत्पादन किया है और इस प्रकार उसे विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से अलग नहीं किया जाता है। इसके अतिरिक्त, एस-ग्लास और आर-ग्लास के कोई आयात नहीं हैं। तथापि, घरेलू उद्योग ने ईसीआर रोविंग एलएफटी (लांग फाइबर थर्मोप्लास्टिक) का उत्पादन नहीं किया है और इसीलिए उसे विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से अलग किया जाता है। वर्तमान जांच के लिए प्रस्तावित विचाराधीन उत्पाद निम्नलिखित होगाः

"ग्लास रोविंग (असेम्बल्ड रोविंग्स (एआर), डायरेक्ट रोविंग (डीआर), ग्लास चोप्ड स्ट्रेन्ड (सीएस), और ग्लास चोप्ड स्ट्रेन्ड मैट्स (सीएसएम) सहित ग्लास फाइबर है, परंतु जिसमें ग्लास वूल, फाइबर ग्लास वूल, वूल फॉर्म में फाइबर ग्लास इंसुलेशन, ग्लास यार्न, ग्लास ओवन फैब्रिक्स, ग्लास फाइबर फैब्रिक्स, ग्लास वूवन रोविंग्स, थर्मोप्लास्टिक अनुप्रयोगों के लिए बने चोप्ड स्ट्रैंड्स, 0.3 से 2.5 माइक्रोन की रेंज में फाइबर डायमीटर से युक्त माइक्रो ग्लास फाइबर, सरफेस मैट/सरफेस वेल/टिश्यू, वेट चोप्ड स्ट्रैंड्स, सेमफिल (ठोस पुनर्बलन के लिए अलकाली प्रतिरोधक ग्लास फाइबर) और ईसीआर रोविंग एलएफटी (लांग फाइबर थर्मोप्लास्टिक) शामिल नहीं हैं।"

12. उपर्युक्त के अध्यधीन, प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने दावा किया है कि उन्होंने आयातित सामानों की समान वस्तु का उत्पादन किया है और हितबद्ध पक्षकारों ने भी घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित सामानों और

आयातित उत्पाद में किसी अंतर का दावा भी नहीं किया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध सामान और संबद्ध देश से आयातित सामान भौतिक एवं रासायनिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया एवं प्रौद्योगिकी, प्रकार्य एवं प्रयोग, उत्पाद विशिष्टियों, कीमत, वितरण एवं विपणन और सामानों के प्रशुल्क वर्गीकरण जैसी विशेषताओं के संदर्भ में तुलनीय हैं। उपभोक्ता इन दोनों का प्रयोग परस्पर परिवर्तनीय रूप से कर रहे हैं। इसके मद्देनजर, प्राधिकारी यह पाते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध सामान संबद्ध देशों से आयातित विचाराधीन उत्पाद की समान वस्तु हैं।

घ. घरेलू उद्योग का क्षेत्र एवं आधार

घ.1 घरेलू उद्योग द्वारा अनुरोध

13. घरेलू उद्योग के क्षेत्र एवं आधार के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

(i) आवेदकों का भारत में घरेलू उत्पादन में प्रमुख अनुपात है। आवेदकों के अलावा, भारत में संबद्ध सामानों का एक और उत्पादक अर्थात गोवा ग्लास फाइबर लिमिटेड है।

(ii) ओसीआईआईपीएल को आवेदक के रूप में शामिल किया गया है, यहां तक कि यद्यपि उसने उत्पादन बंद कर दिया क्योंकि वह ओसीआईपीएल का एक संबद्ध पक्षकार है और संबद्ध पक्षकारों को सामान्य यूनिट के रूप में माना गया है। उसके आंकड़े क्षति निर्धारण के लिए संगत हैं क्योंकि वह क्षति की अवधि में संबद्ध सामानों का उत्पादन कर रहा था। यहां तक कि संबद्ध उत्पादकों और निर्यातकों को भी एक कंपनी माना जाता है।

(iii) इस अनुरोध के संबंध में ओसीआईआईपीएल को शामिल करने का अर्थ पेचीदा क्षति विश्लेषण है, यह अनुरोध किया गया था कि अकेले ओसीआईपीएल के आंकड़े क्षति दर्शाते हैं। फिर भी, घरेलू उद्योग पूरी क्षति अवधि से संबंधित है, न कि जांच की अवधि से ही। चूंकि ओसीआईआईपीएल पूर्व की अवधियों में घरेलू उद्योग का भाग थी, अतः उसे घरेलू उद्योग की परिभाषा में शामिल किया जाना चाहिए।

(iv) आधार ओसीआईआईपीएल के आधार पर निर्धारित नहीं किया गया है क्योंकि उसने जांच की अवधि में उत्पादन नहीं किया।

(v) घरेलू उद्योग ने क्षति की अवधि के दौरान संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों का आयात नहीं किया है।

(vi) घरेलू उद्योग द्वारा आयात ओसीआईआईपीएल की बंदी और ओसीआईपीएल की अस्थायी बंदी के कारण आए, मांग-आपूर्ति अंतराल को पूरा करने के लिए थे, संबद्ध देशों से नहीं थे और पाटित आयातों से अधिक कीमत पर थे। आयात कम मात्रा में थे। घरेलू उद्योग का जोर उत्पादन पर है क्योंकि जांच की अवधि में आयातों की मात्रा बहुत कम थी।

घ.2 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा अनुरोध

14. घरेलू उद्योग का क्षेत्र एवं आधार के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

(i) चूंकि ओसीआईआईपीएल ने दिसंबर, 2017 में सामानों का उत्पादन बंद कर दिया था, अतः उसे घरेलू उद्योग का भाग नहीं माना जा सकता। डीजीटीआर की नियम पुस्तक में नोट किए गए अनुसार, आवेदक को जांच की अवधि में वास्तविक उत्पादक होना चाहिए। इस जांच को रद्द किया जाना चाहिए क्योंकि इसने शुरू से ही जांच की शुरूआत बेकार की है।

(ii) यह तथ्य कि ओसीआईआईपीएल आईसीआईपीएल से संबद्ध है, आधार निर्धारित करने के लिए तब संगत नहीं है, जब उपर्युक्त कंपनी संबद्ध सामानों के विनिर्माण में नहीं लगी हुई है।

(iii) ओसीआईआईपीएल को शामिल करना पेचीदा क्षति विश्लेषण दर्शाता है जिसमें दो कंपनियों के आंकड़े क्षति विश्लेषण की शुरूआत और शेष अवधि के दौरान एक कंपनी के लिए शामिल किए गए हैं।

(iv) नियम 2(ख), नियम 4, नियम 5(3) और 11 के प्रावधानों के अनुसार, केवल संबद्ध सामानों के उत्पादन में लगे हुए उत्पादक को ही घरेलू उद्योग के भाग के रूप में माना जा सकता है और प्रचालन में न रहने वाले उत्पादक के लिए कोई क्षति विश्लेषण नहीं किया जा सकता।

(v) गोवा ग्लास फाइबर ने जांच में भाग लेने से अलग रहने का विकल्प चुना, जबकि उसका उत्पादन और बिक्री संबद्ध आयातों के बराबर थी।

(vi) एसओपी की नियम पुस्तक के अनुसार, प्राधिकारी को गोवा ग्लास से जांच के व्यापक हित में जांच की अवधि के दौरान उसके मानदंडों के संबंध में सूचना प्रदान करने के लिए कहना चाहिए।

(vii) आवेदक जांच की अवधि सहित नियमित रूप से आयात करते आ रहे हैं।

(viii) आवेदकों द्वारा दूसरी मौखिक सुनवाई में किए गए अनुरोधों के विपरीत, घरेलू उद्योग ने पूर्व वर्षों में संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों का आयात किया है।

(ix) आवेदक वैश्विक एकत्रीकरण का भाग है, जो यह निर्धारित करता है कि किस ग्रेड का किस देश में उत्पादन किया जाना है। इस प्रकार, मांग की पूर्ति करने, अपनी उत्पादन लाइनों को पूरा करने और कैप्टिव खपत के लिए सामानों का आयात करना कठिन है, जिसका वैश्विक नीतियों के कारण उत्पादन नहीं किया जा सकता। इस प्रकार, ओसीआईपीएल को आवेदन पत्र दायर करने के लिए पात्र नहीं माना जा सकता।

(x) चूंकि एक भट्टी कैप्टिव खपत के लिए एचएम ग्लास का उत्पादन करने के लिए प्रयुक्त की जाती है, अतः दूसरी भट्टी के उत्पादन और क्षमता पर आधार निर्धारित करने और क्षति निर्धारण के लिए विचार किया जाना चाहिए।

(xi) जांच की शुरूआत की अधिसूचना के अनुसार, भारतीय प्राधिकारी जांच की शुरूआत से पूर्व घरेलू उद्योग का आधार निर्धारित करने में असमर्थ थे और उन्होंने सामान्यतः उल्लेख किया कि आवेदक नियम 2(ख) और 5(3) के अनुसार घरेलू उद्योग है।

घ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

15. पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) में घरेलू उद्योग निम्नलिखित रूप में परिभाषित हैः

"(ख) "घरेलू उद्योग" का तात्पर्य ऐसे समग्र घरेलू उत्पादकों से है जो समान वस्तु के विनिर्माण और उससे जुड़े किसी कार्यकलाप में संलग्न हैं अथवा ऐसे उत्पादकों से है जिनका उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन उक्त वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा भाग बनता है सिवाए उस स्थिति के जब ऐसे उत्पादक आरोपित पाटित वस्तु के निर्यातकों या आयातकों से संबंधित होते हैं अथवा वे स्वयं उसके आयातक होते हैं, तो ऐसे मामले में "घरेलू उद्योग" पद का अर्थ शेष उत्पादकों के संदर्भ में लगाया जा सकता है।

16. यह आवेदन पत्र विचाराधीन उत्पाद के दो संबद्ध उत्पादकों, अर्थात् ओवेन्स-कॉर्निंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (ओसीआईपीएल) और ओवेन्स-कॉर्निंग (इंडस्ट्रीज) इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (ओसीआईआईपीएल) द्वारा दायर किया गया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि ओसीआईआईपीएल ने क्षति की अवधि में प्रचालन बंद कर दिये हैं। प्राधिकारी नोट करते हैं कि ओसीआईआईपीएल क्षति की अवधि में प्रचालन कर रहा था। चूंकि यह ओसीआईपीएल की एक संबद्ध कंपनी है, अतः इसके आंकड़े वर्तमान जांच के लिए संगत हैं। यह इसलिए है क्योंकि संबद्ध उत्पादकों को जांच के प्रयोजन के लिए एकल कंपनी माना जाता है।

17. इस संबंध में, प्राधिकारी विचाराधीन उत्पाद से संबंधित दिनांक 6 जनवरी, 2011 के अंतिम जांच परिणाम फा. सं. 14/28/2009-डीजीएडी में मूल जांच के मामले में जांच परिणामों का उल्लेख करते हैं, जिनमें प्राधिकारी ने संबंधित उत्पादकों या निर्यातकों के लिए एक कंपनी के रूप में उन्हें उसी समूह से संबंधित मानते हुए एकल पाटन मार्जिन निर्धारित किया।

"53. यह नोट किया जाता है कि संबद्ध जांच में कई सहयोगी उत्पादक और निर्यातक एक दूसरे से संबद्ध हैं और संबद्ध कंपनियों का समूह हैं। पाटन मार्जिन के निर्धारण के लिए ***उस समूह के लिए एकल कंपनी के रूप में उस समूह से संबंधित संबद्ध निर्यातक उत्पादकों अथवा निर्यातक उत्पादकों पर विचार करना*** *और उनके लिए एकल पाटन मार्जिन स्थापित करना प्राधिकारी की सतत परिपाटी रही है। यह विशेष रूप से इसलिए है क्योंकि अलग-अलग पाटन मार्जिन का परिकलन करने से पाटनरोधी उपायों की प्रवंचना प्रोत्साहित हो सकती है और इस प्रकार संबद्ध निर्यातक उत्पादकों को न्यूनतम अलग-अलग पाटन मार्जिन वाली कंपनी के माध्यम से भारत को अपने निर्यात भेजने में सक्षम बनाकर उन्हें अप्रभावी कर सकती है।"*

यही दृष्टिकोण प्राधिकारी द्वारा चीन जन. गण., दक्षिण कोरिया, ताइवान और वियतनाम से इलास्टोमेरिक फिलामेंट यार्न, चीन जन. गण., वियतनाम और कोरिया गणराज्य के मूल के अथवा वहां से निर्यातित एल्युमीनियम और जिंक कोटेड फ्लैट उत्पादों और ईरान, मलेशिया, सिंगापुर, चीनी तैपई, संयुक्त अरब अमीरात और संयुक्त राज्य अमेरिका से पॉलीस्टाइनिन के आयातों के संबंध में पाटनरोधी शुल्क जांचों में लिया गया है।

18. प्राधिकारी यह पाते हैं कि यही सिद्धांत वर्तमान मामले में भी लागू होगा। संबंधित पक्षकारों को एकल आर्थिक कंपनी के रूप में माना जाएगा और इसीलिए, ओसीआईआईपीएल को विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से अलग नहीं किया जा सकता। तथापि, चूंकि सामान्य मूल्य और क्षति रहित कीमत केवल जांच की अवधि के लिए निर्धारित की जाती है, अतः ओसीआईआईपीएल को शामिल करने से पाटन मार्जिन अथवा क्षति मार्जिन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

19. प्राधिकारी नोट करते हैं कि ओसीआईपीएल ने क्षति की अवधि के दौरान संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों का आयात नहीं किया है। तथापि, अन्य देशों से क्षति की अवधि के दौरान आयात किए गए हैं। इस प्रकार, प्राधिकारी यह पाते हैं कि आवेदक पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) के अनुसार घरेलू उद्योग बनने के लिए पात्र हैं।

20. जांच की अवधि के दौरान, ओसीआईपीएल ने गैर-संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों का आयात किया है। तथापि, केवल संबद्ध देश से आयात किसी उत्पादक को घरेलू उद्योग के क्षेत्र के अंतर्गत माने जाने से अपात्र बना सकते हैं। यह इसलिए है क्योंकि नियम 2(ख) विशेष रूप से ऐसे उत्पादकों की पात्रता का उल्लेख करता है जो "***आरोपित पाटित वस्तु*** के निर्यातकों अथवा आयातकों से संबद्ध हैं अथवा स्वयं उसके आयातक हैं"। चूंकि अन्य देशों से आयात पाटित आयात नहीं हैं, अतः इन आयातों के लिए कोई अपवर्जन नहीं है। यह बिरला एरिक्सन लिमिटेड बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी के मामले में अधिकरण द्वारा लिए गए दृष्टिकोण के अनुरूप भी है, जिसमें निम्नलिखित माना गया थाः

"4. अपीलकर्ताओं का प्रतिनिधित्व करने वाली काउंसिल का उपर्युक्त तर्क पूर्णतः नियमावली के नियम (ख) में निहित अपवर्जन पर आधारित है, जिसमें घरेलू उद्योग को परिभाषित किया गया है। यह उल्लेख करने के बाद कि घरेलू उद्योग का अर्थ उन घरेलू उत्पादकों से है, जिनका वस्तु के सामूहिक उत्पादन में कुल घरेलू उत्पादन का एक प्रमुख हिस्सा है, कुछ श्रेणियां उससे अलग की गई हैं। अलग की गईं श्रेणियां वे घरेलू उत्पादक हैं जो तथाकथित पाटित वस्तु के निर्यातकों से संबद्ध हैं, जो तथाकथित पाटित वस्तु के आयातकों से संबद्ध हैं अथवा जो उसके खुद आयातक हैं। "उसके आयातकों" शब्दों का क्षेत्र क्या है? घरेलू उत्पादकों के इस समूह को, जो उसके आयातक हैं, तथाकथित पाटित वस्तु के निर्यातकों से संबद्ध घरेलू उत्पादकों और तथाकथित पाटित वस्तु के आयातकों से संबद्ध घरेलू उत्पादकों के साथ समूह में रखे जाने होते हैं। इस प्रकार लिये गये घरेलू उत्पादक जो खुद आयातक हैं, का अर्थ में घरेलू उत्पादक होने चाहिए जो खुद ही तथाकथित पाटित वस्तु के आयातक हैं। दूसरे शब्दों में, घरेलू उत्पादक जो संबद्ध देश से तथाकथित पाटित वस्तु के आयातक नहीं हैं, को "घरेलू उद्योग" की परिभाषा से अलग नहीं किया जाना चाहिए।

5. "तथाकथित पाटन वस्तु" का क्या अर्थ है? इस मामले में तथाकथित पाटित वस्तु कोरिया गणराज्य से आयातित आप्टिकल फाइबर ही हो सकती है। कोरिया गणराज्य संबद्ध देश है। जिस वस्तु के संबंध में जांच शुरू की गई थी वह ऑप्टिकल फाइबर है। अतः, अकेले कोरिया गणराज्य के मूल के अथवा वहां से निर्यातित ऑप्टिकल फाइबर को "तथाकथित पाटित वस्तु" माना जा सकता है। दूसरे देश से भारत में आयातित ऑप्टिकल फाइबर "तथाकथित पाटित वस्तु" के रूप में नहीं ली जा सकती। अन्य देशों से भारत में आयातित आप्टिकल फाइबर भारत में पाटित वस्तुएं नहीं हैं। अतः, कोरिया से आप्टिकल फाइबर के निर्यातकों अथवा आयातकों से संबद्ध घरेलू उत्पादकों तथा दक्षिण कोरिया से आप्टिकल फाइबर का आयात करने वाले घरेलू उत्पादकों को घरेलू उद्योग की श्रेणी से अलग किया जाना चाहिए। यदि अपीलकर्ताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वान काउंसिल के तर्क को स्वीकार किया जाना हो, तो हमें परिभाषा को "खुद समान वस्तु के आयातक हैं" शब्द पढ़कर पुनः लिखनी होगी।

6. घरेलू उत्पादकों, जो अन्य देशों से समान वस्तु के निर्यातकों अथवा आयातकों से संबद्ध हैं, को घरेलू उद्योग की परिभाषा के क्षेत्र से अलग नहीं किया गया है। कोई घरेलू उत्पादक दूसरे देश में विनिर्मित समान वस्तु के निर्यातक अथवा आयातक से संबद्ध हो सकता है। इसी प्रकार, कोई घरेलू उत्पादक तीसरे देश से समान वस्तु का आयातक हो सकता है। तीसरे देशों में विनिर्मित समान वस्तुएँ पाटित वस्तुएँ नहीं हैं। मैसर्स स्टरलाइट इंडस्ट्रीज लि. ने मलेशिया से ऑप्टिकल फाइबर का आयात

किया। मलेशिया से आयातित सामान पाटित वस्तुएं नहीं हैं। अतः मैसर्स स्टरलाइट इंडस्ट्रीज लि. को घरेलू उद्योग होने से प्रतिबंधित नहीं किया जाता है। मामले के इस दृष्टिकोण से, अपीलकर्ताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले काउंसिल द्वारा हमारे समक्ष उठाए गए तर्क को हम खारिज करते हैं। अतः, परिणाम यह है कि मैसर्स स्टरलाइट इंडस्ट्रीज लि. ने घरेलू उद्योग का प्रतिनिधित्व किया और उनका ऑप्टिकल फाइबर के उत्पादन में कुल घरेलू उत्पाद का प्रमुख हिस्सा था। परिणामस्वरूप, निर्दिष्ट प्राधिकारी के समक्ष उनका आवेदन पत्र उचित था और हम कार्यवाहियां शुरू करने में निर्दिष्ट प्राधिकारी की कार्रवाई में कोई अवैधानिकता नहीं पाते।"

अतः, इस संबंध में अधिकरण के निर्णय और प्राधिकारी की निर्धारित स्थिति के मद्देनजर, अन्य देशों से आयात ओसीआईपीएल को घरेलू उद्योग के क्षेत्र के अंतर्गत माने जाने से नहीं रोकते।

21. गोवा ग्लास फाइबर लिमिटेड देश में संबद्ध सामानों का दूसरा उत्पादक है। तथापि, उसने वर्तमान जांच में भाग नहीं लिया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच भारतीय उत्पादन में प्रमुख अनुपात रखने वाले घरेलू उत्पादकों द्वारा दायर आवेदन पत्र के आधार पर शुरू की गई है। तद्नुसार, प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग को क्षति का परिकलन करने के लिए घरेलू उद्योग के मानदंडों का उल्लेख किया है।

22. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने भी यह तर्क दिया है कि कैप्टिव खपत के लिए सामानों का उत्पादन करने हेतु प्रयुक्त भट्टी का उत्पादन कुल उत्पादन में आवेदकों के हिस्से के निर्धारण के लिए नहीं माना जाना चाहिए। तथापि, प्राधिकारी इस प्रकार से अलग किए जाने के लिए कोई आधार नहीं पाते। नियम 2(ख) के प्रावधान भारत में उत्पादन से संबंधित हैं, जिनका अर्थ कुल उत्पादन है, न कि उत्पादन जिसमें कैप्टिव खपत के लिए उत्पादन शामिल नहीं है। इसके अतिरिक्त, हितबद्ध पक्षकारों ने यह दर्शाने के लिए कोई साक्ष्य नहीं दिया है कि वर्तमान मामले में नियम 2(ख) के परंतुक के तहत परिकल्पित किए गए अनुसार असाधारण परिस्थिति विद्यमान है, जिससे संयंत्र कैप्टिव उत्पादन कर सकता है और व्यापारिक बिक्री के लिए संयंत्र को दो अलग-अलग प्रतिस्पर्धी बाजारों में प्रचालन करता हुआ माना जाए। अतः, ओसीआईपीएल के कुल उत्पादन पर यह जांच करने में विचार किया गया है कि क्या उसका प्रमुख अनुपात है।

23. आवेदकों का घरेलू उत्पादन में प्रमुख अनुपात है, जो कि नीचे तालिका से देखा जा सकता हैः

उत्पादक	उत्पादन (मी. टन)	उत्पादन में हिस्सा (%)	उत्पादन में हिस्सा (रेंज)
ओवेन्स-कॉर्निंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	***	***	80-90
ओवेन्स-कॉर्निंग (इंडस्ट्रीज) इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	-	-	-
आवेदक	***	***	80-90
गोवा ग्लास फाइबर लिमिटेड	***	***	0-10
कुल भारतीय उत्पादन	1,14,490	100%	100%

इस प्रकार, प्राधिकारी पाते हैं कि ओवेन्स-कॉर्निंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और ओवेन्स-कॉर्निंग (इंडस्ट्रीज) इंडिया प्राइवेट लिमिटेड पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) के तहत घरेलू उद्योग हैं और आवेदन पत्र नियम 5(3) की अपेक्षाओं को पूरा करता है।

ङ. गोपनीयता

ङ.1 घरेलू उद्योग द्वारा अनुरोध

24. गोपनीयता के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

(i) उत्पादकों/निर्यातकों ने अत्यधिक गोपनीयता का दावा किया है क्योंकि उन्होंने सार्वजनिक पटल पर उपलब्ध सूचना का भी गोपनीय होने का दावा किया है, यथा – विश्वव्यापी कारपोरेट ढांचा और उत्पादित उत्पादों के नाम।

(ii) उत्पादकों/निर्यातकों ने व्यापार सूचना 10/2018 के प्रावधानों का उल्लंघन किया है। उन्होंने अपनी उत्पादन प्रक्रिया, कच्ची सामग्री और संबद्ध पक्षकार की सूचना प्रकट नहीं की है।

(iii) अत्यधिक गोपनीयता के लिए कोई अच्छा कारण नहीं दिया गया है और व्यापार सूचना 1/2013 के तहत प्राधिकारी द्वारा निर्धारित तालिका का प्रपत्र नहीं अपनाया गया है।

(iv) घरेलू उद्योग ऐसी अत्यधिक गोपनयीता के कारण अपने दावों की रक्षा करने में असमर्थ है।

(v) सामान्य मूल्य घरेलू उद्योग के आंकड़ों के आधार पर है जिसका प्रकटन घरेलू उद्योग के हित के पूर्वाग्रह में होगा।

(vi) पाटन विदेशी उत्पादकों की बिक्री कीमत के आधार पर है, न कि घरेलू उद्योग की और इस प्रकार घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत का प्रकटन पाटन निर्धारित करने के लिए संगत नहीं है।

(vii) घरेलू उद्योग ने घरेलू उद्योग, अन्य उत्पादक और मांग में संबद्ध आयातों के हिस्से के संबंध में सूचीबद्ध सूचना दी है।

(viii) घरेलू उद्योग ने भारत में परिपाटी के अनुसार सीबीआईसी विनिमय दर का प्रयोग किया है।

(ix) बंदी की अवधि याचिका में घरेलू उद्योग द्वारा प्रकट की गई थी।

(x) क्षति रहित कीमत बनने वाला प्रत्येक खर्च प्रकट किया गया है। क्षति रहित कीमत व्यापार संवेदी सूचना है और उसे प्रकट नहीं किया जा सकता।

(xi) घरेलू उद्योग ने पीडीएफ रूप में आयात आंकड़े प्रदान करने का अपना दायित्व पूरा किया है। सेसटेट आदेश उस समय पास किया गया था, जिस समय प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों को डीजीसीआईएंडएस के आंकड़े प्राप्त करने के लिए प्राधिकृत नहीं किया। हितबद्ध पक्षकारों के प्रति कोई पूर्वाग्रह नहीं हुआ था क्योंकि वे डीजीसीआईएंडएस के आंकड़े खुद प्राप्त कर सकते थे।

(xii) घरेलू उद्योग ने अत्यधिक गोपनीयता का दावा निम्नलिखित रूप में नहीं किया है:

क. यद्यपि अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने घरेलू उद्योग से सूचीबद्ध रूप में पूरी सूचना देने के लिए कहा है, तथापि उन्होंने खुद वह सूचना नहीं दी है।

ख. आवेदक की नीतियों में व्यापार स्वामित्व वाली सूचना निहित है, जिसे प्रकट नहीं किया जा सकता।

ग. सभी सूचनाएं व्यापार सूचना के अनुसार प्रकट की गई हैं।

घ. प्राधिकारी को दिए गए वित्तीय विवरण अधिक विस्तृत हैं और एमसीए को दिए गए प्रपत्र के अनुसार नहीं हैं।

ङ.2 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा अनुरोध

25. गोपनीयता के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

(i) आवेदक ने सार्थक अगोपनीय सूचना नहीं दी है जिससे टीएसएआईपी का रक्षा का अधिकार भंग हुआ है। आवेदक ने निर्मित सामान्य मूल्य के संबंध में भी अत्यधिक गोपनीयता का दावा किया है।

(ii) आवेदक ने (क) प्रपत्र क से ठ, जिसमें कम से कम प्रवृत्ति दी जा सकती थी; (ख) क्रय नीति, बिक्री नीति, लेखांकन नीति, लागत लेखांकन नीति, गुणवत्ता नियंत्रण प्रक्रिया और परीक्षण; (ग) उत्पादन, क्षमता, क्षमता उपयोग, बिक्री और मांग, जबकि चीन के विरुद्ध पूर्व जांच में क्षमता प्रकट की गई थी; (घ) वित्तीय विवरणों, जो कि बहुत कम शुल्क पर एमसीए की वेबसाइट के माध्यम से उपलब्ध हैं, के संबंध में अत्यधिक गोपनीयता का दावा किया है।

(iii) यदि अन्य देशों से उत्पादकों/निर्यातकों को संगत सूचना प्रदान न करने के लिए असहयोगी माना जाता है, तो घरेलू उद्योग के लिए भिन्न मानक निर्धारित नहीं किया जा सकता।

(iv) आवेदक ने एक्सोटिक डेकर बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी के उल्लंघन में, लेन-देन वार आयात आंकड़ों के संबंध में अत्यधिक गोपनीयता का दावा किया है।

(v) घरेलू उद्योग की क्षति रहित कीमत गोपनीय होने का दावा किया गया है। चूंकि आवेदक ने विचाराधीन उत्पाद और घरेलू उद्योग के संबंध में सूचना गलत दी है, अतः क्षति रहित कीमत के निर्धारण के लिए विभिन्न घटक प्रकट किए जाने चाहिए।

(vi) सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत तथा दावा किए गए समायोजनों से संबंधित सूचना गोपनीय रखी गई थी। उनके संबंध में दिए गए सार से मिस्र पाटन मार्जिन का परिकलन करने के लिए प्रयुक्त सिद्धांत का सत्यापन करने में सक्षम नहीं बनता।

(vii) रुपये से अमेरिकी डॉलर में सामान्य मूल्य के परिवर्तन के लिए विनिमय दर का स्रोत संलग्न नहीं किया गया है।

(viii) आवेदकों ने संबद्ध सामानों की बिक्री कीमत प्रकट नहीं की और इस प्रकार मिस्र यह विश्लेषण करने में सक्षम नहीं है कि क्या संबद्ध आयात भारत में वास्तविक रूप में पाटित किए गए थे।

(ix) आवेदकों ने भारतीय बाजार में कुल मांग और घरेलू उद्योग, अन्य उत्पादकों तथा मांग में संबद्ध आयातों का हिस्सा साझा नहीं किया है। बाजार हिस्से में कोई भी गिरावट 2018-19 में ओसीआईपीएल की बंदी के कारण है।

(x) आवेदकों ने संबद्ध सामानों की बिक्री कीमत प्रकट नहीं की और इस प्रकार मिस्र यह विश्लेषण करने में सक्षम नहीं है कि क्या संबद्ध आयात भारत में वास्तविक रूप में पाटित किए गए थे।

ङ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

26. सूचना की गोपनीयता के संबंध में, पाटनरोधी नियमावली के नियम 7 में निम्नलिखित प्रावधान हैः

"गोपनीय सूचनाः (1) नियम 6 के उपनियमों (2), (3) और (7), नियम 12 के उपनियम (2), नियम 15 के उपनियम (4) और नियम 17 के उपनियम (4) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी जांच की प्रक्रिया में नियम 5 के उपनियम (1) के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों के प्रतियां या किसी पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर निर्दिष्ट प्राधिकारी को प्रस्तुत किसी अन्य सूचना के संबंध में निर्दिष्ट प्राधिकारी उसकी गोपनीयता से संतुष्ट होने पर उस सूचना को गोपनीय मानेंगे और ऐसी सूचना देने वाले पक्षकार से स्पष्ट प्राधिकार के बिना किसी अन्य पक्षकार को ऐसी किसी सूचना का प्रकटन नहीं करेंगे।

(2) निर्दिष्ट प्राधिकारी गोपनीय अधिकारी पर सूचना प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों से उसका अगोपनीय सारांश प्रस्तुत करने के लिए कह सकते हैं और यदि ऐसी सूचना प्रस्तुत करने वाले किसी पक्षकार की राय में उस सूचना का सारांश नहीं हो सकता है तो वह पक्षकार निर्दिष्ट प्राधिकारी को इस बात के कारण संबंधी विवरण प्रस्तुत करेगा कि सारांश करना संभव क्यों नहीं है।

(3) उप नियम (2) में निहित किसी बात को होते हुए भी यदि निर्दिष्ट प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हो कि गोपनीयता के लिए अनुरोध न्यायसंगत नहीं अथवा सूचना प्रदाता सूचना को सार्वजनिक करने अथवा इसको सामान्य तौर पर अथवा संक्षिप्त रूप में उसे प्रकट करने के लिए अनिच्छुक हो, तो ऐसी सूचना की उपेक्षा की जा सकती है।

27. विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दी गई सूचना का अगोपनीय रुपांतर नियम 6(7) और व्यापार सूचना सं. 10/2018 के साथ पठित दिनांक 7 सितंबर 2018 की व्यापार सूचना 01/2020 (प्राधिकारी द्वारा अगले नोटिस तक बढ़ाया गया) के अनुसार सभी हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध कराया गया था।

28. सूचना की गोपनीयता के संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर दी गई सूचना की जांच नियमावली के नियम 7 के अनुसार गोपनीयता के दावों की पर्याप्तता के संबंध में की गई थी। संतुष्ट होने पर, प्राधिकारी ने जहां भी आवश्यक था, गोपनीयता के दावों को स्वीकार किया है, और वह सूचना गोपनीय मानी गई है।

च. विविध अनुरोध

च.1 घरेलू उद्योग द्वारा अनुरोध

29. घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित विविध अनुरोध किए गए हैं:

(i) हितबद्ध पक्षकारों के दावों के विपरीत, जांच की शुरूआत के चरण में केवल प्रथम दृष्टया साक्ष्य की आवश्यकता होती है, जैसा कि राजस्थान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन बनाम पाटनरोधी महानिदेशालय में उच्च न्यायालय द्वारा और हुआवेई टेक्नोलॉजीज कंपनी लिमिटेड बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी और ऑटोमोटिव टायर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी में अधिकरण द्वारा माना गया था।

(ii) पहली मौखिक सुनवाई में लिखित अनुरोध दायर न करने के संबंध में, पहली मौखिक सुनवाई के लिए लिखित अनुरोध दायर न कर कोई अशक्तता नहीं उठती। नियम 6 के अनुसार, मौखिक अनुरोधों पर तब तक ध्यान नहीं दिया जाएगा, जब तक उन्हें लिखित में प्रस्तुत न किया जाए। चूंकि पहली सुनवाई में उठाए गए मौखिक तर्कों पर किसी भी तरह विचार नहीं किया जा सकता, अतः घरेलू उद्योग के लिखित अनुरोध दायर न करने के कारण कोई अशक्तता नहीं उठता।

(iii) किसी पक्षकार को तभी असहयोगी माना जा सकता है, जब वह प्राधिकारी को सूचना देने से इंकार करे और केवल इसलिए नहीं कि उसने अनुरोध दायर न करने का विकल्प लिया। जांच को रद्द करना आवश्यक नहीं है क्योंकि हितबद्ध पक्षकारों ने यह सिद्ध नहीं किया है कि लिखित अनुरोध दायर करने में विफलता नियम 14 के तहत आती है। प्रत्युत्तर दायर करने की समय सीमा दूसरी मौखिक सुनवाई के अनुसरण में किए गए अनुरोधों के लिए ही है।

(iv) इस संबंध में दावों के विपरीत, याचिका जांच की शुरूआत के चरण में सभी पहलुओं में पूर्ण थी।

(v) क्षमता विस्तार की लागत उत्पादन लागत में शामिल नहीं है बल्कि पूंजीकृत है।

(vi) घरेलू उद्योग ने पूरे 2018-19 में उस समय भी सामानों की बिक्री की, जब उसका संयंत्र बंद था, जो कि प्रस्तुत माह-वार बिक्री से सिद्ध है।

(vii) यह जांच साक्ष्य की उचित जांच के बाद शुरू की गई थी। जांच की शुरूआत की अधिसूचना में उल्लेख है कि प्राधिकारी ने साक्ष्य की परिशुद्धता और पर्याप्तता के रूप में अपने को संतुष्ट किया।

(viii) यह तर्क कि ओसीआईपीएल ने विगत में एकाधिकार की स्थिति बनाए रखी, बिना किसी औचित्य के है, क्योंकि प्रत्येक प्रयोक्ता संबद्ध सामानों का आयात करने के लिए स्वतंत्र था।

(ix) बाजार में दो उत्पादक हैं, अतः एकाधिकार की स्थिति उत्पन्न नहीं हो सकती। पाटनरोधी शुल्क आयातों को नहीं रोकते, बल्कि उन्हें उचित कीमतों पर सुनिश्चित करते हैं। प्रयोक्ता दूसरे देशों से आयात करने के लिए भी स्वतंत्र हैं।

(x) यह जांच 4 अगस्त, 2020 को शुरू की गई थी, जबकि जांच की अवधि मार्च, 2020 तक है, दोनों के बीच में अंतर छः माह से कम है।

च.2 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा अनुरोध

30. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित विविध अनुरोध किए गए हैं:

(i) जांच की अवधि में आयातों के वार्षिकीकृत आंकड़ों का परिकलन करने के लिए पद्धति के संबंध में डीजीटीआर से और अधिक स्पष्टीकरण की आवश्यकता है।

(ii) घरेलू उद्योग ने प्राधिकारी का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किए बिना अंतिम मौखिक सुनवाई में लिखित अनुरोध दायर नहीं किए। हितबद्ध पक्षकारों ने अपने लिखित अनुरोध दायर किए जिससे घरेलू उद्योग को दूसरी मौखिक सुनवाई में उनका खंडन कर अपने हितों की रक्षा करने का अधिक समय मिला। अन्य हितबद्ध पक्षकारों को वह अवसर नहीं दिया गया था। घरेलू उद्योग को असहयोगी हितबद्ध पक्षकार माना जाना चाहिए और जांच रद्द की जानी चाहिए।

(iii) यह जांच संगत कारकों के समुचित मूल्यांकन के बिना शुरू की गई है और (क) आयात "पाटित" और गलत तरीके में उल्लिखित किए गए हैं तथा (ख) ऑटोमोटिव और पवन ऊर्जा क्षेत्र में बंदी जैसे अन्य कारकों, जिनमें एचएस ग्लास फाइबर का प्रयोग किया गया है और जिनके लिए हाल ही में आवेदकों ने नई भट्टी स्थापित की, की पूर्व जांच नहीं की गई है, (ग) उत्पाद मिश्र में भारत को निर्यातित न किए जा रहे उत्पाद शामिल हैं, (घ) अन्य देशों से आयात कुल आयातों का 50 प्रतिशत हैं।

(iv) प्राधिकारी याचिका में प्रस्तुत किए गए साक्ष्य की परिशुद्धता और पर्याप्तता के संबंध में खुद को संतुष्ट नहीं कर पाए और तद्नुसार, जांच की शुरूआत बेकार हो गई है जिससे जांच रद्द किया जाना आवश्यक हो गया है।

(v) जांच की शुरूआत और जांच की प्रस्तावित अवधि के बीच 8 माह का अंतर है।

(vi) घरेलू उद्योग का यह दावा कि उसने आयातों पर अनावश्यक निर्भरता कम करने के लिए अपनी क्षमता में निवेश किया है, एकाधिकार बनाने का इरादा दर्शाता है।

(vii) आवेदक ने व्यापार को ठंडा करने के प्रभाव वाली पाटनरोधी जांचों का लाभ लेने के लिए जांच की अवधि के बाद 30 प्रतिशत तक अपनी कीमतें बढ़ाईं।

(viii) चूंकि पाटन और क्षति के संबंध में घरेलू उद्योग के दावे मान्य नहीं हैं, अतः अनंतिम उपाय के लिए कोई मामला नहीं बनता है।

च.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

31. प्राधिकारी नोट करते हैं कि वर्तमान जांच में जांच की अवधि 1 अप्रैल, 2019 – 31 मार्च, 2020 है जो कि एक पूरा वर्ष है। अतः, वर्तमान जांच में वार्षिकीकृत आंकड़ों का कोई संबंध नहीं है। घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत आंकड़े और क्षति की अवधि पूरे वर्ष से संबंधित हैं। इसके अतिरिक्त, प्राधिकारी ने जांच की शुरूआत और जांच की अवधि की समाप्ति के बीच 4 माह का समय अंतराल दर्शाते हुए 4 अगस्त, 2020 को वर्तमान जांच की शुरूआत की, न कि 8 माह के लिए जैसा कि हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दावा किया गया है।

32. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने यह तर्क दिया है कि घरेलू उद्योग ने पहली मौखिक सुनवाई के अनुसरण में अनुरोध दायर नहीं किए थे। प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(6) में निम्नलिखित प्रावधान हैः

"(6) निर्दिष्ट प्राधिकारी किसी हितबद्ध पक्षकार अथवा उसके प्रतिनिधि को मौखिक रूप से जांच के संगत सूचना प्रस्तुत करने की अनुमति दे सकते हैं, परन्तु उस मौखिक सूचना पर निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा केवल तभी विचार किया जाएगा, जब वह बाद में लिखित रूप में प्रस्तुत की जाए।"

नियम 6(6) में यह प्रावधान है कि मौखिक रूप से दिए गए तर्कों पर तब तक ध्यान नहीं दिया जाएगा, जब तक वे लिखित रूप में प्रस्तुत न किए जाएं। पहली सुनवाई में दिए गए तर्कों पर जांच प्रक्रिया के दौरान नए महानिदेशक की नियुक्ति के कारण और अंतिम जांच परिणाम जारी किए जाने से पूर्व विचार नहीं किया जा सका है। चूंकि दूसरे सुनवाई की गई थी और उसमें दिए गए तर्क घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत किए गए हैं, अतः उन पर प्राधिकारी द्वारा विचार किया गया है।

33. प्राधिकारी नोट करते हैं कि आवेदकों ने विधिवत सिद्ध आवेदन पत्र दिया है जिसके आधार पर वर्तमान जांच शुरू की गई थी। वर्तमान जांच घरेलू उद्योग द्वारा दिए गए आंकड़ों/सूचना के आधार पर और प्रथम दृष्टया यह संतुष्ट होने पर कि पाटन, क्षति और कारणात्मक संपर्क का पर्याप्त साक्ष्य है, शुरू की गई थी। आवेदन पत्र में जांच की शुरूआत के प्रयोजन के लिए संगत पूरी सूचना निहित है।

34. हितबद्ध पक्षकारों ने यह तर्क दिया है कि शुल्क लगाए जाने से बाजार में एकाधिकार की स्थिति होगी। तथापि, प्राधिकारी इसमें कोई औचित्य नहीं पाते क्योंकि पाटनरोधी शुल्क आयातों को नहीं रोकते, परंतु केवल यह सुनिश्चित करते हैं कि आयात बाजार में अपाटित कीमतों पर आएं। इसके अतिरिक्त, भारत में संबद्ध सामानों का एक और उत्पादक है, जो घरेलू उत्पादकों के बीच परस्पर प्रतिस्पर्धा तथा अन्य देशों से आयातों में प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करेगा।

छ. पाटन मार्जिन का सामान्य मूल्य, निर्यात मूल्य और निर्धारण

छ.1 घरेलू उद्योग द्वारा अनुरोध

35. सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध निम्नानुसार हैं:

i. आवेदक संबद्ध देशों में समान उत्पाद की कीमत प्राप्त करने में सक्षम नहीं थे और सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए किसी भी बाजार एजेंसी की रिपोर्ट तक उनकी पहुंच नहीं थी। चूंकि अन्य उत्पादों का भी समान एचएस कोड के तहत आयात किया जाता है, इसलिए संबद्ध देशों से आयात और निर्यात की कीमत का उपयोग सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार, सामान्य मूल्य का निर्धारण भारत में देय कीमत के आधार पर किया गया है जो बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक लागत और लाभ के उचित परिवर्धन के साथ घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत पर आधारित है।

ii. सीपीआईसी अबहसन फाइबरग्लास डब्ल्यूएलएल (सीपीआईसीबहरीन) और फाइबरग्लास उद्योग एसएई के लिए जुशी मिस्रद्वारा प्राप्त निवेश,संबंधित पार्टी इनपुट, सेवाओं, वित्तपोषण, प्रौद्योगिकी या सहायता के स्रोत की जांच करने की आवश्यकता है क्योंकि दोनों संस्थाओं को संबद्ध देशों की सरकारों के सहयोग से चीन जन.गण की सरकार की सहायता के अनुसार स्थापित किया गया था।

iii. सीपीआईसीबहरीन को बहरीन इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट पार्क (बीआईआईपी) में स्थापित किया गया है और बिना किसी बाधा के मुक्त क्षेत्र के सभी लाभों का आनंद उठाता है जो सामान्य रूप से मुक्त क्षेत्रों पर लागू होता है।

iv. जुशी मिस्र को दोनों कंपनियों के बीच समझौता ज्ञापन के अनुसार चीन-मिस्र स्वेज आर्थिक और व्यापार सहयोग क्षेत्र (एसईटीसी-जोन) में स्थापित किया गया है। एसईटीसी-ज़ोन में, जुशीमिस्र मिस्र सरकार और चीन सरकार के एकत्रित संसाधनों से लाभान्वित होता है।

v. यदि निर्यातकों को चीन जन.गण से कोई इनपुट या सेवा प्राप्त होती है, तो उचित बाजार मूल्य और उत्पादकों द्वारा वास्तव में भुगतान की गई कीमत के लिए एक समायोजन किया जाना चाहिए। रबर केमिकल्स अर्थात चीन जन.गण से एमबीटी, टीडीक्यू, पीवीआई और टीएमटी और चीन जन.गण और कोरिया आरपी से पीएक्स-13 (6पीपीडी) पर एंटी-डंपिंग जांच में, प्राधिकारी ने माना कि चूंकि कच्चा माल एक गैर-बाजार अर्थव्यवस्था (चीन जन.गण) से प्राप्त किया गया था, इसलिए लागत पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। कुम्हो पेट्रोकेमिकल्स कंपनी लिमिटेड वी. के विनिर्दिष्ट प्राधिकारी में सीईएसटीएटी द्वारा इसकी पुष्टि की गई थी।

vi. यूरोपीय आयोग ने मिस्र से संबद्ध वस्तुओं के आयात पर सब्सिडी रोधी निष्कर्ष जारी की और माना कि जुशी मिस्र को मिस्र सरकार और चीन जन.गण से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त सब्सिडी से लाभ हुआ था। जुशी चीन ने खुद इन इंटरकंपनी ऋणों को चीनी वित्तीय संस्थानों से बाहरी वित्तपोषण के माध्यम से वित्तपोषित किया था। जुशी मिस्र को सीएनबीएम, एक चीनी राज्य-नियंत्रित इकाई, इक्विटी इंजेक्शन के माध्यम से, और पर्याप्त पारिश्रमिक से कम पर भूमि की आपूर्ति, वैट छूट, निर्यात किए गए सामानों के लिए उपयोग किए जाने वाले आयातित कच्चे माल पर आयात शुल्क छूट से लाभ हुआ।

vii. चूंकि संबद्ध देशों में उत्पादकों की कीमत सूची सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं थी, घरेलू उद्योग अन्य जानकारी के अभाव में निर्मित सामान्य मूल्य पर निर्भर रहने के लिए बाध्य था। ऑटोमोटिव टायर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन बनाम विनिर्दिष्ट प्राधिकारी में, ट्रिब्यूनल ने माना कि उत्पादन की निर्मित लागत के आधार पर सामान्य मूल्य प्रस्तुत करने के लिए घरेलू उद्योग को दोष नहीं दिया जा सकता है।

viii. निर्यात कीमत के लिए दावा किया गया समायोजन प्राधिकारी की सुसंगत कार्य प्रणाली के अनुसार है और इसे अधिक नहीं माना जा सकता है।

ix. इस संबंध में आरोप के विपरीत, घरेलू उद्योग ने सामान्य मूल्य के निर्धारण में कमीशन नहीं जोड़ा है।

x. घरेलू उद्योग ने निर्यात कीमत के लिए परिकलन को अगोपनीय रूप में साझा किया है । सामान्य मूल्य का सत्यापन प्राधिकारी द्वारा किया गया है।

xi. घरेलू उद्योग द्वारा व्यापार के स्तर के लिए किसी प्रकार के समायोजन का दावा नहीं किया गया है । एक्स फैक्ट्री स्तर पर कीमत को लाने के लिए सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत को समायोजित किया गया है।

छ.2 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा अनुरोध

36. सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध निम्नानुसार हैं:

i. जबकि आवेदक ने दावा किया है कि निर्यातक चीन जन.गण में उत्पादकों के स्वामित्व में हैं,जो स्वयं चीन में अपनी उत्पादन सुविधाएं वाली एक बहुराष्ट्रीय कंपनी है।

ii. उत्पादन की लागत से संबंधित आंकडें पर निर्मित सामान्य मूल्य ने एक अस्पष्ट और पक्षपाती निर्मित मूल्य को बढाया है, जिसमें वैध प्रमाण की कमी है।

iii. निर्मित सामान्य मूल्य का उपयोग केवल उस स्थिति में किया जा सकता है जब घरेलू बाजार में व्यापार के सामान्य क्रम में कोई बिक्री नहीं होती है। रोजगार, मजदूरी, सकल घरेलू उत्पाद, ब्याज दर और राज्य के कुल क्षेत्रफल के मामले में भारत में आर्थिक स्थिति मिस्र से अलग है, इस प्रकार, भले ही निर्मित सामान्य मूल्य निर्धारित किया जाना है, यह मिस्र के उत्पादकों के रिकॉर्ड पर आधारित होना चाहिए।

iv. निर्यात कीमत विकृत है क्योंकि जांच के तहत उत्पाद के एचएस कोड में "अन्य" के तहत वर्गीकृत अन्य उत्पाद शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, आवेदक ने निर्यात कीमत को कम करने के लिए कई समायोजनों का उपयोग किया है।

v. चीन से कच्चे माल और अन्य इनपुट की सोर्सिंग करना,एक निर्माता के सामान्य मूल्य से संबंधित जानकारी की अवहेलना करने का कारण नहीं है।

छ.3प्राधिकारी द्वारा जांच

37. धारा 9क(1)(ग(केअधीन, किसी वस्तु के संबंध में सामान्य मूल्य का तात्पर्य है:

(i) व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में समान वस्तु की तुलनीय कीमत जब वह उप नियम (6) के तहत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित निर्यातक देश या क्षेत्र में खपत के लिए नियत हो, अथवा

(ii) जब निर्यातक देश या क्षेत्र के घरेलू बाजार में व्यापार की सामान्य प्रकिया में समान वस्तु की कोई बिक्री न हुई हो अथवा जब निर्यातक देश या क्षेत्र की बाजार विशेष की स्थिति अथवा उसके घरेलू बाजार में कम बिक्री मात्रा के कारण ऐसी बिक्री की उचित तुलना न हो सकती हो तो सामान्य मूल्य निम्नलिखित में से कोई एक होगाः-

(क) समान वस्तु की तुलनीय प्रतिनिधिक कीमत जब उसका निर्यात उप-धारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार निर्यातक देश या क्षेत्र से या किसी उचित तीसरे देश से किया गया हो; अथवा उपधारा- (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित प्रशासनिक, बिक्री और सामान्य लागत एवं लाभ हेतु उचित वृद्धि के साथ उद्गम वाले देश में उक्त वस्तु की उत्पादन लागत;

(ख) परंतु यदि उक्त वस्तु का आयात उदगम वाले देश से भिन्न किसी देश से किया गया है और जहां उक्त वस्तु को निर्यात के देश से होकर केवल यानांतरण किया गया है अथवा ऐसी वस्तु का उत्पादन निर्यात के देश में नहीं होता है, अथवा निर्यात के देश में कोई तुलनीय कीमत नहीं है, वहां सामान्य मूल्य का निर्धारण उद्गम वाले देश में उसकी कीमत के संदर्भ में किया जाएगा।

38. प्राधिकारी ने संबद्ध देशों के ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को प्रश्नावली भेजी, जिसमें उन्हें प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र और तरीके से जानकारी प्रदान करने की सलाह दी गई। निम्नलिखित उत्पादकों/निर्यातकों ने निर्धारित प्रश्नावली उत्तर भर करके जांच में सहयोग किया है:

i. सीपीआईसीअबहसैन फाइबरग्लास डब्ल्यु एल एल

ii. फाइबरग्लास उद्योग के लिए जुशी मिस्र एसएई

39. सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन के निर्धारण के लिए सहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के उत्तरों की जांच की गई है।

बहरीन के लिए सामान्य मूल्य और निर्यात मूल्य का निर्धारण

सहयोगी उत्पादकों और निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य और निर्यात मूल्य का निर्धारण

सीपीआईसी अबहसैन फाइबरग्लास डब्ल्युएलएल

क.सामान्य मूल्य

40. निर्यातक के प्रश्नावली प्रत्युत्तर में दी गई सूचना के आधार पर प्राधिकारी नोट करते हैं कि सीपीआईसी अबहसैन फाइबरग्लास डब्ल्यूएलएल संबद्ध वस्तु का उत्पादक है और उसने जांच की अवधि के दौरान असंबंधित ग्राहकों को सीधे भारत को संबद्ध वस्तु का निर्यात किया है। यह नोट किया गया कि उत्पादक /निर्यातक ने जांच की अवधि के दौरान घरेलू बाजार में भारत को किए गए निर्यात की तुलना में पर्याप्त संबद्ध वस्तु की बिक्री नहीं की है । उत्पादक/निर्यातक ने अपनी उत्पादन लागत के आधार पर सामान्य मूल्य का दावा किया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि ऐसी स्थिति में जहां निर्यातक देश के घरेलू बाजार में व्यापार के सामान्य क्रम में समान वस्तु की कोई/अपर्याप्त बिक्री नहीं होती है, वहां से निर्यात किए जाने पर सामान्य मूल्य, एक उपयुक्त तीसरे देश को निर्यात करने वाले देश या क्षेत्र या मूल देश में उक्त वस्तु के उत्पादन की लागत के साथ-साथ प्रशासनिक, बिक्री और सामान्य लागत और लाभ के लिए उचित संवर्धन का तुलनीय मूल्य होगा। । इसलिए प्राधिकारी ने निर्यातक द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रत्येक पीसीएन के लिए उत्पादन की लागत के आंकड़ों और उचित लाभ मार्जिन के आधार पर वर्तमान मामले में सामान्य मूल्य का निर्धारण करना उचित समझा है और इसे नीचे पाटन मार्जिन तालिका में दिखाया गया है।

ख. निर्यात कीमत

41. जांच की अवधि के दौरान, उत्पादक/निर्यातक ने भारत को *** एमटी संबद्ध वस्तुओं का निर्यात किया है। निर्यातक ने एक्स फैक्ट्री स्तर पर निवल निर्यात कीमत को लाने के लिए भाड़ा और अन्य संबंधित व्ययों, बैंक प्रभारों, ऋण लागतों के समायोजनों का दावा किया है। इन समायोजनों को प्राधिकारी द्वारा स्वीकार कर लिया गया है। तदनुसार, सीपीआईसी अबहसैन फाइबरग्लास डब्ल्यूएलएल के लिए एक्स फैक्ट्री स्तर पर निवल निर्यात कीमत निर्धारित की गई है, जिसे नीचे पाटन मार्जिन तालिका में दर्शाया गया है।

असहयोगी उत्पादकों और निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य और निर्यात मूल्य का निर्धारण

42. बहरीन से अन्य असहयोगी निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत का निर्धारण सहयोगी निर्यातकों के लिए जांच किए गए आंकड़ों को ध्यान में रखते हुए उपलब्ध तथ्यों के अनुसार किया गया है और इसका उल्लेख पाटन मार्जिन तालिका में किया गया है।

मिस्र के लिए सामान्य मूल्य और निर्यात मूल्य का निर्धारण

सहयोगी उत्पादकों और निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य और निर्यात मूल्य का निर्धारण

फाइबरग्लास उद्योग के लिए जुशी मिस्र एसएई

क. सामान्य मूल्य

43. निर्यातक के प्रश्नावली उत्तर में प्रस्तुत सत्यापित जानकारी के आधार पर प्राधिकारी नोट करते हैं कि फाइबरग्लास उद्योग एसएई के लिए जुशी इजिप्ट संबद्ध वस्तु का उत्पादक है और उसने जांच की अवधि के दौरान भारत को संबद्ध वस्तुओं का निर्यात सीधे तौर पर संबंधित ग्राहकों को और साथ ही आयातक अर्थात् जूशी इंडिया फाइबरग्लास प्राइवेट लिमिटेड को किया है। उत्पादक भारत सहित घरेलू बाजार के साथ-साथ निर्यात बाजारों में संबद्ध वस्तुओं की बिक्री करता है। भारत में निर्यात की तुलना में घरेलू बिक्री पर्याप्त मात्रा में है। सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के लिए, प्राधिकारी ने प्रत्येक पीसीएन के लिए संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन की लागत के संदर्भ में लाभ कमाने वाले घरेलू बिक्री लेनदेन का निर्धारण करने के लिए सामान्य व्यापार परीक्षण किया। जहां विशेष पीसीएन के लिए लाभ कमाने वाले लेनदेन 80% से अधिक हैं, घरेलू बिक्री में सभी लेनदेन को सामान्य मूल्य के

निर्धारण के लिए माना जा रहा है और लाभ कमाने वाले लेनदेन 80% से कम होने पर केवल लाभदायक घरेलू बिक्री को सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए विचार किया जा रहा है। । उत्पादक ने अंतर्देशीय परिवहन, ऋण लागत के कारण समायोजन का दावा किया है और प्राधिकारी द्वारा इसकी अनुमति दी गई है । निर्धारित सामान्य मूल्य का उल्लेख पाटन मार्जिन तालिका में किया गया है ।

ख. निर्यात कीमत

44. जांच की अवधि के दौरान, उत्पादकों/निर्यातकों ने भारत को *** एमटी संबद्ध वस्तुओं का निर्यात किया है। निर्यातक ने कारखाना बाह्य स्तर पर निवल निर्यात कीमत निकालने के लिए समुद्री भाड़ा, अंतर्देशीय परिवहन, बीमा, व्यय, बैंक प्रभार, ऋण लागत के कारण समायोजन का दावा किया है। इन समायोजनों को प्राधिकारी द्वारा स्वीकार कर लिया गया है। तदनुसार, फाइबरग्लास उद्योग एसएई के लिए जुशी मिस्र के लिए कारखाना बाह्य स्तर पर निवल निर्यात कीमत निर्धारित की गई है, जिसे नीचे पाटन मार्जिन तालिका में दर्शाया गया है।

असहयोगी उत्पादकों और निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य और निर्यात मूल्य का निर्धारण

45. मिस्र से अन्य असहयोगी निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत का निर्धारण सहयोगी निर्यातकों के लिए जांच किए गए आंकड़ों को ध्यान में रखते हुए उपलब्ध तथ्यों के अनुसार किया गया है और इसका उल्लेख पाटन मार्जिन तालिका में किया गया है।

पाटन मार्जिन का निर्धारण

46. सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत को ध्यान में रखते हुए संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के लिए पाटन मार्जिन निम्नानुसार निर्धारित किया गया है: -

क्रम.सं.	निर्माता का नाम	साधारण मूल्य	निर्यात कीमत	पाटन मार्जिन	पाटन मार्जिन	पाटन मार्जिन
		(यूएसडी/एमटी)	(यूएसडी/एमटी)	(यूएसडी/एमटी)	(%)	(रेंज)
1	सीपीएससी अबहसैन फाइबरग्लास डब्ल्यु एल एल	***	***	***	***	30-40
2	फाइबरग्लास उद्योग के लिए जुशी मिस्र एसएई	***	***	***	***	नकारात्मक
3	बहरीन से असहयोगी/शेष निर्यातक				40	35-45
4	मिस्र से असहयोगी/ शेष निर्यातक				3	0-10

ज. क्षति और कारणात्मक संबंध का निर्धारण

ज.1 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

47. क्षति और कारणात्मक संबंध के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

i. चूंकि क्षति के संचयी निर्धारण की शर्तें संतोषजनक हैं, इसलिए केवल बहरीन के लिए आयातों की प्रवृत्ति की जांच नहीं की जा सकती है।

ii. आयातों के बीच प्रतिस्पर्धा की शर्तें परस्पर क्षति के संचयन को उचित ठहराती हैं। जबकि मिस्र से आयात की कीमत बहरीन की कीमत से अधिक है, दोनों एक साथ आगे बढ़े हैं।

iii. प्रत्येक संबद्ध देश से आयातों की मात्रा 3% से अधिक है और इसलिए,महत्वपूर्ण है।

iv. घरेलू उद्योग ने ब्राजील और यूएसए के विरुद्ध आवेदन दर्ज नहीं किया है क्योंकि इन देशों से आयात की मात्रा कम है।

v. घरेलू उद्योग के संयंत्र को बंद कर दिया गया क्योंकि आवेदक ने अपने संयंत्र की भट्टी को उन्नत किया और अपनी क्षमता को बढ़ाया है। इस तरह का शटडाउन असामान्य था और इसके प्रभाव को उपलब्ध कराए गए आंकड़ों में समायोजित किया गया है। ऐसे शटडाउन के प्रभाव को अलग कर देने के बाद भी, घरेलू उद्योग को क्षति हुई है।

vi. घरेलू उद्योग ने क्षमता में निवेश किया है ताकि विचाराधीन उत्पाद घरेलू स्तर पर उपलब्ध हो और आयातों पर अनावश्यक निर्भरता न रहे । तथापि, शुल्क अधिरोपित करने से उपयोगकर्ताओं को माल का आयात करने से नहीं रोका जाएगा।

vii. उत्पादन कम करना महंगा होता है। यदि घरेलू उद्योग ने संबद्ध वस्तुओं का निर्यात नहीं किया होता, तो उसे और भी अधिक मालसूची का हानि होता। कीमत में कटौती के कारण घरेलू बाजार में संबद्ध वस्तुओं की बिक्री करने में घरेलू उद्योग की अक्षमता के कारण मालसूची बनाया गया है।

viii. रोजगार, उत्पादन और मजदूरी कई कारकों पर निर्भर करती है। स्थापित क्षमता में वृद्धि के कारण जनशक्ति में वृद्धि हुई है।

ix. घरेलू उद्योग ने बाध्यता में संबद्ध वस्तुओं का निर्यात हानि में किया है ।

x. जबकि व्यापारी की मांग में गिरावट आई है, कुल मांग में वृद्धि हुई है और संबद्ध आयातों में मांग में वृद्धि की तुलना में अधिक वृद्धि हुई है।

xi. डाउनस्ट्रीम उत्पादों में उपयोग में वृद्धि के कारण घरेलू उद्योग के उत्पादन में वृद्धि हुई है।

xii. जांच की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की उत्पादन क्षमता कम नहीं थी जो कि घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत माह-वार आंकड़ों से स्पष्ट है।

xiii. आयातों में पूर्ण और सापेक्षिक रूप से वृद्धि हुई है।

xiv. घरेलू उद्योग के अलाभकारी कीमतों पर बिक्री करने और हानि उठाने पर भी कीमत में कटौती सकारात्मक और महत्वपूर्ण है।

xv. घरेलू उद्योग की बिक्री लागत से कम कीमत पर बाजार में आयात हुए है ।

xvi. आयात घरेलू उद्योग की कीमतों को रोक रहे हैं और कम कर रहे हैं।

xvii. यह अनुरोध कि वर्ष 2018-19 में कोई मूल्य ह्रास नहीं था, पर विचार नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि वर्ष 2018-19 में घरेलू उद्योग के बंद होने से प्रभावित हुआ था। घरेलू उद्योग ने जांच अवधि के दौरान निष्पादन के आधार पर क्षति का दावा किया है न कि 2018-19 में।

xviii. हितबद्ध पक्षकारों के दावों के विपरीत जांच की अवधि के दौरान प्रत्येक पीसीएन की कीमत में गिरावट आई है।

xix. देश में पर्याप्त मांग के बावजूद क्षमता उपयोग और घरेलू बिक्री में गिरावट आई है।

xx. घरेलू उद्योग ने संबद्ध आयातों के कारण अपने संभावित बाजार के भाग को खो दिया है। समग्र रूप से भारतीय उद्योग में लगभग संपूर्ण भारतीय मांग को पूरा करने की क्षमता थी, हालांकि, इसके द्वारा धारित बाजार हिस्सेदारी बहुत कम है।

xxi. घरेलू उद्योग को जांच की अवधि में हानि हुई है ।

xxii. क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के नकद लाभ में गिरावट आई है और घरेलू उद्योग ने जांच की अवधि में नियोजित पूंजी पर नकारात्मक रिटर्न दर्ज किया है।

xxiii. ओसीआईपीएल के लिए अलग-अलग आंकडें बिक्री और बाजार हिस्सेदारी को छोड़कर समान रुझान दर्शाता है।

xxiv. ओसीआईआईपीएल को अलग करने से पाटन मार्जिन, क्षति मार्जिन या स्थिति प्रभावित नहीं होती है।

xxv. इस तर्क के संबंध में कि खराब गुणवत्ता के कारण घरेलू उद्योग को हानि हुई है, यह अनुरोध किया गया था कि घरेलू उद्योग वर्षों से संबद्ध वस्तुओं की बिक्री कर रहा है और यह दावा कि वह गुणवत्ता के कारण बेचने में सक्षम नहीं है, अनुचित है।

xxvi. इस अनुरोध के संबंध में कि घरेलू उद्योग ने अपने वित्तीय विवरणों में मांग में कमी को स्वीकार किया है, यह प्रस्तुत किया गया था कि मांग की वृद्धि में मंदी है, किन्तु कोई गिरावट नहीं है। इसके अलावा, घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से को संबद्ध आयातों द्वारा ले लिया गया है क्योंकि घरेलू उद्योग की बिक्री में गिरावट व्यापारिक मांग में गिरावट से अधिक है जबकि संबद्ध आयातों में वृद्धि हुई है।

xxvii. हितबद्ध पक्षकारों का यह अनुरोध कि पवन ऊर्जा के बाजार में गिरावट के कारण एचएम ग्लास का उठाव कम हुआ, अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए इस प्रस्तुति का खंडन करता है कि घरेलू उद्योग एचएम ग्लास की कैप्टिव खपत कर रहा है और उसे बाजार में नहीं बेच रहा है। घरेलू उद्योग की कैप्टिव खपत में वृद्धि हुई है।

xxviii. यह निवेदन कि गोवा ग्लास फाइबर को शामिल करने से यह पता चलता कि क्षति किसी अन्य कारक के कारण हुई है, गलत है क्योंकि इसके निष्पादन में गिरावट आई है और जांच की अवधि में इसे हानि हुआ है।

xxix. किसी अन्य कारक से घरेलू उद्योग को क्षति नहीं हुई है और पाटन के कारण घरेलू उद्योग को क्षति हुई है।

xxx. क्षमता विस्तार की लागत उत्पादन की लागत में शामिल नहीं है, किंतु पूंजीकृत है। घरेलू उद्योग ने उत्पादन की हानि के कारण हुए हानि को अलग करने के बाद आंकड़े प्रस्तुत किए हैं।

xxxi. संबद्ध आयातों की कीमत चीन जनवादी गणराज्य से आयातों की कीमत से कम या अधिक होना क्षति या पाटन के लिए प्रासंगिक नहीं है।

xxxii. क्षति विश्लेषण केवल घरेलू प्रचालन से संबंधित है। निर्यात कीमत और बिक्री की लागत के संदर्भ में कोई प्रासंगिकता नहीं है।

xxxiii. उठाई गई क्षति को परस्पर प्रतिस्पर्धा के लिए जवाबदेह नहीं माना जा सकता क्योंकि गोवा ग्लास फाइबर बाजार में एकमात्र अन्य उत्पादक है और इसका उत्पादन बहुत कम है।

xxxiv. इस अनुरोध के संबंध में कि घरेलू उद्योग को फर्नेस के पुनर्निर्माण के कारण क्षति हुई है, यह प्रस्तुत किया गया था कि यह उद्योग के लिए अंतर्निहित है। ओसीआईपीएल अपनी नई भट्टी पर स्ट्रेट लाईन के आधार पर मूल्यह्रास की अनुमति दे रहा है, इसलिए, भट्ठी के उपयोग तक में मूल्यह्रास एक समान होगा और पहले वर्ष में कोई असामान्य मूल्यह्रास नहीं लगाया गया है। नई भट्टी के मूल्यह्रास को शामिल नही करने के बाद भी, घरेलू उद्योग के एबिटा में गिरावट देखी गई है।

xxxv. हितबद्ध पक्षकारों के तर्कों के विपरीत, नई भट्टी से कोई नया उत्पाद नहीं बनता है और घरेलू उद्योग को ग्राहकों के किसी अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती है।

xxxvi. जांच की अवधि से पहले भट्टी को स्थिर किया गया था क्योंकि इसे स्थिर होने में केवल एक से दो महीने लगते हैं, यह घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत माह-वार उत्पादन से स्पष्ट है। स्थिरीकरण अवधि के दौरान उत्पादित द्वितीय श्रेणी की सामग्री का निर्यात घरेलू उद्योग द्वारा जांच की अवधि में किया गया था क्योंकि पहले खरीदार नहीं मिला था।

xxxvii. संबंधित पक्षों के साथ सभी लेन-देन आर्म लेंथ कीमतों पर होते हैं जो इस तथ्य से स्पष्ट होता है कि ओसीआईपीएल को हर साल आयकर अधिकारियों को ट्रांसफर प्राइसिंग ऑडिट रिपोर्ट जमा करनी होती

है। प्राधिकारियों ने ऐसी रिपोर्टों में आर्म लेंथ कीमतों में कोई समायोजन नहीं किया है। किसी भी मामले में, चाहे निर्यात आर्म लेंथ कीमतों पर हो अथवा नही, वर्तमान जांच के लिए सुसंगत नहीं है।

xxxviii. घरेलू उद्योग को कैप्टिव खपत के कारण क्षति नहीं हुई है क्योंकि घरेलू उद्योग के पास कम उपयोग की गई क्षमता और मालसूची मांग में अधिक भाग को पूरा करने के लिए पर्याप्त थी।

xxxix. लेखांकन नीति में परिवर्तन का कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं हुआ है। इस तरह के बदलाव के कारण व्यय में वृद्धि घरेलू उद्योग द्वारा उठाए गए हानि की तुलना में अत्यधिक कम है। अगर इस तरह के प्रभाव को हटा दिया जाता है तो आंकडॉ में क्षति दर्शाई जाएगी। गैर-हानिकारक मूल्य के निर्धारण के लिए पट्टे पर खर्च की अवहेलना नहीं की जा सकती क्योंकि इसे कंपनी के रिकॉर्ड के अनुसार निर्धारित किया जाना आवश्यक है।

xl. ओसीआईपीएलने विदेशी मुद्रा में ऋण लिया क्योंकि इसमें संबंधित पक्ष थे जो पैसा ऋण देने को तैयार थे। ओसीआईपीएलने ईसीबी के माध्यम से ऋण लिया। भुगतान किया गया ब्याज ईसीबी के लिए सामान्य ऋण दरों के बराबर है और घरेलू ब्याज दर से काफी कम है।

xli. ओवेन्स कॉर्निंग द्वारा खरीदे गए उपकरण विशिष्ट विक्रेताओं से हैं जिन्होंने उन उपकरणों को कड़े गुणवत्ता मानकों को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किया है। तथापि, पूंजीगत वस्तुओं का इकाई को शिपमेंट उपकरण द्वारा किया जाता है और ओवेन्स-कॉर्निंग द्वारा ऐसी इकाई को बिलिंग लागत-दर-लागत के आधार पर की जाती है।

xlii. यह अनुरोध कि वर्ष 2018-19 से पहले घरेलू उद्योग को हुई कोई क्षति समाप्त हो चुकी भट्टी के कारण हुई थी, सुसंगत नहीं है क्योंकि घरेलू उद्योग ने वर्ष 2018-19 से पहले क्षति का दावा नहीं किया है।

xliii. केवल विचाराधीन उत्पाद से संबंधित लेनदेन को शामिल किया गया है और याचिका में आयात पृथक्करण पद्धति प्रदान की गई है।

ज.2 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

48. क्षति और कारणात्मक संबंध के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

i. आवेदन उन उत्पादकों जो ओसीवी समूह से संबंधित नहीं हैं, के विरुद्ध लक्षित है, जैसा कि इस तथ्य से स्पष्ट है कि कम कीमतों के बावजूद यूएसए को और बड़ी प्रमात्रा के बावजूद ब्राजील को शामिल नहीं किया गया है ।

ii. चूंकि कोई पाटन नहीं है और आवेदकों ने आयातों के बीच प्रतिस्पर्धा की शर्तों की जांच आपस में नहीं की है, इसलिए संचयन की शर्तें पूरी नहीं हुई हैं।

iii. चूंकि बहरीन से आयात में गिरावट आई है, जबकि मिस्र से आयात में वृद्धि हुई है, दोनों से आयात का संचयन नहीं किया जा सकता है।

iv. जांच की अवधि में कथित क्षति होना, बहरीन की बजाय मिस्र और चीन से आयातों के कारण होने की संभावना है क्योंकिं

क. चीन और मिस्र की तुलना में बहरीन से आयात की मात्रा कम है, और यह कुल आयात का केवल 9% है।

ख. पिछले वर्ष की तुलना में बहरीन से आयात में 40% की गिरावट आई है जबकि मिस्र से आयात में 29.1% की वृद्धि हुई है।

ग. क्षति की अवधि के दौरान चीन से आयातों की मात्रा में वृद्धि हुई है और उन पर पाटनरोधी शुल्क के होने के बावजूद आयात का लगभग 50% हिस्सा है।

v. यह सुझाव देना गलत है कि चीन जनवादी गणराज्य से आयातों के कारण क्षति नहीं हुई है क्योंकि हाल ही में आवेदकों ने चीन जनवादी गणराज्य के विरुद्ध सनसेट समीक्षा के लिए अनुरोध किया है।

vi. संबद्ध आयातों का सीआईएफ मूल्य पाटनरोधी शुल्क को आकर्षित करने वाले आयातों की कीमत से अधिक है।

vii. अन्य देशों से आयात 81% हैं जबकि संबद्ध आयात केवल 19.2% हैं ।

vii यदि आवेदकों के प्रस्तुति को स्वीकार किया जाता है, तो हानि उठाई हुई सभी बिक्री, अत्यधिक मदसूची और हानियां संबद्ध आयातों के कारण होगा, जो भारत में कुल आयात का एक चौथाई हिस्सा है, जो एक बेतुका प्रस्ताव है।

ix. घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में गिरावट संबद्ध आयातों के बजाय क्षमता के विस्तार के उसके गलत निर्णय के कारण होने की संभावना है।

x. एडवांटेक्स ई-ग्लास के निर्माण के लिए मौजूदा भट्टी के विस्तार और उच्च मापांक भट्टी के पुनर्निर्माण के कारण क्षति हुई है, जो उच्च अवशोषण निश्चित लागत, मूल्यह्रास का उच्च शुल्क, और उधार ली गई निधियों के लिए उच्च वित्तीय लागत में परिणामित हुई,जिससे बिक्री लागत में तेजी आई है। ओसीआईपीएल के 2018-19 के वित्तीय विवरण में भी इसे स्वीकार किया गया है।

xi. आवेदक के उत्पादन की लागत अधिक है क्योंकि भट्टियों की उत्पादन क्षमता कम है और नई भट्टियों के प्रारंभिक वर्षों के दौरान निरस्त किए गए उत्पादन अधिक है।

xii. ओसीआईपीएल ने इस अवधि के दौरान बहुत सस्ते कीमतों पर दूसरी गुणवत्ता वाली वस्तुओं का निर्यात किया है, क्योंकि इसका उत्पादन स्थिर नहीं हुआ था।

xiii. नई भट्टी 2019 में स्थापित की गई थी और तदनुसार, आवेदकों को अपनी परियोजना रिपोर्ट और व्यवहार्यता रिपोर्ट दर्ज करनी होगी, जो यह दर्शाएगा कि उत्पाद एक विशिष्ट और प्रमुख बाजार को पूरा करने के लिए था।

xiv. आवेदक यह प्रकटकरने में विफल रहे हैं कि नई भट्टी में नए उत्पाद को अभी भी किसी भी ग्राहक द्वारा अनुमोदित किया जाना है और अनुमोदन में सामान्य रूप से एक या दो वर्ष लगते हैं। चूंकि उत्पाद को मंजूरी नहीं दी गई थी, इसलिए आवेदकों को कम कीमतों पर अपनी संबंधित संस्थाओं को उत्पाद का निर्यात करना था।

xv. जांच की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के आर्थिक मानदंड विश्वसनीय नहीं हो सकते हैं । विंड-ग्रेड अनुप्रयोगों के लिए अनुमोदन समय आदेश दिए जाने से पहले 2 वर्ष तक बढ़ाया जाता है।

xvi. आवेदक का क्षमता उपयोग कम है क्योंकि यह विस्तार के बाद अगले ही वर्ष में पूर्ण उपयोग करने तक नहीं पहुंच सकता है, और इसका उपयोग पहले ही 85% हो चुका है।

xvii. जांच की अवधि के दौरान क्षमता विस्तार से औसत स्टॉक वॉल्यूम में 19.9% की वृद्धि हुई है, जबकि जांच की अवधि में आयात में 10% की गिरावट आई है।

xviii. क्षमता विस्तार पर होने वाली व्यय लागत को प्राधिकारी द्वारा अलग नहीं किया गया है।

xix. आवेदक की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, इसे निश्चित लागतों के उच्च अवशोषण, मूल्यह्रास और वित्तीय लागतों के कारण हानि उठानी पडी।

xx. उत्पादन की हानि और पूंजीगत लागत के कारण लागत में वृद्धि को आयात के लिए कारण बनाया जा रहा है।

xxi. क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के उत्पादन में वृद्धि हुई और उत्पादन के संबंध में आयातों में गिरावट आई। घरेलू उद्योग के पूर्ण रूप से बंद होने के कारण खपत के संबंध में आयात में वृद्धि हुई है।

xxii. ओसीआईआईपीएल के बंद होने और ओसीआईपीएल के संयंत्र के बंद होने के कारण मांग-आपूर्ति के अंतर को पूरा करने के लिए वर्ष 2017-18 और वर्ष 2018-19 में आयात में वृद्धि हुई। इसके बाद आयात में गिरावट आई। 500-600 उपयोगकर्ता स्वयं को बनाए नहीं रख सकते थे यदि वे घरेलू उद्योग को अपने आप पुनः स्थापित करने की प्रतीक्षा करते। आयात सामान्य स्तर पर आ गया है।

xxiii. वर्ष 2018-19 में घरेलू उद्योग के पुनः आरंभ होने के बाद, आयात की कीमत में वृद्धि हुई।

xxiv. जून-अगस्त 2018 में बंद होने के कारण घरेलू उद्योग को हानि हुई है, जिसके कारण उसे माल के आयात और मद सूची भंडारण की सहायता लेनी पडी।

xxv. 2018 में ओसीआईपीएल के बंद होने की अवधि आवेदक द्वारा निर्धारित नहीं की गई थी। इस अवधि के दौरान घरेलू उद्योग का निष्पादन विश्लेषण नहीं किया जाना चाहिए । मापदंडों में कोई गिरावट ओसीआईआईपीएल के बंद होने और ओसीआईपीएल के बंद होने के कारण हुई।

xxvi. आयात के कारणों की जांच की जानी चाहिए, क्योंकि आवेदकों ने एक तरफ क्षति का दावा किया है और आयात में शामिल होकर बाजार शेयरों के हानि के लिए स्वयं उत्तरदायी हैं। इसके अतिरिक्त, यदि आवेदक बाजार में माल बेचने के लिए संघर्ष कर रहे थे, तो स्पष्टीकरण मांगा जाना चाहिए कि उन्हें उक्त सामान का आयात करने के लिए क्या प्रेरित किया।

xxvii. घरेलू उद्योग अपनी बढ़ती हुई मालसूची को हटाने के बजाय अपनी क्षमताओं में वृद्धि कर रहा है, जिससे उसे क्षति हुई है।

xxviii. इस पर विचार किया जाना चाहिए कि निर्यात बिक्री में भी इस तरह के माल की पूरी वसूली क्यों नहीं हुई है, खासकर जब घरेलू उद्योग ने व्यक्त किया है कि सामग्री को लंबी अवधि के लिए भंडारण नहीं किया जाना चाहिए।

xxix. घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा क्षति अवधि के दौरान घट रहा है जबकि अन्य उत्पादकों का बाजार हिस्सा बढ़ रहा है, जिसका अर्थ है कि घरेलू उद्योग घरेलू उत्पादकों के बीच परस्पर प्रतिस्पर्धा क कारण हानि उठा रहा है।

xxx.. घरेलू उद्योग के व्यापारिक बाजार हिस्से में गिरावट बिक्री की उच्च लागत या संबद्ध वस्तुओं की निम्न गुणवत्ता के कारण हो सकती है, जो इस तथ्य से स्पष्ट है कि चीन के आयात पाटनरोधी शुल्क लगाने के बाद भी भारत में अधिकांश आयातों का प्रतिनिधित्व करते हैं।

xxxi. घरेलू उद्योग का निष्पादन उत्पाद की सामान्य बाजार की स्थितियों पर निर्भर करता है। क्षति संबद्ध आयातों के कारण नहीं है ।

xxxii. ओसीआईपीएल ने वर्ष 2018-19 के अपने वित्तीय विवरण में स्वीकार किया है कि पवन ऊर्जा बाजार में जारी मुद्दों के कारण व्यवसाय पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा, जिसके परिणामस्वरूप मोटर वाहन क्षेत्र में कम मांग और मंदी आई।

xxxiii. आवेदक को विंड मिल ब्लेड जैसे पवन क्षेत्र में विशेष अनुप्रयोगों के लिए आवश्यक ग्लास फाइबर का उत्पादन करने में असमर्थता के कारण भी हानि उठाना पड़ा है।

xxxiv. आवेदक के वित्तीय विवरणों के अनुसार जांच की अवधि में वह लाभ अर्जित कर रहा था।

xxxv. गोवा ग्लास, जो एचएम ग्लास का निर्माण नहीं करता है, अपने उत्पादन, बिक्री, लाभ और नकद लाभ की शर्तों में वृद्धि करने में सक्षम रहा है, जैसा कि इसके वित्तीय विवरणों में दर्शाया गया है। गोवा ग्लास को शामिल करने से पता चलता है कि आवेदकों को क्षति, यदि कोई है, अन्य कारकों के कारण है क्योंकि आवेदकों के निष्पादन में गिरावट आई है, जबकि गोवा ग्लास में सुधार हुआ है।

xxxvi. आयात की आयात कीमत के साथ आवेदक की बिक्री लागत और बिक्री मूल्य की तुलना उचित नहीं है, क्योंकि आवेदक के आंकड़ों में विंड ग्रेड फाइबर और एच-ग्लास शामिल हैं।

xxxvii. निर्यात में वृद्धि पाटन का एक आवश्यक परिणाम नहीं थी क्योंकि निर्यात में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। इसके अतिरिक्त, आवेदकों के विवरण के विपरीत, एक उत्पादक के लिए संयंत्र में उत्पादन में कटौती करना संभव है।

xxxviii. जबकि निर्यात लागत में 32% की वृद्धि हुई है, बिक्री मूल्य में 2% की गिरावट आई है, जो घरेलू उत्पाद के लिए लागत के उच्च आरोपण को दर्शाता है।

xxxix. जबकि घरेलू बिक्री मूल्य में 6% की गिरावट आई है, आवेदक के निर्यात बिक्री मूल्य में 32% की गिरावट आई है, जो यह दर्शाता है कि स्थिरीकरण प्रक्रिया के दौरान उत्पादित द्वितीय श्रेणी की सामग्री का निर्यात किया जा रहा है।

xl. आवेदकों ने घरेलू बिक्री पर निर्यात को प्राथमिकता दी है, पर भले ही घरेलू बिक्री में कमी आई हो, घरेलू उद्योग के निर्यात में वृद्धि हुई है।

xli. आवेदकों ने संबंधित पक्षों को निर्यात किया है, जो आर्म लेंथ कीमतों पर नहीं हो सकता है और क्षति विश्लेषण पर प्रभाव डाल सकता है। मामले को स्पेशल वैल्यूएशन ब्रांच को सौप कर देना चाहिए।

xlii. आवेदक ने सहयोगी कंपनियों से उच्च लागत पर अचल संपत्ति की खरीद की है, और भारतीय उत्पादों पर उच्च लागत वसूलने के लिए 3.5% तक की ब्याज दर के साथ संबद्ध कंपनियों से ईसीबी ली है।

xliii वर्ष 2018-19 में आयात की कीमतों में वृद्धि के कारण कीमत कम नहीं थी किन्तु घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत में कमी आई।

xliv. आयात कीमत में गिरावट केवल इसलिए दर्शाई गई है क्योंकि प्रत्येक पीसीएन की कीमत के बजाय औसत कीमतों की जानकारी दी गई है।

xlv. 1,60,000 मीट्रिक टन से 1,70,000 मीट्रिक टन तक की मांग की तुलना में, घरेलू उत्पादकों की क्षमता केवल 90,000 मीट्रिक टन है और शेष मांग को आयात से पूरा किया जाना है।

xlvi. जबकि आवेदकों ने दावा किया है कि उत्पाद की मांग में वृद्धि हुई है, आंकड़ों के अनुसार व्यापारी की मांग में गिरावट दर्शाई गई है।

xlvii. कुल मांग में वृद्धि जबकि व्यापारी मांग में गिरावट आई, यह दर्शाता है कि व्यापारी की मांग की कीमत पर आवेदक की कैप्टिव खपत बढ़ रही है।

xlviii. घरेलू उद्योग की क्षमता, उत्पादन, बिक्री (कैप्टिव सहित), रोजगार और उत्पादकता में वृद्धि हुई है, और इस प्रकार, इस कारण से कोई क्षति नहीं हुई है।

xlix. बेचने में असमर्थता अन्य कारकों जैसे गुणवत्ता, घरेलू उत्पादकों के बीच प्रतिस्पर्धा या बिक्री की उच्च लागत के कारण हो सकती है।

l. घरेलू बिक्री में कमी उच्च कैप्टिव खपत के कारण हुई, जिसमें जांच की अवधि के दौरान 360 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

li. रोजगार, उत्पादन और मजदूरी की बढ़ती प्रवृत्ति यह दर्शाती हैकि क्षति अन्य कारणों से हुई है न कि संबद्ध आयातों के कारण।

lii. ओसीआईआईपीएल को बंद करना अमेरिका में मूल कंपनी द्वारा अपनी लागत में कमी करने की कार्रवाई के भाग के रूप में लिया गया एक व्यावसायिक निर्णय था, और इसे आयात के लिए उत्तरदायी नहीं माना जाना चाहिए।

liii. एलआईआई। एमसीए ने इंड एएस 116 को अधिसूचित किया, जिसने मौजूदा लीज स्टैंडर्ड, इंड एएस 17 को प्रतिस्थापित किया। ओसीआईपीएल ने वर्ष 2019-20 के दौरान इसे अपनाया है। नए इंड एएस के तहत, पट्टेदार पट्टे की देयता पर ब्याज व्यय और उपयोग के अधिकार की संपत्ति पर मूल्यह्रास वसूल करेंगे। लीज अवधि के प्रारंभिक वर्षों में प्रभारित व्यय बहुत अधिक होगा। मूल्यह्रास लागत के साथ-साथ वित्त लागत में उल्लेखनीय वृद्धि इसके कारण हो सकते है। यह संभावना है कि ओसीआईपीएल ने उच्च गैर-हानिकारक कीमत और बढ़ा हुआ क्षति मार्जिन दर्शाया है।

liv. याचिका में वास्तविक क्षति का कोई प्रमाण नहीं है क्योंकि इसमें एचएम/एचएस ग्लास फाइबर से संबंधित आंकडें शामिल है, जो उत्पाद के क्षेत्र से बाहर है।

lv. जबकि बिक्री की लागत और क्षति रहित कीमत में एचएम ग्लास और ई-ग्लास दोनों शामिल हैं, बिक्री मूल्य और लेंडेड कीमत केवल ई-ग्लास से संबंधित है। इस प्रकार, ई-ग्लास और एचएम ग्लास के संबंध में अलग गणना की आवश्यकता है।

lvi. ओसीआईपीएल द्वारा उत्पादन पुनः आरंभ करने के बाद वर्ष 2018-19 में और जांच की अवधि में मापदंडों में सुधार हुआ था, किन्तु संबद्ध आयातों में उस समय में वृद्धि हुई थी, और इस प्रकार, कोई कारणात्मक लिंक नहीं है।

lvii. ओसीआईआईपीएल के बंद होने से निवेश पर लाभ, नकद प्रवाह और वृद्धि में गिरावट आई।

lviii. वर्ष 2018-19 से पहले हुई कोई भी क्षति, समाप्त हो चुकी भट्टियों के कारण थी, जिन्हें अपग्रेड करने की आवश्यकता थी।

ज.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

49. प्राधिकारी द्वारा घरेलू उद्योगों और हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किये गये विभिन्न अनुरोधों पर ध्यान दिया गया है तथा रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों और लागू होने वाले कानूनों को ध्यान में रखते हुए इनका विश्लेषण किया है। प्राधिकारी द्वारा किये गये क्षति विश्लेषण में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किये गये विभिन्न अनुरोधों का यहां स्वयं उल्लेख किया गया है।

50. अनुबंध-II के साथ पठित पाटनरोधी नियमावली के नियम-11 में किसी क्षति के निर्धारण में यह उपबंध है कि किसी क्षति जांच में "... पाटित आयातों की मात्रा, समान वस्तुओं के लिए घरेलू बाजार में कीमतों पर उनके प्रभाव और ऐसी वस्तुओं के घरेलू उत्पादकों पर ऐसे आयातों के परिणामी प्रभाव सहित सभी संगत कारकों को ध्यान में रखते हुए ..." ऐसे कारकों की जांच शामिल होगी जिनसे घरेलू उद्योग को हुई क्षति का पता चल सकता हो। कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव पर विचार करते समय इस बात पर विचार करना आवश्यक है कि क्या पाटित आयातों द्वारा भारत में समान वस्तु की कीमत की तुलना में अत्यधिक कीमत कटौती हुई है अथवा क्या ऐसे आयातों के प्रभाव से की कीमतों में अन्यथा अत्यधिक गिरावट आई है या कीमत में होने वाली उस वृद्धि में रूकावट आई है, जो अन्यथा पर्याप्त स्तर तक बढ़ गई होती। भारत में घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच करने के लिए उत्पादन, क्षमता उपयोग, बिक्री की मात्रा, स्टॉक, लाभप्रदता, निवल बिक्री वसूली, पाटन की मात्रा एवं मार्जिन आदि जैसे उद्योग की स्थिति को प्रभावित करने वाले कारकों पर पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-II के अनुसार विचार किया गया है ।

51. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा तर्क दिया गया है कि घरेलू उद्योग द्वारा संबंधित पक्षों के साथ लेन-देन के कारण क्षति हुई है क्योंकि संबंधित पक्षों की कीमतें उनके आस-पास नहीं हैं, तथापि प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग द्वारा उपलब्ध कराये गये आंकड़ों का विधिवत सत्यापन किया है। वर्तमान जांच परिणामों के प्रयोजन के लिए उसी पर विचार किया गया है।

क) आवेदक के संयंत्र का बंद होना

52. उल्लेखनीय है कि आवेदक का संयंत्र 15 जून, 2018 से 5 सितंबर 2018 तक बंद पड़ा था। आवेदक ने अनुरोध किया है कि संयंत्र का इस प्रकार बंद होना असामान्य प्रकृत्ति का था क्योंकि संयंत्र की भट्टी को उन्नत करने और इसकी क्षमता को बढ़ानें के लिए बंद किया गया था। संयंत्र के इस तरह बंद होने के कारण घरेलू उद्योग को हुई क्षति को अलग करने के लिए प्राधिकारी ने उचित सत्यापन के बाद आवेदकों द्वारा किये गये अनुरोध को समायोजित करने पर विचार किया है। तद्नुसार प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग के निष्पादन पर संबद्ध आयातों के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए वास्तविक और समायोजित दोनों आंकड़ों का विश्लेषण किया है।

ख) मांग/स्पष्ट खपत का आकलन

53. प्राधिकारी ने वर्तमान जांच के प्रयोजन के लिए भारत में विचाराधीन उत्पाद की मांग या प्रत्यक्ष खपत को घरेलू उद्योग और अन्य भारतीय उत्पादकों की घरेलू बिक्री और भारत से आयातों के योग के रूप में लिया है। इसके साथ-साथ चूंकि आवेदकों ने अपना उत्पाद आबद्धता के बड़े भाग की खपत कर ली है, अत: आबद्ध खपत को शामिल करके एवं इसको छोड़कर मांग का आकलन किया गया है। इस प्रकार आंकी गई मांग नीचे तालिका में दी गई है:

इकाई	इकाई	2016-17	2017-18	2018-19	2018-19 समायोजन	जांच की अवधि
कैप्टिव को छोड़कर						
घरेलू उद्योग की बिक्री	एमटी	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	92	78	106	77
अन्य उत्पादक की बिक्री	एमटी	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	126	144	144	127
संबद्ध आयात	एमटी	7,166	16,453	20,440	16,762	18,936
अन्य आयात	एमटी	74,927	56,965	73,015	59,879	53,290
कुल मांग	एमटी	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	93	102	102	87
कैप्टिव सहित						
घरेलू उद्योग की बिक्री	एमटी	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	89	84	114	119
अन्य उत्पादक की बिक्री	एमटी	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	126	144	144	127
संबद्ध आयात	एमटी	7,166	16,453	20,440	16,077	18,936
अन्य आयात	एमटी	74,927	56,965	73,015	57,429	53,290
कुल मांग	एमटी	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	92	104	104	104

54. यह देखा गया है कि संबंधित सामान की मांग 2017-18 में घट गई थी और इसके बाद 2018-19 में बढ़ गई थी। जांच की अवधि में निर्धारित खपत सहित माँग में बढ़ोतरी हो गई थी, तथापि व्यापारिक मांग में कमी आयी है।

ज.3.1 घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों की मात्रा का प्रभाव

क) संबद्ध देशों से होने वाले आयात की मात्रा

55. पाटित आयातों की मात्रा के संबंध में प्राधिकारी को यह विचार करने की आवश्यकता है कि इन पाटित आयातों की मात्रा में हुई महत्वपूर्ण वृद्धि पूर्णता की दृष्टि से या भारत में हुए उत्पादन या खपत की तुलना में हुई है। क्षति विश्लेषण के प्रयोजन से प्राधिकारी ने डीजीसीआईएण्डएस से लेन-देन के आधार पर आयात के आंकड़ों पर विश्वास किया है। संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों की मात्राओं तथा क्षति जांच अवधि के दौरान पाटित आयातों का हिस्सा निम्नवत है:

विवरण	यूनिट	2016-17	2017-18	2018-19	2018-19 समायोजन	जांच की अवधि
संबद्ध आयात	एमटी	7,166	16,453	20,440	16,762	18,936
अन्य आयात	एमटी	74,927	56,965	73,015	59,879	53,290
कुल	एमटी	82,093	73,418	93,455	76,641	72,226
संबद्ध आयातों के संबंध में						

घरेलू उत्पादन	%	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति		100	236	298	193	203
खपत	%	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति		100	250	275	217	255
कुल आयात	%	9%	22%	22%	22%	26%

56. यह देखा गया है कि:

क) क्षति अवधि के दौरान संबद्ध आयातों की मात्रा में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है।

ख) इसी प्रकार क्षति की अवधि में खपत और उत्पादन की तुलना में संबद्ध आयातों में वृद्धि हुई है।

ग) क्षति की अवधि के दौरान कुल आयातों में संबंधित आयातों के हिस्से की वृद्धि हुई है।

ज.3.2 घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों का कीमत प्रभाव

57. पाटित आयातों की कीमतों पर पड़ने वाले प्रभाव के संबंध में यह विचार किया जाना आवश्यक है कि इन पाटित आयातों के कारण भारत में उत्पादित किये जाने वाले सामान की कीमतों में महत्वपूर्ण कटौती की जाती है या इस प्रकार के आयातों के कारण कीमत में ह्रास होता है या इससे कीमत में बढ़ोतरी में रोकथाम होती है जो बढ़ोतरी कीमतों में सामान्य क्रम में हो गई होती। संबद्ध देशों से पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग की कीमतों पर पड़ने वाले प्रभाव की कीमत कटौती, कीमत न्यूनीकरण और कीमत ह्रास, यदि कोई हो, की दृष्टि से जांच की जाती है। इस विश्लेषण के प्रयोजन से घरेलू उद्योग की उत्पादन की लागत, निवल बिक्री और क्षतिरहित कीमत की तुलना संबद्ध देशों से संबद्ध सामान के आयात की पहुंच कीमत के आधार पर की जाती है।

क) कीमत में कटौती

58. कीमत में कटौती के विश्लेषण के प्रयोजन के लिये, घरेलू उद्योग की निवल बिक्री की तुलना संबद्ध देशों से आयातों के पहुंच मूल्य से की गई है। घरेलू उद्योग के निवल बिक्री मूल्य की गणना करते समय सभी करों, छूटों और कमीशनों की कटौती की गई है और पाटित सामान के पहुंच मूल्य के साथ तुलना करने के लिये निर्माण स्तर पर बिक्री प्राप्ति का निर्धारण किया गया है। उचित तुलना सुनिश्चित करने के लिए प्राधिकारी ने पीसीएन-वार कीमत कटौती की गणना की है।

विवरण	यूनिट	बहरीन	मिस्र
निवल बिक्री प्राप्ति	रु./एमटी	***	***
पहुंच कीमत	रु./एमटी	54,217	65,763
कीमत कटौती	रु./एमटी	***	***
कीमत कटौती	%	***	***
कीमत कटौती	रेंज	30-40%	20-30%

59. यह नोट किया जाता है कि संबद्ध वस्तुएं घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से काफी कम कीमत पर बाजार में प्रवेश कर रही हैं। इन आयातों की वजह से बाजार में घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती हो रही है।

ख) कीमत न्यूनीकरण/कीमत ह्रास

60. यह निर्धारित करने के लिये कि क्या पाटित आयात घरेलू कीमतों को कम कर रहे हैं और क्या ऐसे आयातों का प्रभाव कीमतों को काफी हद तक कम करना या कीमतों में वृद्धि को रोकना है, जो वृद्धि सामान्य स्थिति में हो सकती थी। क्षति अवधि के दौरान लागत और कीमतों में परिवर्तन की तुलना नीचे दी गई है:

विवरण	इकाई	2016-17	2017-18	2018-19	2018-19 समायोजन	जांच की अवधि
बिक्री की लागत	रु./एमटी	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	111	134	122	145
बिक्री कीमत	रु./एमटी	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	100	97	97	92
पहुंच कीमत	रु./एमटी	69,760	62,248	65,355	65,355	60,633
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	89	94	94	87

61. यह देखा गया है कि क्षति अवधि के दौरान लागत में वृद्धि हुई है, जबकि बिक्री कीमत में क्षति अवधि के दौरान गिरावट आयी है। क्षति अवधि के दौरान आयातों की पहुंच कीमत में भी गिरावट आयी है इस प्रकार आयात घरेलू उद्योग की कीमतों में न्यूनीकरण और ह्रास कर रहे हैं।

ज.3.3 घरेलू उद्योग के आर्थिक मानदंड

62. पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध IIमें अपेक्षित है कि क्षति के निर्धारण के लिये ऐसे उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर पाटित आयातों के परिणामी प्रभाव की वस्तुपरक जांच शामिल होगी। ऐसे उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर पाटित आयातों के परिणामी प्रभाव के संबंध में पाटनरोधी नियम आगे यह प्रावधान करते हैं कि घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच में संगत आर्थिक कारक, और उद्योग की स्थिति पर असर डालने वाले सूचकांकों का वस्तुपरक निष्पक्ष मूल्यांकन शामिल करना चाहिए जिसमें बिक्री, लाभ, उत्पादन, बाजार हिस्सेदारी, उत्पादकता, लगाई गई पूंजी पर मिलने वाला लाभ या क्षमता का उपयोग, में वास्तविक गिरावट शामिल है। इसके साथ ही घरेलू कीमतों का नकदी प्रवाह पर वास्तविक और संभावित नकारात्मक प्रभाव, मालसूची, रोजगार, मजदूरी, विकास और पूंजी निवेश बढ़ाने की क्षमता भी ध्यान में रखी जानी चाहिए।

63. प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों द्वारा अपने अनुरोधों में दिए गए विभिन्न तथ्यों और तर्कों को ध्यान में रखते हुए वस्तुपरक रूप से क्षति के मानदंडों की जांच की है।

क) उत्पादन, क्षमता, क्षमता उपयोग और बिक्री

64. क्षतिकारी अवधि में घरेलू उद्योग की क्षमता, उत्पादन, बिक्री और क्षमता उपयोग निम्नवत थे:

विवरण	यूनिट	2016-17	2017-18	2018-19	2018-19 समायोजन	जांच की अवधि
क्षमता	एमटी	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	94	91	121	153
उत्पादन	एमटी	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	93	88	117	131
क्षमता उपयोग	%	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	100	96	96	85
घरेलू बिक्री	एमटी	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	92	78	106	77
निर्यात बिक्री	एमटी	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	39	69	94	340
कैप्टिव खपत	एमटी	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	66	138	183	485

65. प्राधिकारी नोट करते हैं कि:

i. क्षतिकारी अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की क्षमताएं बढ़ी हैं।

ii. उत्पादन 2017-18 में कम हो गया था लेकिन बाद में जांच की अवधि में बढ़ा गया था।

iii. जांच की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की क्षमता उपयोग घट गई थी।

iv. क्षतिकारी अवधि के दौरान घरेलू बिक्री में भी गिरावट आयी थी।

ख) बाजार हिस्सेदारी

66. आयातों की होने वाली खपत को शामिल करके और छोड़कर घरेलू उद्योग की बाजार हिस्सदारी नीचे सारणी में दिखाई गई है:

विवरण	इकाई	2016-17	2017-18	2018-19	2018-19 समायोजन	जांच की अवधि
कैप्टिव सहित						
संबद्ध आयात	%	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	250	275	217	255
अन्य आयात	%	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	83	94	74	69
घरेलू उद्योग	%	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	97	81	110	115
अन्य उत्पादक	%	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	137	139	139	122
कुल	%	100%	100%	100%	100%	100%
कैप्टिव को छोड़कर						
संबद्ध आयात	%	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	246	279	229	305
अन्य आयात	%	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	82	95	78	82
घरेलू उद्योग	%	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	99	76	104	89
अन्य उत्पादक	%	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	135	141	141	146
कुल	%	100%	100%	100%	100%	100%

67. यह देखा गया है कि क्षति अवधि के दौरान कुल मांग में घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में वृद्धि हुई है, लेकिन व्यापारिक मांग में बाजार हिस्सेदारी में गिरावट आयी है। यह इंगित करता है कि घरेलू उद्योग केवल उच्च स्तरीय खपत के कारण कुल मांग में अपनी बाजार हिस्सेदारी को बढ़ाने में सक्षम रहा है। तुलना से स्पष्ट होता है कि इस अवधि के दौरान आयातों के बाजार हिस्से में वृद्धि हुई है।

ग) मालसूची

68. क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की मालसूची की स्थिति नीचे सारणी में दी गई है:

विवरण	इकाई	2016-17	2017-18	2018-19	2018-19 समायोजन	जांच की अवधि
प्रारंभिक मालसूची	एमटी	***	***	***	***	***
अंतिम मालसूची	एमटी	***	***	***	***	***
औसत मालसूची	एमटी	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	148	201	201	208

69. यह देखा गया है कि घरेलू उद्योग के पास औसत माल सूची में क्षति अवधि के दौरान वृद्धि हुई है जो मालसूची के संचय को दर्शाता है। आधार वर्ष की तुलना में जांच की अवधि में मालसूची के औसत स्तर में 108 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाई गई है।

घ) लाभप्रदत्ता, नकद लाभ और नियोजित पूंजी पर मिलने वाला लाभ

70. क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की लाभप्रदत्ता, निवेश पर प्रतिलाभ और नकद लाभ नीचे सारणी में दिये गये है:

विवरण	यूनिट	2016-17	2017-18	2018-19	2018-19 समायोजन	जांच की अवधि
बिक्री की लागत	रु/एमटी	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	111	134	122	145
बिक्री कीमत	रु/एमटी	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	100	97	97	92
लाभ /(हानि)	रु/एमटी	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	79	30	51	-4
लाभ /(हानि)	रु. लाख में	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	73	23	54	-3
नकद लाभ	रु. लाख में	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	78	43	79	22
नियोजित पूंजी पर प्रतिलाभ	%	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	73	21	30	7

71. प्राधिकारी नोट करते हैं कि:

क. पूरी क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की लाभप्रदत्ता में लगातार गिरावट आयी है। जांच की अवधि में घरेलू उद्योग को घाटा हुआ है।

ख. पूरी क्षति अवधि के दौरान नकद लाभों में भी गिरावट आयी है।

ग. पूरी क्षति अवधि के दौरान नियोजित पूंजी पर प्रतिलाभ में गिरावट आयी हे।

72. कुछ हितबद्ध पक्षकारों ने यह अनुरोध किया है कि घरेलू उद्योग को क्षमता विस्तार के कारण क्षति हुई है, जिसके लिए उच्च वित्त और मूल्य ह्रास लागत की आवश्यकता है। इसकी जांच करने के लिए प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग की ईबीआईडीटीए पर विचार किया गया है यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग का ईबीआईडीटीए भी गिरावट दर्शाता है। इसलिए घरेलू उद्योग को हुई क्षति उच्च वित्त और मूल्य ह्रास लागत के कारण नहीं है।

विवरण	इकाई	2016-17	2017-18	2018-19	2018-19 समायोजन	जांच अवधि
ईबीआईडीटीए	लाख रु. में	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	78	51	87	34

ड. रोजगार, मजदूरी और उत्पादकता

73. प्राधिकारी ने रोजगार, मजदूरी और उत्पादकता से संबंधित सूचना की जांच की है जिसे नीचे दिया गया है:

विवरण	इकाई	2016-17	2017-18	2018-19	2018-19 समायोजन	जांच अवधि
कर्मचारियों की संख्या	संख्या	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	112	103	103	109
उत्पादकता प्रतिदिन	एमटी/दिन	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	93	117	117	174
उत्पादकता प्रति कर्मचारी	एमटी/ संख्या	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	83	85	113	120
मजदूरी	लाख रु. में	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	102	104	104	97
मजदूरी प्रति इकाई	रु../एमटी	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	110	118	89	74

74. यह देखा गया है कि घरेलू उद्योग के कर्मचारियों की संख्या में क्षति अवधि के दौरान वृद्धि हुई है। घरेलू उद्योग की उत्पादकता में भी क्षति अवधि के दौरान वृद्धि हुई है। क्षति की अवधि के दौरान प्रति इकाई मजदूरी और मजदूरी में गिरावट आयी है।

च) पाटन का परिमाण

75. यह नोट किया जाता है कि संबद्ध वस्तुओं का भारत में पाटन किया जा रहा है तथा पाटन अन्तराल घनात्मक और महत्वपूर्ण है।

छ) वृद्धि

विवरण	इकाई	2016-17	2017-18	2018-19	2018-19 समायोजन	जांच अवधि
उत्पादन	%	-	-7	-6	25	49
घरेलू बिक्री	%	-	-8	-16	15	-1
प्रति इकाई लाभ/(हानि)	%	-	-21	-62	-35	-115
नकद लाभ	%	-	-22	-45	1	-48
नियोजित पूंजी पर प्रतिलाभ	%	-	-27	-72	-59	-67

76. यह नोट किया जाता है कि जहां घरेलू उद्योग उत्पादन के संबंध में सकारात्मक वृद्धि हासिल करने में सक्षम था, वहीं घरेलू बिक्री, लाभ/हानि, नकद लाभ और नियोजित पूंजी पर प्रतिलाभ के संबंध में इसकी स्थिति खराब हुई।

ज) पूंजी निवेश बढ़ाने की क्षमता

77. यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग में लाभ प्रदत्ता मानकों में नकारात्मक वृद्धि दर्ज की है। घरेलू उद्योग को घाटा हो रहा है जो यह दर्शाता है कि पाटित आयातों ने विचाराधीन उत्पाद के लिए पूंजी निवेश जुटान की घरेलू उद्योग की क्षमता को प्रभावित किया है।

झ) कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक

78. प्राधिकारी नोट करते हैं कि क्षति अवधि के दौरान आयातों की पहुंच कीमत में गिरावट आयी है और घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती हो रही है, जिससे घरेलू उद्योग की कीमतों की बिक्री कीमत में क्षति अवधि के दौरान गिरावट आयी है, हालांकि बिक्री कीमत में वृद्धि हुई है। इस प्रकार, आयातों ने घरेलू उद्योग की कीमतों को प्रभावित किया है।

ज.3.4 क्षति का समग्र मूल्यांकन

79. विचाराधीन उत्पाद के आयातों और घरेलू उद्योग के निष्पादन की जांच से स्पष्ट रूप से यह पता चलता है कि:

i. आयात की मात्रा में भारत में हो रहे उत्पादन और खपत के साथ-साथ पूरी तरह से वृद्धि हुई है।

ii. आयात घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती कर रहे हैं।

iii. आयातों की वजह से घरेलू उद्योग की कीमतों में कमी आयी है और कीमत ह्रास हुआ है।

iv. घरेलू उद्योग की क्षमता और उत्पादन में क्षति अवधि के दौरान वृद्धि हुई है। तथापि, घरेलू उद्योग की क्षमता उपयोग और घरेलू बिक्री में क्षति अवधि के दौरान गिरावट आई है।

v. घरेलू उद्योग के व्यापारी बाजार हिस्से में गिरावट आयी है जबकि संबद्ध आयातों में क्षति अवधि के दौरान वृद्धि हुई है।

vi घरेलू उद्योग की मालसूची के औसत स्तर में क्षति अवधि के दौरान वृद्धि हुई है।

vii. जांच की अवधि में घरेलू उद्योग को घाटा हुआ है।

viii. घरेलू उद्योग के नकद लाभ में क्षति की अवधि के दौरान काफी गिरावट आयी है।

ix. उद्योग की नियोजित पूंजी पर प्रतिलाभ में क्षति अवधि के दौरान काफी गिरावट आयी है और घरेलू उद्योग में नियोजित पूंजी पर नकारात्मक प्रतिफल दर्ज किया है।

x. घरेलू उद्योग के कर्मचारियों की संख्या, वेतन और उत्पादकता में सुधार हुआ है।

xi. जबकि घरेलू उद्योग के उत्पादन में वृद्धि दिखाई गई है, लाभप्रदत्ता के मानकों और बिक्री में नकारात्मक वृद्धि दर्शायी है।

xii. आयातों ने विचाराधीन उत्पाद के पूंजी निवेश को बढ़ाने के लिए घरेलू उद्योग की क्षमता को प्रभावित किया है।

xiii. पाटन का अन्तर सकारात्मक और महत्वपूर्ण है।

80. पूर्ववर्ती को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी यह निष्कर्ष निकालते हैं कि घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है।

ज.3.5 गैर- आरोपाण विश्लेषण और कारणात्मक संबंध

81. पाटनरोधी नियमों के अनुसार प्राधिकारी को अन्य बातों के साथ-साथ पाटित आयातों के अलावा अन्य ज्ञात कारकों की जांच करने की आवश्यकता होती है जो उस समय घरेलू उद्योग को नुकसान पहुंचा रहे हैं ताकि इन अन्य कारकों से होने वाली क्षति न हो। इस संबंध में कारक प्रासंगित हो सकते हैं उनमें पाटित आयातों को भी जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। इनमें अन्य बातों के साथ-साथ पाटित कीमतों पर ना बेचे गये आयातों की मात्रा और कीमतें, मांग में कमी या खपत के तौर तरीके में बदलाव, विदेशी और घरेलू उत्पादकों के बीच व्यापार प्रतिबंधात्मक व्यवहार और प्रतिस्पर्धा, विकास प्रौद्योगिकी और निर्यात प्रदर्शन एवं घरेलू उद्योग की उत्पादकता

शामिल है। नीचे इसकी जांच की गई है कि क्या पाटित आयातों के अलावा अन्य कारकों ने घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचाने में योगदान दिया है।

क) तीसरे देशों से आयात की मात्रा और मूल्य

यह देखा गया है कि अन्य संबद्ध आयात, प्रमुख आयात चीन जन.गण. और थाइलैंड से हैं। तथापि, चीन जन.गण. से आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगता है। थाइलैंड से आयातों की कीमत संबद्ध आयातों की कीमत से कहीं अधिक है। इसके अलावा अन्य देशों से होने वाला आयात नगण्य मात्रा में है। इस प्रकार, यह नहीं कहा जा सकता कि अन्य देशों से आयातों के कारण क्षति हो रही है।

ख) मांग में संकुचन

प्राधिकारी नोट करते हैं कि मांग में कोई संकुचन नहीं हुआ है।

ग) खपत के तौर तरीकों में बदलाव

विचाराधीन उत्पाद के खपत के तौर तरीके में कोई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं हुआ है।

घ) व्यापार प्रतिबंधात्मक परिपाटियाँ

प्राधिकारी नोट करते हैं कि कोई व्यापार प्रतिबंधात्मक परिपाटियाँ नहीं हैं।

ड) प्रौद्योगिकी में परिवर्तन

प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन के लिये प्रौद्योगिकी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

च) उत्पादकता

प्राधिकारी नोट करते हैं कि क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की उत्पादकता में वृद्धि हुई है।

छ) घरेलू उद्योग का निर्यात निष्पादन

प्राधिकारी ने केवल घरेलू परिचालन के आंकड़ों पर विचार किया है।

ज) अन्य उत्पादों का प्रदर्शन

प्राधिकारी ने केवल संबद्ध वस्तु के निष्पादन से संबंधित आंकड़ों पर ही विचार किया है।

झ. क्षति के अन्तर का परिमाण

82. प्राधिकारी ने संशोधित अनुबंध-III के साथ पठित पठित पाटनरोधी नियमावली में निर्धारित सिद्धांतों के आधार पर घरेलू उद्योग के लिये क्षति रहित कीमत का निर्धारण किया है। जांच की अवधि के लिए उत्पादन की लागत से संबंधित सत्यापित सूचना आंकड़ों को अपनाकर विचाराधीन उत्पाद की क्षतिरहित कीमत निर्धारित की गई है। घरेलू उद्योग के लिए क्षति रहित कीमत की गणना की गई है और क्षति के अंतर की गणना के लिए संबद्ध देशों के प्रत्येक उत्पाद निर्यातक के पहुंच मूल्य से इसकी तुलना की गई है। असहयोगी निर्यातकों के लिए क्षति के अन्तर का निर्धारण प्राधिकारी के पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर किया गया है।

क्र.सं.	उत्पादकों के नाम	अक्षतिकारी कीमत (यूएस डालर/एमटी	पहुंच कीमत (यूएस डालर/एमटी	क्षति मार्जिन (यूएस डालर/एमटी	क्षति मार्जिन (%)	क्षति मार्जिन (रेंज %)
1	सीपीआईसी एबासिएन फाइबर ग्लास डब्ल्यू.एल.एल.	***	***	***	***	40-50
2	जुशी इजिप्ट फार फाइबर ग्लास इंडस्ट्री एस.ए.ई.	***	***	***	***	25-35

5	बहरीन के असहकारी/अपशिष्ट निर्यातक	***	***	***	***	40-50
6.	इजिप्ट के असहकारी/अपशिष्ट निर्यातक	***	***	***	***	30-40

क. प्रकटन पश्चात टिप्पणियां

83. प्राधिकारी नोट करते हैं कि प्रकटन विवरण के उत्तर में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किये गये अधिकांश अनुरोध पुनरावृत्तिक प्रकृति के हैं और हितबद्ध पक्षकारों ने अधिकांशत: अपने पुराने अनुरोधों को दोहराया है जिनकी पहले ही प्राधिकारी द्वारा जांच और निवारण किया जा चुका है। घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रकटन विवरण के संबंध में किये गये अतिरिक्त अनुरोध निम्नलिखित हैं।

क. 1. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा अनुरोध

84. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने विचाराधीन उत्पाद के कार्यक्षेत्र जैसे वस्तु, घरेलू उद्योग, क्षति और कारणात्मक संबंध के बारे में अपने अनुरोधों को दोहराया। इसके अलावा, अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने प्रकटन पश्चात निम्नलिखित अनुरोध किये हैं :

i. प्राधिकारी ने उचित रूप से दस्तावेज किये गये आवेदन के प्राप्त होने के बाद और जांच की शुरुआत के पूर्व बहरीन सरकार को अधिसूचित नहीं किया। यह पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 5 का उल्लंघन है।

ii. प्राधिकारी ने प्रकटन विवरण के संबंध में टिप्पणियां देने के लिए हितबद्ध पक्षकारों को पर्याप्त समय नहीं दिया जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन है।

iii. चूंकि एच-ग्लास का आयात संबद्ध देशों से नहीं किया जाता है, अत: इसे उत्पाद के कार्यक्षेत्र से बाहर रखा जाना चाहिए। एच-ग्लास के उत्पादन में ई सी आर ग्लास के उत्पादन की तुलना में बहुत अधिक पूंजी लागत लगती है। केवल इस कारण से की वे ग्राहक जो ई सी आर ग्लास की खरीद कर रहे थे, ने एच-ग्लास खरीदना शुरू कर दिया है, का वास्तव में यह आशय नहीं होता है कि एच-ग्लास को ई सी आर ग्लास के प्रतिस्थानापन्न के रूप में खरीद की जा रही है।

iv. पी सी एन पद्धति को विलंब से अधिसूचित किया गया है और ऐसा प्रकटन विवरण में पहली बार हुआ है। ऐसी स्थिति में दिया गया समय इस मुद्दे पर विस्तृत करने के लिए पर्याप्त नहीं है। एस ओ पी के मैनुअल के अनुसार, प्राधिकारी जांच की शुरुआत की तिथि से 60 दिनों के भीतर केवल पी सी एन को अधिसूचित कर सकते हैं।

v. चूंकि पी सी एन को प्राधिकारी द्वारा अधिसूचित नहीं किया गया था, अत: निर्यातक ने अपने आंतरिक नियंत्रण नंबर के अनुसार आंकड़े प्रस्तुत किये। प्राधिकारी ने ऐसे आंकड़ों को नहीं माना है और प्रकटन के समय पी सी एन वार विश्लेषण को अपनाया है, जिसने निर्यातक के लिए पाटन मार्जिन को बढ़ा दिया है।

vi. प्राधिकारी द्वारा किया गया पी सी एन चार प्रमुख श्रेणियों में उत्पादन का योग है जो पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 2 के प्रावधानों से मेल नहीं खाता है। पी सी एन वार तुलना तब उपयुक्त नहीं है जब इस उत्पाद के घनत्व पर उसी उत्पाद रूप के लिए प्रति इकाई लागत में अंतर के रूप में नहीं माना जाता है लेकिन अलग अलग सरफेश वजन के उत्पाद लगभग *** प्रतिशत तक अलग अलग हैं। सी पी आई सी ने पी सी एन का प्रस्ताव दिया है जो उत्पाद रूप और रेखीय घनत्व, फाइबर, व्यास और सरफेश वजन पर विचार करता है।

vii. इजिप्ट से ग्लास फाइबर उत्पादों के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच में, यूरोपीय आयोग ने पी सी एन पद्धति को अपनाया जो सी पी आई सी द्वारा प्रस्तावित पद्धति के समान है।

viii. भारत सरकार ने एक निर्णायक समीक्षा जांच में चीन जन. गण. के विरुद्ध पाटनरोधी शुल्क लगाने के लिए डी जी टी आर की सिफारिश को स्वीकार नहीं किया। जांच की अवधि तथा विचाराधीन उत्पाद वही थे जो वर्तमान जांच में हैं। वर्तमान मामले में शुल्कों को लगाये जाने का निर्णय डब्ल्यू टी ओ पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 9.2 का उल्लंघन होगा जो सदस्यों को गैर भेदभावपूर्ण आधार पर शुल्कों को लगाने का दायित्व देता है।

ix. कैप्टिव खपत के लिए उत्पादन को घरेलू उद्योग के कुल उत्पादन से बाहर किया जाना चाहिए जैसा कि पिंग आयरन मैन्यू, एस्सो. बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी के मामले में किया गया है।

x. संबंधित निर्यातकों और उत्पादकों को शुल्क की प्रवंचना से बचने के उद्देश्य से एक समूह के रूप में एक साथ मिला दिया गया है। हालांकि, आधार के निर्धारण के लिए मिलाने का कार्य नहीं किया जाना चाहिए।

xi. याचिकाकर्ता ने विभिन्न देशों से संबद्ध वस्तुओं का आयात किया है और वह वोवन्स कार्निंग कंपोजिस्ट (चीन) कंपनी से संबंधित है।

xii. प्राधिकारी ने संरचित सामान्य मूल्य की गणना के लिए पद्धति और पाटन मार्जिन की गणना को प्रकट नहीं किया है।

xiii. इजिप्ट की एस ई जेड कानून के अनुसार, घरेलू टैरिफ क्षेत्र, सीमा शुल्क जिसे आयात किये गये इनपुट पर बचत किया गया था तक एस ई जैड से तैयार सामानों की मंजूरी पर सरकार को अवश्य भुगतान किया जाना चाहिए जिसे उत्पादन की लागत में शामिल किया गया है।

xiv. वह कीमत जिस पर जुसी इजिप्ट ने अपने संबंधित पक्षकारों से कच्चे माल की खरीद की है, अंतर्राष्ट्रीय कीमत के अनुरूप है और एक दूसरे को प्रभावित किये बिना है।

xv. यूरोपीय यूनियन और तुर्की की पाटन जांच पर इजिप्ट के विरुद्ध निर्भरता उपयुक्त नहीं क्योंकि उन्हें समाप्त कर दिया गया था।

xvi. जुसी इजिप्ट के लिए निर्धारित सामान्य मूल्य सही है और रबड़ केमिकल पीएस – 13 (6 पीपीडी) पर पाटनरोधी जांच में अंतिम निष्कर्ष का संदर्भ गलत तरीके से दिया गया है।

xvii. सेस्टेट द्वारा कुम्हो पेट्रोकेमिकल कं. लिमि. के मामले में पारित आदेश वर्तमान मामले में लागू नहीं है क्योंकि कुम्हो असंबंधित कंपनी जिसके साथ इसका एक विशेष संबंध था, से कच्चे माल की खरीद कर रहा था जबकि जुसी इजिप्ट एक संबंधित कंपनी से खरीद रहा है। जबकि प्राधिकारी ने प्रपत्र निर्धारित नहीं किया है जिसमें विदेशी उत्पादक यह सूचित कर सकें कि असंबंधित कच्चे माल आपूर्तिकर्ता के साथ इसका विशेष संबंध बिना किसी प्रभाव के था, प्राधिकारी ने परिशिष्ट 11 निर्धारित किया है जिसमें जुसी ने यह सिद्ध किया है कि संबंधित पक्षकारों के साथ इसका लेन देन बिना किसी प्रभाव के हुआ है।

xviii. सभी जांचों में प्राधिकारी ने हमेशा कच्चे माल की कीमतों को स्वीकार किया है जिसे विदेशी उत्पादक के बुक में दर्शाया गया था, जैसे मलेशिया से टेक्सटर्ड टेम्परड कोटिड और अनकोटिड के मामले में जहां मलेशिया के उत्पादक ने चीन जन. गण. से कच्चे माल की खरीद की।

xix. चीन जन. गण. से जुसी इजिप्ट द्वारा खरीदे गये कच्चे माल की वास्तविक खरीद कीमत पर विचार डब्ल्यू टी ओ के पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 2.2.1.1 के अनुसार किया जाना चाहिए।

xx. कथित ऋण उचित से कम पारिश्रमिक पर भूमि की आपूर्ति, आयात किये गये कच्चे माल पर उनको शुल्क की माफी का पाटनरोधी जांच पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।

xxi. चूंकि जुसी इजिप्ट को एक नकारात्मक पाटन मार्जिन दिया गया है, अत: इजिप्ट से सभी आयातों को पाटित नहीं किया हुआ के रूप में माना जाना चाहिए। इजिप्ट से आयातों को संचयी नहीं किया जाना चाहिए और क्षति का पुन: आकलन केवल बहरीन से आयातों के संदर्भ में किया जाना चाहिए।

xxii. आयात के आंकड़े सही आयात मूल्य और मात्रा का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं क्योंकि विचाराधीन उत्पाद को छोड़कर इन उत्पादों का आयात भी उसी एच एस कोड के अंतर्गत किया जा सकता है।

xxiii. याचिकाकर्ता समग्र बाजार मांग को पूरा करने में सक्षम नहीं है और इसने निर्यात और गैर पीयूसी बाजारों में अपने हिस्से में वृद्धि करने के लिए विवेकपूर्ण निर्णय लिया है। याचिकाकर्ता ने अब भी अपनी घरेलू बिक्री में वृद्धि नहीं की तब जांच की अवधि के दौरान संबद्ध आयातों की मात्रा में कमी आई थी।

xxiv. पहुंच कीमत 2017-18 के दौरान प्रचलित कीमत पर विचार करते हुए जांच की अवधि में स्थिर रही है।

xxv. क्षति की अवधि के लिए कीमत में कटौती संबंधी आंकड़ों के उपलब्ध नहीं रहने के कारण, उसकी तुलना याचिकाकर्ताओं की लाभप्रदत्ता के साथ नहीं की जा सकती है जिससे कोई सार्थक टिप्पणी की जा सके।

xxvi. आदर्श तौर पर संचित शटडॉउन के दौरान इस क्षमता में कोई परिवर्तन नहीं दर्शाया जाना चाहिए था और इस प्रकार की अतिरिक्त क्षमता को अगले वर्ष में दर्शाया जाना चाहिए था। हालांकि, 2018-19 और 2018-19 समायोजित आंकड़े क्षमता में वृद्धि को संसूचित करते हैं। वैसा ही अत्यधिक अंतर उत्पादन, बिक्री, क्षमता उपयोग आदि के मामले में प्रतीत होता है।

xxvii. घरेलू उद्योग तथ्यों का पुर्नरुद्धार करने के पूर्व अपनी क्षमताओं का पूर्ण रूप से उपयोग नहीं कर पाया था।

xxviii. चूंकि गोवा ग्लास फाइबर को क्षति नहीं हुई है, अत: कथित क्षति संबद्ध आयातों के कारण नहीं हुई है।

xxix. याचिकाकर्ता की कैप्टिव खपत की जांच की जानी चाहिए चूंकि एच-ग्लास की कोई मर्चेंट बिक्री नहीं है। अत: इस बात का सुझाव देना सही नहीं है कि माल सूची केवल संबद्ध आयातों के कारण जमा हो गई है।

xxx. 2016-17 और 2017-18 वर्षों के लिए आर्थिक मापदंड संदर्भित वर्षों में ओ सी आई आई पी एल आंकड़ों को शामिल किये जाने के कारण जांच की अवधि से तुलनीय नहीं है।

xxxi. प्राधिकारी ने प्रकटन विवरण में कारणात्मक संबंध के बारे में सी पी आई सी द्वारा किये गये किसी अनुरोध पर विचार नहीं किया है।

xxxii. घरेलू उद्योग को बहरीन से आयातों के कारण और न कि अन्य कारकों के कारण क्षति हुई। कोई भी क्षति पुरानी भट्टी का पुर्नरुद्धार करने और नई भट्टी का निर्माण करने के लिए तथा इससे संबंधित सभी प्रचालनात्मक और वित्तीय कारकों के लिए किये गये पूंजी खर्च के कारण हुआ है।

xxxiii. घरेलू उद्योग ने घरेलू बाजार की आवश्यकता का उचित रूप से आकलन किये बिना क्षति की अवधि के दौरान अपनी क्षमता और उत्पादन में वृद्धि की। इसके फलस्वरूप बिक्री की मात्रा में गिरावट, माल सूची में वृद्धि, बिक्री की लागत में वृद्धि, निवेश पर लाभ में हानि और गिरावट हुई।

xxxiv. प्राधिकारी ने आवेदक द्वारा अपनी संबंधित कंपनियों के माध्यम से किये गये आयात के संबंध में तथा सभी अन्य स्रोतों से आयातों को रोकने के इसके प्रयासों के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दर्शायी गई चिंता का समाधान नहीं किया।

xxxv. चूंकि याचिकाकर्ता का भारतीय उत्पादन का *** प्रतिशत हिस्सा है, इसके पास भारतीय बाजार में कीमत को तय करने की क्षमता है। गोवा ग्लास फाइबर का उत्पादन और बिक्री बहरीन और इजिप्ट से संबद्ध वस्तुओं के कुल आयातों के समतुल्य है।

xxxvi. पाटनरोधी शुल्क चीन जन. गण. से अंतिम दशक से लागू रहा है जिसे बढ़ाकर थाइलैण्ड तक कर दिया गया है। याचिकाकर्ता ने आयातों के अधिकांश स्रोतों पर शुल्क लगाने के लिए अनुरोध किया है। इससे याचिकाकर्ता को संबद्ध वस्तुओं की कीमतों में एकपक्षीय रूप से वृद्धि करने में याचिकाकर्ता को मदद मिलेगी। इसने पहले ही वर्तमान जांच की शुरुआत के समय से अपने उत्पादों की कीमत में 40-50 प्रतिशत तक वृद्धि की है।

xxxvii. ग्लास फाइबर के आयातों पर प्रतिबंध के फलस्वरूप देश में मांग-आपूर्ति में अंतर हो रहा है। शुल्क लगाने के कारण आवेदक बाजार पर अपना प्रभुत्व बनाये रखने तथा अपनी सहयागी कंपनियों से आयात कर एकाधिकारवाद की स्थिति बनाये रखने में सक्षम होंगे।

xxxviii. पाटनरोधी शुल्क लगाया जाना जनहित में नहीं होगा क्योंकि घरेलू उद्योग के पास सभी प्रकारों के ग्लास फाइबर का उत्पादन करने के लिए प्रौद्योगिकी और क्षमता का अभाव है।

xxxix. पाटनरोधी शुल्क लगाये जाने से डाउनस्ट्रीम उद्योग और अंतिम उपभोक्ताओं सहित पूरे बाजार पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

xl. पाटनरोधी शुल्क लगाये जाने से भारत और बहरीन के बीच द्विपक्षीय बाजार और वाणिज्यिक संबंधों में बाधा उत्पन्न होने का खतरा होगा।

xli. यदि पाटनरोधी शुल्क लगाया जाता है तब, वह संदर्भ कीमत शुल्क होनी चाहिए जो दोनों पक्षकारों के हितों का संरक्षण करेगा। प्राधिकारी द्वारा जारी किये गये व्यापार उपचारों का ऑपरेटिंग मैनुअल के अनुसार संदर्भ कीमत शुल्क उपयुक्त है जब डाउनस्ट्रीम उद्योग के हितों का संरक्षण करने की आवश्यकता है।

xlii. यदि प्राधिकारी की सी पी आई सी द्वारा प्रस्तावित पी सी एन के अनुसार पाटन मार्जिन में संशोधन करते हैं तब निर्यातक कीमत वचन पत्र देने में इच्छुक हैं।

xliii. याचिकाकर्ता ने प्रकटन विवरण में टिप्पणियों प्रस्तुत करने की निर्धारित तिथि के लगभग एक महीने के बाद टिप्पणियां प्रस्तुत की हैं। इस प्रकार से विलंबित टिप्पणियों को तत्काल अस्वीकार किया जाना चाहिए।

xliv. याचिकाकर्ताओं ने अपने नवीनतम अनुरोधों में किसी नये अतिरिक्त तथ्यों को सामने नहीं लाया है।

क. 2. घरेलू उद्योग द्वारा किये गये अनुरोध

85. घरेलू उद्योग ने प्रकटन पश्चात निम्नलिखित अनुरोध किये गये है :

i. जुसी इजिप्ट द्वारा चीन जन. गण. में स्थित अपनी मूल कंपनी से अंतर्राष्ट्रीय बाजार कीमतों पर कच्चे माल और अन्य इनपुट्स की खरीद पर विचार करने की आवश्यकता है।

ii. इस प्रकार के दृष्टिकोण को प्राधिकारी द्वारा विगत में चीन जन. गण., कोरिया गणराज्य और यू एस ए से रबड़ केमिकल पीएक्स – 13 के आयातों पर पाटनरोधी जांच में विचार किया गया है [फा. सं. 6/20/2020 – डी जी टी आर]। जबकि पीएक्स - 13 में, वर्तमान जांच में निर्यातक और चीन की कंपनी के बीच केवल एक विशेष संबंध था। इसके अलावा, जुसी चीन ने चीन जन. गण. के संबंध में निर्णायक समीक्षा में बाजार अर्थव्यवस्था मानने का दावा नहीं किया। यह पीएक्स – 13 जांच में उस स्थति जैसी है जिसमें चीन की कंपनी ने बाजार अर्थव्यवस्था मानने का दावा नहीं किया।

iii. न्यायाधिकरण के निर्णय और कुम्हो पेट्रोकेमिकल कंपनी लिमि. बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी ने उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गये फैसलें में उल्लिखित सिद्धांत वर्तमान जांच के लिए भी लागू है।

iv. निर्यातकों ने निवेश के स्रोत, संबंधित पक्षकार के इनपुट्स, सेवाओं, वित्तपोषण, प्रौद्योगिकी और समर्थन जो निर्यातकों द्वारा प्राप्त किया गया था जांच करने की आवश्यकता के संबंध में याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाये गये मुद्दों का उत्तर नहीं दिया है क्योंकि दोनों निर्यातकों को चीन जन. गण. की सरकार और संबद्ध देशों की सरकारों के सहयोग से स्थापित किया गया है।

v. जुसी इजिप्ट की स्थापना दो कंपनियों के बीच समझौता ज्ञापन के अनुसरण में चीन-इजिप्ट स्वेज आर्थिक और व्यापार सहयोग क्षेत्र में किया गया है। यह दोनों देशों की पूल्ड संसाधनों से लाभ प्राप्त करता है।

vi. यूरोपीय कमीशन के जांच परिणामों के अनुसार जुसी इजिप्ट को इजिप्ट और चीन जन. गण. की सरकार द्वारा सब्सिडी से लाभ प्राप्त हुआ है। जुसी चीन ने वित्तीय संस्था से बाहरी वित्तपोषण के माध्यम से अंतर कंपनी ऋण का वित्तपोषण किया था। जुसी इजिप्ट को सी एन बी एम, चीन के राज्य स्वामित्व वाली एक कंपनी द्वारा अनुदानों से तथा उचित से कम पारिश्रमिक पर भूमि की आपूर्ति, मूल्यवर्धित कर से छूट, निर्यातक वस्तुओं के लिए उपयोग किये गये आयातित कच्चे माल पर आयात टैरिफ पर छूट से भी लाभ प्राप्त हुआ।

vii. चूंकि जुसी इजिप्ट एस ई टी सी जॉन में स्थित है, अत: इसे कच्चे माल की खरीद पर आयात शुल्क के भुगतान से छूट प्राप्त है। इसे बिक्री कर, स्टाम्प शुल्क कर और राज्य संसाधन विकास कर के भुगतान से भी छूट प्राप्त है जिसने इजिप्ट के बाजार में लागत और कीमत दोनों को प्रभावित किया है।

viii. जुसी इजिप्ट ने अपनी मूल कंपनी से विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन के लिए प्रौद्योगिकी की खरीद की है लेकिन रॉयल्टी अथवा लाइसेंस फी का भुगतान नहीं करता है। इस प्रकार, इसकी लागत और कीमत व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में नहीं है।

ix. एस ई टी सी जॉन के भाग के रूप में, जुसी इजिप्ट में प्रचलित कीमत से कम कीमत पर यूटिलिटी प्राप्त करता है।

x. जुसी इजिप्ट ने घरेलू बाजार में अपने संबद्ध ग्राहकों को संबद्ध वस्तुओं की बिक्री की है, यदि इस प्रकार की बिक्री बिना किसी प्रभाव के आधार पर नहीं हुई हो तब इसका उपयोग सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के लिए नहीं किया जा सकता है। विनियम 2020/492 के माध्यम से यूरोपीय कमीशन के जांच परिणामों में यह नोट किया गया था कि जुसी इजिप्ट ने संबंधित पक्षकारों को उस कीमत से कम कीमत पर हेग्सी इजिप्ट को ग्लास फाइबर की बिक्री की है।

xi. इजिप्ट में विशेष बाजार स्थिति है क्योंकि जुसी इजिप्ट की इसके समग्र उत्पादन और बिक्री पर विचार करते हुए घरेलू बिक्री की बहुत कम मात्रा है, चूंकि इसकी स्थापना एस इ टी सी जॉन में की गई है, अत: इसने अपनी क्षमता का *** निर्यात किया है।

xii. इजिप्ट में जुसी द्वारा बिक्री को आयात के रूप में और सीमा शुल्क के अध्यधीन माना जाता है। इस कारण से, इस प्रकार की बिक्री को व्यापार की सामान्य प्रक्रिया के रूप में नहीं माना जा सकता है।

xiii. इजिप्ट में मौजूदा विशेष बाजार स्थिति के कारण, जुसी इजिप्ट की घरेलू बिक्री को सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए नहीं माना जाना चाहिए।

xiv. जुसी इजिप्ट ने भारत में अपने संबंधित पक्षकार अर्थात जुसी इंडिया फाइबर ग्लास प्रा. लिमि. को संबद्ध वस्तुओं का निर्यात किया है जिसने आगे इसकी बिक्री घाटे पर की है। जुसी इंडिया के वित्तीय विवरण के अनुसार, यह पूर्णरूप से व्यापार में शामिल है और इसे हानि हो रही है। चूंकि इजिप्ट से खरीद की कीमत चीन जन. गण. से खरीद की कीमत की तुलना में अधिक है, अत: इसका अर्थ यह है कि इजिप्ट से आयातों के मामले में अपेक्षाकृत अधिक हद तक घाटा हुआ है ।

xv. जुसी इंडिया के वित्तीय विवरण में यह उल्लेख है कि इसे कमीशन मिला है जिसका समायोजन निवल निर्यात कीमत का निर्धारण करने के उद्देश्य से किया जाना चाहिए।

ट. तृतीय मौखिक सुनवाई के बाद अनुरोध

86. प्रकटन विवरण को जारी किये जाने के बाद हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दिये गये तर्कों पर विचार करते हुए, प्राधिकारी ने सभी हितबद्ध पक्षकारों को सुनवाई किये जाने के लिए एक अन्य अवसर दिया। तदनुसार, एक तृतीय मौखिक सुनवाई 9 नवंबर, 2021 को आयोजित की गई थी।

ट.1. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा अनुरोध

87. कुछ हितबद्ध पक्षकारों ने एच-ग्लास को शामिल करने, जनहित, आधार का कथित अभाव और घरेलू उद्योग को सामग्री नहीं उपलब्ध होने के संबंध में अपने विगत अनुरोधों को फिर से दोहराया था। संक्षिप्तता के वास्ते, इस प्रकार के अनुरोधों को बाद के पैरा में फिर से नहीं दिया गया है। निम्नलिखित अतिरिक्त अनुरोध अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा तृतीय मौखिक सुनवाई के बाद किया गया है :

क. घरेलू उद्योग ने प्रकटन के संबंध में बाद की टिप्पणियों के संबंध में अनुरोध किया है और प्राधिकारी ने इसे स्वीकार किया है। प्राधिकारी ने प्रकटन के संबंध में टिप्पणियों के 7 से 10 दिनों के साथ अंतिम जांच परिणाम जारी करने की अपनी सामान्य कार्यपद्धति से अलग पद्धति अपनाई है। यह तर्क कि घरेलू उद्योग ने नये मुद्दे नहीं उठाये हैं सही

नहीं है मानो कि ऐसा मामला था कि इस मामले को फिर से सुनवाई करने और फिर से विश्लेषण करने की कोई आवश्यकता नहीं थी।

ख. जांच पूरी करने के लिए समय अवधि का विस्तार तीन बार किया गया है। दिनांक 5 नवंबर, 2021 की अधिसूचना के माध्यम से तीसरी बार समय विस्तार विस्तारित अवधि के समाप्त होने की तिथि के बाद जारी किया गया है। भारतीय संघ सरकार और अन्य बनाम कुम्हो पेट्रोकेमिकल्स कं. लिमि. में उच्चतम न्यायालय ने यह फैसला दिया कि एक आदेश अथवा अधिसूचना जिसका एक स्पष्ट समाप्त की तिथि है, को इसके समाप्त होने के बाद फिर से बहाल नहीं किया जा सकता है। 31 अक्टूबर, 2021 के बाद कार्यवाहियों को जारी रखना गलत और गैर-कानूनी है।

ग. घरेलू उद्योग के अनुरोध पर प्राधिकारी ने जांच के अंत में तीसरी सुनवाई की जबकि जांच के आरंभिक चरण में सार्वजनिक सुनवाई के लिए अन्य हितबद्ध पक्षकारों के वैसे ही अनुरोध को नहीं माना गया था। कोई पूर्ण गलती अथवा कानूनी भूल नहीं थी जिसके कारण तीसरी सुनवाई आवश्यक थी ।

घ. पाटनरोधी जांच समयबद्ध है जैसा कि यूएस – ऑयल कंट्री ट्यूबूलर गुड्स अपीलीय निकाय द्वारा फैसला दिया गया था।

ङ. पी सी एन की सूचना हितबद्ध पक्षकारों को प्रकटन विवरण के समय ही दी गई थी और जांच की शुरुआत संबंधी अधिसूचना इस बात का उल्लेख नहीं करती थी कि प्राधिकारी ने याचिकाकर्ता की पी सी एन पद्धति को स्वीकार किया है। अपनी याचिका में पी सी एन के सुझाव को कोई महत्व नहीं है। यदि प्राधिकारी इसे स्वीकार नहीं करते हों और स्पष्ट रूप से इसे अधिसूचित नहीं करते हों।

च. जबकि प्राधिकारी से यह अपेक्षित था कि वे जांच की शुरुआत की तिथि साठ दिनों के भीतर पी सी एन अधिसूचित करें, कोई अधिसूचना जारी नहीं की गई थी। प्रकटन के चरण में अपनाया गया पी सी एन आंतरिक नियंत्रण संख्या को नहीं मानता है जिसने बहरीन से निर्यातक के पाटन मार्जिन को कृत्रिम रूप से बढ़ा दिया है ।

छ. किसी भी पी सी एन का सुझाव जांच के आरंभन अथवा प्रश्नावली को प्रस्तुत करने तक नहीं दिया गया था। हितबद्ध पक्षकारों ने एएसटीएम डी 578 के अनुरूप उपयुक्त पी सी एन प्रस्तुत नहीं किया जो आवश्यक विशेषताओं को प्राप्त करता हो कि जो कीमत में तुलना को प्रभावित करता। अलग अलग घनत्व/ मोटाई के साथ फाइबर के लिए लागत बहुत अधिक हद तक अलग अलग है और तदनुसार इसे एक मापदंड के रूप में माना जाना चाहिए।

ज. प्राधिकारी ने जांच को पूरा करने के लिए समय विस्तार लिया है और विस्तारित अवधि अर्थात 31 अक्टूबर, 2021 के समाप्त होने के बाद उसे दिया गया था। 31 अक्टूबर, 2021 के बाद कार्यवाहियों को जारी रखना गैर-कानूनी है और वह सही नहीं है और उसे आरंभ में ही समाप्त कर दिया जाना चाहिए।

झ. निर्यातक निर्णायक समीक्षा जांच में बनाये गये पी सी एन का अनुपालन नहीं कर सकते हैं क्योंकि उसे वर्तमान जांच में प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत किये जाने के बाद अधिसूचित किया गया था।

ञ. एसेम्बलड रोविंग्स, डायरेक्ट रोविंग्स, ग्लास चोप्ड स्टेण्ड्स और ग्लास चोप्ड स्टेण्ड्स मेट्स उत्पादों के प्रकार न की पी सी एन है। यह आवश्यक है कि पी सी एन में विचाराधीन उत्पाद की आवश्यक विशेषताएं शामिल हो और तदनुसार, ग्लास फाइबर की कम से कम घनत्व/ मोटाई को शामिल किया जाना चाहिए।

ट. एएसटीएम डी 578 के अंतर्गत, रोविंग्स को दो सेग्मेंट कोडिंग अथवपा तीन सेग्मेंट कोडिंग के द्वारा नामित किया गया था इनमें में से दोनों में उत्पाद का रैखीय घनत्व शामिल है। निर्यातकों द्वारा सुझाव दिया गया पी सी एन ऐसी रैखीय घनत्व पर विचार नहीं करता है जिसके बिना कोई व्यवहार्य तुलना की जा सकती हो।

ठ. रोविंग्स के लिए घनत्व अथवा मोटाई (डायरेक्ट और असमेबल्ड किया गया हुआ दोनों) को ग्राम/ किमी. के संदर्भ में वजन को शामिल कर किया जा सकता है, चोप्ड स्ट्रांड्स के लिए माइक्रो मीटर में डायमीटर (μm) को लिया जा सकता है और चोप्ड स्ट्रांड्स मेट्स के लिए, ग्राम/ मीटर^2 के संदर्भ में वजन को लिया जा सकता है।

ड. यूरोपीय कमीशन ने इजिप्ट से ग्लास फाइबर से आयातों के संबंध में अपनी पाटनरोधी जांच में एक पी सी एन पद्धति को उसी रूप में अपनाया जिसका सुझाव सी पी आई सी द्वारा दिया गया था। यूरोपीय कमीशन द्वारा

अपनाई गई पी सी एन उत्पाद के रूप, रैखीय घनत्व (रोविंग्स के लिए) फाइबर व्यास (चोप्ड स्ट्रांड्स के लिए) और सरफेस वजन (मेट्स के लिए) पर विचार करता है।

ढ. भौतिक विशेषताओं तथा लागत जिस पर विचार किया जाना चाहिए के संदर्भ में प्रत्येक ग्रेड के भीतर बहुत अधिक अंतर मौजूद नहीं है।

ण. घरेलू उद्योग ने यह स्वीकार किया है कि इन उत्पादों की भौतिक विशेषताओं में मूलभूत अंतर है और तदनुसार इस प्रकार के अंतरों के लिए उचित छूट की व्यवस्था पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 2.4 के अनुसार किया जाना चाहिए था। अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने घरेलू उद्योग द्वारा प्रकाशित विभिन्न रिपोर्टों को प्रस्तुत किया है जो उत्पाद की गुणवत्ता और विशेषताओं में अंतर को दर्शाता है। इस प्रकार से इन उत्पादों के लिए एक अलग पी सी एन अपेक्षित है।

त. घरेलू उद्योग द्वारा किया गया विश्लेषण केवल 2400 और 4800 टेक्स उत्पादों से संबंधित है, जबकि उत्पादन की पूरी रेंज 100 टेक्स 9600 टेक्स है। इस तथ्य को माने बिना कि कीमत में अंतर केवल *** प्रतिशत है, पाटनरोधी नियमावली के नियम 14 के अतर्गत 2 प्रतिशत से कम पाटन मार्जिन पर विचार न्यूनतम के रूप में किया जाता है जो जांच को समाप्त करने के लिए एक आधार है।

थ. जबकि बहरीन से भारत को निर्यात मुख्य रूप से 2400 और 4800 टेक्स के बीच रोविंग्स का हो सकता है। यह निष्पक्ष तुलना सुनिश्चित नहीं कर सकता है क्योंकि बहरीन में घरेलू बिक्री और भारत में घरेलू उद्योग अन्य पी सी एन को शामिल कर सकते हैं।

द. घरेलू उद्योग के इस तर्क के संबंध में की उसी पी सी एन के अंतर्गत निर्यातों की कीमत में बहुत अधिक अंतर है, इस प्रकार का विश्लेषण डी जी सी आई एंड एस आंकड़ों में दर्शायी गई आयात कीमतों पर आधारित है जो एक्स–फैक्ट्री कीमत नहीं है और सुपुदर्गी तथा भुगतान की शर्तों के आधार पर अलग अलग हो सकती है।

ध. घरेलू उद्योग के इस तर्क के विपरीत सी पी आई सी ने अपने आंकड़े दिये हैं जो स्पष्ट रूप से बहुत अधिक कीमत अंतरों को दर्शाता है। एक ही उत्पाद रूप के लिए परंतु अलग अलग सरफेस वजन के लिए प्रति इकाई लागत में अंतर लगभग *** प्रतिशत तक अलग अलग हो सकता है।

न. घरेलू उद्योग को यह दर्शाने के लिए कि ऐसा कोई कारक नहीं है जो उत्पादन की लागत को बहुत अधिक हद तक प्रभावित कर रहा है, प्रस्तुत किये गये लेन देन का नमूना सूची के संबंध में प्रमाणित आंकड़े देने चाहिए।

प. इस विलंबित चरण में पी सी एन पद्धति में कोई अंतर जुसी इजिप्ट पर असाधारण भार डालेगा।

फ. यह नहीं माना जा सकता है कि चूंकि याचिकाकर्ताओं ने इजिप्ट में सब्सिडी पर मुद्दे उठाये थे, इसे विशेष बाजार स्थिति का एक मुद्दा उठाने के समान नहीं माना जा सकता है। इस प्रकार के आधार को विशिष्ट रूप से शपथ पत्र में दिया जाना चाहिए अथवा कारण बताओ नोटिस में लिया जाना चाहिए और इस मामले में, याचिका में जांच आरंभन संबंधी अधिसूचना में दिया जाना चाहिए। हालांकि, याचिकाकर्ताओं ने प्रकटन विवरण के संबंध में अपनी टिप्पणियों में ही इस विशिष्ट आधार को लिया।

ब. कोई भी देश जिसने संबद्ध वस्तुओं के संबंध में इजिप्ट के विरुद्ध जांच की और उस निर्यातक के विरुद्ध किसी विशेष बाजार स्थिति के होने को सिद्ध किया है अथवा यह कि इजिप्ट एक गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के रूप में कार्य करता है। रिकार्ड पर यह सिद्ध करने के लिए कुछ भी नहीं है कि जुसी इजिप्ट उन परिस्थितियों में कार्य करता है जो निर्यात कीमत और सामान्य मूल्य के बीच कीमत अनुकूलता को गलत तरीके से प्रस्तुत करता है।

भ. एस ई जैड की स्थापना इजिप्ट के कानूनों जैसे सीमा शुल्क और बिक्री कर के लिए विशिष्ट नहीं है। इन इकाईयों से उत्पादों की बिक्री को इन इकाईयों पर कठोर निगरानी की जाती है।

म. कोई विशेष बाजार स्थिति इजिप्ट में अथवा एस ई टी सी जॉन में नहीं है। आस्ट्रेलिया – ए3 कॉपी पेपर में पैनल ने यह माना कि विशेष बाजार स्थिति स्पष्ट, अलग अलग, एकल और विशिष्ट होनी चाहिए। ऐसी स्थिति को घरेलू बिक्री और निर्यात बिक्री को अतुलनीय अवश्य बनाना चाहिए।

य. इजिप्टियन एस ई जैड इजिप्टियन एस ई जैड कानून द्वारा शासित होता है और किसी अन्य देश का कानून अथवा नीतियां एस ई टी सी जॉन पर लागू नहीं होता है। अंतिम वस्तुओं का निर्माण करने के लिए उपयोग की गई इनपुट सामग्री पर भुगतान योग्य कोई कर अथवा शुल्क का भुगतान घरेलू टैरिफ क्षेत्र के लिए उसकी स्वीकृति दिये जाने के पूर्व किया जाता है।

कक. यह तर्क कि एस ई टी सी जॉन चीन की गैर बाजार अर्थव्यवस्था का विस्तार है और इस कारण से एस ई टी सी जॉन में एक विशेष बाजार स्थिति है, यह पूर्ण रूप से भ्रामक है। भारत में अनेक औद्योगिक जॉन और विकास के अधीन औद्योगिक कोरिडोर है जहां जापान और यूनाटिड किंग्डम जैसे कई विदेशी सरकारें भारत की सरकार को वित्तीय सहायता दे रही है। विदेशी सरकार द्वारा औद्योगिक कोरिडोर का केवल वित्त पोषण का यह आशय नहीं है कि कोई विशेष बाजार स्थिति मौजूद है।

खख. विदेशी निवेशकों जिसमें आवन्स कॉनिंग शामिल है द्वारा स्थापित अनेक कंपनियों में विदेशी प्रबंधक मौजूद हैं और निदेशक का पद धारण करते हैं। यदि याचिकाकर्ता के तर्क को मान लिया गया जाता है तब ओ सी आई पी एल अपनी मूल कंपनी अथवा संबद्ध कंपनियों से यूनाटिड स्टेट और चीन जन. गण. में आधारित है द्वारा हस्तक्षेप के संदेह में आयेंगे।

गग. विशेष आर्थिक क्षेत्र में निर्यातकों की स्थापना और इजिप्ट की सरकार और चीन की सरकार के बीच व्यापारिक सहयोग के कारण जुसी इजिप्ट को छूट देने के तर्कों की विवेचना अलग प्रतिसंतुलनकारी शुल्क जांच में की जानी चाहिए। सब्सिडी किसी विशेष बाजार स्थिति के निर्धारण के लिए आधार नहीं हो सकता है। इस प्रकार का कार्य डब्ल्यू टी ओ के दायित्वों का उल्लंघन होगा क्योंकि प्रभावित देश को कार्यवाही की प्रक्रिया के दौरान सुनवाई किए जाने के लिए अवसर नहीं दिया गया था।

घघ. यूरोपीय कमीशन ने प्रतिसंतुलनकारी जांच में केवल सब्सिडी की जांच की और एक निष्पक्ष अवसर इजिप्ट की सरकार और चीन की सरकार को सब्सिडी के संबंध में उत्तर देने और प्रतिसंतुलनकारी जांच में भाग लेने के लिए दिया गया था।

ङङ. जबकि यूरोपीय कमीशन ने ग्लास फाइबर उत्पादों और ग्लास फाइबर फेब्रिक्स पर अलग अलग पाटनरोधी और प्रतिसंतुलनकारी जांच की, याचिकाकर्ताओं ने प्रतिसंतुलनकारी शुल्क जांचों में यूरोपीय कमीशन के आदेशों के केवल चयनित हिस्से पर विश्वास किया है।

चच. इसके अलावा, कथित सब्सिडी पी एम एस के निर्धारण के लिए आधार नहीं हो सकता है और इस प्रकार का निर्धारण पाटनरोधी के करार के अनुच्छेद 2 के विपरीत होगा। सब्सिडी का पता लगाने से घरेलू बिक्री और निर्यात बिक्री की तुलना करने के लिए कानूनी आवश्यकता नहीं होगी। पाटनरोधी जांच का उपयोग कथित सब्सिडी के प्रभाव को कम करने के लिए एक आच्छादन के रूप में नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार का कार्य डब्ल्यू टी ओ के दायित्वों का गंभीर उल्लंघन होगा क्योंकि प्रभावित देश एस सी एम करार के अनुच्छेद 13 के अंतर्गत कानूनी रूप से अधिकर प्रदत्त के रूप में कार्यवाहियों की प्रक्रिया के दौरान सुनवाई किये जाने के लिए अवसर भी उपलबध नहीं कराया गया था।

छछ. केवल विशेष बाजार की स्थिति होना पर्याप्त नहीं है क्योंकि प्राधिकारी को यह सिद्ध करने का भी दायित्व दिया गया है कि विशेष बाजार स्थिति के कारण, जुसी इजिप्ट की घरेलू बिक्री कीमत भारत को इसके एक्स–फैक्ट्री निर्यात कीमत के साथ तुलनीय नहीं है।

जज. प्राधिकारी को जुसी इजिप्ट की बिक्री पर आधारित सामान्य मूल्य का निर्धारण करना चाहिए क्योंकि इसमें समान वस्तु की बिक्री की है जिसका उद्देश्य इजिप्ट में खपत करना था और इस प्रकार की बिक्री की कीमतें बाजार की सामान्य प्रक्रिया में थी।

झझ. जुसी इजिप्ट ने स्थानीय बाजार के लिए निर्देशित उत्पादों में आयात किये गये संघटकों पर सीमा शुल्क का भुगतान किया है।

ञञ. एस ई जैड कानून के अनुच्छेद 42 के अनुसार, एस ई जैड में आधारित कंपनियों के उत्पाद सीमा शुल्क, बिक्री कर और अन्य करों के अधीन हैं जब इस प्रकार के उत्पादों की बिक्री घरेलू टैरिफ क्षेत्र में की जाती हो।

टट. निर्यात द्वारा रिकार्ड किये गये लागतों को तभी अस्वीकार किया जा सकता है जब रिकार्डों को निर्यातक देश के जी ए ए पी के अनुसार नहीं रखा गया था और वे तर्कसंगत तरीके से विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन और बिक्री से संबद्ध लागतों को नहीं दर्शाते थे। केवल इस आधार पर कच्चे माल की वास्तविक लागत को अस्वीकार करना कि इसकी आपूर्ति एक गैर बाजार अर्थव्यवस्था से की जा रही है पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 2.2.1.1 से मेल नहीं खाता है।

ठठ. घरेलू उद्योग ने यह साक्ष्य उपलबध नहीं कराया है कि अपेक्षित कच्चा माल या तो इजिप्ट में पाटित किया गया था अथवा उसको बीजक से कम कीमत पर दर्शाया गया था। इजिप्ट ने चीन से जुसी इजिप्ट द्वारा आयात किये गये कच्चे मालों पर कोई पाटनरोधी शुल्क नहीं लगाया है। इस कारण से, टेक्सचर्ड टेम्पड कोटेड और अनकोटेड ग्लास में लागू किये गये तर्क के अनुसार जुसी इजिप्ट को चीन में इसकी मूल कंपनी के एक विस्तार के रूप में नहीं माना जाना चाहिए।

डड. रबड़ केमिकल पीएक्स – 13 (6 पीपीडी) पर पाटनरोधी जांच के संबंध में तथा कुम्हो पेट्रोकेमिकल्स बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी ने सेस्टेट के आदेश पर निर्भरता भ्रामक है जैसा कि पीएक्स 13 में था। निर्यातक यह सिद्ध करने में असफल रहे कि चीन से प्राप्त की गई इनपुट्स की कीमतें बिना किसी प्रभाव के थी अथवा अंतर्राष्ट्रीय कीमतों से यह तुलनीय था। वर्तमान जांच में, जुसी इजिप्ट ने यह सिद्ध किया है कि इसने बिना किसी प्रभाव की कीमतों पर जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार से भी तुलनीय हैं अपनी संबद्ध कंपनी से इनपुट्स की खरीद तिथि।

ढढ. जुसी इजिप्ट द्वारा चीन में अपने संबद्ध कंपनी से आयात किये गये इनपुट्स अंतर्राष्ट्रीय कीमतों के समतुल्य बिना किसी प्रभाव वाली कीमत पर हैं। पीएक्स – 13 के मामले में सेस्टेट के आदेश वर्तमान तथ्यों पर लागू नहीं होते हैं। याचिकाकर्ता गलत तरीके से यह तर्क दे रहे हैं कि इस मुद्दे पर उच्चतम न्यायालय का कोई निर्णय/ फैसला है। उच्चतम न्यायालय ने केवल एस एल पी को खारिज करते हुए एक संक्षिप्त आदेश पारित किया और इस प्रकार कानून के अंतर्निहित मुद्दे खुले रह जाते हैं क्योंकि उनका निपटारा नहीं किया गया है। उच्चतम न्यायालय ने उत्तर प्रदेश राज्य बनाम सिंथेटिक और केमिकल लिमि. और अन्य तथा दिल्ली नगर निगम बनाम गुरनाम कौर में यह फैसला दिया है कि मौन रूप से पारित निर्णयों का भारत के संविधान के अनुच्छेद 141 के अंतर्गत कोई बाध्यकारी प्रभाव नहीं है।

णण. एस सी एम करार के अनुसार, उत्पादन की प्रक्रिया में शपथ किये गये इनपुट परिभाषित शब्द का आशय उन इनपुट से है जिन्हें भौतिक रूप से उत्पादन की प्रक्रिया जैसे कच्चा माल, बिजली, ईंधन, तेल और उत्प्रेरकों में भौतिक रूप से शामिल किया गया है। यह परिभाषा विस्तृत है और इसका विस्तार आगे नहीं किया जा सकता है जैसा कि भारत में डब्ल्यू टी ओ पैनल – निर्यात संबंधित शुल्कों (डीएस 541) द्वारा फैसला दिया गया था।

तत. ए4 कॉपी पेपर में, आस्ट्रेलिया का पाटनरोधी प्राधिकारी ने साक्ष्य के साथ तथ्यों पर यह पाया था कि इण्डोनेशिया की सरकार द्वारा लुग्दी की कीमतों के संबंध में हस्तक्षेप किया गया था, जिसके आधार पर इण्डोनेशिया पर विशेष बाजार की स्थिति के मौजूद होने का निष्कर्ष निकाला गया था। हालांकि, इजिप्ट की सरकार के हस्तक्षेप के संबंध में या तो उत्पादन की लागत अथवा जुसी इजिप्ट की बिक्री कीमतों को गलत तरीके से प्रस्तुत करने में वर्तमान जांच में कोई साक्ष्य नहीं है।

थथ. एस ई जैड कानून और विनियम इजिप्ट में सभी विशेष आर्थिक क्षेत्रों पर लागू हैं और कानून व्यवस्था में एस ई टी सी जॉन की स्थापना का अधिकार दिया गया है जिसमें जुसी इजिप्ट आधारित है। चीन का कानून एस ई टी सी जॉन में लागू नहीं है और चीन की सरकार ने एस ई जैड कानून को प्रभावित नहीं किया है।

दद. घरेलू उद्योग के इस तर्क के विपरीत, जुसी इजिप्ट 2000 से अधिक स्थानीय लोगों को इजिप्ट में रोजगार देता है जो कुल जन शक्ति का 90 प्रतिशत से अधिक है। सभी यूटिलिटी की खरीद इजिप्ट में स्थानीय तौर पर की जाती है और इस बात कोई साक्ष्य नहीं है कि यूटिलिटी लागतों में कोई विरुपण हुआ है।

धध. इस तर्क के विपरीत की गैर बाजार अर्थव्यवस्था के कारक एस ई टी सी जॉन में मौजूद हैं अथवा यह कि जुसी इजिप्ट चीन की मूल कंपनी का विस्तार है, सही नहीं है क्योंकि विश्व में कोई भी जांच करने वाला प्राधिकार ने यह नहीं माना है कि इजिप्ट में विशेष बाजार की स्थिति है और इजिप्ट को कभी भी एक गैर बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश नहीं माना गया है।

ननन. कच्चे माल की लागत, यूटिलिटी, ह्रास, वित्त लागत, एस जी ए खर्च, रॉयलटी शुल्क आदि में कोई विरुपण नहीं हुआ है जिसकी जांच प्राधिकारी द्वारा सत्यापन के दौरान की गई है। रॉयलटी उत्पादन की लागत का हिस्सा है।

पप. इजिप्ट में न तो कोई व्यापार का एकाधिकार है और न ही इजिप्ट की सरकार द्वारा सभी कीमतों का निर्धारण किया जाता है। यह नहीं माना जा सकता है कि इजिप्ट अथवा एस ई टी सी जॉन गैर बाजार अर्थव्यवस्था की शर्तों के अधीन कार्य कर रहे हैं अथवा विशेष बाजार की स्थिति इजिप्ट या एस ई टी सी जॉन में मौजूद है।

फफ. चूंकि प्राधिकारी अर्ध-न्यायिक कार्य करते हैं अत: उन पक्षकारों जिन्होंने अपने पक्ष में कुछ तथ्यों पर विश्वास किया है को उसके प्रमाण के रूप में साक्ष्य देना है। याचिकाकर्ताओं ने यह दावा किया है कि विरुपण और इजिप्ट में विशेष बाजार की स्थिति में कोई साक्ष्य इस बात के लिए उपलब्ध कराया है जो यह सिद्ध करता हो कि इजिप्ट में लागतों को या तो सरकार द्वारा नियंत्रित किया जाता है अथवा उसे गलत तरीके से पेश किया जाता है।

बब. तुर्की और यूरोपीय कमीशन दोनों ने घरेलू टैरिफ क्षेत्र को अपने मंजूरी के आधार पर जुसी इजिप्ट के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण किया और विशेष बाजार की स्थिति नहीं पाई। तुर्की और यूरोपीय यूनियन ने इजिप्ट से विचाराधीन उत्पाद के आयातों के विरुद्ध पाटनरोधी जांच समाप्त कर दी।

भभ. इसके अलावा, यू एस डी ओ सी ने भारत से नये न्यूमेटिक ऑफ द रोड टायरों के आयातों के संबंध में जांच में घरेलू टैरिफ क्षेत्र को अपनी मंजूरियों के आधार पर एस ई जैड में प्रचालनरत इकाईयों के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण किया।

मम. आगे कोई समायोजन आवश्यक नहीं है क्योंकि प्राधिकारी ने पहले ही जुसी इंडिया के घाटे के संबंध में समायोजन किया है।

यय. भारित औसत सामान्य मूल्य और अलग अलग निर्यात कारोबार की कीमतों पर विचार करते हुए निर्धारित पाटन मार्जिन विशेष रूप से लक्षित पाटन के मुद्दे का समाधान करने के उद्देश्य से है। घरेलू उद्योग से सर्वप्रथम यह अपेक्षित है कि वे निर्यात कीमतों के पैटर्न का पता लगायें जो अलग अलग खरीददारों, क्षेत्रों अथवा समयावधि में काफी हद तक अलग अलग है। भारित औसत लेकर लेन देन पद्धति को तभी अपनाया जा सकता है जब इस प्रकार के पैटर्न की पहचान की जाती है। इस प्रकार के पैटर्न में केवल अदृश्या कीमत अंतर शामिल नहीं है। घरेलू उद्योग द्वारा इस संबंध में कोई व्याख्या नहीं दी गई है की क्यों अलग अलग निर्यात लेन देन सभी पाटनरोधी जांचों में प्राधिकारी द्वारा लागू की गई नियमित पद्धति तुलना का उपयोग करते हुए विचार नहीं किया जा सकता है।

ककक. ग्लास फाइबर पर पाटनरोधी शुल्क लगाना जनहित के विरुद्ध होगा क्योंकि इसका गैर औद्योगिक उद्देश्यों तथा औद्योगिक उद्देश्यों से व्यापक उपयोग होता है। घरेलू उद्योग के पास प्रयोक्ता उद्योग द्वारा अपेक्षित ग्लास फाइबर के विभिन्न प्रकारों का निर्माण करने के लिए प्रौद्योगिकी और क्षमता का अभाव है।

खखख. गोवा ग्लास फाइबर का उत्पादन में *** प्रतिशत हिस्सा है लेकिन इसका अधिग्रहण अल्ट्राटेक द्वारा कर लिया गया है और इसका भविष्य अब अनिश्चित है। यदि पाटनरोधी शुल्क लगाया जाता है तब ओ सी आई पी एल अपनी कीमतों को एकपक्षीय रूप से बढ़ाने में सक्षम नहीं होगा क्योंकि इसका भारतीय बाजार पर एकाधिकार होगा। ओ सी आई पी एल अक्टूबर 2020 से अपनी कीमतों में धीरे धीरे प्रत्येक तिमाही में बढ़ाता रहा है जो प्रयोक्ता उद्योग पर भार डालेगा।

गगग. घरेलू उद्योग ने इस जांच की शुरुआत के बाद अपनी कीमतों में वृद्धि की है जिसने प्रयोक्ताओं के कार्य निष्पादन को प्रभावित किया है। इन कीमतों को 2021 में 5 बार बढ़ाया गया है।

घघघ. केंद्र सरकार ने प्राधिकारी द्वारा सकारात्मक सिफारिश के बावजूद व्यापक जनहित को ध्यान में रखकर चीन जन. गण. से आयातों पर पाटनरोधी शुल्क का विस्तार नहीं किया है। प्राधिकारी को वर्तमान जांच में भी निहित व्यापक जनहित पर विचार करना चाहिए।

ङङङ. कीमत वचन पत्र के स्वीकार करने को पी सी एन के निर्धारण के लिए एक अलग मुद्दे के रूप में नहीं माना जा सकता है क्योंकि कीमत वचन पत्र निष्पक्ष तुलना के आधार पर निर्धारित पाटन मार्जिन पर आधारित होना चाहिए।

चचच. घरेलू उद्योग के इस तर्क के संबंध में की क्योंकि जी सी सी – टी एस ए आई पी ने भारतीय टाइल निर्यातकों द्वारा पेशकश किया गया कीमत वचन पत्र करने से इनकार किया है, भारतीय प्राधिकारी को इस तथ्य पर विचार करने से भी इनकार करना चाहिए कि कीमत वचन पत्र प्राकृतिक न्याय के नियमों के विरुद्ध है।

छछछ. चूंकि चीन जन. गण. संबद्ध वस्तुओं के आयातों के विरुद्ध जांच की अवधि वही रहने जो वर्तमान जांच में जांच की अवधि है, के बावजूद नहीं लगाया गया था; बहरीन से आयातों के विरुद्ध शुल्कों को लगाना भेदभावपूर्ण होगा और पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 9 के विरुद्ध होगा।

ट.1 क. सीमित पोस्ट-जुशी मिस्र को जारी प्रकटीकरण

88. **09.11.2021** को पोस्ट-डिस्क्लोजर सुनवाई के बाद जुशी मिस्र को जारी किए गए सीमित पोस्ट-डिस्क्लोजर स्टेटमेंट के जवाब में जुशी मिस्र से निम्नलिखित टिप्पणियां प्राप्त हुईं।

i. प्राधिकारी ने निवल कारखाना-द्वार निर्यात कीमत निकालने के लिए जूशी इंडिया की केवल हानि को समायोजित करके सही दृष्टिकोण अपनाया है।

ii. प्राधिकारी ने प्रकटन विवरण में एक टिप्पणी दी है कि विश्व व्यापार संगठन के प्रावधान और भारतीय विनियम, लाभ के लिए समायोजन का भी प्रावधान करते हैं। यह अवलोकन सही नहीं है। पाटनरोधी करार के अनुच्छेद **2.4** में लाभ के समायोजन का प्रावधान है। तथापि, यूएस-स्टेनलेस स्टील (डीएस **179)** में विश्व व्यापार संगठन पैनल ने माना है कि अनुच्छेद 2.4 लाभ के अनिवार्य समायोजन पर विचार नहीं करता है क्योंकि उपयोग किया जाने वाला शब्द 'चाहिए' (Should) है, जो गैर-अनिवार्य है। अनुच्छेद 2.4 में वास्तव में यह नहीं कहा गया है कि हानि साथ ही लाभ दोनों को कारखाना-द्वार निर्यात कीमत में समायोजित किया जाना चाहिए। कारखाना-द्वार निर्यात कीमत का निर्माण करते समय, एलडी. प्राधिकारी के पास या तो अनुच्छेद 2.4 को लागू करने का विवेक है या वह प्रावधान से विचलित होने और किसी अन्य भत्ते के लिए समायोजन करने का निर्णय ले सकता है जैसे कि "हानि" को समायोजित करना।

iii. लाभ को समायोजित करने के लिए, एल.डी. प्राधिकारी को तथ्यात्मक और सकारात्मक साक्ष्य के साथ यह भी जानना चाहिए कि भारत में जांच की अवधि के दौरान संबद्ध वस्तु के एक असंबंधित पुनर्विक्रेता द्वारा क्या लाभ अर्जित किया गया है। मौजूदा मामले में एल.डी. प्राधिकारी ने जूशी इंडिया के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों से हानि की विधिवत जांच/सत्यापन किया है और तदनुसार, एल.डी. प्राधिकारी ने वस्तुनिष्ठ आधार पर हानि समायोजन किया है।

iv. प्राधिकारी ने प्रकटन विवरण में एक टिप्पणी दी है कि इस दावे का समर्थन करने के लिए कोई साक्ष्य प्रदान नहीं किया गया है कि घरेलू और निर्यात बाजार के लिए पैकेजिंग लागत समान है। यह प्रश्न प्राधिकारी द्वारा शुक्रवार 26 नवंबर 2021 को पोस्ट बिजनेस आवर में उठाया गया था। प्रकटीकरण विवरण अगले दिन शनिवार दोपहर (मिस्र में दोनों गैर-कार्य दिवस) जारी किया गया था जिसमें उक्त अवलोकन शामिल था। हमने 29 नवंबर 2021 को पूर्वाह्न 1:16 बजे ईमेल के माध्यम से विस्तृत स्पष्टीकरण और साक्ष्य को रिकॉर्ड में रखा है। जैसा कि उक्त ई-मेल में बताया गया है, ग्लास फाइबर के गुणों यानी 'अपघर्षकता और उत्पाद पर लेपित आकार' को बनाए रखने के लिए, ग्लास फाइबर पैकेजिंग को जुशी मिस्र द्वारा सभी उत्पादों में मानकीकृत किया गया है और इस प्रकार, घरेलू बिक्री और निर्यात बिक्री के लिए पैकेजिंग में कोई अंतर नहीं है। घरेलू लदान ट्रकों में किया जाता है। निर्यात के लिए, उत्पादों को 20 फीट या 40 फीट विधिवत फ्यूमिगेटेड कंटेनर में भेज दिया जाता है। कंटेनर लागत को लदान/माल ढुलाई लागत में बनाया गया है जैसा कि सत्यापन चर्चा के दौरान समझाया गया था। इसलिए, घरेलू बाजार में बिक्री और भारत में निर्यात दोनों के लिए पैकेजिंग समान है, और जूशी मिस्र का घरेलू बिक्री और निर्यात बिक्री के लिए समान पैकेजिंग लागत का दावा उचित है। इसे वर्चुअल सत्यापन या ऑन-साइट सत्यापन पर सत्यापित किया जा सकता है।

v. प्रकटीकरण विवरण में यह कहा गया है कि जुशी मिस्र द्वारा दावा किए गए पैकेजिंग व्यय को घरेलू बिक्री और निर्यात बिक्री दोनों से घटा दिया गया है। तथापि, ऐसा प्रतीत होता है कि विभिन्न पैकेजिंग व्यय को घरेलू बिक्री मूल्य और कारखाना बाह्य निर्यात कीमत से कम किया गया है, जिससे जुशी मिस्र के लिए सकारात्मक पाटन मार्जिन हुआ है। तथापि, जुशी मिस्र ने घरेलू बिक्री और निर्यात बिक्री दोनों के लिए समान

पैकेजिंग खर्च का दावा किया है। हम एलडी प्राधिकारी से अनुरोध करते हैं कि इस संबंध में हमारे अनुरोधों को रिकॉर्ड में लें और यह निष्कर्ष दें कि क्या समान या भिन्न पैकेजिंग व्यय को घरेलू बिक्री मूल्य और कारखाना-बाह्य निर्यात कीमत से घटाया गया है।

vi. अनेक सत्यापन चर्चाओं और लिखित प्रस्तुतियों के दौरान, यह साक्ष्य के साथ पहले ही स्थापित हो चुका है कि सीमा शुल्क जुशी मिस्र द्वारा बुक किए गए कच्चे माल की लागत का हिस्सा है, जो उत्पादन की लागत का हिस्सा है। चूंकि जूशी मिस्र ने जांच की अवधि के दौरान घरेलू बाजार में अपने माल को अच्छे लाभ पर बेचा है, यह स्पष्ट है कि जुशी मिस्र ने अपनी पूरी उत्पादन लागत (जिसमें कच्चे माल की लागत शामिल है, जिसमें सीमा शुल्क शामिल है) की वसूली की है। मिस्र का एसईजेड कानून एसईटीसी क्षेत्र में स्थित इकाइयों द्वारा सीमा शुल्क के भुगतान पर भी बहुत स्पष्ट है।

vii. याचिकाकर्ताओं ने पीएमएस से संबंधित मुद्दों को काफी देर से उठाया है। पीएमएस के दावे का समर्थन करने के लिए कोई सबूत भी रिकॉर्ड में नहीं रखा गया था। याचिकाकर्ता सब्सिडी रोधी मामलों में यूरोपीय आयोग द्वारा पारित आदेशों पर भरोसा कर रहे हैं, जो वर्तमान पाटनरोधी जांच के लिए प्रासंगिक नहीं हैं।

viii. अन्य जांच प्राधिकारियों द्वारा दिए गए निष्कर्षों को डीजीटीआर द्वारा अंकित मूल्य पर स्वीकार नहीं किया जाता है, क्योंकि डीजीटीआर एडी नियमों के प्रावधानों के संदर्भ में रिकॉर्ड पर तथ्यों और साक्ष्य की जांच करने के बाद कानूनी रूप से अपने निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए बाध्य है। केवल अन्य जांच प्राधिकारियों के निष्कर्षों की नकल करना पर्याप्त नहीं है, क्योंकि पीएमएस दावे को प्रमाणित करने के लिए तथ्यात्मक साक्ष्य को रिकॉर्ड में लाया जाना चाहिए। प्राधिकारी ने इंडोनेशिया में पीएमएस के दावे के संबंध में इंडोनेशिया और सिंगापुर से अनकोटेड कॉपियर पेपर में हाल ही में जारी निर्णायक समीक्षा के अंतिम निष्कर्षों में यह स्थिति ली है। वर्तमान मामले में, याचिकाकर्ताओं ने मिस्र के संबंध में अपने पीएमएस दावे का समर्थन करने के लिए कोई तथ्यात्मक साक्ष्य रिकॉर्ड में नहीं रखा है। एक एसईजेड में जुशी मिस्र की उपस्थिति अपने आप में संबद्ध वस्तुओं के घरेलू बाजार में पीएमएस स्थापित करने के लिए पर्याप्त नहीं है। इसके अलावा, याचिकाकर्ता यह स्थापित करने में भी विफल रहे हैं कि कैसे कथित पीएमएस के अस्तित्व ने सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9 क (1) (ग) (ii) के तहत जुशी मिस्र के कारखाने के निर्यात मूल्य के साथ तुलनीय सामान्य मूल्य नहीं बनाया है।

ix. प्राधिकारी से अंतिम जांच परिणाम में स्पष्ट करने का अनुरोध किया जाता है कि केवल असेंबल रोविंग के संबंध में, सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के लिए असंबंधित पार्टी को घरेलू बिक्री पर विचार किया गया है। और अन्य पीसीएन जैसे डीआर, सीएस और सीएसएम के संबंध में, सामान्य मूल्य निर्धारित करने के लिए सभी घरेलू बिक्री (संबंधित और असंबंधित पार्टियों को) पर विचार किया गया है।

x. जुशी मिस्र द्वारा संबंधित पक्षों को की गई सभी बिक्री लगभग बराबर थी जो बिक्री के विस्तृत सत्यापन और सत्यापन के दौरान जुशी मिस्र द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों से स्पष्ट है। इसके अलावा, असेंबल रोविंग्स (एआर) को चार ग्रेडों ए, बी, सी और डी में बेचा गया था और ग्रेड ए की कीमतों की तुलना ग्रेड ए से की जानी चाहिए; ग्रेड बी के साथ ग्रेड बी और इसी तरह यह स्थापित करेगा कि संबंधित पार्टियों को एआर की बिक्री पीओआई के दौरान असंबंधित पार्टियों को की गई बिक्री के तुलनीय कीमतों पर थी। यह विधिवत रूप से परिशिष्ट 3 क और 3 ख और परिशिष्ट 4 क और 4 ख में सूचित किया गया है। इसके अलावा, एआर की संबंधित पार्टी की बिक्री की अनदेखी करते हुए केवल असंबंधित पार्टी बिक्री का विचार मनमाना है और एडी नियमों में इसका कोई आधार नहीं है।

xi. बिना किसी पूर्वाग्रह के, जुशी मिस्र की गणना के अनुसार, प्रकटीकरण विवरण में वर्णित प्राधिकारी की कार्यप्रणाली लागू होने पर भी जुशी मिस्र का पाटन मार्जिन अभी भी न्यूनतम है। अत: हम एलडी प्राधिकारी से पाटन मार्जिन की गणना के लिए एमएस एक्सेल की कार्यप्रणाली को हमारे साथ साझा करने का अनुरोध करते हैं ताकि हम गणनाओं की समीक्षा कर सकें और उचित टिप्पणी कर सकें।

xii. जुशी मिस्र ने जुशी मिस्र द्वारा दावा की गई कटौतियों पर रिकॉर्ड साक्ष्यों को यह प्रमाणित करने के लिए रखा है कि भुगतान वास्तव में जुशी मिस्र द्वारा समुद्री माल, बीमा, अंतर्देशीय परिवहन और बंदरगाह हैंडलिंग के संबंध में किए गए हैं।

ट.1 ख घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

89. घरेलू उद्योग द्वारा तीसरी मौखिक सुनवाई के बाद निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

क. उपयोक्ताओं को सुनवाई का उचित अवसर प्रदान किया गया है, और प्राधिकारी द्वारा उनकी सुनवाई से पहले कोई निर्णय नहीं लिया गया था। उपयोक्ता उसी क्षण सुनवाई की अपेक्षा नहीं कर सकते जब वे इसकी मांग करते हैं। तुलना करके, तीसरी सुनवाई की गई क्योंकि प्राधिकारी अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले घरेलू उद्योग और सीपीआईसी बहरीन द्वारा किए गए अनुरोधों पर विचार करना और उनकी जांच करना चाहते थे।

ख. प्रयोक्ताओं के निराधार आरोपों के विपरीत, सुनवाई घरेलू उद्योग के "इशारे पर" के रूप में नहीं की गई थी। बल्कि, सुनवाई के दायरे में तीन प्रमुख मुद्दे शामिल थे, जिनमें से दो निर्यातक से संबंधित थे। सुनवाई का उद्देश्य केवल प्राधिकारी को वर्तमान मामले से संबंधित कारकों के संबंध में एक सुविचारित निष्कर्ष पर पहुंचने की अनुमति देना था।

ग. ऐसे अनेक मामले हैं जहां जांच की अवधि अनुमत अवधि की समाप्ति के बाद बढ़ा दी गई है, जैसे कि आईपीए के मामले में हुआ। कुम्हो पेट्रोकेमिकल्स के मामले में निर्णय उन मामलों के तथ्यों पर आधारित है जिन पर प्रतिवादी द्वारा भरोसा किया गया है, अप्रासंगिक है।

घ. अनेक जांचों में, प्रकटीकरण विवरण जारी करने के बाद भी सुनवाई की गई है।

ङ. सभी तथ्यों को प्राधिकारी के समक्ष लाना निर्यातक का उत्तरदायित्व है। यदि निर्यातक प्राधिकारी के समक्ष तथ्यों का खुलासा करने में विफल रहते हैं तो घरेलू उद्योग को इस मुद्दे को उठाने के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जाएगा।

च. प्रकटीकरण वक्तव्य का उद्देश्य हितबद्ध पक्षकारों को अपने हितों की रक्षा करने की अनुमति देना है। जैसा कि निरमा लिमिटेड के मामले में उच्च न्यायालय द्वारा आयोजित किया गया था, प्रकटीकरण विवरण प्रारूप आदेश की प्रकृति का नहीं है। इसलिए, उपयोगकर्ताओं के तर्क के विपरीत, प्रकटीकरण के बाद के परिवर्तन सकल भूल-चूक के सुधार तक सीमित नहीं हैं।

छ. एच-ग्लास को शामिल करने से संबंधित मुद्दा चीन जन.गण. से संबंधित निर्णायक समीक्षा में पहले ही सुलझा लिया गया है, और वर्तमान मामले में एक अलग दृष्टिकोण नहीं लिया जा सकता है।

ज. सीपीआईसी बहरीन द्वारा प्रस्तावित पीसीएन पर आधारित सशर्त मूल्य वचनबद्धता उपयुक्त नहीं है। जबकि घरेलू उद्योग को बिना शर्त मूल्य वचनबद्धता को स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं है, बहरीन सरकार ने भारतीय टाइल उत्पादकों द्वारा प्रस्तावित मूल्य वचनबद्धता को अस्वीकार कर दिया।

झ. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के दावों के विपरीत, याचिका में स्वयं प्रस्तावित पीसीएन पद्धति का पता चला। यह दावा नहीं किया जा सकता है कि प्राधिकारी ने याचिका को स्वीकार कर लिया लेकिन पीसीएन को खारिज कर दिया।

ञ. प्रतिवादी के इस तर्क में कोई दम नहीं है कि उत्पाद का दायरा यदि सामान्य है, तो समान उत्पाद कार्यक्षेत्रों को अनेक जांचों में परिभाषित किया गया है।

ट. डायरेक्ट रोविंग, असेंबल रोविंग, कटा हुआ स्ट्रैंड और कटा हुआ स्ट्रैंड मैट ग्लास फाइबर के प्रकार हैं, जिनकी कीमत और लागत में महत्वपूर्ण अंतर है।

ठ. एक ओर, निर्यातक ने तर्क दिया है कि प्राधिकारी प्रकटीकरण विवरण के लिए अपने द्वारा अपनाई गई पीसीएन पद्धति का उपयोग नहीं कर सकता क्योंकि इसे 60 दिनों के भीतर अधिसूचित नहीं किया गया था। दूसरी ओर, निर्यातक चाहता है कि प्राधिकारी इस स्तर पर एक अलग पीसीएन पद्धति अपनाए।

ड. जबकि निर्यातक द्वारा स्पष्ट किए गए उत्पाद प्रकारों की वास्तविक विशेषताओं में अंतर है, लेकिन कीमत और लागत में कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं है।

ढ. सीपीआईसी यह प्रदर्शित करने में विफल रहा कि भौतिक विशेषताओं में अंतर मूल्य तुलनीयता को प्रभावित कर रहा है। यूएस-सॉफ्टवुड लम्बर V में पैनल ने माना कि सभी अंतरों के लिए समायोजन करने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये केवल उन अंतरो के लिए है जो कीमत की तुलना को प्रभावित करते हैं।

ण. बहरीन से ***% आयात प्रत्यक्ष रोविंग का है जिसमें से ***% आरओडीआई 48 है और ***% आरओडीआई 24 है। रोविंग के ***% आयात की तुलना केवल ***% का अंतर दर्शाती है।

त. सीपीआईसी द्वारा प्रस्तावित पीसीएन पद्धति के अनुसार अन्य उत्पाद प्रकारों की कीमत में अंतर हो सकता है लेकिन ऐसे उत्पाद प्रकार की मात्रा कम है।

थ. जहां तक उत्पादन लागत में अंतर का संबंध है, घरेलू उद्योग ने बड़े पैमाने पर आरओडीआई 06, आरओडीआई 12, आरओडीआई 24 और आरओडीआई 48 का उत्पादन किया है। इन पीसीएन की उत्पादन लागत में अंतर ***% से कम है।

द. यदि ***% से कम का अंतर किसी भिन्न पीसीएन को उचित ठहराता है, तो निर्यातक ने उसके द्वारा निर्यात किए गए व्यक्तिगत पीसीएन की कीमतों में व्यापक अंतर को उचित नहीं ठहराया है। सीपीआईएस ने मात्रा तुलनीय होने के बावजूद ***प्रति मीट्रिक टन से रु. ***प्रति मीट्रिक टन से लेकर कीमत पर आरओडीआई 24 को और***प्रति मीट्रिक टन से रु. *** प्रति मीट्रिक टन से लेकर कीमत पर आरओडीआई 48 का निर्यात किया है। इस प्रकार, पीसीएन में किसी संशोधन की आवश्यकता नहीं है।

ध. हितबद्ध पक्षकारों के दावे के विपरीत, घरेलू उद्योग ने आवेदन स्तर पर वित्त लागत का मुद्दा उठाया है, लेकिन इस संबंध में प्राधिकारी द्वारा कुछ भी अवलोकन नहीं किया गया है।

न. घरेलू उद्योग ने कतिपय तथ्यों को स्थापित करने के लिए केवल यूरोपीय आयोग के निष्कर्षों पर भरोसा किया है। तथापि, घरेलू उद्योग ने यह मांग नहीं की है कि प्राधिकारी यूरोपीय आयोग द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण को अपनाएं। घरेलू उद्योग निर्दिष्ट प्राधिकारी से प्रासंगिक तथ्यों पर विचार करने और अपने स्वयं के निर्धारण पर पहुंचने का अनुरोध करता है ।

प. घरेलू उद्योग ने अपने संबंधित पक्षों को जुशी मिस्र द्वारा अपने कच्चे माल की बिक्री से संबंधित केवल कपड़ों से संबंधित निष्कर्षों पर भरोसा किया, जो कि यहां विचाराधीन उत्पाद है।

फ. जुशी मिस्र का यह तर्क कि नकारात्मक पाटन मार्जिन के कारण यूरोपीय संघ में घरेलू उद्योग द्वारा वापस लिए गए ग्लास फाइबर के आयात से संबंधित पाटनरोधी जांच में कोई दम नहीं है, क्योंकि यह निराधार है।

ब. मिस्र सरकार को सीवीडी प्रश्नावली जारी करने के जुशी के अनुरोध के संबंध में, इस बात पर जोर दिया गया था कि घरेलू उद्योग ने प्राधिकारी से प्रदान की गई सब्सिडी की प्रतिपूर्ति और मात्रा की जांच करने का अनुरोध किया है, लेकिन इस बात पर प्रकाश डाला है कि एक विशेष बाजार स्थिति मौजूद है, जो उचित तुलना को रोकती है।

भ. जूशी ने ग्लास फायबर के आयात से संबंधित पाटनरोधी जांच में यूरोपीय आयोग के निष्कर्षों पर भरोसा किया है, लेकिन यह उजागर करने में विफल रहे कि उस मामले में घरेलू उद्योग ने मिस्र में महत्वपूर्ण विकृतियों का भी आरोप लगाया था, जिसकी जांच यूरोपीय आयोग द्वारा नहीं की जा सकती थी। कानून ने उन्हें आवेदन के बाद इस तरह के अनुरोधों पर विचार करने से रोक दिया। जबकि निर्यातक ने दावा किया है कि भारत में समान स्थिति मौजूद है, वे यह समझाने में विफल रहे हैं कि भारतीय कानून बाद के चरण में अनुरोधों पर विचार करने से कैसे रोकता है।

म. यूरोपीय संघ, संयुक्त राज्य अमेरिका और तुर्की के निष्कर्षों पर निर्भरता उचित नहीं है क्योंकि इन देशों में प्रथा अलग होगी कि भारत में यह प्रथा कि एसईजेड इकाई के उत्पादन को घरेलू उत्पादन का हिस्सा नहीं माना जाता है।

य. चीन की सरकारों की भागीदारी के संबंध में, यह अनुरोध किया गया था कि पाटनरोधी नियमावली के नियम 6 के प्रावधानों के अनुसार, निर्दिष्ट प्राधिकारी केवल संबद्ध देश में उत्पादकों और संबद्ध देश की सरकार को सूचित करने के लिए बाध्य है। वर्तमान मामले में मिस्र सरकार को अधिसूचित किया गया था। इसके अलावा, जुशी और मिस्र की सरकार एसईटीसी ज़ोन से संबंधित तथ्यों से अनभिज्ञ होने का दावा नहीं कर सकती।

कक. जुशी मिस्र के लिए सामान्य मूल्य उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निर्धारित किया जाना चाहिए क्योंकि उसने दायर किए गए जवाब में तथ्यों को गलत तरीके से प्रस्तुत किया था। तथापि, इसने दावा किया कि कच्चे माल के आयात के लिए कोई आयात शुल्क का भुगतान नहीं किया गया था, बाद में उसने कहा कि घरेलू बाजार में तैयार माल बेचे जाने पर आयातित कच्चे माल पर सीमा शुल्क का भुगतान करना आवश्यक है।

खख. यह सरल तर्क कि एसईजेड कानून एसईटीसी क्षेत्र की स्थापना से पहले पेश किया गया था, स्वीकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि घरेलू उद्योग द्वारा भरोसा किए गए साक्ष्य न केवल एसईजेड कानून को संदर्भित करते हैं, बल्कि भारत और चीन के बीच सहयोग समझौते को भी संदर्भित करते हैं।

गग. जुशी मिस्र ने अपनी प्रतिक्रिया में गलत तरीके से प्रस्तुत किया है कि उसे कच्चे माल के आयात पर शुल्क का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं थी, जबकि बाद में उसने कहा है कि उन्होंने कच्चे माल के आयात पर शुल्क का भुगतान किया है।

घघ. एसईजेड इकाइयों द्वारा डीटीए क्षेत्र में बिक्री को घरेलू बिक्री या व्यापार के सामान्य पाठ्यक्रम में बिक्री के रूप में नहीं माना जा सकता है क्योंकि एसईटीसी क्षेत्र को एक अलग सीमा शुल्क क्षेत्र माना जाता है। मिस्र में एसईटीसी क्षेत्र में निर्मित उत्पाद की बिक्री को आयात के रूप में माना जाता है। एसईजेड को घरेलू बाजार से अलग मानना प्राधिकारी का एक सतत कार्य है।

ङङ. जुशी मिस्र के संबंध में एक विशेष बाजार की स्थिति है और इसके द्वारा की गई बिक्री व्यापार के सामान्य क्रम में नहीं है क्योंकि जुशी मिस्र द्वारा बिक्री की मात्रा कम है और यह घरेलू बिक्री मूल्य का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकती है।

चच. एसईजेड कानून में कहा गया है कि आर्थिक क्षेत्रों की एक विशेष प्रकृति होती है और ऐसे क्षेत्र में उत्पादक अपने उत्पादों को स्थानीय बाजार में निर्यात कर सकते हैं। एसईजेड में किसी भी यूनिट को डीटीए में अपने उत्पादन का स्वतंत्र रूप से निपटान करने की अनुमति नहीं है।

छछ. मिस्र से एसईटीसी ज़ोन की बिक्री को विदेशों में निर्यात के रूप में माना जाता है और इस प्रकार, घरेलू क्षेत्र से खरीदे गए किसी भी इनपुट पर कोई स्थानीय कर का भुगतान नहीं किया जाता है और उत्पादन की लागत में स्थानीय कर या शुल्क शामिल नहीं होते हैं। जुशी मिस्र को घरेलू टैरिफ क्षेत्र में स्थित होने पर करों का भुगतान करना होगा।

जज. एसईजेड कानून का उद्देश्य विदेशों में अपने समकक्षों के साथ प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम परियोजनाओं की स्थापना करना है।

झझ. मिस्र की सरकार ने एसईजेड प्राधिकारी को राज्य की भूमि और भवन का स्वामित्व हस्तांतरित कर दिया है, निधियां और वस्तु रूप में संपत्ति प्रदान की है। सार्वजनिक प्राधिकरणों को विनियमित करने वाले कानून एसईजेड प्राधिकारी पर लागू नहीं होते हैं।

ञञ. एसईजेड को राज्य के संसाधनों को बढ़ाने के लिए बिक्री कर, राजकोषीय टिकटों और शुल्क से संबंधित कानूनों से छूट दी गई है, न ही किसी अन्य शुल्क या प्रत्यक्ष/ अप्रत्यक्ष करों से।

टट. चूंकि मिस्र में कोई अन्य उत्पादक नहीं है और एसईटीसी ज़ोन से डीटीए तक की बिक्री प्रतिबंधों के अधीन है, इसका अर्थ है कि मिस्र में उत्पाद की आपूर्ति प्रतिबंधित है, बाजार की स्थितियों को विकृत कर रही है।

ठठ. जुशी मिस्र एक सरोगेट चीनी उत्पादक है क्योंकि यह एसईटीसी ज़ोन में स्थित है जो चीन जन.गण. का विस्तार है और चीन जन.गण. ने ज़ोन में संस्थाओं की स्थापना के लिए महत्वपूर्ण सहायता प्रदान की है। इसे चीनी स्वामित्व वाले बैंकों से अधिमानी दरों पर धन प्राप्त हुआ है। जुशी मिस्र, जुशी चीन की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है, जिसमें चीन सरकार की हिस्सेदारी है। जुशी मिस्र ने सीमा शुल्क से मुक्त कच्चा माल खरीदा और जुशी चीन से रॉयल्टी के भुगतान के बिना प्रौद्योगिकी प्राप्त की। इसका प्रबंधन चीनी प्रबंधकों द्वारा किया जा रहा है और यह जुशी चीन द्वारा लिए गए निर्यात क्रेडिट बीमा का हिस्सा है। जुशी मिस्र की स्थापना जुशी चीन द्वारा विभिन्न न्यायालयों द्वारा उस पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्क से बचने के लिए की गई थी। जुशी मिस्र को मिस्र टीईडीए इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड से भूमि प्राप्त हुई है, जिसमें चीनी राज्य के स्वामित्व वाली इकाई की **80%** हिस्सेदारी है।

डड. जुशी का यह दावा कि वह 2000 स्थानीय लोगों को रोजगार देता है, तथ्यात्मक रूप से गलत प्रतीत होता है।

ढढ. जुशी इजिप्ट को कमतर दर पर यूटिलिटी उपलब्ध है क्योंकि वह एसईटीसी जोन में स्थित है और प्राधिकारी द्वारा इसकी जांच की जानी चाहिए।

णण. जुशी इजिप्ट ने उचित लाभ अर्जित किया है क्योंकि इसके उत्पादन की लागत विकृत हो गई है। यदि इस विकृति को समाप्त कर दिया जाता है, तो कोई भी लाभ के योग्य बिक्रियां नहीं होगी।

तत. जहां तक चीन में संगत पक्षकारों से इनपुट की खरीद का संबंध है, घरेलू उद्योग ने यह अनुरोध किया है कि इनपुट में कच्ची सामग्री, वित्त, सेवाएं, पूंजीगत वस्तुएं, प्रौद्योगिकी और श्रम शामिल हैं। इसके अलावा, अन्तर्राष्ट्रीय कीमत के स्रोत पर जुशी द्वारा भरोसा किया गया है, यह साक्ष्य नहीं है। घरेलू उद्योग की खरीद कीमत पर इस संबंध में विचार किया जाए।

थथ. चूंकि रबर कैमिकल के मामले में जांच परिणामों की न्यायाधिकरण और उच्चतम न्यायालय द्वारा पुष्टि की गई थी, अन्य जांचों पर भरोसा उचित नहीं है।

दद. आस्ट्रेलिया-ए4 पेपर के संबंध में जांच में, पैनल ने यह नोट किया कि एक बार जांच प्राधिकारी ने यह पाया है कि रिकॉर्ड में लागतें उचित तरीके से दर्शाई गई हैं,और रिकॉर्ड जीएएपी के अनुरूप हैं, तो इसके बावजूद ऐसे रिकॉर्ड का उपयोग करने की बाध्यता से बच नहीं सकता।

धध. हितबद्ध पक्षकारों के दावे के प्रतिकूल, घरेलू उद्योग ने इजिप्ट के लिए एक गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के रूप में व्यवहार किए जाने का अनुरोध नहीं किया है।

नन. चूंकि चीन जन.गण. को उसी उत्पाद के लिए पाटनरोधी जांच में एक गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के रूप में माना गया है और यही स्थिति जुशी इजिप्ट के लिए लागू होती है, अत: इसमें एक विशिष्ट बाजार स्थिति मौजूद है।

पप. चूंकि घरेलू बिक्री कीमत और जुशी इजिप्ट की उत्पादन की लागत, दोनों अविश्वसनीय हैं, अत: सामान्य मूल्य का निर्धारण, तीसरे देशों की निर्यात कीमत के आधार पर किया जाना चाहिए।

फ फ. इजिप्ट में संबद्ध वस्तुओं के महत्वपूर्ण आयात हैं जिसमें अधिकांश चीन से हैं। गैर चीन स्रोतों से इजिप्ट में आयात भारत में इजिप्ट से आयातों की कीमत इसके परिणाम स्वरूप इजिप्ट में घरेलू बिक्री कीमत की तुलना में काफी अधिक कीमतों पर हैं।

बब. जुशी इजिप्ट ने इनपुट की खरीद पर कुछ भी प्रस्तुत नहीं किया है जैसे जुशी चीन अथवा अन्य संबद्ध पक्षकारों से धनराशि, प्रौद्योगिकी, श्रम, सेवाएं या पूंजीगत वस्तुएं। पीएक्स-13 जांच में, प्राधिकारी ने उत्पादक के उत्पादन की लागत को समायोजित किया है क्योंकि उसे चीन की संस्था से इनपुट प्राप्त हुए हैं, जिसके साथ उत्पादक का एक विशेष संबंध था। वर्तमान जांच में, जुशी चीन और जुशी इजिप्ट के बीच एक प्रत्यक्ष कानूनी संबंध है।

भभ. चूंकि जुशी चीन गैर-बाजार स्थितियों के अन्तर्गत संचालित हो रहा है, अत: जुशी चीन से खरीदे गए इनपुट की कीमत जैसी है, वैसी स्वीकार नहीं की जा सकती, और इसकी अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों से तुलना की जानी चाहिए। इनपुट में कच्ची सामग्रियां, यूटिलिटी, निवेश, प्रौद्योगिकी, मैनपावर और विपणन सेवाएं।

मम. जुशी इजिप्ट के संबंध में स्थिति विशिष्ट बाजार स्थिति के अन्तर्गत आती हैं, जैसा कि घरेलू आपूर्ति पर प्रतिबंधों, सरकारी सहायता कार्यक्रमों, विकृत इनपुट लागतों और सरकारी हस्तक्षेपों के परिणामस्वरूप परिस्थितियों के संदर्भ में जिनमें सामान्य बाजार स्थितियां अथवा आपूर्ति और मांग की पद्धति नहीं आती, सरकारी विनियमों के कारण सीबीएसए द्वारा परिभाषित किया गया है।

यय. जुशी इजिप्ट ने आर्म्स लेंथ कीमतों पर इजिप्ट में अपनी संगत संस्था को संबद्ध वस्तुओं की बिक्री की है।

ककक. जुशी इजिप्ट ने जुशी भारत को आपूर्ति की है, जिसने नुकसान पर वस्तुओं का व्यापार किया है। केवल नुकसानों की कटौती ही पर्याप्त नहीं है और भारत में एक व्यापारी के औसत लाभों के आधार पर लाभों की कटौती भी की जानी चाहिए, जैसा कि उसी आयातक के लिए चीन से ग्लास फाइबर और तत्संबंधी वस्तुओं के आयातों पर पाटनरोधी जांच में किया गया है। सौमित इंटरग्लोब प्राइवेट लिमिटेड के वित्तीय विवरणों के अनुसार व्यापारियों द्वारा *** प्रतिशत लाभ अर्जित किए गए हैं। भारत और इंडोनेशिया से स्टेनलेस स्टील कोल्ड रोल्ड फ्लेट उत्पादों में ईसी ने

संगत आयातक द्वारा विचार किए गए वास्तविक लाभों पर विचार नहीं किया, बल्कि इसकी बजाय निर्यात कीमत के निर्धारण के लिए एक तर्कसंगत असंगत आयातक के लाभ पर विचार किया।

खखख. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों के प्रतिकूल कि याचिकाकर्ता द्वारा बताए गए कारकों को एक प्रतिसंतुलनकारी जांच में शामिल किया जा सकता है, आस्ट्रेलिया ए4 कॉपी पेपर में पैनल ने यह निष्कर्ष दिया कि विशेष बाजार स्थिति में ऐसी स्थिति शामिल नहीं होगी, जो ऐसी परिस्थितियों से उत्पन्न हुई हो जिसमें एएससीएम के तहत सब्सिडी के रूप में स्थितियां शामिल न हो।

गगग. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों के प्रतिकूल, याचिकाकर्ताओं ने याचिका और लिखित अनुरोधों के समय चिंता व्यक्त की थी।

घघघ. याचिका के चरण में, यह उल्लेख किया गया था कि जुशी इजिप्ट पूरी तरह से जुशी चीन के स्वामित्व में है, जो संबद्ध वस्तुओं का एक प्रमुख चीनी उत्पादक है और जिस पर पहले ही भारत में पाटनरोधी शुल्क लागू है, अत: उसे ऐसी संगत संस्थाओं से पूंजीगत लाभ, ऋण, पूंजीगत वस्तुएं या इनपुट प्राप्त हुए हो सकते हैं। चूंकि चीन जन.गण. एक गैर बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश हे, अत: यह जांच किए जाने की जरूरत है कि क्या वित्तीय योगदान और इनपुट आर्म्स लेंथ कीमतों पर प्राप्त हुए हैं, जैसा कि रबड़ कैमिकल्स के मामले में जांच की गई है। संबद्ध देशों में उत्पादों द्वारा सूचित उत्पादन की लागत और बिक्री कीमत को तब तक स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि उत्पादक यह प्रदर्शित न करें कि संगत पक्षकारों के पास कोई भी सौदे आर्म्स लेंथ आधार पर किए गए हैं।

ड.ड.ड. लिखित अनुरोधों में, याचिकाकर्ता ने यह उल्लेख किया है कि जुशी इजिप्ट की स्थापना चीन-इजिप्ट एसईटीसी जोन में हुई है और यह दोनों देशों के बीच औद्योगिक सहयोग के सर्वाधिक सफल उदाहरण के रूप में माना गया है। स्वेज की खाड़ी के उत्तर में नि:शुल्क व्यापार आर्थिक जोन विकसित करने के लिए दोनों देशों के बीच एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए थे और चीन ने विदेशों में निवेश के लिए चीन की कंपनियों हेतु "गो ग्लोबल पॉलिसी" शुरु की थी। एसईटीसी जोन एक अनुमोदित विदेशी व्यापार और सहयोग जोन है, अत: जुशी इजिप्ट को एसईटीसी जोन में स्थापित होने के कारण इजिप्ट और चीन के साझा संसाधनों से लाभ होता है। जुशी इजिप्ट की स्थापना में चीन से काफी सहायता है क्योंकि निवेश उसकी चीनी सहयोगितयों से प्राप्त होता है। अन्य इनपुट, सेवाओं, वित्तपोषण, प्रौद्योगिकी या सहायता सहित निवेशों से स्रोत की जांच किए जाने की जरूरत है, यदि चीन जन.गण. से निवेशों, या अन्य इनपुट, सेवाओं, वित्तपोषण, प्रौद्योगिकी या सहायता प्राप्त हो रही है, तब उसका उचित बाजार मूल्य समायोजित करने की जरूरत है। जुशी इजिप्ट को इजिप्ट और चीन से प्राप्त अधिमान्य ऋणों का लाभ मिला है। जुशी चीन को चीन के वित्तीय संस्थानों से अधिमान्य ऋण प्राप्त हुआ है और तब इन ऋणों के लाभ इजिप्ट में निर्माण गतिविधियों के लिए आबंटित किए गए हैं। उसे चीन की एक राज्य नियंत्रित संस्था, सीएनबीएम द्वारा अनुदानों से, इक्विटी निवेशों के माध्यम से पर्याप्त से कम पारिश्रमिक, वेट छूट, निर्यातित वस्तुओं के लिए प्रयुक्त आयातित कच्ची सामग्री पर आयात टैरिफ माफी के द्वारा लाभ मिला है। जुशी इजिप्ट को इजिप्ट की सरकार और चीन की सरकार द्वारा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लाभ प्रदान किए गए हैं।

चचच. प्रकटीकरण की टिप्पणियों में, याचिकाकर्ता ने यह उल्लेख किया है कि जुशी इजिप्ट के संबंध में एक विशेष बाजार स्थिति मौजूद है क्योंकि ये एसईटीसी जोन में स्थापित है और वही से प्रचालन करता है और निर्यातों के प्रयोजन के लिए स्थापित किया गया है। उत्पादक की बिक्रियां, जोन में होने के कारण विभिन्न निबंधन एवं शर्तों के अध्यधीन हैं। उसने काफी कम मात्रा में बिक्री की है, जिस पर सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए विचार नहीं किया जा सकता। यूरोपीय संघ के निर्यातों में, सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए एक तर्कसंगत आधार शामिल है। जुशी इजिप्ट के उत्पादन की लागत को जुशी चीन से प्राप्त कच्ची सामग्रियों और ऋणों सहित इनपुट के संबंध में समायोजित किया जाना चाहिए। चूंकि जुशी इजिप्ट पर जुशीचीन ग्रुप का एक भाग है, अत: जुशी चीन के स्तर पर ब्याज व्यय समेकित किया जाना चाहिए। तथापि, चूंकि जुशी चीन गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के तहत प्रचालन कर रहा है, अत: ब्याज लागत पर वास्तविक ब्याज दर पर विचार नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि अन्तर्राष्ट्रीय ब्याज दरों पर विचार करना चाहिए। घरेलू उद्योग में संगत ग्राहकों की बिक्रियों की जांच की जानी चाहिए और उसे निकाल दिया जाना चाहिए, यदि ऐसी बिक्रियां आर्म्स लेंथ पर नहीं हैं। जुशी इजिप्ट की जुशी भारत को बिक्रियों की जांच करके उसे उपयुक्त रूप से समायोजित किया जाना चाहिए क्योंकि जुशी भारत ने वस्तुओं की

आगे नुकसान पर बिक्री की है। जुशी भारत के वित्तीय विवरण यह प्रकट करते हैं कि उसे जुशी इजिप्ट से कमीशन मिला है।

छछछ. जहां तक संबद्ध वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि का संबंध है,यह अनुरोध किया गया था कि डाउनस्ट्रीम उत्पादों के लिए कच्ची सामग्रियों से सभी उत्पादों की कीमत में वृद्धि हुई थी। ऊर्जा कीमतों में ***प्रतिशत तक की वृद्धि हुई है। तथापि, ऐसी वृद्धि केवल अस्थायी प्रकृत्ति की है।

जजज. प्रयोक्ताओं ने अन्य हितबद्ध पक्षकारों के साथ कीमत संवेदनशील विश्लेषण को साझा नहीं किया है, जिससे घरेलू उद्योग इस पर टिप्पणियां प्रस्तुत नहीं कर पाया।

झझझ. प्रयोक्ताओं ने मात्र यह माना है कि केन्द्र सरकार ने चीन जन.गण. के खिलाफ लोक हित के कारण शुल्क नहीं लगाए थे, क्योंकि कार्यालय ज्ञापन में कोई कारण नहीं प्रदान किया गया है। इसके अलावा, केवल इस कारण से कि केन्द्र सरकार ने चीन जन.गण. से ग्लास फाइबर के आयातों पर शुल्क नहीं लगाए थे, इसका यह अर्थ नहीं है कि वर्तमान जांच में कोई सिफारिश स्वीकार नहीं की जाएगी।

ञ.ञ.ञ. जहां तक चीन में संगत पक्षकारों से इनपुट की खरीद का संबंध है, घरेलू उद्योग ने यह अनुरोध किया है कि इनपुट में कच्ची सामग्री, वित्त, सेवाएं, पूंजीगत वस्तुएं, प्रौद्योगिकी और श्रम शामिल हैं। इसके अलावा, जुशी द्वारा जिस अन्तर्राष्ट्रीय कीमत के स्रोत पर भरोसा किया गया है, वह साक्ष्य नहीं है। घरेलू उद्योग की खरीद कीमत पर इस प्रयोजन के लिए विचार किया जाना चाहिए।

ञ.3. प्राधिकारी द्वारा जांच

90. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अधिकांश अनुरोध पुन: किए गए हैं। इन अनुरोधों की इस अन्तिम जांच परिणाम में उपयुक्त स्थानों पर परिकलित डीएम की कार्यप्रणाली पर चर्चा करने के लिए सीमित प्रकटीकरण के उत्तर में जुशी के अनुरोध पर, प्राधिकारी ने कार्यप्रणाली के सही होने को स्वीकार करने के लिए की गई कार्यप्रणाली को स्पष्ट करने के लिए जुशी के साथ चर्चा की थी। इसके अलावा, प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों के सभी संगत अनुरोधों की जांच की है, जो इस प्रकार है:

91. इस तर्क के संबंध में कि जांच की शुरुआत से पूर्व प्राधिकारी ने बहरीन सरकार को अधिसूचित नहीं किया, यह नोट किया जाता है कि प्राधिकारी ने वर्तमान पाटनरोधी जांच के लिए आवेदन-पत्र की प्राप्ति के संबंध में भारत में बहरीन सल्तनत के दूतावास को 24 जून, 2020 के ई-मेल द्वारा अधिसूचित किया।

92. जांच की शुरुआत अपर्याप्त और अपूर्ण साक्ष्य के आधार पर होने के संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि उनके पास वर्तमान जांच की शुरुआत करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य थे। यह भी नोट किया जाता है कि राजस्थान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन बनाम पाटनरोधी महानिदेशक में उच्च न्यायालय द्वारा हुआवेई टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी तथा ऑटोमोटिव टॉयर मैन्युफैक्चर्रस एसोसिएशन बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी ने अधिकरण द्वारा माने गए अनुसार प्रथम दृष्टया साक्ष्य केवल जांच की शुरुआत के स्तर पर अपेक्षित है।

93. प्रकटन पर टिप्पणियां दायर करने के लिए प्राधिकारी द्वारा दी गई अपर्याप्त समयावधि के संबंध में यह नोट किया जाता है कि प्राधिकारी ने 30 जुलाई, 2021 को प्रकटन विवरण जारी किया और 2 अगस्त, 2021 को अधिसूचित किया, क्योंकि टिप्पणियां दायर करने के लिए वह देय तिथि थी। तथापि हितबद्ध पक्षकारों के अनुसरण में देय तिथि 16 अगस्त, 2021 तक बढ़ाई गई थी। अत:, प्रकटन पर टिप्पणियां दायर करने के लिए सभी पक्षकारों को पर्याप्त समय दिया गया था ताकि वे वर्तमान जांच में अपनी हितों की रक्षा कर सकें।

94. विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र में एच-ग्लास को हटाने और ईसीआर जांच में एक पीसीएन के तहत उसे शामिल न करने के संबंध में यह नोट किया जाता है कि ईसीआर और एच-ग्लास दोनों के लिए खपत की जाने वाली कच्ची सामग्री अधिकतर सामान्य है जिनमें केवल कुछ कच्ची सामग्री (10 प्रतिशत से कम) ही भिन्न है। दोनों उत्पादों का उत्पादन लगभग समान भट्टी तापमान पर लगभग समान तकनीकी प्रक्रिया अर्थात समान रसायनों से किया जाता है, जिसके बाद वांडिंग, ड्राइंग और पैकेजिंग की प्रक्रियाएं होती हैं। दोनों उत्पाद किस्मों के उत्पादन के लिए प्रयुक्त प्रक्रिया भी लगभग समान रहती है। सामानों के लिए प्रयुक्त उपस्कर भी अतिव्यापन करते हैं। अत:, कच्ची सामग्री और भट्टी के तापमान में थोड़े से अंतर को छोड़कर उत्पादन प्रक्रिया के संदर्भ में एच-ग्लास और ईसीआर ग्लास के

बीच कोई अंतर नहीं है। उपलब्ध आंकड़े यह दर्शाते हैं कि दो उप उल्लिखित किस्मों के बीच लागत अंतर काफी नहीं है अर्थात 5 प्रतिशत से कम है। अमेरिकन सोसाइटील फॉर टेस्टिंग ऐंड मेटिरियल (एएसटीएम) डी 578 मानकों के अनुसार एच-ग्लास का कोई पृथक नाम नहीं है और इस शब्द का प्रयोग ईसीआर ग्लास के उन्नत रूपांतर की व्यापक श्रेणी के तहत वाणिज्यिक एवं प्रयोग स्तर में किया जाता है। एच-ग्लास को ईसीआर की तुलना में उसके बेहतर तकनीकी गुण-धर्मों के कारण विंद ब्लेड अनुप्रयोगों के लिए प्रयुक्त किए जाने हेतु उल्लिखित किया गया है। प्राधिकारी 3 अक्तूबर, 2020 की मध्यावधि समीक्षा पर ध्यान देते हैं जिसमें विंड मिल ब्लेड के लिए विंड ग्रेड फैब्रिक्स के उत्पादन हेतु प्रयुक्त ग्लास फाइबर रोविंग को प्रयोक्ता उद्योग द्वारा अलग किए जाने की मांग पर विचार नहीं किया गया था।

95. थर्मोसेट चोप्ड स्ट्रैंड को विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से अलग किए जाने के अनुरोध के संदर्भ में यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग ने उसका उत्पादन किया है। अत: उसे हटाए जाने की कोई आवश्यकता नहीं है।

96. चूंकि ईसीआर रोविंग एलएफटी को विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से पहले ही अलग कर दिया गया है, अत: हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों को पहले ही हल कर दिया गया है।

97. इस तर्क के संबंध में कि घरेलू उद्योग के उत्पादन में हिस्सेदारी का मूल्यांकन करते समय कैप्टिव खपत पर विचार नहीं किया जाना चाहिए, यह ध्यान दिया जाता है कि यदि वर्तमान जांच में कैप्टिव खपत पर विचार नहीं किया जाता है, तो भी आवेदक भारत में घरेलू उत्पादन के प्रमुख अनुपात के लिए खाता होगा।

98. याचिकाकर्ता द्वारा किए गए आयातों के संबंध में यह नोट किया जाता है कि याचिकाकर्ता ने क्षति की अवधि के दौरान संबद्ध देश से संबद्ध सामानों का आयात नहीं किया है। हितबद्ध पक्षकारों ने यह भी तर्क दिया है कि याचिकाकर्ता ने अपनी संबद्ध कंपनियों से अन्य देशों से संबद्ध सामानों का आयात किया है और अन्य सभी स्रोतों पर शुल्क की मांग कर रहा है। यद्यपि अन्य देशों से आयात घरेलू उद्योग की पात्रता पर प्रश्न नहीं करते, तथापि यह नोट किया जाता है कि किसी भी दशा में कि याचिकाकर्ता द्वारा आयात अन्य देशों से भी कम है।

विवरण	**मात्रा (एमटी)**	**% के रूप में आयात**
जांच अवधि के दौरान ओसीआईपीएल द्वारा आयात	***	
कुल आयात	72,226	<3%
भारत में खपत	***	<1%
ओसीआईपीएल का उत्पादन	***	<2%
ओसीआईपीएल की बिक्री	***	<3%

99. जुशि मिस्र के उत्पादन लागत के संबंध में, यह नोट किया जाता है कि जुशि मिस्र स्वेज इकॉनोमिक ऐंड ट्रेड कॉआपरेशन जोन में स्थापित किया गया है और शुल्क मुक्त दरों पर कच्ची सामग्री और इनपुट्स की खरीद के संदर्भ में लाभ प्राप्त कर रहा है। प्राधिकारी जुशि मिस्र द्वारा घरेलू बिक्री किए जाते समय सीमा शुल्कों के घटकों के उपयुक्त समायोजन के संदर्भ में घरेलू उद्योग के अनुरोधों को नोट करते हैं। यह भी तर्क दिया जाता है कि जुशि मिस्र ने चीन जन.गण. में स्थित अपनी मूल कंपनी से कच्ची सामग्री खरीदी है और गैर-बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियों में प्रचालन कर रहा है।

100. प्राधिकारी नोट करते हैं कि कि जुशि मिस्र, मिस्र में एक विशेष आर्थिक क्षेत्र में आधारित है और विशेष प्रकृति के आर्थिक क्षेत्र के कानून ("एसईजेड कानून") का पालन कर रहा है। मिस्र के एसईजेड कानून के अनुच्छेद 42 के अनुसार एसईजेड में आधारित कंपनी के उत्पाद उनके घरेलू बाजार में बेचे जाने और प्रवेश करने पर सीमा शुल्कों, बिक्री कर और अन्य करों के अध्यधीन होंगे। आधारभूत रूप से अनुच्छेद 42 के अनुसार, एसईजेड से परिष्कृत सामानों की घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र ("डीटीए") में मंजूरी पर आयातित इनपुट पर बचाए गए सीमा शुल्कों को अभ्यर्पित किया जाना चाहिए और मिस्र सरकार को दिया जाना चाहिए।

101. जुशि मिस्र ने उल्लेख किया कि डीटीए को की गई बिक्री पर वे उस घरेलू बिक्री पर खपत किए गए इनपुट का प्रति माह मिलान करते हैं और मिस्र सरकार को देय सीमा शुल्क का परिकलन करते हैं। सीमा शुल्क की इस राशि की परिविष्टि की जाती है/घरेलू बिक्री के लिए कच्ची सामग्री की लागत के लेजर में डेबिट की जाती है, और इस प्रकार वह कच्ची सामग्री की लागत का भाग बनती है। जुशि मिस्र द्वारा किए गए दावे के अनुसार, यह कार्य प्रति माह किया जाता है। यद्यपि, प्रत्येक माह के लिए शुल्क की राशि उस माह की लागत में आवर्ती आधार पर जोड़ी जाती है, तथापि मिस्र सरकार को जुशि मिस्र द्वारा उस शुल्क का भुगतान एकमुश्त किया जाता है। जुशि मिस्र ने घरेलू बिक्री पर सीमा शुल्कों के भुगतान का साक्ष्य देते हुए भुगतान चालान की प्रति प्रस्तुत की।

102. जुशि मिस्र द्वारा घरेलू बिक्री के रूप में इस प्रकार बनाई गई बिक्री मिस्र में की गई अन्य सामान्य बिक्री के बराबर बन जाती है। अत:, जांच की अवधि के दौरान घरेलू बिक्री के लिए प्रयुक्त इनपुट पर परित्यक्त शुल्क राशि पहले ही कच्ची सामग्री की लागत में परिकलित कर दी गई है, जो 80:20 के विश्लेषण में लागत का भाग बनती है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू बाजार में विचाराधीन उत्पाद की बिक्री और साथ भारत/तीसरे देश को निर्यात लाभप्रद है और इसीलिए बिक्रियों के लिए सामान्य मूल्य का परिकलन किया गया है जो व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में है।

103. इसके अतिरिक्त, जुशि मिस्र ने चीन से आयातित इनपुट पर लागू सीमा शुल्कों के ब्यौरे भी प्रस्तुत किए हैं। जुशि मिस्र ने यूएन कॉमट्रेड डाटाबेस के कच्ची सामग्री की अंतर्राष्ट्रीय कीमतें (यथा भारत से विश्व को निर्यात) भी उपलब्ध कराई हैं। अंतर्राष्ट्रीय कीमतें उन कीमतों से तुलनीय हैं, जिन पर जुशि मिस्र ने अपनी संबद्ध पक्षकार जुशि चाइना से इनपुट खरीदा और यह पाया गया था कि जुशि मिस्र को बिक्री बहुत नजदीकी कीमतों पर हैं।

104. जुशी इजिप्ट के लिए निवल निर्यात कीमत निकालने के लिए संगत आयातक अर्थात जुशी भारत को हुई हानि ही नहीं संगत पक्षकार सौदों और लाभ की आगे कटौती के संबंध में, प्राधिकारी ने जुशी इजिप्ट से प्राप्त विचाराधीन उत्पाद की बिक्री के लिए संगत आयातक जुशी भारत को हुई हानि को समायोजित किया है। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि वह एनईपी के निर्धारण के मामले में केवल हानि को समायोजित करने की प्रक्रिया का अनुपालन करता रहा है, जबकि घरेलू उद्योग द्वारा यह तर्क दिया गया है कि लाभों के लिए भी समायोजन हेतु डब्ल्यूटीओ प्रावधानों और भारतीय विनियमों में प्रावधान है। प्रकटीकरण विवरण के जारी होने के बाद घरेलू उद्योग द्वारा व्यक्त की गई चिन्ताओं को ध्यान में रखकर, जुशी भारत की हानिकीमात्रा की क्रास-जांच की गई थी और उसे परिशिष्ठ-18 पर लागू की गई सतत प्रक्रिया के आधार पर ठीक किया गया है। हानि की गणना *** रु./मी.टन की गई है।

105. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि निर्यातक ने अपनी घरेलू बिक्रियों और निर्यात बिक्रियों के लिए उसी पैकेजिंग लागत का दावा किया है, जिसका उपयोग उन्होंने घरेलू पैकेजिंग के लिए निर्यात पैकिंग हेतु किया है क्योंकि बिक्रियां सीमित हैं। अत: प्राधिकारी ने घरेलू और निर्यात बिक्रियों, दोनों के लिए दावा किए गए अनुसार पैकेजिंग व्यय में कटौती की है और कारखाना बाह्य निर्यात कीमत तथा सामान्य मूल्य की तुलना के लिए निर्यात और घरेलू बिक्रियों दोनों के आधार पर मासिक विनिमय दर लागू की हैं। घरेलू बिक्रियों के लिए कच्ची सामग्री की लागत के संबंध में छोड़े गए सीमा शुल्क पर भी कुछ संशोधन किया गया है।

106. इस तर्क के संबंध में कि जुशी इजिप्ट ने संगत पक्षों को घरेलू रूप से वस्तुओं की बिक्री की है, प्राधिकारी ने असंगत ग्राहकों की बिक्रियों के साथ संगत पक्षकारों की बिक्रियों की कीमत की तुलना की है और विश्लेषण से यह पाया है कि केवल एक पीसीएन अर्थात असेम्बल्ड रोविंग की बिक्री, घरेलू बाजार में संगत पक्षकार को, असंगत पक्षकार की तुलना में काफी कम कीमत पर इस पीसीएन की संगत पक्षकार सौदे पर विचार नहीं किया गया है। तथापि, निर्यातक द्वारा शेष पीसीएन की सभी घरेलू बिक्रियों पर प्राधिकारी द्वारा, सामान्य मूल्य की गणना के लिए विचार किया गया है। प्राधिकारी सीमित प्रकटीकरण के लिए निर्यातक के अनुरोध को नोट करते हैं कि एआर के तहत आगे ग्रेडों पर विचार किए जाने की जरूरत है, जिस पर प्राधिकारी द्वारा विचार नहीं किया गया है, अत: इसे केवल चार पीसीएन तक ही सीमित किया है। इस संबंध में, प्राधिकारी ने यह पाया है कि बहरीन निर्यात द्वारा इस मामले पर किए गए अनुरोध पर भी विचार नहीं किया गया है।

107. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि संगत पक्षकार सौदों के बीच एक अच्छा कीमत अन्तर मौजूद है, टर्की और यूएसए[1] के मूल के अथवा वहांसे निर्यातित सोडा ऐश पर पाटनरोधी शुल्क मामले में (मामला सं. ओआई-30/2019) पहले भी किया जा चुका है। उस जांच परिणाम में यह पाया गया था:

*"32 ..... प्राधिकारी उत्पादक/निर्यातक के अनुरोध को नोट करते हैं और यह बात दोहराते हैं कि चूंकि संगत और असंगत संस्थाओं को घरेलू बिक्री कीमत के बीच काफी अन्तर है और यह कि निर्यातक ने यह स्थापित नहीं किया है कि सामान्य व्यापार प्रक्रिया में घरेलू बाजार में संगत क्रेता को बिक्रियां की गई हैं। प्राधिकारी ने स्वतंत्र ग्राहकोंको ईटीआईकी प्रत्यक्ष बिक्रियों के आधार पर सामान्य मूल्य पर विचार किया है (*** मी.टन), जैसा कि प्राथमिक जांच परिणाम में अपनाया गया था।* इसके अलावा सामान्य व्यापार जांच की प्रक्रिया अर्थात ओसीटी जांच यद्यपि संगत और स्वतंत्र क्रेताओं, दोनों के लिए साझा है, लेकिन संगत पक्षकारों को बिक्रियों के लिए जांच के लिए आर्म्स लेंथ होने के कारण आगे साक्ष्य की जरूरत है।[2]"

108. हितबद्ध पक्षकार ने अनुरोध किया है कि प्राधिकारी ने पाटन मार्जिन का परिकलन और निर्मित सामान्य मूल्य के लिए सिद्धांत प्रकट नहीं किया है। यह नोट किया जाता है कि प्रत्येक सहयोगी उत्पादक के लिए निर्धारित सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत विधिवत् प्रकट की गई थी। इसके अतिरिक्त, रेंज में पाटन मार्जिन सभी हितबद्ध पक्षकारों को प्रकट किया गया है जिससे हितबद्ध पक्षकार अपने हितों की रक्षा कर सकते हैं।

109. प्राधिकारी ने यहां तक कि सीमित प्रकटीकरण में जुशी को पाटन मार्जिन में बदलावों को प्रकट कर दिया है। हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध के संबंध में कि सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत के साक्ष्य घरेलू उद्योग द्वारा प्रदान नहीं किए गए थे, अत: यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग ने जांच की शुरुआत की अवस्था में सामान्य मूल्य का निर्धारण करने का दावा किया था। तथापि, प्राधिकारी ने उत्पादकों द्वारा दाखिल किए गए उत्तरों के आधार पर सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत का निर्धारण किया है।

110. इस तर्क के संबंध में कि आयात आंकड़ों में समान कोडो के तहत आयातित अन्य उत्पाद शामिल हैं, यह नोट किया जाता है कि केवल विचाराधीन उत्पाद के आयातों पर विचार करने के लिए लेन-देनवार आयात आंकड़े छांटे गए हैं।

111. हितबद्ध पक्षकारों ने दावा किया है कि घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्री में गिरावट आई क्योंकि उसने कैप्टिव खपत बढ़ाई। तथापि, प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग के पास काफी मालसूची है। यदि वे इस मालसूची को घरेलू बाजार में बेचेने में सक्षम होते हैं तो उनकी बिक्री वृद्धि दर्शाती। तथापि, बाजार में काफी मांग होने पर भी घरेलू उद्योग की बिक्री में गिरावट आई है जबकि उसकी मालसूची इकट्ठी हुई है।

112. वर्ष 2017-18 की तुलना में जांच की अवधि में पहुंच कीमत स्थिर रहने के संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध देशों की पहुंच कीमत में आधार वर्ष की तुलना में तथा 2017-18 की तुलना में गिरावट आई है।

113. हितबद्ध पक्षकारों ने दावा किया है कि 2018-19 और 2018-19 (समायोजित) के दौरान क्षमता में वृद्धि नहीं दर्शाई जानी चाहिए थी। तथापि, प्राधिकारी इस अनुरोध में कोई औचित्य नहीं पाते। घरेलू उद्योग के लिए क्षमता वर्ष 2018-19 के दौरान बढ़ी। अत:, क्षमता पर आनुपातिक रूप से विचार किया जाएगा, अर्थात पूर्व की क्षमता पर बंदी से पूर्व की अवधि के लिए विचार किया जाएगा और बढ़ी हुई क्षमता पर बंदी से बाद की अवधि के लिए विचार किया जाएगा। जहां तक समायोजित आंकड़ों का संबंध है, चूंकि बंदी के प्रभाव को अलग किए जाने की आवश्यकता थी, अत: प्राधिकारी ने बंदी की अवधि को ध्यान में रखते हुए आनुपातिक आधार पर क्षमता (बंदी को छोड़कर) निर्धारित की।

114. घरेलू उद्योग के मानदंडों में सुधार के संबंध में यह नोट किया जाता है कि प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग के आर्थिक मानंडों पर आयातों की मात्रा और कीमत के प्रभावों के संबंध में विस्तृत विश्लेषण किया है और निष्कर्ष निकाला है कि घेरलू उद्योग को क्षति हुई है, जैसाकि ऊपर निर्धारित किया गया है।

---

[1] टर्की और यूएसए के मूल के अलवा वहां से निर्यातित सोडा ऐश के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच, फा.सं. 6/39/2019-डीजीटीआर, जांच परिणामों की तारीख: 19 जनवरी, 2021.

[2] प्राधिकारी ने वर्तमान मामले में टर्की से दो अन्य निर्यातकों के लिए समान कार्यप्रणाली अपनाई है, जिनमें संगत और असंगत पक्षकार सौदे विचारित कीमत अन्तर को प्रदर्शित करते हैं।

115. इस तर्क के संबंध में कि घरेलू उद्योग का क्षमता उपयोग उसकी नई भट्टी के कारण कम था, प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि उसने 2018 के अंत में एक माह के दौरान उचित क्षमता उपयोग हासिल किया। इसके अतिरिक्त, 2019 के दौरान एक माह में घरेलू उद्योग ने पूर्ण क्षमता उपयोग हासिल किया। अत:, यह नहीं माना जा सकता कि जांच की अवधि के दौरान कम क्षमता उपयोग भट्टी के नई होने के कारण था।

116. गोवा ग्लास फाइबर के निष्पादन के संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि उत्पादक ने चीन जन.गण. से इन उत्पादों के आयातों के संबंध में निर्णायक समीक्षा जांच में भाग लिया था। दिनांक 24 अगस्त, 2021 के अंतिम जांच परिणाम [फाइल सं. 7/34/2020-डीजीटीआर] में प्राधिकारी ने नोट किया था कि आयातों का गोवा ग्लास फाइबर के आर्थिक एवं वित्तीय मानदंडों पर प्रतिकूल प्रभाव था। तद्नुसार, प्राधिकारी ने यह निष्कर्ष निकाला कि गोवा ग्लास फाइबर के आंकड़े घरेलू उद्योग के आंकड़ों की तरह समान स्थितियां दर्शाते हैं।

117. घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में सुधार के संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में उसकी कैप्टिव खपत में वृद्धि के कारण ही सुधार हुआ है। व्यापारिक मांग में घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में क्षति की अवधि में गिरावट आई है। इसके अतिरिक्त, संबद्ध आयातों के बाजार हिस्से में क्षति की अवधि में वृद्धि हुई है।

118. हितबद्ध पक्षकारों ने यह तर्क दिया है कि कारणात्मक संपर्क के संदर्भ में किए गए अनुरोधों पर विचार नहीं किया गया है। यह नोट किया जाता है कि प्राधिकारी ने संगत मानी गई सीमा तक घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए सभी अनुरोधों पर विचार किया है और वर्तमान जांच परिणाम में उनकी जांच की है।

119. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने यह तर्क दिया है कि घरेलू उद्योग के पास विचाराधीन उत्पाद की सभी किस्मों का विनिर्माण करने की क्षमता नहीं है। प्राधिकारी ने अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा विचाराधीन उत्पाद की सभी किस्मों को अलग किए जाने के अनुरोधों की जांच की है। जहां घरेलू उद्योग ने किसी विशेष उत्पाद किस्म का उत्पादन नहीं किया था, वहां उसे अलग किया गया है। अत: यह चिंता कि शुल्क लगाए जाने से कुछ उत्पाद किस्मों की आपूर्ति करने में घरेलू उद्योग की अक्षमता के कारर्ण सार्वजनिक हित प्रतिकूल रूप से प्रभावित होगा, नहीं पाई गई है।

120. विभिन्न देशों के विरुद्ध पाटनरोधी शुल्क की मांग के संबंध में याचिकाकर्ता के तर्क के बारे में, यह नोट किया जाता है कि शुल्क केवल चीन के विरुद्ध 31.10.2021 तक लागू था और अब उन पर बहरीन और मिस्र के लिए विचार किया जा रहा है। प्रत्येक जांच में प्राधिकारी ने पाटन, क्षति और कारणात्मक संपर्क पर विचार किया है और शुल्कों की सिफारिश तभी की है यदि वे सकारात्मक रूप से यह निष्कर्ष निकालें कि तीनों पहलू मौजूद हैं। जहां तक थाइलैंड का संबंध है, शुल्क केवल चीनी उत्पादकों द्वारा प्रवंचना के कारण लगाए गए थे।

121. संदर्भ कीमत शुल्क लगाए जाने के संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि संदर्भ कीमत शुल्क उपयुक्त नहीं होगा क्योंकि ऐसे बहुत से पीसीएन शामिल हैं जिनमें प्रमुख कीमत अंतर है।

122. पीसीएन का आगे उप-वर्गीकरण करने के संबंध में सीपीआईसी बहरीन के तर्क के संबंध में, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि सीपीआईसी ने एएसटीम डी 578 के अनुरूप अधिक गहन स्तर पर पीसीएन की स्थापना के लिए सुझाव दिया है। रैखिक घनत्व, व्यास, 4 व्यापक पीसीएन (प्रत्यक्ष रोविंग, असेम्बल रोविंग, चोप्ड स्टांड, चोप्ड स्टांड मेट) के लिए सरफेस चौड़ाई के आधार पर सुझाई गई रेंज, एएसटीएम डी 578 मानक की समग्र संरचना से संबंधित नहीं है। अत: प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि पीसीएन का यह सुझाव एएसटीएम डी 578 मानक से संबंधित नहीं है और प्राधिकारी वर्तमान जांच के लिए चार व्यापक पीसीएन अर्थात प्रत्यक्ष रोविंग, असेम्बल्ड रोविंग, चोप्ड स्टांड, चोप्ड मेट पर विचार करते हैं।

123. इसके अलावा, प्राधिकारी ने निर्यातक द्वारा प्रदान की गई सूचना की जांच करने के बाद यह पाया है कि व्यापक पीसीएन के उप-ग्रेड के अन्तर उत्पादन की लागत के बीच कोई महत्वपूर्ण अन्तर नहीं है। यद्यपि, निर्यातक द्वारा उल्लिखित उत्पाद टाइप की वास्तविक विशेषताओं में अन्तर है, लेकिन उनकी कीमत और लागत में अधिक अन्तर नहीं है। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि निर्यातक द्वारा स्वयं सुझाई गई विस्तृत कार्यप्रणाली के अनुसार प्रत्येक पीसीएन में कीमतों में काफी अन्तर है।

124. COVID महामारी के कारण, प्राधिकरण सीमित यात्राओं का आयोजन कर रहा है, केवल घरेलू, जहां भी यह अत्यंत आवश्यक है। पीसीएन कार्यप्रणाली पर इस मुद्दे के समाधान के लिए डीजीटीआर ने घरेलू उद्योग का

ऑनसाइट सत्यापन भी किया और संबंधित इच्छुक पक्षों के साथ विचार-विमर्श किया । प्राधिकरण ने व्यापक अनुप्रयोगों, आंकड़ों की उपलब्धता और एक ही उत्पाद में किए गए पीसीएन वर्गीकरण, चीन के खिलाफ अलग जांच के आधार पर वर्गीकरण के व्यवहार्य स्तर पर चार पीसीएन पर विचार किया है ।

125. जहां तक सीपीआईसी बहरीन द्वारा प्रस्तावित कीमत का संबंध है, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि पीसीएन पद्धति और निर्धारित पाटन मार्जिन के संबंध में निर्यातक के अनुरोधों को स्वीकार करने के लिए प्राधिकारी पर सशर्त वचनबद्धता थी। प्राधिकारी ने कीमत वचनबद्धता को स्वीकार करने पर विचार करने के लिए यह अनुरोध उपयुक्त/तर्कसंगत नहीं पाया है। अत: प्राधिकारी प्रकटीकरण विवरण में यथा उल्लिखित, निर्यात के लिए पाटन मार्जिन की पुष्टि करते हैं।

126. जांच को पूरा करने के लिए किए गए विस्तारों के संबंध में, प्राधिकारी ने यह पाया है कि पाटनरोधी नियमावली के अनुसार, जांच को 12 माह के अन्दर पूरा करना जरूरी होता है और किसी भी स्थिति में जांच शुरू होने की तारीख से 18 माह से अधिक समय नहीं होना चाहिए। वर्तमान मामले में, प्राधिकारी ने जांचों में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उठाए गए विभिन्न मामलों का व्यापक समाधान करने के लिए कम विस्तार के लिए कहा है और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालने करने की अपेक्षा व्यक्त की है। प्राधिकारी ने प्रत्येक अपेक्षित विस्तार में यथा शीघ्र मामला पूरा करने के लिए सघन प्रयास किए हैं, तथापि, अपरिहार्य परिस्थितियों और मामलों की छंटनी के कारण प्राधिकारी को अन्तिम तारीख समाप्त होने से पूर्व अतिरिक्त विस्तार की मांग की थी, जिसे केन्द्र सरकार द्वारा प्रदान कर दिया गया था। इसके अलावा, दिल्ली के माननीय उच्च न्यायालय द्वारा महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड वी यूनियन ऑफ इंडिया में यह बात रखी गई है कि केन्द्र सरकार जांच पूरी करने के लिए एक पूर्व-पद का विस्तार दे सकती है बशर्ते कि ऐसा विस्तार एक वर्ष से छह महीने की अवधि के भीतर हो और अठारह महीने की दहलीज पार न करे । इस निर्णय के आलोक में यह नहीं कहा जा सकता कि 31.10.2021 से अधिक कार्यवाही को जारी रखना गैरकानूनी है ।

127. अन्त में, हितबद्ध पक्षकारों ने यह तर्क दिया है कि चूंकि चीन जन.गण. से विचाराधीन उत्पाद के आयातों पर शुल्क नहीं लगाए गए थे, अत: बहरीन और इजिप्ट से आयातों पर शुल्क नहीं लगाए जा सकते। इस संबंध में, हितबद्ध पक्षकारों ने पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 9.2 के प्रावधानों पर भरोसा किया है, जिनमें यह प्रावधान है कि जब किसी उत्पाद के संबंध में कोई पाटनरोधी शुल्क लगाया जाता है, तो ऐसा पाटनरोधी शुल्क, ऐसे स्रोतों को छोड़कर, जिनसे करार की शर्तों के तहत कीमत वचनबद्धता स्वीकार की गई है, सभी स्रोतों से ऐसे उत्पाद पर, जो पाटित और क्षतिकारी पाए गए हैं, एक गैर भेदभाव के आधार पर, प्रत्येक मामले में उपयुक्त मात्रा में किसी उत्पाद पर ऐसा पाटनरोधी शुल्क लगाया जाता है। हितबद्ध पक्षकारों ने यह दावा किया है किचूंकि चीन से आयात पाटित और क्षतिकारी पाए गए थे, लेकिन कोई शुल्क नहीं लगाया गया था, अत: अब बहरीन और इजिप्ट पर पाटनरोधी शुल्क लगाना भेदभाव पूर्ण होगा। प्राधिकारी ने इसकी जांच की है और यह पाया है कि हितबद्ध पक्षकारों के तर्क उपयुक्त नहीं है। पाटनरोधी शुल्कों संबंधी डब्ल्यूटीओ करार केअनुच्छेद 9.2 के तहत यह कहा गया है:

"9.2 जब किसी उत्पाद के संबंध में पाटनरोधी शुल्क लगाया जाता है, तो ऐसा पाटनरोधी शुल्क, पाटित और क्षतिकारी पाए जाने वाले, सभी स्रोतों से ऐसे उत्पाद के आयातों पर बिना भेदभाव आधार पर, प्रत्येक मामले में उपयुक्त मात्रा में वसूली जाएगा, ऐसे सभी स्रोतों से आयातों को छोड़कर, जिनसे करार की शर्तों के तहत कीमत वचनबद्धता स्वीकार की गई है....."

128. अनुच्छेद 9.1 और 9.2 के प्रावधान टोक्यो राउंड एंटी डंपिंग कोड के अनुच्छेद 8.1 और 8.2 के समान है, जिनकी ईसी-ब्राजील से कॉटन यार्न के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाना ,1995) में जीएटीटी पैनल द्वारा व्याख्या की गई थी। पैनल के विश्लेषण से निम्नलिखित संगत अंश हैं:-

"555. पैनल ने यह नोट किया है कि करार के अनुच्छेद 8.2 में प्रासंगिक रूप से यह प्रावधान है "जब किसी उत्पाद के संबंध में कोई पाटनरोधी शुल्क लगाया जाता है, तो ऐसा पाटनरोधी शुल्क, पाटित और क्षतिकारी पाए जाने वाले सभी स्रोतों ऐसे उत्पादों के आयातों पर गैर-भेदभावपूर्ण आधार पर, प्रत्येक मामले में उपयुक्त मात्रा में वसूली जाएगा, ऐसे सभी स्रोतों से आयातों को छोड़कर, जिनसे इस कोड की शर्तों के तहत कीमत वचनबद्धता स्वीकृत की गई है।"

तब पैनल ने अनुच्छेद 8.2 के सामान्य अर्थ की जांच शुरु की। *पैनल ने यह विचार किया कि अनुच्छेद 8.2 का सामान्य अर्थ स्पष्ट कर दिया गया है कि प्रावधान शुल्क वसूलनेकेसंबंध में था। .....अत: अनुच्छेद 8.2 का सामान्य अर्थ स्पष्ट हो गया कि अनुच्छेद 8.2 में बाध्यता केवल शुल्क लगाने के लिए निर्णय लिए जाने के बाद ही लागू होगी।*

"556. इसकी अनुच्छेद 8.2 के प्रसंग में पुष्टि की गई थी। पैनल ने यह नोट किया कि अनुच्छेद 8.1 में प्रावधान है

" यह निर्णय कि जहां पर शुल्क लगाने के लिए सभी अपेक्षाएं पूरी कर दी गई हैं, उस मामले में पाटनरोधी शुल्क लगाया जाए या नहीं और यह निर्णय कि लगाए जाने वाले पाटनरोधी शुल्क की मात्रा पाटन का पूरा मार्जिन होगी या कम, ये निर्णय आयातक देश और सीमा शुल्क परिक्षेत्र के प्राधिकारियों द्वारा लिया जाएगा। यह आवश्यक है कि सभी देशों अथवा इस करार के पक्षकार सीमा शुल्क परिक्षेत्रों में शुल्क लगाने की अनुमति होनी चाहिए और यह कि शुल्क मार्जिन से इतना कम होना चाहिए, यदि ऐसा कमतर शुल्क घरेलू उद्योग को क्षति दूर करने के लिए पर्याप्त होगा" (जोर दिया गया है)।

"557. पैनल ने यह विचार किया है कि अनुच्छेद 8.1 दो प्रकार के निर्णयों से संबंधित था। पहला इस निर्णय के लिए था कि क्या शुल्क लगाने की सभी शर्तें पूरी हो जाने के बाद पाटनरोधी शुल्क लगाया जाए ("यह निर्णय कि लगाएं या न लगाएं"| दूसरा निर्णय यह था कि किस स्तर पर पाटनरोधी शुल्क लगाया जाना चाहिए (अर्थात .....क्या पाटनरोधी शुल्क की मात्रा पूरा मार्जिन होनी चाहिए या कम.....") अनुच्छेद 8:1 के प्रसंग में अनुच्छेद 8:2 का सामान्य अर्थ यह प्रकट करता है कि शुल्क लगाने के लिए निर्णय लिए जाने के बाद (अनुच्छेद 8:1 के अनुसार) और शुल्क की मात्रा का स्तर तय करने के लिए (अनुच्छेद 8:1 के अनुसार), अनुच्छेद 8:2 इस अपेक्षा के लिए प्रभावी होता है कि ऐसा शुल्क बिना भेदभाव के वसूली जाना चाहिए। अत: अनुच्छेद 8:1 और 8:2 विभिन्न समय पर लिए गए विभिन्न प्रकार के निर्णयों के संबंध में थे। यह पुष्टि की गई है कि अनुच्छेद 8:2 में निहित बाध्यता कि, भेदभाव न किया जाए, केवल पाटनरोधी शुल्क वसूलने के समय उत्पन्न हुई थी, यह निर्णय कि शुल्क लगाया जाए या नहीं और शुल्क की सही मात्रा, अनुच्छेद 8:1 क अनुसार की गई है।

558..... "पैनल ने यह निष्कर्ष दिया है कि अनुच्छेद 8:2 में निहित गैर-भेदभावपूर्ण होने की बाध्यता केवल शुल्कों की वसूली के समय उत्पन्न हुई है।"

8:2 उपरोक्त विश्लेषण से यह स्पष्ट हो गया है कि अनुच्छेद 9.2 के तहत बाध्यता केवल तब उत्पन्न होती है जब केन्द्र सरकार डब्ल्यूटीओ पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 9.1 के तहत पाटनरोधी शुल्क लगाने का निर्णय लेती है। इसके अलावा अनुच्छेद 9.2 के तहत यथा अपेक्षित गैर-भेदभावपूर्ण की आवश्यकता शुल्कों की वसूली के समय होती है। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि धारा 9.1 के तहत " यह निर्णय कि जहां शुल्क लगाने के लिए सभी अपेक्षाएं पूरी हो गई हों, वहां पाटनरोधी शुल्क लगाएया नहीं" के संबंध में सदस्य राष्ट्रो को विवेकाधिकार प्रदान किया गया है। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि निर्णायक समीक्षा जांच में केन्द्र सरकार ने चीन जन.गण.से निर्यातकों के संबंध में शुल्क नहीं लगाए। चूंकि न तो कोई शुल्क लगाए गए थे और न ही करार के अनुच्छेद 9.1 के तहत कोई शुल्क वसूले गए थे, अत: करार के अनुच्छेद 9.2 के तहत गैर-भेदभाव की बाध्यता के उल्लंघन का प्रश्न ही नहीं उठता। इसके अलावा, शुल्क लगाने अथवा शुल्क न लगाने के लिए कोई सीधा फार्मूला अपनाया नहीं जा सकता। प्रत्येक जांच में उसके गुणों और अवगुणों के आधार पर निर्णय लिया जाता है और परिणामस्वरूप, यह निर्णय लिया जाता है कि "जहां सभी अपेक्षाएं पूरी हो गई हैं, वहां पाटनरोधी शुल्क लगाए जाएं या नहीं" यह मामला दर मामला आधार पर होता है।

इसके अलावा, मंत्रालय की डीजीटीआर की सिफारिश के लिए अस्वीकृति, डीजीटीआर की चीन जन.गण. से ग्लास फाइबर उत्पादों पर एक निर्णायक जांच में पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश के खिलाफ सेस्टेट के समक्ष घरेलू उद्योग[3] द्वारा दायर एक अपील में लंबित है।

129. इजिप्ट के संबंध में विशेष बाजार स्थिति: यह तर्क दिया गया था कि जुशी इजिप्ट के मामले में सस्ती कच्ची सामग्री, कर, यूटिलिटी लाभ जैसे विभिन्न फायदों के संबंध में अनेक समायोजन नहीं किए गए हैं और इसीलिए लागत विश्वसनीय नहीं है।

[3] मै. ओवेंस-कार्निंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड बनाम केन्द्रीय सरकार

सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9क की उप धारा (ग)(ii) के तहत निर्यात करने वाले देश के घरेलू बाजार में एक विशेष बाजार स्थिति मौजूद होने पर सामान्य मूल्य को अस्वीकार करने के लिए आधार प्रदान किया गया है। उप धारा में यह प्रावधान है:-

"(ii) जब निर्यातक देश या क्षेत्र के घरेलू बाजार में व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में समान वस्तु की कोई बिक्री न हुई हो अथवा जब निर्यातक देश या क्षेत्र की बाजार विशेष की स्थिति अथवा उसके घरेलू बाजार में कम बिक्री मात्रा के कारण ऐसी बिक्री की उचित तुलना न हो सकती हो तो सामान्य मूल्य निम्नलिखित में से कोई एक होगा :-

(क) समान वस्तु की तुलनीय प्रतिनिधिक कीमत जब उसका निर्यात उप धारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार निर्यातक देश या क्षेत्र से या किसी उचित तीसरे देश से किया गया हो ; अथवा

(ख) उपधारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित प्रशासनिक, बिक्री और सामान्य लागत एवं लाभ हेतु उचित वृद्धि के साथ उदगम वाले देश में उक्त वस्तु की उत्पादन लागत ;

बशर्ते कि उदगम वाले देश से इतर किसी देश से वस्तु के आयात के मामले में अथवा जहां उक्त वस्तु को निर्यात के देश के जरिए मात्र यानांतरित किया गया है अथवा जहां ऐसी वस्तु का उत्पादन निर्यातक के देश में नहीं किया जाता है, निर्यात के देश में कोई तुलनीय कीमत नहीं है, वहां सामान्य मूल्य का निर्धारण उदगम वाले देश में उसकी कीमत के संदर्भ में किया जाएगा।

धारा में यह विनिर्दिष्ट है कि यदि प्राधिकारी निर्यातक देश के घरेलू बाजार में मौजूद एक विशेष बाजार स्थिति निर्धारित करते हैं, तो प्राधिकारी सामान्य मूल्य को अस्वीकार कर सकते हैं और इसके निर्माण के लिए वैकल्पिक कार्यप्रणालियां चुन सकते हैं। यह पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 2.2 के आधार पर है, जिसके तहत यह प्रावधान है कि:-

"2.2. जब निर्यात करने वाले देश के घरेलू बाजार में व्यापार की सामान्य प्रक्रिया के दौरान समान उत्पाद की कोई बिक्रियां नहीं हो अथवा जब विशेष बाजार स्थिति के कारण अथवा बिक्रियों की मात्रा कम होने के कारण निर्यात करने वाले देश के घरेलू बाजार में ऐसी बिक्रियों की कोई उचित तुलना नहीं हो सके, तो पाटन मार्जिन का निर्धारण, एक उपयुक्त तीसरे देश को निर्यात करते समय समान उत्पाद की तुलनात्मक कीमतों के साथ तुलना करके किया जाएगा, बशर्ते कि यह कीमत मूलता के देश में प्रतिनिधिक हो अथवा उत्पादन की लागत के साथ हो और उसमें प्रशासनिक बिक्रियों तथा सामान्य लागतों और लाभों के लिए एक तर्कसंगत राशि शामिल की जाएगी।

पाटनरोधी करार के तहत आगे ऐसा कोई निर्देश प्रदान नहीं किया गया है कि किसी विशेष बाजार स्थिति में क्या शामिल होगा। प्राधिकारी आस्ट्रेलिया कापी पेपर[4] मामले में डब्ल्यूटीओ पैनल की रिपोर्ट में यथा विकसित 'विशेष बाजार स्थिति' के लिए डब्ल्यूटीओ पैनल द्वारा की गई व्याख्या को नोट करते हैं।

"7.21. हम यह अवलोकन करते हुए शुरुआत करते हैं कि एक "स्थिति" एक "परिस्थिति" अथवा एक "परिस्थितियों का सेट" है। यह शब्द "विशेष" और "बाजार" शब्दों के लिए है, जो कि पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 2.2 में विशेषता को प्रदर्शित कर रहा है। कथित स्थिति "बाजार में, अथवा इससे संबंधित हो सकती है और बाजार की स्थिति "विशेष" होनी चाहिए। यह विशेषण ''विशेष'' के अनुसरण में है कि बाजार स्थिति "भिन्न, व्यक्तिगत, एकल, विशिष्ट" होनी चाहिए। इस प्रकार से विशेष बाजार स्थिति का एक तथ्य विशिष्ट और मामला दर मामला इसका मूल्यांकन करना आवश्यक है। इसके अलावा, हम ईईसी – कॉटन यार्न मामले में जीएटीटी पैनल की आपत्तियों से सहमत हैं कि एक "विशेष बाजार स्थिति" ही अभी तक संगत है, जहां तक एक उपयुक्त तुलना की अनुमति के लिए घरेलू बिक्रियों को अनुपयुक्त मानने का प्रभाव है। वाक्यांश "विशेष बाजार स्थिति" स्वयं ही एक ऐसी परिभाषा प्रदान नहीं करती कि जो ऐसी सभी भिन्न स्थितियों को देखती है कि कोई जांच प्राधिकारी यह कह सकते हैं, जिससे कि एक "उचित तुलना" विफल हो जाएगी। हमारे दृष्टिकोण के अनुसार, ऐसे वाक्यांश का उपयोग करने के लिए प्रारूप बनाने वाले की पसंद को जान बूझकर की गई माना जाएगा। इसके परिणामस्वरूप जबकि वाक्यांश "विशेष बाजार स्थिति" विशेषण "विशेष" और "बाजार" से ही जुड़ा है, तो कभी भी एक ऐसे तरीके में

[4] पैनल रिपोर्ट, आस्ट्रेलिया – ए4 कॉपी पेपर (आस्ट्रेलिया – कॉपी पेपर) में मामले में पाटनरोधी जांच, डब्ल्यूटी/डीएस529/आर, 4 दिसंबर, 2019

व्याख्या नहीं की जा सकती, जो व्यापक रूप से एक ऐसी स्थिति निर्मित करने की परिस्थितयां अथवा कार्य है, जिस पर एक जांच प्राधिकारी को विचार करना होता है।

7.22. पक्षकारों के बीच ऐसा कोई विवाद नहीं है जिससे कि इस मामले में उल्लिखित परिस्थितियां ए4 कॉपी पेपर के लिए बाजार की चिन्ता करती है अथवा उससे संबंधित है। तथापि, वे इससे असहमत हैं कि किसी स्थिति को विशेष कैसे बनाया जाता है। इंडोनेशिया का यह तर्क है कि परिस्थितियां आपवादिक होनी चाहिए और साथ ही, "घरेलू बाजार की कीमतों की तुलनात्मकता को एक ऐसे तरीके से प्रभावित करती हैं, जिससे उन पर एक तरफा प्रभाव पड़ता है और इस प्रकार, उन्हें निर्यात कीमतों की तुलना करने से रोका जाता है"। आस्ट्रेलिया का यह तर्क है कि परिस्थितियां विशिष्ट होनी चाहिएं न कि सामान्य । हमारे दृष्टिकोण से बाजार की स्थिति भिन्न, व्यक्तिगत, एकल, विशिष्ट होनी चाहिए लेकिन इससे यह असामान्य अथवा सामान्य से हटकर – अर्थात आपवादिक बनना अनिवार्य नहीं है।"

इस प्रकार, एक विशेष बाजार स्थिति ऐसी परिस्थितियों में उत्पन्न हो सकती है, यद्यपि अपवाद नहीं है, इससे घरेलू बाजार में कीमत विकृति आती है, जिससे निर्यात कीमत की तुलना में सामान्य मूल्य अनुचित होता है। यह जांच करने के लिए कि क्या एक विशेष बाजार स्थिति एक निर्यातक देश के घरेलू बाजार में मौजूद है, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि इस मामले पर पूरी तरह यह स्थापित किए जाने की जरूरत है।

क. क्या घरेलू बाजार में समान वस्तु की कीमत उचित और विश्वसनीय है और प्रतिनिधिक है, विशेषकर जब यह विभिन्न टैरिफ, राजकोषीय और लॉजिस्टिक्स रियायतों तथा साथ ही चीन से निवेशों के साथ सेज में स्थित किसी यूनिट से उत्पन्न होती है?

ख. संबद्ध और असंबद्ध पक्षकारों के बीच हो रहे सौदों के बीच कितनी कीमत संबंधी भिन्नता है?

130. प्राधिकरण ने नोट किया है कि पीएमएस का मुद्दा देर से ही सही चरण में उठाया गया था और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर यह एसईजेड बिक्री के कारण मिस्र के घरेलू बाजार में पीएमएस के अस्तित्व को निर्णायक रूप से स्थापित करने में सक्षम नहीं है । तथापि, पक्षकारों द्वारा उठाए गए मामलों की प्रकटीकरण के उपरांत टिप्पणियों में पुन: जांच की गई और उनका समाधान किया गया है।

131. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि सेज कानून और इजिप्ट के विनियमों में उत्पादों की कच्ची सामग्री के घटकों पर शुल्क के समायोजन का प्रावधान है, अत: यह स्पष्ट नहीं है कि क्या ऐसा शुल्क लागत या कीमत समायोजन पर लगाया जाए। निर्यातक द्वारा डीटीए बिक्रियों पर लगाए गए सीमा शुल्क के लिए निर्यातक द्वारा कंपनी की समग्र बिक्रियों पर दावा किया गया था, जो गलत था और तद्नुसार सही किया गया है और यह ध्यान में रखकर घरेलू उत्पादकों की लागत पर लागू किया गया है कि निर्यातक द्वारा उन्हें भुगतान किया गया पाया गया है। तद्नुसार, उत्पादन की लागत में घरेलू बिक्रियों के लिए *** की वृद्धि की गई है। इसके अलावा, प्राधिकारी ने 80:20 जांच को लागू करके निर्यातक की घरेलू बिक्रियों पर विचार किया है।

132. जहां तक संगत पक्षकार और असंगत पक्षकार का संबंध है, प्राधिकारी यह नोट करते हैं किइस पर पैरा 112 में पहले ही विचार किया जा चुका है।

ठ. भारतीय उद्योग के हित और अन्य मुद्दे

ठ. 1 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

133. भारतीय उद्योग के हित के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

i. हितबद्ध पक्षकारों ने जनहित पर शुल्क का प्रतिकूल प्रभाव नहीं दर्शाया है। चीन जन.गण. के आयातों के लिए लागू पाटनरोधी शुल्क से प्रयोक्ता उद्योग प्रभावित नहीं हुआ है क्योंकि सभी प्रयोक्ताओं की क्षति की अवधि में राजस्व में वृद्धि हुई है और अधिकतर प्रयोक्ताओं को लाभ में वृद्धि हुई है।

ii. घरेलू उद्योग की कीमतें जांच की अवधि के बाद भी कमोवेश स्थिर रही हैं। उत्पादन लागत में वृद्धि और बढ़ती हानि के कारण कीमत वृद्धि आवश्यक हो गई थी। जहां एक विक्रेता हानियों पर बिक्री कर रहा था, वहां यह नहीं कहा जा सकता है कि वह कीमत निर्धारित कर रहा है।

iii. केवल इस कारण कि फैब्रिक्स के आयात रियायती शुल्क पर किए जाने की अनुमति है, इस अर्थ यह नहीं है कि घरेलू उद्योग को पाटन के विरुद्ध कानूनी उपचार से इंकार किया जाना चाहिए।

ठ.2 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

134. भारतीय उद्योगों के हितों के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

i. प्रयोक्ता उद्योग में अधिसंख्य एमएसएमई है और संबद्ध सामानों में इनकी लागत का 30-40 प्रतिशत है। प्रयोक्ता उद्योग को सामग्री की कमी, देरी से सुपुर्दगी, घरेलू उद्योग की ओर कीमत ह्रास से क्षति हो रही है।

ii. घरेलू उद्योग एक बाजार अग्रणी है और बाजार कीमत निर्धारित कर सकता है। अक्तूबर, 2020 में, ओसीआईपीएल ने सिंगल ऐंड रोविंग और चोप्ड स्टैड की कीमतें बढ़ाई। कीमतें सभी उत्पाद श्रेणियों में जनवरी, 2021 में फिर से बढ़ाई गई थीं।

iii. चूंकि फैब्रिक्स के आयात के लिए रियायती शुल्कों पर अनुमति है, अत: पाटनरोधी शुल्क लगाने से फैब्रिक्स के प्रचालन और अन्य सम्मिश्रित विनिर्माता गंभीर रूप से प्रभावित होंगे।

ठ. 3 प्राधिकारी द्वारा जांच

135. प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटनरोधी शुल्क का प्रयोजन सामान्य रूप में, पाटन की अनुचित व्यापारिक परिपाटियों से घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति समाप्त करना है ताकि भारतीय बाजार में एक खुली एवं उचित प्रतिस्पर्धा की स्थिति पुन: स्थापित की जा सके, जोकि देश के सामान्य हित में है। पाटनरोधी उपाय लगाने से किसी दशा में संबद्ध देश/क्षेत्र से आयात प्रतिबंधित नहीं होंगे और इसीलिए उपभोक्ताओं को उत्पाद की उपलब्धता प्रभावित नहीं होगी।

136. यह माना जाता है कि पाटनरोधी शुल्क लगाने से संबद्ध सामानों का प्रयोग कर विनिर्मित उत्पाद के कीमत स्तर प्रभावित हो सकते हैं और परिणामस्वरूप इस उत्पाद की संबंधित प्रतिस्पर्धात्मकता पर कुछ प्रभाव पड़ सकता है। तथापि, भारतीय बाजार में उचित प्रतिस्पर्धा पाटनरोधी उपाय से कम नहीं होगी, विशेष रूप से यदि पाटनरोधी शुल्क लगाया जाना घरेलू उद्योग को क्षति दूर करने के लिए किसी आवश्यक राशि तक प्रतिबंधित हो। इसके विपरीत, पाटनरोधी उपाय लगाने से पाटन की परिपाटियों से प्राप्त अनुचित लाभ समाप्त होंगे, घरेलू उद्योग के निष्पादन में गिरावट रुकेगी और संबद्ध सामानों के उपभोक्ताओं को व्यापक विकल्प की उपलब्धता बनाए रखने में मदद मिलेगी।

137. प्रकटन पश्चात टिप्पणियों में किए गए तर्क के संबंध में कि विभिन्न स्रोतों से आयातों के प्रतिबंध से भारत में एकाधिकार की स्थिति बन सकती है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि विभिन्न स्रोतों पर पाटनरोधी शुल्क की सिफारिश, प्राधिकारी द्वारा पाटन, क्षति और कारणात्मक संपर्क के संबंध में विस्तृत जांच के बाद की गई हे। चूंकि घरेलू बाजार में एक से अधिक उत्पाद हैं, अत: याचिकाकर्ता बाजार में एकाधिकार की स्थिति बनाने में सक्षम नहीं होगा। इसके अतिरिक्त, पाटनरोधी शुल्क लगाने से भारत में संबद्ध सामानों के आयात प्रतिबंधित नहीं होते बल्कि केवल यह सुनिश्चित करते हैं कि वे उचित कीमत पर उपलब्ध हों।

138. आयातों के प्रतिबंध के संबंध में, जिसे बाजार में मांग और आपूर्ति अंतराल हो रहा है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि मांग-आपूर्ति अंतराल भारतीय बाजार में निर्यातकों द्वारा पाटन का औचित्य नहीं बनाता।

139. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने यह तर्क दिया है कि पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने से निचले स्तर के उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। प्राधिकारी नोट करते हैं कि अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने निचले स्तर के उद्योग के निष्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव सिद्ध नहीं किया है। इसके अतिरिक्त, यह दर्शाने के लिए कोई साक्ष्य नहीं है कि चीन जन.गण. के विरुद्ध शुल्क लगाने से प्रयोक्ताओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। अत:, यह बताने के लिए कोई साक्ष्य नहीं है कि संबद्ध देशों से आयातों के विरुद्ध किसी शुल्क से प्रयोक्ताओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। तुलना करने पर पाटनरोधी शुल्क लगाया जाना घरेलू उद्योग को क्षति रोकने के लिए आवश्यक है।

ड. निष्कर्ष

140. प्राधिकरण नोट करता है कि ग्लास फाइबर काफी तकनीकी रूप से उन्नत उत्पाद है जिसमें पवन ब्लेड सहित आवेदन की एक विस्तृत श्रृंखला है। इन विविध अनुप्रयोगों के लिए घरेलू उत्पादक को विभिन्न प्रकार के ग्लास फाइबर के साथ इन अनुप्रयोगों को पूरा करने के लिए अपनी क्षमताओं को बनाए रखने की आवश्यकता होती है। उठाए गए विवादों के संबंध में, प्रस्तुतियां, प्रस्तुतियां प्रदान की गई और प्राधिकरण के समक्ष उपलब्ध तथ्यों के रूप में ऊपर दर्ज की गई और डंपिंग के उपरोक्त विश्लेषण और परिणामी चोट के आधार पर घरेलू उद्योग को, प्राधिकरण निष्कर्ष है कि:

क. यह विश्लेषण ग्रेड वार किया गया है जो यह इंगित करता है कि कांच के रेशे के आयात को फेंक दिया जाता है और घरेलू उद्योग को मात्रा और मूल्य दोनों के संदर्भ में भौतिक चोट का सामना करना पड़ा है।

ख. मात्रा प्रभाव के संबंध में, चोट कम उत्पादन में प्रकट हुई है, घरेलू बिक्री में कमी आई है और इसके परिणामस्वरूप घरेलू बाजार में हिस्सेदारी कम हो गई है। मूल्य चोट मूल्य दमन, मूल्य अवसाद के माध्यम से उल्लेख किया है और महत्वपूर्ण मात्रा के एक सकारात्मक चोट मार्जिन के लिए अग्रणी रहे हैं।

ग. घरेलू उद्योग द्वारा झेली गई सामग्री की चोट फेंके गए आयातों के कारण है जिसके लिए निर्यात के लिए प्रत्यक्ष गठजोड़ के माध्यम से और गैर-रोपण विश्लेषण के माध्यम से भी कारण की स्थापना की गई है।

ढ. सिफारिशें

141. प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच शुरु की गई थी और सभी हितबद्ध पक्षकारों को अधिसूचित की गई थी तथा घरेलू उद्योग, संबद्ध देशों के दूतावास, निर्यातकों, आयातकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को पाटन, क्षति और कारणात्मक संपर्क के पहलू पर सकारात्मक सूचना प्रदान करने के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया था। नियमावली के अनुसार पाटन, क्षति और कारणात्मक संपर्क के संबंध में जांच शुरु करने और जांच करने पर तथा उन आयातों के कारण घरेलू उद्योग को सकारात्मक पाटन मार्जिन तथा वास्तविक क्षति सिद्ध होने पर प्राधिकारी का यह मत है कि पाटनरोधी शुल्क लगाना आवश्यक है।

142. अत:, प्राधिकारी संबद्ध देश से संबद्ध सामानों के आयातों के सीआईएफ मूल्य के प्रतिशत के रूप में निकाले जाने के लिए यथा-मूल्य शुल्क के रूप में पाटनरोधी उपाय लगाने की सिफारिश करते हैं। तद्नुसार, निम्नलिखितानुसार शुल्क तालिका के कॉलम 7 में दर्शाया गया प्रतिशत लागू करके निकाली गई राशि के बराबर पाटनरोधी शुल्क चीन जन.गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध सामानों के सभी आयातों पर लगाए जाने की सिफारिश की जाती है।

शुल्क तालिका

क्र.सं.	शीर्षक	विवरण	मूल देश	निर्यात का देश	उत्पादक	राशि	इकाई	मुद्रा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	7019	नीचे वर्णित ग्लास फाइबर*	बहरीन	बहरीन	सीपीआईसी अबहसैन फाइबरग्लास डब्ल्यू.एल.एल.	214.9	एमटी	यूएसडॉलर
2	7019	-वही-	बहरीन	बहरीन को मिलाकर कोई देश	उपर्युक्त क्रम सं. 1 को छोड़कर कोई	334.5	एमटी	यूएसडॉलर

3.	7019	-वही-	बहरीन और मिस्र को छोड़कर कोई भी देश	बहरीन	कोई	334.5	एमटी	यूएसडॉलर
4.	7019	-वही-	मिस्र	मिस्र	फाइबरग्लास इंडस्ट्री एस.ए.ई के लिए जुशि मिस्र	14.8	एमटी	यूएसडॉलर
5.	7019	-वही-	मिस्र	मिस्र को मिलाकर कोई देश	उपर्युक्त क्र.सं. 4 के अलावा कोई	27.5	एमटी	यूएसडॉलर
6.	7019	-वही-	बहरीन और मिस्र को छोड़कर कोई भी देश	मिस्र	कोई	27.5	एमटी	यूएसडॉलर

*****ग्लास रोविंग सहित ग्लास फाइबर (एसेम्बल्ड रोविंग्स(एआर), डायरेक्ट रोविंग्स (डीआर), ग्लास चोप्ड स्टैंड्स (सीएस), ग्लास चोप्ड स्टैंड्स मैट्स (सीएसएम) परन्तु ग्लास वूल, फाइबर ग्लास वूल, फाइबर ग्लास इन्सुलेशन वूल फार्म में, ग्लास यार्न, ग्लास वोवेन फैब्रिक्स, ग्लास फाइबर फैब्रिक, ग्लास वोवेन रोविंग्स, थर्मोप्लास्टिक अनुप्रयोगों के लिए बने चोप्ड स्टैंड्स, 0.3 से 2.5 माइक्रोन की रेंज में फाइबर डायमीटर वाले माइक्रोग्लास फाइबर, सर्फेस मैट/सर्फेस वेल/टिशु, वेट चोप्ड स्टैंड्स, केमफिल (ठोस पुनर्बलन के लिए अलकली रोधक ग्लास फाइबर) और ईसीआर रोविंग एलएफटी (लोंग फाइबर थर्मोप्लास्टिक)।"

ण. आगे की प्रक्रिया

143. इस सिफारिश के कारण केन्द्र सरकार के आदेश के विरुद्ध कोई अपील अधिनियम के संगत प्रावधानों के अनुसार उपयुक्त मंच के समक्ष की जाएगी।

अनंत स्वरूप, संयुक्त सचिव एवं निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)

NOTIFICATION

FINAL FINDINGS

New Delhi, the 30th November, 2021

(Case No. ADD-OI-20/2020)

Subject : Anti-dumping investigation concerning imports of "Glass Fibre and Article thereof" originating in or exported from Bahrain and Egypt.

F. No. 6/24/2020-DGTR.—Having regard to the Customs Tariff Act 1975, as amended from time to time (hereinafter also referred to as "the Act") and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules 1995, as amended from time to time (hereinafter also referred to as "the Rules" or "the AD Rules") thereof.

A. BACKGROUND OF THE CASE

1. Owens-Corning India Private Limited and Owens-Corning Industries (India) Private Limited (hereinafter also referred to as "applicants" or the "domestic industry") filed an application before the Designated Authority (hereinafter referred to as "Authority") requesting initiation of anti-dumping investigation under the Act and the Rules on imports of Glass Fibre and articles thereof (hereinafter referred to as "product under consideration" or "subject goods") originating or exported from Bahrain and Egypt (hereinafter referred to as the "subject countries"). The Applicants claimed dumping from the subject countries and consequent injury to the domestic industry.

2. The Authority, in view of the duly substantiated application filed and prima facie evidence submitted by the Applicants, issued a public notice vide Notification No. 6/24/2020-DGTR dated 4th August 2020, published in the Gazette of India, initiating anti-dumping investigation into imports of the product under consideration from the subject countries in accordance with Section 9A of the Act read with Rule 5 of the Rules to determine the existence, degree and effect of any alleged dumping of the subject goods and to recommend the amount of anti-dumping duty, which if levied, would be adequate to remove the alleged injury to the domestic industry.

B. PROCEDURE

3. The procedure defined herein below has been followed with regard to this investigation:

   a. The Authority notified the Embassies of Bahrain and Egypt in India about the receipt of the present anti-dumping application before proceeding to initiate the investigation in accordance with Rule 5(5) of the Anti-Dumping Rules.

   b. The Authority issued a public notice dated 4th August 2020, published in the Gazette of India, Extraordinary, initiating anti-dumping investigation concerning import of subject goods from the subject countries.

   c. The Authority sent a copy of the initiation notification to the Governments of the subject countries through their Embassies in India, known producers and exporters from the subject countries, known importers/users and the domestic industry as well as other interested parties, as per the available information. The interested parties were requested to provide relevant information in the form and manner prescribed and make their submissions known in writing within the prescribed time-limit.

   d. The Authority provided a copy of the non-confidential version of the application to the known producers/exporters and to the Embassies of the subject countries in India, in accordance with Rule 6(3) of the Anti-Dumping Rules.

   e. The Embassies of the subject countries in India were requested to advise the exporters/producers from their countries to respond to the questionnaire within the prescribed time limit. A copy of

the letter and questionnaire sent to the known producers/exporters was also sent to the Embassies along with the list of the known producers/ exporters from the subject countries.

f. The Authority, upon several requests made by the interested parties from time to time, granted multiple extensions of time up to 9th October 2020, to file their responses as well as submissions.

g. Written submissions were received from the Ministry of Trade and Industry, Trade Remedies Sector, Republic of Egypt and The Cooperation Council for the Arab States of the Gulf on behalf of the Kingdom of Bahrain.

h. The Authority sent questionnaire to the following known producers/exporters in the subject countries in accordance with Rule 6(4) of the Rules:

i. CPIC Abahsain Fiberglass W.L.L

ii. Jushi Egypt for Fiberglass Industry S.A.E

In response to the initiation notification of the subject investigation, both the producers from the subject countries have responded and submitted questionnaire response.

i. The Authority sent questionnaire to the following known importers / users of the subject goods in India calling for necessary information in accordance with Rule 6(4) of the Rules.

i. A G Fibrotech Private Limited

ii. Aakash Universal Limited

iii. Aarvi Marketing Private Limited

iv. Advance Cooling Towers Private Limited

v. Advance Textile

vi. Aksh Composites Private Limited

vii. Aksh Optifibre Limited

viii. Allied Marketing Company

ix. Amiantit Fibreglass India Limited

x. Apar Industries Limited

xi. Arc Insulation and Insulators

xii. Associated Polytech Industries (P) Limited

xiii. Autodynamic Technologies and Solutions Private Limited

xiv. Autotech-Sirmax India Private Limited

xv. Badve Auto Comps Private Limited

xvi. Balaji Fiber Reinforce Private Limited

xvii. Balaji Trading Company

xviii. BASF India Limited

xix. Bharat Heavy Electricals Limited

xx. Brakes India Private Limited

xxi. Brakewel Automotive Components India Private Limited

xxii. Calco Poly Technik Private Limited

xxiii. Calstar Steel Limited

xxiv. Chemical Process Equipments Private Lmited

xxv. Chemical Process Piping Private Limited

xxvi. Classic AL Metal Industries

xxvii. Classic Marble Company Private Limited

xxviii. Complete Surveying Technologies Private Limited

xxix. Concrete Solutions

xxx. Danblock Brakes India Private Limited

xxxi. Decimin Control Systems Private Limited

xxxii. Dhingra Plastic &Plastiscisers Private Limited

xxxiii. Dinsons Self Sticks Private Limited

xxxiv. Dr. Plasto Tech Private Limited

xxxv. Ecmas Agencies

xxxvi. Ecmas Resins Private Limited

xxxvii. Emak Glass Fibre & Accessories (P) Limited

xxxviii. EPP Composites Private Limited

xxxix. Ercon Composites

xl. Excellence Organisation Private Limited

xli. Faurecia Emissions Control Technologies India Pvt Ltd

xlii. Fibre Chem Agencies

xliii. Fibro Plast Corporation

xliv. Fibro Plastichem India (P) Limited

xlv. Finolex Cables Limited

xlvi. FMI Automative Components Private Limited

xlvii. Foremost Marbles

xlviii. Future Chem Pro Private Limited

xlix. GKD India Limited

l. Graphite India Limited

li. Grindwell Norton Limited

lii. Grupo Antolin India Private Limited

liii. Gujarat State Fertilizers & Chemicals Limited

liv. Harita Fehrer Limited

lv. Heritage Marble Private Limited

lvi. Himachal Futuristic Communications Limited

lvii. Himgiri Cooling Towers Pvt Ltd

lviii. Hindustan Composites Limited

lix. Hirotec Mark Exhaust System Private Limited

lx. Hitech Fibre Glass Mattings (P) Limited

lxi. HTL Limited

lxii. IAC International Automotive India Private Limited

lxiii. Indore Composite Private Limited

lxiv. Intec FRP Products

lxv. Ion Exchange India Limited

lxvi. Jam Jen Tecno Engineering

lxvii. Jay K. FRP Private Limited

lxviii. JK Building Solutions

lxix. JRD Fibre Composites Private Limited

lxx. Jushi (India) FRP Accessories Private Limited

lxxi. Kemrock Industries and Exports Limited

lxxii. Kineco Limited

lxxiii. Kingfa Science & Technology India Limited

lxxiv. Kishor Auto Ancillary Private Limited

lxxv. Krishna Grupo Antolin Private Limited

lxxvi. Kush Synthetics Private Limited

lxxvii. Leo Sign Composite (SD) Private Limited

lxxviii. Link Composites Private Limited

lxxix. Macedon Vinimay Private Limited

lxxx. Madura Coats Private Limited

lxxxi. Mahan Polymers

lxxxii. Mahindra CIE Automotive Limited

lxxxiii. Makson Enterprises

lxxxiv. Mangalchand Tubes Private Limited

lxxxv. Mecolam Engineering Private Limited

lxxxvi. Megha Fibre Glass Industries Limited

lxxxvii. Montex Glass Fibre Industries Private

lxxxviii. MRG Composites India

lxxxix. Murugan Arul Metals

xc. Muskan Enterprises

xci. Mysore Light & Interiors Private Limited

xcii. National Cooling Towers

xciii. Nelson Global Products India Private Limited

xciv. Newkem products Corporation

xcv. Next Polymers Limited

xcvi. Noble Agencies

xcvii. O.K. Glass Fibre Limited

xcviii. OFR Telecom Private Limited

xcix. Olectra Greentech Limited

c. Om Optel Industries Private Limited

ci. Panik Enterprises

cii. Pentair Water India Private Limited

ciii. Polycab India Limited

civ. Premium Polyalloys Private Limited

cv. Pyrotek India Private Limited

cvi. R.K. Marble Private Limited

cvii. Radha Industries

cviii. Rainbow Petrochem Industries Private Limited

cix. Rajsriya Automotive Industries (P) Limited

cx. Rane Brake Lining Limited

cxi. Reliance Industries Limited

cxii. Revex Plasticisers (Private) Limited

cxiii. Riddhi Enterprises

cxiv. Riviera Overseas Private Limited

cxv. RMC Switch Gears Limited

cxvi. Rukmini Fibre Glass

cxvii. Saertex India Private Limited

cxviii. Samudyam Projects Private Limited

cxix. Sankei Giken India (Private) Limited

cxx. Sanskriti Composites Private Limited

cxxi. SCM Noble Agencies

cxxii. Sharda Motor Industries Limited

cxxiii. Shree Building Solutions Private Limited

cxxiv. Shree Jee Fibreglass Private Limited

cxxv. Shubhada Polymers Products Private Limited

cxxvi. Sika India Private Limited

cxxvii. Sintex-Bapl Limited

cxxviii. Sky Fiberglass Solutions Private Limited

cxxix. SM Exhaust Technology Private Limited

cxxx. Sobha limited

cxxxi. Specialty Composites

cxxxii. Sri Venkateshwara Polythyne

cxxxiii. Starke International Exim Private Limited

cxxxiv. Sterlite Technologies Limited

cxxxv. Strongbonds Polyseal Private Limited

cxxxvi. Sudarsshan Plastiblends Private Limited

cxxxvii. Sundaram Brake Linings Limited

cxxxviii. Sunpure Technologies Limited

cxxxix. Sunrise Industries (India) Limited

cxl. Supreme Nonwovens Industries Private Limited

cxli. Supreme Treon Private Limited

cxlii. Synergy Optic Private Limited

cxliii. Synergy Polymers (India) Private Limited

cxliv. Tata Autocomp Systems Limited

cxlv. Techfab India (Industries) Limited

cxlvi. Technomac Engineering Works

cxlvii. Tenneco Clean Air India Private Limited

cxlviii. Teracom (FRP) Private Limited

cxlix. Teracom Limited

cl. The Supreme Industries Limited

cli. Time Technoplast Limited

clii. Ultratech Cement Limited

cliii. Unekar Polymer Agency

cliv. Up Twiga Fiberglass Limited

clv. Urja Products Private Limited

clvi. V3 Design Build

clvii. Valeo Friction Materials India Private Limited

clviii. Vindhya Telelinks Limited

clix. West Coast Optilinks (A Division of West Coast Paper Mills)

clx. Willett Communications

clxi. Yutaka Autoparts India Private Limited

j. The following importers/users have responded by filing questionnaire response:

i. Aeron Composites Limited

ii. Agni Fibreboard Private Limited

iii. Arvind PD Composites Limited

iv. EPP Composites Limited

v. Indore Composites Private Limited

vi. Saumit International

vii. Saumit Interglobe

viii. Sedaxis Advance Material Private Limited

ix. Sumip Composites Private Limited

k. The Authority sent Questionnaire to the following known Associations of subject goods in India for circulation & calling necessary information in accordance with Rule 6(4) of the Rules:

i. Associated Chambers of Commerce and Industry of India

ii. Confederation of Indian Industry

iii. Federation of Indian Chamber of Commerce and Industry

iv. Indian Chemical Council (ICC)

l. Legal submissions have been filed by Composites Association, FRP Institute and Telangana and Andhra Composites Manufacturing Association and Composites Association.

m. Authority circulated the non-confidential version of the evidence presented by the various interested parties on in the manner prescribed through Trade Notice No. 01/2020 dated 10th

April 2020 (extended till further notice). Submissions made by all the interested parties have been taken into account till the extent found necessary by the Authority.

n. Request was made to the Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics (DGCI&S) to provide the transaction-wise details of imports of subject goods for the past three years and the period of investigation, which has been received by the Authority. The analysis of the DGCI&S data has been done and it has been observed that there is no significant difference in the analysis done by the Authority and the analysis done by the domestic industry.

o. The non-injurious price (NIP) has been determined based on the optimum cost of production and cost to make & sell the subject goods in India as per information furnished by the domestic industry and in accordance with Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) and Annexure III to the Rules. Such non-injurious price has been considered to ascertain whether anti-dumping duty lower than the dumping margin would be sufficient to remove injury to the domestic industry.

p. In accordance with Rule 6(6), the Authority provided opportunity to all the interested parties to present their views orally in a hearing held through video conference on 19th January 2021, which was attended by all the interested parties.

q. Due to the change in the Designated Authority, a second oral hearing was conducted through video conference on 12th February 2021, which was attended by all the interested parties. The interested parties who presented their views in the oral hearing were requested to file written submissions of their views expressed orally. The parties were also advised to collect written submissions made by the opposing parties and were provided an opportunity to submit their rejoinders thereafter.

r. Verification of the information provided by the domestic industry was carried out by the Authority, to the extent necessary. Only such verified information with necessary rectification, wherever applicable, has been relied upon for the purpose of the subject investigation.

s. The period of investigation (POI) for the purpose of present investigation is 1st April 2019 to 31st March 2020 (12 months). The injury analysis period includes 1st April 2016 – 31st March 2017, 1st April 2017 – 31st March 2018, 1st April 2018 – 31st March 2019 and the period of investigation.

t. The submissions made by the interested parties during the course of this investigation, wherever found relevant, have been addressed by the Authority, in this document.

u. Information provided by the interested parties on confidential basis was examined with regard to sufficiency of the confidentiality claim. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims wherever warranted and such information has been considered as confidential and not disclosed to the other interested parties. Wherever possible, parties providing information on confidential basis were directed to provide sufficient non-confidential version of the information filed on confidential basis.

v. Wherever an interested party has refused access to, or has otherwise not provided necessary information during the course of the present investigation, or has significantly impeded the investigation, the Authority has considered such parties as non-cooperative and recorded the views/observations on the basis of the facts available.

w. In accordance with the Rules, the Authority disclosed the essential facts of the case that would form the basis of its findings in the form of a disclosure statement on 30.07.2021 and the interested parties were allowed time up to 16.08.2021 to comment on the same. The comments of the interested parties, to the extent relevant, have been considered by the Authority and have been addressed in this finding.

x. In response to the disclosure statement issued by the Authority, various interested parties raised observations on non-addressal of their issues in the disclosure statement. On request of domestic industry, Authority granted an opportunity of individual hearing to domestic industry and also discussed the price undertaking with the representative of M/s CPIC Bahrain. In order to understand and thereafter address the issues raised by the interested parties comprehensively,

the Authority sought extension for completion of the instant investigation from Department of revenue, ministry of Finance. The Ministry of Finance granted extension till 30.11.2021.

y. Keeping in view that such a hearing may have bearing upon other parties as well, a post-disclosure hearing was granted by the Authority on 09.11.2021 so that all the parties would have an equal opportunity to present their views on the issues raised. The parties filed their submissions by 12.11.2021 and further rejoinder submissions were filed on 15.11.2021.

z.A limited disclosure was issued to Jushi Egypt on 27.11. 2021 which submitted its comments on 29-11-2021.

aa. '***' in this notification represents information furnished by an interested party on confidential basis and so considered by the Authority under the Rules.

bb. The exchange rate adopted by the Authority for the subject investigation is 1 US$ = Rs. 71.65.

C. PRODUCT UNDER CONSIDERATION AND LIKE ARTICLE

C.1. Submissions by the domestic industry

4. Following submissions have been made by the domestic industry with regard to the product under consideration and like article:

i. The product under consideration is glass fibre including glass roving (assembled rovings (AR), direct rovings (DR), glass chopped strands (CS), and glass chopped strands mats (CSM).

ii. The PCN methodology proposed by the domestic industry is consistent with the sunset review investigation on imports of subject goods from China PR.

iii. Wet used chopped strands are excluded from the scope of the product under consideration, and there is no relevance of notifying a PCN for the same.

iv. The cost of production of High Modulus rovings and other direct rovings is comparable with only a minor difference, hence, there is no need for consideration of two different PCNs.

v. The other interested parties should substantiate the modification in PCN requested by them using their own data. The cost of products identified by the other interested parties is not significantly different.

vi. Responding to the contention that no duty can be imposed on high modulus glass fibre since it was not introduced into the commerce of India, the domestic industry submitted that Article 2 refers to product being introduced into the commerce of the importing country and not each product type.

vii. Exclusion of HM glass is not warranted as it has not been imported in India, but has been produced by the domestic industry. Same machinery can be used to manufacture HM glass and ECR glass. The only difference is the raw material/ inputs, temperature and glass chemistry.

viii. The submission that the applicant did not disclose that the new furnace was exclusively to manufacture HM glass should be disregarded as both the furnaces can be used to produce HM glass and ECR glass. The domestic industry has designated one for HM glass only due to operational efficiencies.

ix. The submission that as per the guide published by Owens Corning, HM glass has high end uses and features, is misleading as the features and uses referred by the interested parties are of S glass and not HM glass.

x. The demand for HM glass is low in the country due to which the volume of sales and imports of HM glass is low. Thus, the captive consumption of the domestic industry is higher by comparison. A product cannot be excluded merely because it is captively consumed or exported. In any case, the domestic industry has sold HM glass in the market.

xi. HM glass and ECR glass can be used interchangeably. The domestic industry was supplying ECR glass to the users which are now being supplied HM glass.

xii. Only transaction related to product under consideration are included, import segregation methodology has been provided in the petition.

xiii. Domestic industry produces thermoset chopped strands and the same cannot be excluded.

xiv. S-glass and R-glass are not being imported in India and therefore, should not be excluded.

C.2. <u>Submissions by other interested parties</u>

5. The following submissions have been made by other interested parties with regard to the product under consideration and the like article:

i. Since products outside the scope of product under consideration might be imported under the subheading 7019, that relates to "others", a clear and elaborate methodology on import segregation of PUC and NPUC must be provided.

ii. HM/HS/High Performance glass fibre is not manufactured in Bahrain and Egypt and has not been exported from the subject countries. CPIC, the sole producer in Bahrain, does not have the technology, plant and equipment to manufacture the same, as it is patented. Once it is established that the subject goods are not imported into India, imposition of anti-dumping duty on such types does not arise.

iii. A product can form scope of product under consideration only if introduced in the commerce of the other country at less than normal value. A product has to be dumped to be subject to anti-dumping duty.

iv. Rovings being imported from the subject countries cannot be treated as like article to wind grade rovings and HM glass produced by the applicant.

v. The applicant did not disclose that the new furnace was added to exclusively manufacture HM/HS Glass, which is apparent from the financial statements of 2018-19. The furnace required for manufacturing ECR-Glass and furnace required for HM Glass are different.

vi. As per Guide published by Owens Corning itself, HM glass has upto higher strength, higher modulus / stiffness, higher fatigue properties, better impact resistance, better aging and corrosion resistance and better temperature resistance, which makes it suitable for high end applications such as wind-mill blades. It has features such as high-performance reinforcements, high-strength continuous glass filaments, and is used in different applications.

vii. Considering the commercial perception test, the HM glass must be excluded from the product scope.

viii. The difference in chemical and mechanical properties of ECR glass and HM/HS glass is also highlighted by brochure issued by Jushi and CPIC China, which reveal that it has lower expansion coefficient, higher softening point, higher elastic modulus, compared to traditional E-glass.

ix. OCIPL has not sold the HM/HS glass in merchant market, this fact has not been rebutted by the domestic industry in the oral hearing. Since it has been used for downstream business or exported out of India, it should be excluded from the scope of the product under consideration.

x. As per Article 3.10 of the Manual, the product under consideration should preferably include articles produced and sold by the domestic industry in domestic market in commercial quantities.

xi. HM/HS glass has significant higher cost as compared to normal glass as:

a. The rate of production of HM glass in the same size furnace is lower as compared to ECR glass. This is evident from the fact that the reported capacity for the new furnace of OCIPL is 40,000 MT but the same furnace produced 77,122 MT ECR glass in the previous year.

b. According to OCIPL's financial statements there was a change in manufacturing operations which led to higher absorption of fixed costs, higher charge of depreciation

and higher financial costs, which eventually increases the cost of production of High Modulus Glass as compared to the ECR-Glass.

c. The per MT energy requirement to produce HM Glass is higher than the ECR Glass.

d. An examination of import data will reveal that the imports of HM glass from third countries are priced 65-70% higher than ECR glass. Even the export price of OCIPL of HM glass is more than the import price of normal glass fibre.

xii. Since the domestic industry has produced identical article, that is E-glass, HM Glass cannot be included in the second leg of the definition of like article.

xiii. Since HM glass is being produced by the applicant entirely for captive consumption, it cannot be covered under the scope of product under consideration.

xiv. The submissions of the applicant that the producers from Bahrain and Egypt can acquire the technology to manufacture High modulus fibre, is unfounded and based on conjectures. The submission that producers are just a Chinese investment is misleading. The domestic industry is a subsidiary of a foreign company.

xv. Since scope of the domestic industry and the product mix imported into country is different than that in the investigation against imports from China PR, the same scope of product under consideration cannot be considered here.

xvi. Thermoset chopped strands are not being produced by the applicant and should be excluded.

xvii. High strength glass fibres, such as S-glass and R-glass, are mostly used in wind energy segment and are not being supplied by OCIPL in the domestic market.

xviii. ECR Roving LFT (Long Fiber Thermoplastic) should be excluded as the applicant is not producing it but is importing it and job work is being done in India.

xix. The product scope has been defined vaguely by including "articles thereof", which includes a number of types and forms of glass fibres which have vary in specifications such as strength, grade, density and usage. Determining a single dumping margin, injury margin and anti-dumping duty is not appropriate.

xx. The PCN methodology is not appropriate and should consider weight and density of rovings and chopped strand mats, and diameter of chopped strands.

xxi. There is a need for modification of PCN methodology, for further segregation of product types, as below. Further, there is a need to recognize the linear density of rovings, fibre diameter of chopped strands, and GSM for mats.

a. Assembled rovings, direct rovings and volumenised or textured rovings

b. Dry-use and wet-use chopped strands

c. Chopped strand mats with emulsion binder and powder binder

d. Continuous filament mats with emulsion binder and powder binder

C.3. <u>Examination by the Authority</u>

6. The product under consideration as stated in the initiation notification is glass fibre including glass roving (assembles rovings (AR), direct rovings (DR)), glass chopped strands (CS), glass chopped strands mats (CSM) but excluding glass wool, fibre glass wool, fibre glass insulation in wool form, glass yarn, glass woven fabrics, glass fibre fabric, glass woven rovings, chopped strands meant for thermoplastic applications, micro glass fibre with fibre diameter in the range of 0.3 to 2.5 microns, surface mat/surface veil/tissue, wet chopped strands and Cemfil (alkali resistant glass fibre for concrete reinforcement).

7. The subject goods are classifiable under Chapter 70 of the Customs Tariff Act, 1975 under the subheading no. 7019. The Customs classification is indicative only and not binding on the scope of the product under consideration.

8. The interested parties have contended that the PCN methodology needs to include parameters such as weight, diameter, density and GSM of product type. However, it is noted that the cost of the product type does not vary substantially due to change in the parameters stated by the interested parties. As regards the consideration of H-glass as different PCN, the domestic industry has supplied only 1,289 MT of H-glass in the market. Therefore, even if the two were considered as separate PCN, it would not have a material impact on the PCN-wise analysis. The Authority has considered the following PCN for the purpose of the present investigation:

i. Direct glass rovings

ii. Assembled glass rovings

iii. Glass chopped strands

iv. Glass chopped strand mats

9. The interested parties have contended that High Modulus Glass Fibre (H-glass) should be excluded from the scope of the product under consideration as the subject countries do not have the technology to manufacture the same and there were no imports of H-glass from the subject countries during the injury period. The interested parties have also submitted that the domestic industry has not sold H-glass in the merchant market and has only consumed the same captively. However, it is the settled position of the Authority that only those product types which have been imported during the period of investigation and the domestic industry has not supplied like article thereof, can be excluded from the scope of product under consideration. The evidence supplied by the domestic industry shows that it has supplied H-glass during the period of investigation. Therefore, such H-glass cannot be excluded from the scope of product under consideration.

10. Further, the Authority has also taken note of the manufacturing process provided by the domestic industry, which shows that H-glass and ECR glass are similar in terms of manufacturing process. While the other interested parties have claimed that production of H-glass requires a different plant, the domestic industry has emphasized that both can be produced at the same plant. The two can be produced using the same machines, with difference in raw materials used, and minor modifications to the processing thereof. Further, the domestic industry has claimed that ECR glass and H-glass can be used interchangeably, as is evident from the fact that H-glass is being supplied to the same customers, which were earlier using ECR glass. The Authority does not find any merit in the requests for exclusion thereof.

11. The other interested parties have contended that thermoset chopped strands, high strength glass fibres, such as S-glass and R-glass and ECR roving LFT (long fiber thermoplastic) should be excluded from the scope of product under consideration. The Authority notes that the domestic industry has produced thermoset chopped strands and thus, it is not excluded from the scope of product under consideration. Further, there are no imports of S-glass and R-glass. However, the domestic industry has not produced ECR roving LFT (long fiber thermoplastic) and hence, the same is excluded from the scope of the product under consideration. The product under consideration determined for the present investigation will be as follows:

> *"Glass fibre including glass roving (assembles rovings (AR), direct rovings (DR)), glass chopped strands (CS), glass chopped strands mats (CSM) but excluding glass wool, fibre glass wool, fibre glass insulation in wool form, glass yarn, glass woven fabrics, glass fibre fabric, glass woven rovings, chopped strands meant for thermoplastic applications, micro glass fibre with fibre diameter in the range of 0.3 to 2.5 microns, surface mat/surface veil/tissue, wet chopped strands, Cemfil (alkali resistant glass fibre for concrete reinforcement) and ECR roving LFT (long fiber thermoplastic)."*

12. Subject to the above, the Authority notes that the domestic industry has claimed that it has produced like article to the imported goods and the interested parties have also not claimed any difference in the goods produced by the domestic industry and the imported product. The Authority notes that the subject goods produced by the domestic industry and that imported from subject country are comparable in terms of characteristics such as physical & chemical characteristics, manufacturing process & technology, functions & uses, product specifications, pricing, distribution & marketing and tariff classification of the goods. The two are technically and commercially substitutable. The

consumers are using the two interchangeably. In view of the same, Authority finds that the subject goods produced by the domestic industry are like article to the product under consideration imported from subject countries.

D. SCOPE OF THE DOMESTIC INDUSTRY & STANDING

D.1. Submissions by the domestic industry

13. Following submissions have been made by the Applicants with regard to the domestic industry and standing:

i. The Applicants account for a major proportion of the domestic production in India. Apart from the Applicants there is one more producer of the subject goods in India, namely, Goa Glass Fibre Limited.

ii. OCIIPL is included as an applicant, even though it ceased production, as it is a related party to OCIPL, and related parties have been considered as a common unit. Its data is relevant for injury assessment, as it was producing the subject goods in the injury period. Even related producers and exporters are treated as a single entity.

iii. Regarding the submission that inclusion of OCIIPL means convoluted injury analysis, it was submitted that the data of OCIPL alone shows injury. Nevertheless, domestic industry relates to whole injury period and not just the period of investigation. Since OCIIPL was part of the domestic industry in the preceding periods, it should be included in the definition of the domestic industry.

iv. Standing has not been determined based on OCIIPL as it did not produce in the period of investigation.

v. The domestic industry has not imported the subject goods from the subject countries during the injury period.

vi. The imports by the domestic industry were to meet the demand-supply gap caused by closure of OCIIPL and temporary shutdown of OCIPL, were not from subject countries and were higher priced than dumped imports. The imports were in insignificant quantity. The focus of the domestic industry is on production as the volume of imports in the period of investigation was insignificant.

D.2. Submissions by other interested parties

14. The following submissions have been made by the other interested parties with regards to the domestic industry and standing:

i. Since OCIIPL ceased production of goods in December 2017, it cannot be considered as part of the domestic industry. As noted in Manual of DGTR, the applicant should be an actual producer in the period of investigation. The investigation should be terminated as it is void-ab-initio.

ii. The fact that OCIIPL is related to OCIPL is not relevant for determining standing, when the said entity is not engaged in manufacture of the subject goods.

iii. The inclusion of OCIIPL indicates a convoluted injury analysis wherein data of two companies is included for the beginning of the injury period, and for one company during the remaining period.

iv. As per the provisions of Rule 2(b), Rule 4, Rule 5(3) and Rule 11, only a producer engaged in production of subject goods can be considered as part of the domestic industry, and no injury analysis can be done for a producer not in operation.

v. Goa Glass Fibre chose to refrain from participation in the investigation, whereas its production and sales were at par with the subject imports.

vi. In accordance with Manual of SOP, Authority should require Goa Glass to provide information with respect to its parameters during the period of investigation in the larger interest of the investigation.

vii. The Applicants have been importing regularly, including in the period of investigation.

viii. Contrary to the submissions made by the Applicants in the second oral hearing, the domestic industry has imported the subject goods from the subject countries in the previous years.

ix. The Applicants are a part of the global conglomerate, which determines as to what grade has to be produced in which country. Thus, it is constrained to import goods to meet the demand, supplement its product lines and for captive production, which it is not able to produce due to global policies. Thus, OCIPL cannot be considered eligible to file the application.

x. Since one of the furnaces is used to produce HM glass for captive consumption, only the production and capacity of the second furnace should be considered to determine the standing and for injury determination.

xi. According to the initiation notification, the Indian Authority was unable to determine the standing of the domestic industry before initiation and simply stated that Applicants constitute domestic industry as per Rule 2(b) and 5(3).

D.3. Examination by the Authority

15. Rule 2(b) of the Anti-Dumping Rules defines domestic industry as under:

> "*(b) "domestic industry" means the domestic producers as a whole engaged in the manufacture of the like article and any activity connected therewith or those whose collective output of the said article constitutes a major proportion of the total domestic production of that article except when such producers are related to the exporters or importers of the alleged dumped article or are themselves importers thereof in such case the term 'domestic industry' may be construed as referring to the rest of the producers*".

16. The Application has been filed by two related producers of the product under consideration, that is, Owens-Corning India Private Limited (OCIPL) and Owens-Corning (Industries) India Private Limited (OCIIPL). The Authority notes that OCIIPL has ceased operations in the injury period. The Authority notes that OCIIPL was operating in the injury period. Since it is a related entity of OCIPL, its data is relevant for the present investigation. This is because related producers are treated as a single entity for the purpose of the investigation.

17. In this regard, the Authority refers to the findings in the case of the original investigation in Final Findings F. No. 14/28/2009-DGAD dated 6th January 2011 relating to the product under consideration, wherein the Authority determined a single dumping margin for related producers or exporters, considering them as belonging to the same group as one single entity.

> "*53. It is noted that in the subject investigations many cooperating producers and exporters are related to each other and form a group of related companies. It has been a consistent practice of the Authority to consider* ***related exporting producers or exporting producers belonging to the same group as one single entity*** *for the determination of a dumping margin and thus to establish one single dumping margin for them. This is in particular because calculating individual dumping margins might encourage circumvention of antidumping measures, thus rendering them ineffective, by enabling related exporting producers to channel their exports to India through the company with the lowest individual dumping margin.*"

Similar view has been taken by the Authority in anti-dumping duty investigations concerning imports of Elastomeric Filament Yarn from China PR, South Korea, Taiwan and Vietnam, Aluminium and Zinc coated flat products" originating in or exported from China PR, Vietnam and Korea RP and Polystyrene from Iran, Malaysia, Singapore, Chinese Taipei, UAE and USA.

18. The Authority finds that the same principles would be applicable in the present case as well. Related parties would be considered as a single economic entity and therefore, OCIIPL cannot be excluded from the scope of product under consideration. However, since the normal value and non-injurious price is determined only for the period of investigation, the inclusion of OCIIPL would not have any impact on the dumping margin or injury margin.

19. The Authority notes that OCIPL has not imported the subject goods from the subject countries during the injury period. However, imports have been made during the injury period from other countries.

Thus, the Authority finds that the Applicants are eligible to constitute domestic industry in terms of Rule 2(b) of the Anti-Dumping Rules.

20. During the period of investigation, OCIPL has imported the subject goods from non-subject countries. However, only imports from subject country can disentitle a producer from being considered within the scope of domestic industry. This is because Rule 2(b) specifically refers to eligibility of such producers who *"are related to the exporters or importers of the **alleged dumped article** or are themselves importers thereof"*. Since the imports from other countries are not dumped imports, there is no exclusion for such imports. This is also consistent with the view taken by the Tribunal in the case of Birla Ericsson Limited v. Designated Authority, wherein it was held as under.

> "*4. The above argument of Counsel representing the appellants is solely based on the exclusion contained in Rule (b) of the Rules, which defines domestic industry. After stating that domestic industyry means domestic producers whose collective output of the article constitutes a major portion of the total domestic production, certain categories are excluded therefrom. The categories excluded are those domestic producers who are related to exporters of the alleged dumped article, those who are related to importers of the alleged dumped article or those who themselves are importers thereof. What is the scope of the words "importers thereof?" This group of domestic producers who are importers thereof are to be grouped along with domestic producers related to exporters of the alleged dumped article and domestic producers related to importers of the alleged dumped article. So taken, the domestic producers who are themselves importers should mean domestic producers who are themselves importers of alleged dumped article. In other words, domestic producers who are not importers of alleged dumped article from the subject country are not to be excluded from the definition of "domestic industry."*
>
> *5. What is meant by "alleged dumped article?" Alleged dumped article in the instant case can only be Optical Fibre imported from Korea Republic. Korea Republic is the subject country. The article with which investigation was initiated is Optical Fibre. So, the Optical Fibre originating in or exported from Korea Republic alone can be treated "alleged dumped article." Optical Fibre imported to India from other country cannot be taken as "alleged dumped article." Optical Fibre imported to India from other countries are not articles dumped into India. Therefore, domestic producers, who and related to exporters or importers of Optical Fibre from Korea as also those domestic producers who import Optical Fibre from South Korea alone should be excluded from the category of domestic industry. If the argument of learned Counsel representing the appellants is to be accepted, we will have to rewrite the definition by reading the words "are themselves importers of like article."*
>
> *6. Domestic producers, who are related to exporters or importers of like article from other countries are not taken out of the scope of the definition of domestic industry. A domestic producer may be related to exporter or importer of like article manufactured in another country. Likewise, a domestic producer can be an importer of like article from a third country. Like articles manufactured in third countries are not dumped articles. M/s. Sterlite Industries Ltd. got Optical Fibre imported from Malaysia. Goods imported from Malaysia are not dumped articles. Therefore, M/s. Sterlite Industries Ltd. is not debarred from being a domestic industry. In this view of the matter, we overrule the contention raised by the Counsel representing the appellants before us. The result, therefore, is that M/s. Sterlite Industries Ltd. represented the domestic industry and their output of Optical Fibre constituted major portion of the total domestic product. As a consequence, their application to the Designated Authority was proper and we do not find any illegality in the action of the Designated Authority in initiating the proceedings."*

Therefore, in view of the decision of the Tribunal and the settled position of the Authority in this regard, the imports from other countries do not prevent OCIPL from being considered within the scope of domestic industry.

21. Goa Glass Fibre Limited is another producer of subject goods in the country. However, it has not participated in the present investigation. The Authority notes that the investigation has been initiated on the basis of the application filed by the domestic producers accounting for major proportion in the

Indian production. Accordingly, the Authority has evaluated the parameters of the domestic industry in order to compute injury to the domestic industry.

22. The other interested parties have also contended that the production of furnace used for producing goods for captive consumption should not be considered for determination of share of Applicants in total production. However, the Authority does not find any basis for such an exclusion. The provisions of Rule 2(b) refer to production in India, which implies total production, and not production excluding that meant for captive consumption. Further, the interested parties have not adduced any evidence to show that exceptional circumstances as envisaged under proviso to Rule 2(b) exist in the present case, which would allow plant for captive production and plant for merchant sales to be considered as operating in two separate competitive markets. Therefore, the total production of OCIPL has been considered in examining whether it constitutes major proportion.

23. The Applicants account for a major proportion of the domestic production, as can be seen from the table below:

Producer	Production (MT)	Share in production (%)	Share in production (range)
Owens-Corning India Private Limited	***	***	80-90
Owens-Corning (Industries) India Private Limited	-	-	-
Applicants	***	***	80-90
Goa Glass Fibre Limited	***	***	10-20
Total Indian production	1,14,490	100%	100%

Thus, the Authority notes that Owens-Corning India Private Limited and Owens-Corning (Industries) India Private Limited constitute domestic industry under Rule 2(b) of the Anti-Dumping Rules and the application meets the requirements of Rule 5(3).

E. CONFIDENTIALITY

E.1. Submissions by the domestic industry

24. The following submissions have been made by the domestic industry with regard to confidentiality:

i. The producers/exporters have claimed excessive confidentiality as they have claimed even the information available in public domain, such as world-wide corporate structure and names of products produced, confidential.

ii. The producers/exporters have violated the provisions of Trade Notice 10/2018. They have not disclosed their production process, raw material and related party information.

iii. Good cause for excessive confidentiality has not been given and the format of table prescribed by the Authority under Trade Notice 1/2013 has not been followed.

iv. The domestic industry is unable to defend its claims due to such excessive confidentiality.

v. Normal value is based on data of domestic industry, the disclosure of which would be prejudicial to the interest of the domestic industry.

vi. Dumping depends on the selling price of the foreign producers and not of domestic industry, thus, the disclosure of selling price of the domestic industry is not relevant for determining dumping.

vii. The domestic industry has provided indexed information on share of domestic industry, other producer and subject imports in demand.

viii. The domestic industry has used CBIC exchange rate as per the practice in India.

ix. The period of shutdown was disclosed by the domestic industry in the petition.

x. Each expense forming the non-injurious price has been disclosed. Non-injurious price is business sensitive information and cannot be disclosed.

xi. The domestic industry has fulfilled its obligation of providing import data in PDF form. The CESTAT order was passes at the time when the Authority did not authorise the interested parties to obtain DGCI&S data. No prejudice has been caused to the interested parties as they can obtain DGCI&S data themselves.

xii. The domestic industry has not claimed excessive confidentiality as:

a. While the other interested parties have asked the domestic industry to provide all information in indexed form, they have themselves not provided the same.

b. The policies of the applicant contain business proprietary information which cannot be disclosed.

c. All information has been disclosed in accordance with the Trade Notice.

d. The financial statements provided to the Authority are more detailed and not as per the format provided to MCA.

E.2. <u>Submissions by other interested parties</u>

25. The following submissions have been made by the other interested parties with regard to confidentiality:

i. The applicant has not provided meaningful non-confidential information, which has led to a breach of the right of defense of TSAIP. The applicant has also claimed excessive confidentiality with regard to constructed normal value.

ii. The applicants have claimed excessive confidentiality with regard to (a) Formats A to L, wherein at least trend could have been provided; (b) purchase policy, sales policy, accounting policy, cost accounting policy, quality control procedure and tests; (c) actual figures for production, capacity, capacity utilization, sales and demand, whereas capacity was disclosed in earlier investigation against China; (d) financial statements, which are available through the website of MCA at a nominal fee.

iii. If producers / exporters from other countries are treated as non-cooperative for not providing relevant information, a different standard cannot be set for the domestic industry.

iv. The applicant has claimed excessive confidentiality with regard to transaction-wise import data, in violation of Exotic Décor vs. Designated Authority.

v. Non-injurious price of the domestic industry have been claimed confidential. Since the applicant has misrepresented information with regard to product under consideration and domestic industry, the various elements for determination of non-injurious price must be disclosed.

vi. Information on normal value and export price and the adjustments claimed were kept confidential. Summaries provided thereof do not enable Egypt to verify the methodology used to calculate dumping margin.

vii. Source of exchange rate for conversion of normal value from Rupees to USD has not been enclosed.

viii. The applicants did not disclose the selling price of subject goods and thus, Egypt is not able to analyse whether subject imports were actually dumped in India.

ix. Applicants have not shared the total demand in the Indian market and the share of domestic industry, other producers and subject imports in demand. Any fall in market share is due to shutdown of OCIPL in 2018-19.

x. The applicants did not disclose the selling price of subject goods and thus, Egypt is not able to analyse whether subject imports were actually dumped in India.

E.3. Examination by the Authority

26. With regard to confidentiality of information, Rule 7 of Anti-dumping Rules provide as follows:

> *"Confidential information: (1) Notwithstanding anything contained in sub-rules (2), (3) and (7)of rule 6, sub-rule(2) of rule12,sub-rule(4) of rule 15 and sub-rule (4) of rule 17, the copies of applications received under sub-rule (1) of rule 5, or any other information provided to the designated authority on a confidential basis by any party in the course of investigation, shall, upon the designated authority being satisfied as to its confidentiality, be treated as such by it and no such information shall be disclosed to any other party without specific authorization of the party providing such information.*
>
> *(2) The designated authority may require the parties providing information on confidential basis to furnish non-confidential summary thereof and if, in the opinion of a party providing such information, such information is not susceptible of summary, such party may submit to the designated authority a statement of reasons why summarization is not possible.*
>
> *(3) Notwithstanding anything contained in sub-rule (2), if the designated authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorise its disclosure in a generalized or summary form, it may disregard such information."*

27. Non-confidential version of the information provided by various interested parties were made available to all interested parties as per Rule 6(7) and Trade Notice No. 10/2018 dated 7th September 2018 read with Trade Notice 01/2020 (as extended by the Authority till further notice)

28. With regard to confidentiality of information, the Authority notes that the information provided by the domestic industry and the other interested parties on confidential bases was examined with regard to sufficiency of the confidentiality claims in accordance with Rule 7 of the Rules. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims, wherever warranted and such information has been considered confidential.

F. MISCELLANEOUS

F.1. Submissions by the domestic industry

29. The following miscellaneous submissions have been made by the domestic industry:

i. Contrary to the claims of the interested parties, only prima facie evidence is required at the stage of initiation as was held by High Court in Rajasthan Textile Mills Association vs. Dir. General of Anti-Dumping and by Tribunal in Huawei Technologies Co. Ltd. Vs. Designated Authority and Automotive Tyre Manufacturer's Association Vs. Designated Authority.

ii. With regard to not filing the written submission in the first oral hearing, no infirmity arises by not filing the written submissions for the first oral hearing. According to Rule 6, oral submissions shall not be taken into account unless reproduced in writing. Since the oral arguments raised in the first hearing could not be considered anyway, no infirmity arises due to the domestic industry not filing written submissions.

iii. A party can be treated non-cooperative only when it refuses to provide information to the Authority and not merely because it opted to not file a submission. Termination of the investigation is not warranted as the interested parties have not proved that failure to file written submissions falls under Rule 14. Timelines for filing rejoinder is only for submissions made pursuant to second oral hearing.

iv. Contrary to claims in this regard, the petition was complete in all aspects at the stage of initiation.

v. Cost of capacity expansion is not included in the cost of production but capitalized.

vi. The domestic industry sold goods throughout 2018-19 even when its plant was shutdown, which is evident from the month wise sales submitted.

vii. The investigation was initiated after due examination of the evidence. The initiation notification states that the Authority satisfied itself as the accuracy and adequacy of the evidence.

viii. The contention that OCIPL maintained a monopoly position in the past is without merit, as each user was free to import the subject goods.

ix. There are two producers in the market, hence, monopoly cannot arise. Anti-dumping duty does not prevent imports but only ensures them at fair prices. The users are also free to import from other countries.

x. The investigation was initiated on 4th August 2020 while the period of investigation is upto March 2020, the lag between the two is less than 6 months.

F.2. <u>Submissions by other interested parties</u>

30. The following miscellaneous submissions have been made by the other interested parties:

i. More clarification is required from DGTR regarding the methodology for calculating annualized figures of imports in the period of investigation.

ii. The domestic industry did not file written submissions in the last oral hearing without taking prior approval of the Authority. The interested parties filed their written submissions which gave more time to the domestic industry to defend its interests by rebutting the same in the second oral hearing. The other interested parties were denied the same opportunity. The domestic industry should be treated as non-cooperating interested party and the investigation should be terminated.

iii. The investigation has been initiated without a proper evaluation of the relevant factors and (a) imports have been referred as 'dumped' and in an illegal manner and (b) no prior examination of other factors such as slow-down in automotive and wind-energy sector, wherein HS glass fibre is used and for which the applicants recently set up a new furnace has been done (c) product mix includes products not being exported to India (d) imports from other countries constitute 50% of the total imports

iv. The Authority could not have satisfied itself as to the accuracy and adequacy of the evidence presented in the petition and accordingly, the initiation has been rendered void-ab-initio warranting termination of investigation.

v. There is a time lag of 8 months between the initiation and the proposed period of investigation.

vi. The claim of the domestic industry that it has invested in capacity to reduce unnecessary reliance on imports shows an intention to create a monopoly.

vii. The applicant increased its prices by 30% post period of investigation, taking advantage of the trade chilling effect anti-dumping investigations cause.

viii. Since the claims of the domestic industry regarding dumping and injury are not tenable, no case is made out for provisional measures.

F.3. <u>Examination by the Authority</u>

31. The Authority notes that the period of investigation in the present investigation is 1st April 2019 – 31st March 2020 which is a full year. Hence, there is no relevance of annualized data in the present investigation. Data submitted by the domestic industry and the injury period pertain to a full year. Further, the Authority initiated the present investigation on 4th August 2020, implying a time lag of 4 months between the initiation of investigation and the end of the period of investigation, and not 8 months as claimed by the interested parties.

32. The other interested parties have contended that the domestic industry had not filed submissions pursuant to the first oral hearing. The Authority notes that Rule 6(6) of the Anti-Dumping Rules provides as under:

> "*(6) The designated authority may allow an interested party or its representative to present the information relevant to the investigation orally but such oral information shall be taken into consideration by the designated authority only when it is subsequently reproduced in writing.*"

Rule 6(6) provides that the arguments made orally shall not be taken into account unless reproduced in writing. The arguments made in the first hearing could not have been considered due to the appointment of a new Director General during the course of the investigation and before the final findings were released. Since a second hearing was conducted and the arguments made therein have been reproduced in writing by the domestic industry, the same have been considered by the Authority.

33. The Authority notes that the Applicants have provided a duly substantiated application based on which the present investigation was initiated. The present investigation was initiated based on the data/information provided by the domestic industry and by prima facie satisfying itself that there is sufficient evidence of dumping, injury and causal link. The application contained all information relevant for the purpose of initiation of investigation.

34. The interested parties have contended that imposition of duties would result in a monopoly situation in the market. However, the Authority does not find any merit in the same as the anti-dumping duty does not prevent imports, but merely ensures that the imports enter the market at undumped prices. Further, there is one more producer of the subject goods in India, which would ensure inter-se competition between the domestic producers, as well as competition with imports from other countries.

G. NORMAL VALUE, EXPORT PRICE AND DETERMINATION OF DUMPING MARGIN

G.1. Submissions by the domestic industry

35. The submissions made by the domestic industry with regard to the normal value, export price and dumping margin are as follows:

i. The Applicants were not able to obtain the price of like product in the subject countries and did not have access to any market agency reports for determination of the normal value. Since other products are also imported under the same HS codes the price of imports and exports from the subject countries could not be used for determination of normal value. Thus, the normal value has been determined based on price payable in India which is based on the cost of production of the domestic industry along with selling, general and administrative cost and reasonable additions of profits.

ii. There is a need to examine the source of investment, related party inputs, services, financing, technology or support received by CPIC Abahsain Fiberglass W.L.L (CPIC Bahrain) and Jushi Egypt for Fiberglass Industry S.A.E as both the entities were set up pursuant to support of Government of China PR with cooperation from the Governments of the subject countries.

iii. CPIC Bahrain has been set up in Bahrain International Investment Park (BIIP) and enjoys all of the benefits of a free zone without any barriers normally applicable to free zones.

iv. Jushi Egypt has been established in the China-Egypt Suez Economic and Trade Cooperation Zone (SETC-Zone), pursuant to a Memorandum of Understanding between the two companies. In the SETC-Zone, Jushi Egypt benefits from the pooled resources of the Government of Egypt and the Government of China.

v. If any input or service is received by the exporters from China PR, an adjustment should be made for fair market value and price actually paid by the producers. In anti-dumping investigation on Rubber Chemicals viz. MBT, TDQ, PVI and TMT from China PR and PX-13(6PPD) from China PR and Korea RP, the Authority held that since the raw material was sourced from a non-market economy (China PR), the cost cannot be relied upon. This was ratified by CESTAT in Kumho Petrochemicals Company Limited V. Designated Authority.

vi. The European Commission issued anti-subsidy findings on imports of subject goods from Egypt and held that Jushi Egypt had benefitted from the subsidies received directly and indirectly from Government of Egypt and China PR. Jushi China had itself financed these intercompany loans via external financing from Chinese financial institutions. Jushi Egypt benefitted from grants from CNBM, a Chinese state-controlled entity, through equity injections, and also supply of land at less than adequate remuneration, VAT exemption, import tariff waivers on imported raw materials used for exported goods.

vii. Since the price lists of the producers in subject countries were not publicly available, the domestic industry was constrained to rely on constructed normal value in the absence of other information. In Automotive Tyre Manufacturers' Association V. Designated Authority, the Tribunal held that the domestic industry cannot be faulted for furnishing normal value on the basis of constructed cost of production.

viii. The adjustments claimed for export price are as per the consistent practice of the Authority and cannot be considered excessive.

ix. Contrary to allegation in this regard, Domestic industry has not added commission in determination of normal value.

x. The domestic industry has shared the calculation for the export price in the non-confidential version. The normal value has been verified by the Authority.

xi. No adjustments have been claimed by the domestic industry for level of trade. Normal value and export price have been adjusted to arrive at ex-factory level.

G.2. <u>Submissions by other interested parties</u>

36. The submissions made by the other interested parties with regard to the normal value, export price and dumping margin are as follows:

i. While the applicant has claimed that the exporters are owned by producers in China PR, it itself is a multinational company with its own production facilities in China.

ii. Constructed normal value on data related to the cost of production led to an ambiguous and biased constructed value that lacks any valid evidence.

iii. Constructed normal value can be used only in case when there are no sales in ordinary course of trade in the domestic market. The economic positions in India differs from that in Egypt in terms of employment, wages, GDP, interest rate and total area of the State, thus, even if constructed normal value has to be determined, it should be based on records of Egyptian producers.

iv. The export price is distorted since the HS Code of the product under investigation covers other products classified under "others". Further, the applicant has used many adjustments to deflate the export price.

v. Sourcing raw materials and other inputs from China is not a reason to disregard information concerning normal value of a producer.

G.3. <u>Examination by the Authority</u>

37. Under Section 9A(1)(c), normal value in relation to an article means:

i. The comparable price, in the ordinary course of trade, for the like article, when meant for consumption in the exporting country or territory as determined in accordance with the rules made under sub-section (6), or

ii. *When there are no sales of the like article in the ordinary course of trade in the domestic market of the exporting country or territory, or when because of the particular market situation or low volume of the sales in the domestic market of the exporting country or territory, such sales do not permit a proper comparison, the normal value shall be either:*

a. comparable representative price of the like article when exported from the exporting country or territory or an appropriate third country as determined in accordance with the rules made under sub-section (6); or

b. the cost of production of the said article in the country of origin along with reasonable addition for administrative, selling and general costs, and for profits, as determined in accordance with the rules made under sub-section (6);

38. The Authority sent questionnaires to the known producers/exporters from the subject countries, advising them to provide information in the form and manner prescribed by the Authority. The

following producers/exporters have co-operated in the investigation by filing the prescribed questionnaire responses:

i. CPIC Abahsain Fiberglass W.L.L

ii. Jushi Egypt for Fiberglass Industry S.A.E

39. The responses of the cooperating producers/exporters have been examined for determining normal value, export price and dumping margin.

Determination of Normal Value and Export Price for Bahrain

Determination of Normal Value and Export Price for cooperating producers and exporters

CPIC Abahsain Fiberglass W.L.L

a. Normal value

40. Based on the information furnished in the exporter's questionnaire response, the Authority notes that CPIC Abahsain Fiberglass W.L.L is a producer of the subject goods and has exported the subject goods to India directly to unrelated customers during the period of investigation. It is noted that the producer/exporter has not sold sufficient subject goods in the domestic home market during the POI when compared with exports to India. The producer/exporter has claimed normal value based on its cost of production. The Authority notes that in a situation where there are no/insufficient sales of the like article in the ordinary course of trade in the domestic market of the exporting country, the normal value shall be either comparable representative price of the like article when exported from the exporting country or territory to an appropriate third country or the cost of production of the said article in the country of origin along with reasonable addition for administrative, selling and general costs, and for profits. The Authority has therefore considered it appropriate to determine normal value in the present case on the basis of cost of production data for each PCN furnished by the exporter plus a reasonable profit margin and the same is shown in the Dumping Margin Table below.

b. Export Price

41. During the period of investigation, the producer/exporter has exported *** MT of subject goods to India. The exporter has claimed adjustments on account of freight and other related expenses, bank charges, credit cost in order to arrive at the net export price at ex-factory level. These adjustments have been accepted by the Authority. Accordingly, the net export price at ex-factory level for CPIC Abahsain Fiberglass W.L.L has been determined, which is indicated in the Dumping Margin Table below.

Determination of Normal Value and Export Price for non-cooperating producers and exporters

42. The normal value and the export price for other non-cooperating exporters from Bahrain has been determined as per facts available taking into account the data examined for the co-operating exporters and the same is mentioned in the dumping margin table.

Determination of Normal Value and Export Price for Egypt

Determination of Normal Value and Export Price for cooperating producers and exporters

Jushi Egypt for Fiberglass Industry S.A.E.

a. Normal value

43. Based on the verified information furnished in the exporter's questionnaire response, the Authority notes that Jushi Egypt for Fiberglass Industry S.A.E is a producer of the subject goods and has exported the subject goods to India during the period of investigation to unrelated customers directly as well as though related importer namely, Jushi India Fiberglass Private Limited. The producer sells the subject goods in the domestic market as well as export markets including India. The domestic sales are in sufficient volumes when compared with exports to India. To determine the normal value, the Authority conducted the ordinary course of trade test to determine profit making domestic sales transactions with reference to the cost of production of subject goods for each PCN. Where the profit-making transactions for particular PCN is more than 80%, all transactions in the domestic sales

are being considered for the determination of normal value and in cases profit making transactions are less than 80%, only profitable domestic sales are being taken into consideration for the determination of the normal value. The producer has claimed adjustment on account of inland transportation, credit cost and the same have been allowed by the Authority. The normal value determined is mentioned in the dumping margin table.

b. Export price

44. During the period of investigation, the producers/exporters have exported 9840 MT of subject goods to India. The exporter has claimed adjustments on account of ocean freight, inland transportation, insurance, expenses, bank charges, credit cost in order to arrive at the net export price at ex-factory level. These adjustments have been accepted by the Authority. Accordingly, the net export price at ex-factory level for Jushi Egypt for Fiberglass Industry S.A.E has been determined, which is indicated in the Dumping Margin Table below.

Determination of Normal Value and Export Price for non-cooperating producers and exporters

45. The normal value and the export price for other non-cooperating exporters from Egypt has been determined as per facts available taking into account the data examined for the co-operating exporters and the same is mentioned in the dumping margin table.

Determination of dumping margin

46. Considering the normal value and export price, the dumping margin for the subject goods from the subject country has been determined as follows: -

Sl.No.	Name of Producer	Normal Value (USD/MT)	Export Price (USD/MT)	Dumping Margin (USD/MT)	Dumping Margin (%)	Dumping Margin (Range)
1	CPIC Abahsain Fiberglass W.L.L	***	***	***	***	30-40
2	Jushi Egypt for Fiberglass Industry S.A.E	***	***	***	***	0-10
3	Non-cooperative / residual exporters from Bahrain	***	***	***	***	35-45
4	Non-cooperative / residual exporters from Egypt	***	***	***	***	0-10

H. DETERMINATION OF INJURY AND CAUSAL LINK

H.1. Submissions by the domestic industry

47. Following submissions have been made by the domestic industry with regard to the Injury and causal link are as follows:

i. Since the conditions of cumulative assessment of injury are satisfied, hence, the trend of imports cannot be examined only for Bahrain.

ii. Conditions of competition between the imports inter-se justify cumulation of injury. While the price of imports from Egypt is higher than the price from Bahrain, the two have moved in tandem.

iii. Volume of imports from each of the subject countries is more than 3% and hence, significant.

iv. The domestic industry has not filed an application against Brazil and USA as the volume of imports from these countries is low.

v. The plant of the domestic industry was shut down as the Applicant upgraded its furnace and enhanced its capacity. Such shutdown was abnormal in nature and the effect of the same has been adjusted in the data provided. Even if the effect of such shutdown is segregated, the domestic industry has suffered injury.

vi. The domestic industry has invested in capacity so that the product under consideration is available domestically and there is no unnecessary reliance on imports. However, the users will not be precluded from importing the goods by the imposition of duties.

vii. It is costly to curtail production. Had the domestic industry not exported the subject goods, it would have suffered from even more inventories. Inventories have been built up due to inability of the domestic industry to sell the subject goods in the domestic market owing to the price undercutting.

viii. Employment, production and wages depend upon a number of factors. Increase in manpower is due to increase in installed capacity.

ix. The domestic industry has exported the subject goods under compulsion, at losses.

x. While the merchant demand has declined, the total demand has increase and the subject imports have increased more than the increase in demand.

xi. The production of the domestic industry has increased due to increase in utilization in downstream products.

xii. The production efficiency of the domestic industry was not low during the period of investigation which is evident from the month-wise data submitted by the domestic industry.

xiii. The imports have increased in absolute and relative terms.

xiv. The price undercutting is positive and significant even though the domestic industry is selling at unremunerative prices and incurring losses.

xv. The imports have entered the market below the cost of sales of the domestic industry.

xvi. The imports are suppressing and depressing the prices of the domestic industry.

xvii. The submission that there was no price depression in 2018-19 should not be considered as 2018-19 was affected by the shutdown of domestic industry. The domestic industry has claimed injury based on performance during the period of investigation and not in 2018-19.

xviii. Contrary to claims of the interested parties, the price of every PCN has declined during the period of investigation.

xix. Despite ample demand in the country, the capacity utilisation and domestic sales have declined.

xx. The domestic industry has lost its potential market share to the subject imports. The Indian industry as a whole had the capacity to cater to approximately entire Indian demand, however, the market share held by it is much lower.

xxi. The domestic industry incurred losses in the period of investigation.

xxii. The cash profits of the domestic industry declined over the injury period and the domestic industry has recorded a negative return on capital employed in the period of investigation.

xxiii. Segregated data for OCIPL shows the same trends except for sales and market share.

xxiv. Exclusion of OCIIPL does not impact the dumping margin, injury margin or standing.

xxv. Regarding the contention that the domestic industry has suffered due to poor quality, it was submitted that the domestic industry has been selling the subject goods for years and the claim that it is not able to sell due to quality is unwarranted.

xxvi. Regarding the submission that the domestic industry acknowledged a slowdown in demand in its financial statements, it was submitted that there is a slowdown in growth of demand, but no decline. Further, the market share of the domestic industry has been taken away by the subject imports as the sales of domestic industry have declined more than the decline in merchant demand while the subject imports have increased.

xxvii. The submission of interested parties that there was a decline in the wind energy market leading to lower offtake the HM Glass, contradicts the submission made by the other interested parties that domestic industry is captively consuming the HM glass and not selling the same in the market. Captive consumption of the domestic industry has increased.

xxviii. Submission that inclusion of Goa Glass Fibre would have shown that the injury is due to some other factor is incorrect as its performance showed deterioration and it suffered losses in the period of investigation.

xxix. No other factor has caused injury to the domestic industry, and the injury to the domestic industry is caused due to dumping.

xxx. The cost of capacity expansion is not included in the cost of production, but capitalised. The domestic industry has furnished data after segregating the loss due to loss of production.

xxxi. The price of subject imports being lower or higher than the price of imports from China PR is not relevant for injury or dumping.

xxxii. Injury analysis only relates to domestic operations. Reference to export price and cost of sales has no relevance.

xxxiii. The injury suffered cannot be attributed to inter-se competition as Goa Glass Fibre is the only other producer in the market and its production is very less.

xxxiv. Regarding the submission that the domestic industry has suffered injury due to rebuilding of furnace, it was submitted that the same is inherent to the industry. OCIPL is allowing depreciation on its new furnace on straight-line basis, hence, the depreciation will be uniform over the entire life of the furnace and no abnormal depreciation has been charged in the first year. Even after excluding the depreciation of the new furnace, EBIDTA of the domestic industry shows a decline.

xxxv. Contrary to contentions of the interested parties, new furnace does not lead to a new product and no approvals of the customers are required by the domestic industry.

xxxvi. The furnace was stabilized prior to period of investigation as it takes only one to two months to stabilize, this is evident from the month wise production submitted by the domestic industry. Second grade material produced during the stabilization period was exported by the domestic industry in the period of investigation as a buyer was not found earlier.

xxxvii. All transactions with the related parties are at arm's length prices which is evident from the fact that OCIPL is required to submit Transfer Pricing Audit Report to the income tax authorities every year. The Authorities have not made any adjustment to the arm's length prices in such reports. In any case, whether exports at arm's length prices or not are not relevant for the current investigation.

xxxviii. The domestic industry has not suffered injury due to captive consumption as the underutilised capacity and inventories with the domestic industry were sufficient to cater to higher share in demand.

xxxix. There is no significant impact of change in accounting policy. The increase in expenses due to such change is much less than the losses incurred by the domestic industry. Even if such impact is removed the data will show injury. The expenses on lease cannot be disregarded for determination of non-injurious price as it is required to be determined as per the records of the company.

xl. The OCIPL borrowed in foreign currency because it had related parties who were willing to lend money. OCIPL borrowed by the way of ECB. The interest paid is comparable to normal borrowing rates for ECB and is much lower than the domestic interest rate.

xli. The equipment purchased by Owens Corning are from specific vendors who have designed them to meet the stringent quality standards. However, shipment of capital goods is made to the entity using the equipment and the billing is done by Owens-Corning to such entity on a cost-to-cost basis.

xlii. The submission that any injury suffered by the domestic industry prior to 2018-19 was due to expired furnace is not relevant as the domestic industry has not claimed injury prior to 2018-19.

xliii. Only transaction related to product under consideration are included and import segregation methodology has been provided in the petition.

H.2. Submissions by other interested parties

48. Following submissions have been made by the other interested parties with regard to the injury and causal link are as follows:

i. The application is targeted against producers that are not related to the OCV group, as evident from the fact that USA has not been included despite low prices and Brazil despite significant quantities.

ii. Since there is no dumping and the applicants have not examined the conditions of competition between imports inter-se, the conditions of cumulation have not been satisfied.

iii. Since the imports from Bahrain declined, while that from Egypt increased, the imports from the two cannot be cumulated.

iv. Existence of alleged injury in the period of investigation is likely to be caused by imports from Egypt and China rather than Bahrain as.

a. Volume of imports from Bahrain are low when compared to China and Egypt, and it accounts for only 9% of total imports.

b. The imports from Bahrain have declined by 40% as compared to previous year while the imports from Egypt have increased by 29.1%.

c. The volume of imports from China has increased over the injury period and commands an almost 50% share of imports despite them being subject to anti-dumping duty.

v. It is incorrect to suggest that injury is not caused by imports from China PR as the applicants have recently requested for a sunset review against China PR.

vi. The CIF price of subject imports is higher than the price of imports attracting anti-dumping duties.

vii. Imports from other countries are 81% while subject imports are only 19.2%.

viii. If the submission of the applicants is to be accepted, then all lost sales, piling up of inventories and losses would be attributable to subject imports, which account a mere one-fourth of the total imports into India, which is an absurd proposition.

ix. The deterioration in profitability of the domestic industry is likely due to its wrong decision to expand capacity, rather than subject imports.

x. The injury is due to expansion of existing furnace to manufacture Advantex E-Glass, and rebuilding of High Modulus furnace, which led to higher absorption fixed costs, higher charge of depreciation, and higher financial costs towards borrowed funds, leading to a spurt in cost of sales. The same has also been acknowledged in the financial statement of OCIPL of 2018-19.

xi. The cost of production of the applicant is high as the production efficiency of the furnaces is low and generation of rejects is high during the initial years of new furnaces.

xii. OCIPL has exported second quality goods at very cheap prices during this period, because its production had not stabilized.

xiii. The new furnace was set up in 2019 and accordingly, the applicants must file its project report and feasibility report, which would show that the product was meant to cater to a specialized and niche market.

xiv. The applicants have failed to disclose that the new product at the new furnace is yet to be approved by any customer and the approval normally takes one or two years. Since the product was not approved, the applicants had to necessarily export the product to its related entities at lower prices.

xv. During the period of investigation, the economic parameters of the domestic industry may not be reliable. For wind-grade applications the approval time extends upto 2 years before the orders may be placed.

xvi. The capacity utilization of the applicant is low as it cannot reach full utilization in the very next year after expansion, and it has already achieved 85% utilization.

xvii. Capacity expansion has led to 19.9% increase in the average stock volume during period of investigation, while the imports dropped by 10% in the period of investigation.

xviii. The expense cost incurred on capacity expansion has not been segregated by the Authority.

xix. As per the annual report of the applicant, it suffered due to higher absorption of fixed costs, depreciation and financial costs.

xx. The loss of production and cost over-run on account of capital cost are being attributed to the imports.

xxi. The production of the domestic industry increased during the injury period and the imports in relation to production declined. Increase of imports in relation to consumption is due to complete shutdown of the domestic industry.

xxii. The imports increased in 2017-18 and 2018-19 to fill the demand-supply gap due to closure of OCIIPL and shutdown of plant of OCIPL respectively. Imports declined thereafter. The 500-600 users could not have survived had they waited for the domestic industry to re-establish itself. The imports have come back to a normal level.

xxiii. After resumption of domestic industry in 2018-19, the price of imports increased.

xxiv. The domestic industry has suffered due to shutdown in June-August 2018, due to which it had to resort to importation and stocking up of inventories.

xxv. The period of shutdown of OCIPL in 2018 was not determined by the applicant. Performance analysis of the domestic industry should not be made during this period. Any decline in parameters was due to the closure of OCIIPL and shutdown of OCIPL.

xxvi. The reasons for imports must be examined, as the applicants have claimed injury on one hand and are themselves responsible for loss of market shares by indulging in importation. Further, if the applicants were struggling to sell the goods in the market, explanation should be sought as to what prompted them to import the said goods.

xxvii. The domestic industry has been increasing its capacities, instead of getting rid of its increasing inventory, which has caused injury to it.

xxviii. It must be considered why such inventories have not been fully realized even in export sales especially when the domestic industry stated that the material should not be stocked for long period.

xxix. Market share of domestic industry has been decreasing over the injury period while that of other producers has been increasing, which implies that the domestic industry is suffering from inter se competition between the domestic producers.

xxx. The decline in the merchant market share of the domestic industry might be due to high cost of sales or low quality of subject goods, which is evident from the fact that Chinese imports represents majority of imports in India even after imposition of anti-dumping duty.

xxxi. Performance of domestic industry is dependent on the general market conditions of the product. The injury is not due to subject imports.

xxxii. OCIPL has acknowledged in its financial statement for the year 2018-19 that the business was negatively impacted due to continued issues in wind energy market resulting in low demand and slowdown in automotive sector.

xxxiii. The applicant has also suffered due to its inability to produce glass fibres required for special applications in wind sector, such as wind mill blade.

xxxiv. As per the financial statements of the applicant, it was earning profits in the period of investigation.

xxxv. Goa Glass, which does not manufacture HM Glass, has been able to increase its terms of production, sales, profits and cash profits as reported in its financial statements. Inclusion of Goa Glass would have shown that the injury, if any, to the applicants is due to other factors as the performance of the applicants has declined, while that of Goa Glass has improved.

xxxvi. The comparison of cost of sales and selling price of the applicant with price of imports is not appropriate, as the data of applicant includes wind grade fibres and H-glass.

xxxvii. The increase in exports was not a necessary consequence of dumping as the exports have increased significantly. Further, contrary to the statement of the applicants, it is possible for a producer to curtail production in the plant.

xxxviii. While the cost of exports has increased by 32%, the selling price has dropped by 2% indicating higher attribution of costs to domestic product.

xxxix. While domestic selling price has dropped by 6%, export selling price of applicant has dropped by 32%, showing that second grade material produced during stabilization process is being exported.

xl. Applicants have given priority to exports over domestic sales, as even though the domestic sales decreased, the exports of the domestic industry increased.

xli. The applicants have exported to related parties, which may not be at arms-length prices and can have a bearing on the injury analysis. Rather, the matter should be referred to Special Valuation Branch.

xlii. The applicant has purchased fixed assets at higher cost from affiliates, and taken ECBs from affiliates with interest rate of up to 3.5% to charge higher cost on Indian products.

xliii. There was no price depression as the price of imports increase in 2018-19 but the selling price of domestic industry decreased.

xliv. The import price has shown a decline only because average prices have been reported rather than for each PCN.

xlv. As against a demand of 1,60,000 MT to 1,70,000 MT, the domestic producers have a capacity of only 90,000 MT and the remaining demand has to be met by imports.

xlvi. While the applicants have claimed that the demand for the product has increased, the merchant demand as per data shows a decline.

xlvii. The increase in total demand while merchant demand has declined shows that the captive consumption of the applicant is increasing at the cost of the merchant demand.

xlviii. The capacity, production, sales (inc. captive), employment and productivity of the domestic industry have increased, and thus, there is no injury on this account.

xlix. Inability to sell could be due to other factors such as quality, competition among domestic producers or high cost of sales.

l. The low domestic sales were due to high captive consumption, which increased by 360% during period of investigation.

li. Increasing trends of employment, production and wages indicate that the injury suffered is due to other causes and not due to subject imports.

lii. The closure of OCIIPL was a business decision taken by parent company in US as part of its cost reduction actions, and should not be attributed to imports.

liii. MCA notified Ind AS 116, which replaced the existing lease standard, Ind AS 17. OCIPL has adopted the same during 2019-20. Under the new Ind AS, lessees will charge interest expense on the lease liability and depreciation on the right-of-use asset. Expense charged in the initial years of the lease term will be significantly higher. The significant increase in depreciation cost as well as the finance cost may be due to this. It is likely that OCIPL has shown a higher non-injurious price and inflated injury margin.

liv. Petition does not contain any evidence of material injury as it includes data relating to HM/HS Glass fibre, which is beyond the product scope.

lv. While the cost of sales and non-injurious price reported includes both HM Glass and E-glass, the selling price and landed price relates only to E-glass. Thus, separate calculation in respect of E-glass and HM glass is required.

lvi. There was improvement in the parameters in 2018-19 and the period of investigation, after OCIPL resumed production even though the subject imports increased at the same time, and thus, there is no causal link.

lvii. Return on investment, cash flows and growth declined due to closure of OCIIPL.

lviii. Any injury suffered before 2018-19 was due to expired furnaces which needed to be upgraded.

H.3. Examination by the Authority

49. The Authority has taken note of the various submissions of the domestic industry and the interested parties and has analyzed the same considering the facts available on record and the applicable laws. The injury analysis made by the Authority hereunder ipso facto addresses the various submissions made by the interested parties.

50. Rule 11 of Anti-Dumping Rules read with Annexure II provides that an injury determination shall involve examination of factors that may indicate injury to the domestic industry, "… taking into account all relevant facts, including the volume of dumped imports, their effect on prices in the domestic market for like articles and the consequent effect of such imports on domestic producers of such articles…". In considering the effect of the dumped imports on prices, it is considered necessary to examine whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of the like article in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree. For the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry in India, indices having a bearing on the state of the industry such as production, capacity utilization, sales volume, inventory, profitability, net sales realization, the magnitude and margin of dumping, etc. have been considered in accordance with Annexure II of the Anti-Dumping Rules.

51. The interested parties have argued that the domestic industry has suffered injury on account of transactions with related parties not being at arm's length prices. However, the Authority has duly verified the data provided by the domestic industry. The same has been considered for the purpose of present findings.

a) Shutdown of Applicant's Plant

52. It is noted that the plant of the Applicant was closed from 15th June 2018 to 5th September 2018. The Applicant has submitted that the plant shutdown was of abnormal nature as the same was done for upgrading its furnace and enhancing its capacities. To segregate the injury caused to the domestic industry due to such closure, the Authority has considered the adjusted information as submitted by

the Applicants after due verification. Accordingly, the Authority has analysed both the actual and adjusted figures in order to evaluate the effect of subject imports on the performance of the domestic industry.

b) Assessment of demand / apparent consumption

53. The Authority has taken into consideration, for the purpose of the present investigation, demand or apparent consumption of the product under consideration in India as the sum of domestic sales of the domestic industry and other Indian producer and imports from all sources. Further, as the Applicants have consumed substantial portion of their production captively, the demand has been assessed including and excluding captive consumption. The demand so assessed is given in the table below.

Particulars	Unit	2016-17	2017-18	2018-19	2018-19 Adj.	POI
Excluding captive						
Sales of domestic industry	MT	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	92	78	106	77
Sales of other producer	MT	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	126	144	144	127
Subject imports	MT	7,166	16,453	20,440	16,762	18,936
Other imports	MT	74,927	56,965	73,015	59,879	53,290
Total Demand	MT	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	93	102	102	87
Including captive						
Sales of domestic industry	MT	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	89	84	114	119
Sales of other producer	MT	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	126	144	144	127
Subject imports	MT	7,166	16,453	20,440	16,077	18,936
Other imports	MT	74,927	56,965	73,015	57,429	53,290
Total demand	MT	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	92	104	104	104

54. It is seen that the demand for the subject goods decreased in 2017-18 and thereafter increased in 2018-19. Demand including captive consumption increased in the period of investigation. However, the merchant demand has declined.

H.3.1 Volume effect of the dumped imports on domestic industry

a) Import volumes from the subject countries

55. With regard to the volume of the dumped imports, the Authority is required to consider whether there has been a significant increase in dumped imports, either in absolute terms or relative to production or consumption in India. For the purpose of injury analysis, the Authority has relied on the transaction wise import data procured from DGCI&S. The import volumes of the subject goods from the subject countries and share of the dumped import during the injury investigation period are as follows:

Particulars	Unit	2016-17	2017-18	2018-19	2018-19 Adj.	POI
Subject imports	MT	7,166	16,453	20,440	16,762	18,936
Other imports	MT	74,927	56,965	73,015	59,879	53,290
Total	MT	82,093	73,418	93,455	76,641	72,226
Subject imports in relation to						
Domestic production	%	***	***	***	***	***
Trend		100	236	298	193	203
Consumption	%	***	***	***	***	***
Trend		100	250	275	217	255
Total Imports	%	9%	22%	22%	22%	26%

56. It is seen that:

a. The volume of subject imports has increased significantly over the injury period.

b. Similarly, the subject imports in relation to consumption and production have increased over the injury period.

c. The share of subject imports in total imports has increased over the injury period.

H.3.2 Price effect of the dumped imports on the domestic industry

57. With regard to the effect of the dumped imports on prices, it is required to consider whether there has been a significant price undercutting by the alleged dumped imports as compared with the price of the like product in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices or prevent price increases, which otherwise would have occurred in the normal course. The impact on the prices of the domestic industry on account of dumped imports from the subject countries has been examined with reference to price undercutting, price suppression and price depression, if any. For the purpose of this analysis, the cost of production, net sales realization (NSR) and the non-injurious price (NIP) of the domestic industry have been compared with landed price of imports of subject goods from the subject countries.

a) Price undercutting

58. For the purpose of price undercutting analysis, the net selling price of the domestic industry has been compared with the landed value of imports from the subject countries. While computing the net selling price of the domestic industry all taxes, rebates, discounts and commissions have been deducted and sales realization at ex works level has been determined for comparison with the landed value of the dumped imports. In order to ensure a fair comparison, the Authority has calculated the PCN-wise price undercutting.

Particulars	Units	Bahrain	Egypt
Net sales realization	Rs./MT	***	***
Landed price	Rs./MT	54,217	65,763
Price undercutting	Rs./MT	***	***
Price undercutting	%	***	***
Price undercutting	Range	30-40%	20-30%

59. It is noted that the subject goods are entering the market at price significantly below the selling price of the domestic industry. The imports are undercutting the prices of the domestic industry in the market.

b) Price suppression/depression

60. In order to determine whether the dumped imports are depressing the domestic prices and whether the effect of such imports is to suppress prices to a significant degree or prevent price increases which otherwise would have occurred in normal course, the changes in the costs and prices over the injury period, were compared as below:

Particulars	Unit	2016-17	2017-18	2018-19	2018-19 Adj.	POI
Cost of sales	Rs./MT	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	111	134	122	145
Selling price	Rs./MT	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	100	97	97	92
Landed price	Rs./MT	69,760	62,248	65,355	65,355	60,633
Trend	Indexed	100	89	94	94	87

61. It is seen that cost has increased throughout the injury period, whereas the selling price has declined over the injury period. The landed price of imports has also declined over the injury period. Thus, the imports are suppressing and depressing the prices of the domestic industry.

H.3.3 Economic parameters of the domestic industry

62. Annexure II to the Anti-Dumping Rules requires that the determination of injury shall involve an objective examination of the consequent impact of dumped imports on the domestic producers of such products. With regard to consequent impact of dumped imports on the domestic producers of such products, the Anti-Dumping Rules further provide that the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry should include an objective and unbiased evaluation of all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the industry, including actual and potential decline in sales, profits, output, market share, productivity, return on capital employed or utilization of capacity; factors affecting domestic prices, the magnitude of the margin of dumping; actual and potential negative effects on cash flow, inventories, employment, wages, growth, ability to raise capital investments.

63. The Authority has examined the injury parameters objectively taking into account various facts and arguments made by the interested parties in their submissions.

a) Production, capacity, capacity utilization and sales

64. Capacity, production, sales and capacity utilization of the domestic industry over the injury period were as below:

Particulars	Unit	2016-17	2017-18	2018-19	2018-19 Adj.	POI
Capacity	MT	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	94	91	121	153
Production	MT	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	93	88	117	131
Capacity utilization	%	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	100	96	96	85

Domestic sales	MT	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	92	78	106	77
Export sales	MT	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	39	69	94	340
Captive consumption	MT	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	66	138	183	485

65. The Authority notes that:

i. The capacity of the domestic industry has increased over the injury period.

ii. The production declined in 2017-18 but increased thereafter in the period of investigation.

iii. The capacity utilization of the domestic industry declined during the period of investigation.

iv. The domestic sales have also declined over the injury period.

b) Market share

66. Market share of the domestic industry including and excluding captive consumption and that of imports was as shown in table below:

Particulars	Unit	2016-17	2017-18	2018-19	2018-19 Adj.	POI
Including Captive						
Subject imports	%	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	250	275	217	255
Other imports	%	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	83	94	74	69
Domestic industry	%	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	97	81	110	115
Other producers	%	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	137	139	139	122
Total	%	100%	100%	100%	100%	100%
Excluding Captive						
Subject imports	%	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	246	279	229	305
Other imports	%	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	82	95	78	82
Domestic industry	%	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	99	76	104	89
Other producers	%	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	135	141	141	146
Total	%	100%	100%	100%	100%	100%

67. It is seen that the market share of the domestic industry in total demand has increased over the injury period, but the market share in merchant demand has declined. This indicates that the domestic industry has been able to increase its market share in total demand only because of higher captive consumption. By comparison, the market share of imports has increased over the period.

c) Inventories

68. Inventory position of the domestic industry over the injury period is given in the table below:

Particulars	Unit	2016-17	2017-18	2018-19	2018-19 Adj.	POI
Opening inventory	MT	***	***	***	***	***
Closing inventory	MT	***	***	***	***	***
Average inventory	MT	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	148	201	201	208

69. It is seen that the average inventories with the domestic industry increased over the injury period, indicating accumulation of inventories. The average level of inventories has shown an increase of 108% in the period of investigation as compared to the base year.

d) Profitability, cash profits and return on capital employed

70. Profitability, return on investment and cash profits of the domestic industry over the injury period is given in the table below:

Particulars	Unit	2016-17	2017-18	2018-19	2018-19 Adj.	POI
Cost of sales	Rs./MT	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	111	134	122	145
Selling price	Rs./MT	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	100	97	97	92
Profit/(loss)	Rs./MT	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	79	30	51	-4
Profit/(loss)	Rs. Lacs	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	73	23	54	-3
Cash profits	Rs. Lacs	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	78	43	79	22
Return on capital employed	%	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	73	21	30	7

71. The Authority notes that:

a. The profitability of the domestic industry has declined continuously throughout the injury period. The domestic industry has incurred losses in the period of investigation.

b. The cash profits have also declined throughout the injury period.

c. The return on capital employed has declined throughout the injury period.

72. Some interested parties have submitted that the domestic industry has suffered injury on account of capacity expansion, entailing higher finance and depreciation costs. To examine the same, the

Authority has considered the EBIDTA of the domestic industry. It is noted that the EBIDTA of the domestic industry also shows a decline. Therefore, the injury suffered by the domestic industry is not on account of high finance and depreciation costs.

Particulars	Unit	2016-17	2017-18	2018-19	2018-19 Adj.	POI
EBIDTA	Rs. Lacs	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	78	51	87	34

e) Employment, wages and productivity

73. The Authority has examined the information relating to employment, wages and productivity, as given below.

Particulars	Unit	2016-17	2017-18	2018-19	2018-19 Adj.	POI
No of employees	Nos	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	112	103	103	109
Productivity per day	MT/Day	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	93	117	117	174
Productivity per employee	MT/Nos	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	83	85	113	120
Wages	Rs. Lacs	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	102	104	104	97
Wages per unit	Rs./MT	6,581	7,237	7,772	5,829	4,879
Trend	Indexed	100	110	118	89	74

74. It is seen that number of employees of the domestic industry has increased over the injury period. The productivity of the domestic industry has also increased over the injury period. Wages and wages per unit have declined over the injury period.

f) Magnitude of dumping

75. It is noted that the subject goods are being dumped into India and the dumping margin is positive and significant.

g) Growth

Particulars	Unit	2016-17	2017-18	2017-18 Adj.	2018-19	POI
Production	%	-	-7	-6	25	49
Domestic sales	%	-	-8	-16	15	-1
Profit/(loss) per unit	%	-	-21	-62	-35	-115
Cash profit	%	-	-22	-45	1	-48
Return on capital employed	%	-	-27	-72	-59	-67

76. It is noted that while the domestic industry was able to achieve a positive growth in respect of production, its position deteriorated with regard to domestic sales, profits/loss, cash profits and return on capital employed.

h) Ability to raise capital investment

77. It is noted that the domestic industry has recorded a negative growth in profitability parameters. The domestic industry is incurring losses. This shows that the dumped imports have impacted the ability of the domestic industry to raise capital investment for the product under consideration.

i) Factors affecting prices

78. The Authority notes that the landed price of imports declined over the injury period, and is undercutting the prices of the domestic industry, which has created a strain on the prices of the domestic industry. As a result, while the selling price of the domestic industry declined over the injury period, even though the cost of sales increased. Thus, the imports have affected the prices of the domestic industry.

H.3.4 Overall assessment of injury

79. The examination of the imports of the product under consideration and performance of domestic industry clearly shows that:

i. The volume of imports has increased both in absolute terms as well as in relation to production and consumption in India.

ii. The imports are undercutting the prices of the domestic industry.

iii. The imports have suppressed and depressed the prices of the domestic industry.

iv. The capacity and production of the domestic industry have increased over the injury period. However, the capacity utilisation and domestic sales of the domestic industry have declined over the injury period.

v. The merchant market share of the domestic industry has declined while that of the subject imports has increased over the injury period.

vi. The average level of inventories of the domestic industry has increased over the injury period.

vii. The domestic industry has incurred losses in the period of investigation.

viii. The cash profits of the domestic industry have declined significantly over the injury period.

ix. Return on capital employed of the domestic industry has declined significantly over the injury period and the domestic industry has recorded a negative return on capital employed.

x. The number of employees, wages and productivity of the domestic industry has improved.

xi. While the production of the domestic industry has shown growth, the profitability parameters and sales have shown negative growth.

xii. The imports have impacted the ability of the domestic industry to raise capital investments of the product under consideration.

xiii. The dumping margin is positive and significant.

80. In view of the foregoing, the Authority concludes that the domestic industry has suffered material injury.

H.3.5 Non-attribution analysis and casual link

81. As per the Anti-Dumping Rules, the Authority, inter alia, is required to examine any known factors other than the dumped imports which at the same time are injuring the domestic industry, so that the injury caused by these other factors may not be attributed to the dumped imports. Factors which may be relevant in this respect include, inter alia, the volume and prices of imports not sold at dumped prices, contraction in demand or changes in the patterns of consumption, trade restrictive practices of and competition between the foreign and domestic producers, developments in technology and the export performance and the productivity of the domestic industry. It has been examined below

whether factors other than dumped imports could have contributed to the injury to the domestic industry.

a) Volume and value of imports from third countries

It is seen that other that subject imports, major imports are from China PR and Thailand. However, imports from China PR attract anti-dumping duty. Imports from Thailand are priced much more than the price of the subject imports. Other than these, imports from other countries are negligible in volume. Thus, it cannot be said that imports from other countries are causing injury.

b) Contraction in demand

The Authority notes that there is no contraction in demand

c) Changes in the pattern of consumption

There is no material change in the pattern consumption of the product under consideration.

d) Trade restrictive practices

The Authority notes that there are no trade restrictive practices.

e) Change in technology

The Authority notes that technology for production of subject goods has not undergone a change.

f) Productivity

The Authority notes that the productivity of the domestic industry has increased over the injury period.

g) Export performance of the domestic industry

The Authority has considered the data for domestic operations only.

h) Performance of other products

The Authority has only considered data relating to the performance of the subject goods.

I. <u>MAGNITUDE OF INJURY MARGIN</u>

82. The Authority has determined non-injurious price for the domestic industry on the basis of principles laid down in Anti-Dumping Rules read with Annexure III, as amended. The non-injurious price of the product under consideration has been determined by adopting the verified information/data relating to the cost of production for the period of investigation. The non-injurious price of the domestic industry has been worked out and it has been compared with the landed price from each of the producers/exporters from the subject countries for calculating injury margin. The injury margin for the non-cooperative exporters has been determined based on the facts available with the Authority.

SN	Name of producers	Non-injurious price	Landed price	Injury margin	Injury margin	Injury margin
		(USD/MT)	(USD/MT)	(USD/MT)	(%)	(Range in %)
1.	CPIC Abahsain Fiberglass W.L.L	***	***	***	***	40-50
2.	Jushi Egypt for Fiberglass Industry S.A.E	***	***	***	***	25-35
3.	Non-cooperative / residual exporters from Bahrain	***	***	***	***	40-50
4.	Non-cooperative / residual exporters from Egypt	***	***	***	***	30-40

J. POST DISCLOSURE COMMENTS

83. The Authority notes that most of the submissions made by the interested parties in response to the disclosure statement are repetitive in nature and the interested parties have largely reiterated their earlier submissions, which have already been examined and addressed by the Authority. Following are the additional submissions made by the domestic industry and other interested parties on the disclosure statement.

J.1. Submissions by other interested parties

84. The other interested parties reiterated their submissions with regards to scope of product under consideration, like article, domestic industry, injury and causal link. Additionally, the other interested parties have submitted as follows post disclosure:

i. The Authority did not notify the Government of Bahrain after receipt of a properly documented application and before initiation. This is in violation to Article 5 of the Anti-Dumping Agreement.

ii. The Authority granted insufficient time to the interested parties to furnish comments on the Disclosure Statement, which is in violation of principles of natural justice.

iii. Since H-glass is not imported from the subject countries, it should be excluded from the scope of product. The production of H-Glass has a much higher capital cost than the production of ECR Glass. Merely because the customers who were buying ECR glass have started buying H-glass does not ipso facto mean that the H-glass is being bought as substitution of ECR glass.

iv. The PCN methodology has been notified belatedly and for the first time in the disclosure statement. In such a situation, time provided is not sufficient to make detailed submissions on the issue. As per the Manual of SOP, the Authority may only notify PCNs within 60 days from the date of initiation.

v. Since PCNs were not notified by the Authority, the exporter submitted data according to its internal control number. The Authority has disregarded such data and has adopted PCN wise analysis at the time of Disclosure which has inflated the dumping margin for the exporter.

vi. PCNs made by the Authority aggregates the products into four broad categories which is inconsistent with provisions of Article 2 of the Anti-Dumping Agreement. PCN wise comparison is not appropriate if density of the product is not considered as the difference in per-unit cost for the same product form, but of different surface weight, varies by almost 65%. CPIC has proposed a PCN which takes into account product form and linear density, fibre, diameter and surface weight.

vii. In the anti-subsidy investigation concerning imports of glass fibre products from Egypt, the European Commission adopted a PCN methodology which is similar that proposed by CPIC.

viii. The Government of India did not accept the DGTR's recommendation to impose anti-dumping duty against China PR in a SSR investigation. The period of investigation as well as the product under consideration were same as in the instant investigation. The decision to impose duties in the instant case would be violation of Art. 9.2 of the WTO Anti-dumping Agreement which obliges members to impose duties on a non-discriminatory basis.

ix. The production for captive consumption should be excluded from total production of the domestic industry, as done in the case of Pig Iron Mfrs. Asscn. Vs. Designated Authority.

x. Related exporters and producers are clubbed together as one group in order to avoid any circumvention of duty. However, clubbing should not be done for determination of standing.

xi. The petitioner has imported subject goods from various countries, and is related to Owens Corning Composites (China) Company.

xii. The Authority has not disclosed the calculation for dumping margin and the methodology for calculation of constructed normal value.

xiii. As per SEZ law of Egypt, upon clearance of finished goods from SEZ to domestic tariff area, customs duties which were saved on imported inputs must be paid to the Government, which is included in cost of production.

xiv. The price at which Jushi Egypt has procured raw material from its related parties is in line with the international prices, and at arm's length.

xv. Reliance on the anti-dumping investigations of European Union and Turkey against Egypt is not appropriate, as those were terminated.

xvi. Normal value determined for Jushi Egypt is correct and the reference to the final findings in the anti-dumping investigation on Rubber Chemical PX-13 (6PPD) is misplaced.

xvii. Judgment passed by CESTAT in the case of Kumho Petrochemical Co. Ltd. is not applicable in the present case as Kumho was procuring raw material from unrelated entity with which it had a special relationship while Jushi Egypt is procuring from a related entity. While the Authority has not prescribed a format wherein a foreign producer can report that its special relationship with an unrelated raw material supplier were at arm's length, the Authority has prescribed Appendix 11 wherein Jushi has established that its transactions with related parties are at arm's length.

xviii. In all investigations, the Authority has always accepted the raw material prices as reflected in the books of the foreign producer, such as in the case of Textured Tempered Coated and Uncoated Glass from Malaysia, where the Malaysian producer procured raw material from China PR.

xix. The actual purchase price of raw material procured by Jushi Egypt from China PR should be considered, in accordance with Article 2.2.1.1 of the WTO Anti-Dumping Agreement.

xx. Alleged loans, supply of land at less than adequate remuneration, tariff waivers on imported raw material have no bearing on the anti-dumping investigation.

xxi. Since Jushi Egypt has been given a negative dumping margin, all imports from Egypt should be treated as undumped. The imports from Egypt should be decumulated and injury should be reassessed in terms of imports only from Bahrain.

xxii. The import data does not represent the correct import value and volume since products other than product under consideration may also be imported under the same HS Codes.

xxiii. The petitioner is not able to cater the entire market demand and has taken a conscious decision to increase its share in export and non-PUC markets. The petitioner did not increase its domestic sales even when there was a reduction in the volume of subject imports during the period of investigation.

xxiv. The landed price has remained constant in the POI considering the price prevailing during 2017-18.

xxv. Due to unavailability of the price-undercutting data for injury period, the same cannot be compared with the profitability of the petitioners to offer any meaningful comments.

xxvi. Ideally during the brief shutdown, the capacity should not have reflected any change and such additional capacity should have reflected in the next year. However, 2018-19 and 2018-19 adjusted figure indicates an increase in capacity. Similar significant differences appear in respect of production, sales, capacity utilization, etc

xxvii. The domestic industry was able to fully utilize its capacities prior to revamping the furnaces.

xxviii. As Goa Glass Fibre has not suffered injury, thus, the alleged injury is not due to the subject imports.

xxix. Captive consumption of the petitioner should be examined. Since there are no merchant sales of H-glass, it is incorrect to suggest that accumulation of inventories is solely due to subject imports.

xxx. Economic parameters for the years 2016-17 and 2017-18 are not comparable with the period of investigation due to inclusion of OCIIPL data in the referred years.

xxxi. The Authority has not taken into account any of the submissions made by CPIC with regard to causal link in the disclosure statement.

xxxii. The domestic industry did not suffer injury due to imports from Bahrain but due to other factors. Any injury is due to refurbishing of old furnace and capital expenditure incurred for building a new furnace and all operational and financial factors related to it.

xxxiii. Domestic industry increased its capacity and production over the injury period, without properly assessing the need of the domestic market. It led to decrease in sales volume, increase in inventories, increase in cost of sales, losses and decline in the return on investment.

xxxiv. The Authority did not address the concern raised by the other interested parties regarding the imports made by the applicant via its affiliates and its attempt to block imports from all other sources.

xxxv. As the petitioner accounts for 80-90% of the Indian production, it has the capability to set and dictate the price in the Indian market. The production and sales of Goa Glass Fibre are equivalent to total imports of subject goods from Bahrain and Egypt.

xxxvi. Anti-dumping duty has been in force from China PR since the last decade which has been extended to Thailand. The petitioner has requested to impose duties on majority of the sources of imports. This will help the petitioner in unilaterally increasing the prices of subject goods. It has already increased the prices of its products by 40-50%, since the initiation of the present investigation.

xxxvii. Restrictions on imports of glass fibre are leading to a demand-supply gap in the country. Imposition of duty will enable the applicant to dominate the market and create monopoly situation by importing from its affiliates.

xxxviii. Imposition of anti-dumping duty would not be in public interest as the domestic industry lacks the technology and capacity to produce all types of glass fibre.

xxxix. Imposition of anti-dumping duty will negatively affect the whole market including downstream industry and final consumers.

xl. Imposition of anti-dumping duty will risk creating impediment to bilateral trade and commercial relations of India and Bahrain.

xli. In case anti-dumping duty is imposed, it should be reference price duty which will protect the interests of both the parties. According to the Operating Manual of Trade Remedies issued by the Authority, reference price duty is appropriate when there is a need to protect the interests of the downstream industry.

xlii. In case the Authority revises the dumping margin in accordance with the PCNs proposed by CPIC, the exporter is willing to provide a price undertaking.

xliii. Petitioner has filed the comments almost after one month of due date of filing comments on disclosure statement. Such belated comments should be rejected outrightly.

xliv. The petitioners have not brought any new additional facts in their latest submissions.

J.2. Submissions by the domestic industry

85. The domestic industry has submitted the following post disclosure:

i. There is a need for consideration of procurement of raw material and other inputs by Jushi Egypt from its parent company situated in China PR, at international market prices.

ii. Such approach has been considered by the Authority in the past, such as in anti-dumping investigation on imports of Rubber Chemical PX-13 from China PR, Korea RP and USA [F.No. 6/20/2020-DGTR]. While in PX-13, there was only a special relationship between the exporter and Chinese entity, in the present investigation. Further, Jushi China did not claim

market economy treatment in the sunset review concerning China PR. This is similar to the situation in the PX-13 investigation wherein the Chinese entity did not claim market economy treatment.

iii. The principles laid down in the Tribunal decision and the decision by Supreme Court in Kumho Petrochemical Company Limited V. Designated Authority are applicable to the present investigation.

iv. Exporters have not responded to the issues raised by the petitioners on need to examine the source of investment, related party inputs, services, financing, technology and support received by the exporters as both of the exporters have been set up by cooperation of Government of China PR and Governments of the subject countries.

v. Jushi Egypt has been established in the China-Egypt Suez Economic and Trade Cooperation Zone, pursuant to Memorandum of Understanding between the two companies. It benefits from the pooled resources of both the countries.

vi. As per findings of the European Commission, Jushi Egypt has benefitted from the subsidies by Government of Egypt and China PR. Jushi China had financed intercompany loans via external financing from Chinese financial institution. Jushi Egypt also benefitted from grants by CNBM, a Chinese state-owned entity and supply of land at less than adequate remuneration, VAT exemption, import tariff waivers on imported raw material used for exporter goods.

vii. Since Jushi Egypt is situated in the SETC Zone, it is exempt from payment of import duties on procurement of raw material. It is also exempt from payment of sales taxes, stamp duty tax and state resources development tax, which has impacted both cost and price in the Egyptian market.

viii. Jushi Egypt has procured technology for production of product under consideration from its parent company but does not pay a royalty or license fee. Thus, its cost and price is not in ordinary course of trade.

ix. As a part of SETC Zone, Jushi obtains utilities at price below price prevailing in Egypt.

x. Jushi Egypt has sold the subject goods to its affiliated customers in the domestic market. If such sales are not at arm's length basis, they cannot be used to determine the normal value. In the findings of the European Commission vide Regulation 2020/492, it was noted that Jushi Egypt has sold glass fibre to Hengshi Egypt at price less than the price to related parties.

xi. There is a particular market situation in Egypt since Jushi Egypt has very low volume of domestic sales considering its overall production and sale. Since it is set up in the SETC Zone, it has exported 90% of its capacity.

xii. Sales by Jushi in Egypt are treated as imports and subject to customs duty. Therefore, such sales cannot be treated to be in ordinary course of trade.

xiii. Due to existing particular market situation in Egypt, domestic sales of Jushi Egypt should not be considered for determination of normal value.

xiv. Jushi Egypt has exported the subject goods to its related party in India, namely, Jushi India Fiberglass Private Limited, which has further sold these at losses. As per the financial statements of Jushi India, it is involved wholly in trading, and is incurring losses. Since the price of purchase from Egypt is higher than that from China PR, it implies a higher degree of loss in respect of imports from Egypt.

xv. The financial statements of Jushi India states that it has earned a commission, which should be adjusted in order to determine the net export price.

K. SUBMISSIONS POST THIRD ORAL HEARING

86. Considering the arguments raised by the interested parties post issuance of the Disclosure Statement, the Authority provided another opportunity to all the interested parties to be heard. Accordingly, a third oral hearing was conducted on 9th November 2021.

K.1. Submissions by other interested parties

87. Some of the interested parties had reiterated their past submissions concerning inclusion of H-glass, public interest, alleged lack of standing and absence of material to the domestic industry. For sake of brevity, such submissions are not reproduced again in the succeeding paragraphs. The following additional submissions have been made by the other interested parties post third oral hearing:

i. The domestic industry has made submissions post comments on disclosure and the Authority has accepted it. The Authority has diverged from its usual practice of issuing final findings with 7 to 10 days of comments on disclosure. The contention that the domestic industry has not raised new issues is incorrect as if it was the case that there was no need to re-hear and re-anaylze the case.

ii. The time period for completing the investigation has been extended thrice. The third extension vide notification dated November 5, 2021 has been issued after the date of expiry of the extended period. The Supreme Court, in Union of India and another vs. Kumho Petrochemicals Company Limited held that, an order or notification which has an express expiry date cannot be revived after its expiration. Continuation of proceedings after 31st October, 2021 is void and illegal.

iii. The Authority upon the request of domestic industry held third hearing at the end of the investigation, while the similar request of the other interested parties for a public hearing in the initial stage of investigation was denied. There was no gross error or omission of law, necessitating a third hearing.

iv. An anti-dumping investigation is time bound as held by the Appellate Body in the US – Oil Country Tubular Goods.

v. The PCN were intimated to the interested parties only at the time of disclosure statement and the initiation notification did not state that the Authority has accepted the PCN methodology of petitioner. Suggestion of PCN in their Petition is of no relevance unless Authority accepts it and explicitly notifies the same.

vi. While the Authority was required to notify the PCNs within sixty days from the date of initiation, no notification was issued. The PCNs adopted at the stage of disclosure disregards the internal control numbers which has artificially inflated the dumping margin of the exporter from Bahrain.

vii. No PCN was suggested during the initiation or till filing of questionnaire. The interested parties submitted appropriate PCN conforming to ASTM D 578 which captures essential characteristics that affect price comparison. Cost varies significantly for fibres with different densities/thicknesses and accordingly, it should be considered as a parameter.

viii. The Authority has taken extensions to complete the investgations and was granted the same after the expiry of the extended period i.e. 31st October 2021. The continuation of the proceedings after 31st October 2021, is illegal and null and void and must be terminated ab initio.

ix. The exporters could not follow the PCN formulated in sunset review investigation as the same was notified after the questionnaire responses was submitted in present investigation.

x. Assembled rovings, direct rovings, glass chopped strands, and glass chopped strands mats are types of product and not PCN. It is essential that the PCNs capture the essential characteristics of the product under consideration, and accordingly, at least the density/thickness of glass fibre must be included.

xi. Under ASTM D578, rovings are designated by two-segment coding or three-segment coding both of which include the linear density of the product. The PCN suggested by the exporters does not take into account such linear density without which no viable comparison can be made.

xii. Density or thickness for rovings (both direct and assembled), may be captured by including weight in terms of grams/km, for Chopped strands, diameter in micrometres (µm) may be captured and for chopped strand mats, weight in terms of grams/metre^2 may be captured.

xiii. The EC, in its anti-subsidy investigation concerning imports of glass fibre from Egypt, adopted a PCN methodology similar to that suggested by the CPIC. The PCN adopted by EC took into account product form, linear density (for rovings), fibre diameter (for chopped strands) and surface weight (for mats).

xiv. There are significant differences existing within each grade both in terms of physical characteristics as well as in terms of cost which should be taken into account.

xv. Domestic industry has accepted that there exists fundamental difference in the physical characteristics of the products, and accordingly, due allowances for such differences should have been made in accordance with Article 2.4 of the Anti-Dumping Agreement. The other interested parties have submitted various reports published by domestic industry which highlight the difference in product quality and characteristics. Therefore, a separate PCN is required for these products.

xvi. The analysis undertaken by the domestic industry is concerned with only 2400 and 4800 tex products, whereas full range of the production is from 100 tex to 9600 tex. Without admitting to price difference being only 4%, under Rule 14 of the AD Rules, dumping margin of less than 2% is considered de minimis which is a ground for termination of the investigation.

xvii. While exports from Bahrain to India may be majorly of rovings between 2400 and 4800 tex, it may not ensure fair comparison since the domestic sales in Bahrain and of domestic industry in India may include other PCNs.

xviii. With regards to contention of the domestic industry that there is a wide difference in prices of exports under same PCN, such analysis is based on import prices shown in DGCI&S data which are not at ex-factory price, and may vary based on terms of delivery and payment.

xix. As opposed to the contention of the domestic industry, CPIC has provided its data which clearly demonstrates significant price differences. Difference in per-unit cost for same product form, but of different surface weight, varies by almost 65%.

xx. The domestic industry should provide certified data regarding the sample list of transactions submitted to show there are no factors are significantly affecting cost of production.

xxi. Any change in PCN methodology, at this belated stage, will put extraordinary burden on Jushi Egypt.

xxii. It cannot be assumed that since the petitioners had raised issues on subsidies in Egypt, it can be equated with raising an issue of particular market situation. Such a ground must be specifically taken in the affidavit or show cause notice and in this case, in the petition or in the initiation notice. However, the petitioners took this specific ground only in their comments on the disclosure statement.

xxiii. None of the countries which conducted investigation against Egypt on the subject goods and against the same exporter has established the existence of a particular market situation or that Egypt operates as a non-market economy. There is nothing on record to prove that Jushi Egypt operates in circumstances which distorts the price compatibility between the export price and normal value.

xxiv. Establishment of SEZs are not unique to Egypt laws like customs and sales tax. The sales of products from these units are put to strict surveillance over these units.

xxv. A particular market situation does not exist in Egypt or in the SETC Zone. The Panel, in Australia –A4 Copy Paper, held that particular market situation must be distinct, individual, single and specific. Such a situation must render the domestic sales and export sales non-comparable.

xxvi. The Egyptian SEZ is governed by the Egyptian SEZ law and laws or policies of any other country is not applicable to the SETC Zone. Any tax or duty payable on the input materials

used to manufacture the final goods are paid before they are cleared for the domestic tariff area.

xxvii. The contention that SETC Zone is an extension of Chinese non-market economy and therefore, there is a particular market situation in the SETC zone is completely misplaced. There are several industrial zones and industrial corridors under development in India where many foreign governments such as Japan and United Kingdom are giving financial aid to the Government of India. Mere financing of an industrial corridor by a foreign government does not imply the existence of a particular market situation.

xxviii. In many companies established by foreign investors, including Owens Corning, managers from overseas are stationed and hold positions as directors. If the petitioners' argument is accepted then OCIPL would come under suspicion of intervention by their parent company or affiliate companies that are based in the United States and China PR.

xxix. Contentions as to establishment of exporters in special economic zone and exemptions to Jushi Egypt due to trade co-operation between Government of Egypt and Government of China should be dealt in separate countervailing duty investigation. Subsidies cannot be a ground for determination of a particular market situation. Such an exercise would be in violation of WTO obligations as the affected country was not provided an opportunity to be heard during the course of proceedings.

xxx. EC only investigated subsidies in the countervailing investigations and a fair opportunity was provided to the Government of Egypt as well as the Government of China to respond on the subsidies and participate in the countervailing investigations.

xxxi. While, the EC carried out separate anti-dumping and countervailing investigations on Glass Fibre products and Glass Fibre Fabrics, the petitioners have relied on only selective portions of the EC's orders in the countervailing duty investigations.

xxxii. Further, alleged subsidies cannot be a ground for determination of a PMS and such a determination would be contrary to Art. 2 of the Anti-dumping Agreement. The discovery of a subsidy does not entail a legal requirement to compare domestic sales and export sales. An anti-dumping investigation cannot be used as a guise to mitigate the effect of alleged subsidies. Such an exercise would be a grave violation of WTO obligations as the affected country was not even provided an opportunity to be heard during the course of proceedings as legally mandated under Art. 13 of the SCM Agreement.

xxxiii. Mere existence of particular market situation is not enough, as the Authority is also obligated to establish that because of the particular market situation, the domestic selling price of Jushi Egypt is not comparable with its ex-factory export price to India.

xxxiv. The Authority should determine normal value based on sales of Jushi Egypt as it has made sales of like article which were destined for consumption in Egypt and the prices of such sales were in the ordinary course of trade.

xxxv. Jushi Egypt has paid customs duty on the imported components in products directed to the local market.

xxxvi. As per Article 42 of the SEZ Law, products of entities based in a SEZ are subject to customs duties, sales tax and other taxes once such products are sold in the domestic tariff area.

xxxvii. Costs recorded by the exporter can only be rejected if the records were not kept in accordance with the GAAP of the exporting country or they did not reasonably reflect the costs associated with the production and sale of the product under consideration. Rejection of actual cost of raw material merely on the ground of it being sourced from a non-market economy is inconsistent with Article 2.2.1.1 of the Anti-dumping Agreement.

xxxviii. Domestic industry has not provided evidence that the raw material required were either dumped in Egypt or there was any under invoicing. Egypt has not levied any anti-dumping duty on the raw materials imported by Jushi Egypt from China. Therefore, as per the rationale applied in Textured Tempered Coated and Uncoated Glass, Jushi Egypt should not be considered as an extension of its parent company in China.

xxxix. Reliance on anti-dumping investigation on Rubber Chemical PX-13 (6PPD) and CESTAT's order in Kumho Petrochemicals v. Designated Authority, is misplaced as in PX 13, the exporter failed to establish that the prices of inputs procured from China were at arms' length or comparable to international prices. In the present investigation, Jushi Egypt has established that it had procured inputs from its affiliate at arms' length prices which are also comparable to international prices.

xl. The inputs imported by Jushi Egypt from its affiliate in China are at arm's length prices equivalent to international prices. The CESTAT order in the case of PX-13 does not apply in the present facts. The petitioners are incorrectly contending that there is a Supreme Court decision/judgment on this issue. The Supreme Court only passed a short order dismissing the SLP and thus, the underlying issues of law remain open as they have not been settled. The Supreme Court in State of U.P. v. Synthetics and Chemicals Ltd. and Ors and Municipal Corporation of Delhi v. Gurnam Kaur, has held that the decisions passed in sub-silentio have no binding effect under Article 141 of the Constitution of India.

xli. As per the SCM Agreement, the term input consumed in the production process means inputs physically incorporated in the production process such as raw materials, energy, fuel, oil and catalysts. This definition is exhaustive and cannot be expanded as was held by the WTO Panel in India – Export Related Measures (DS541).

xlii. In A4-Copy Paper, the Australian Anti-dumping Authority had found on facts with evidence that there was intervention by the Government of Indonesia on pulp prices, based on which existence of particular market situation in Indonesia was concluded. However, there is no evidence in the present investigation on intervention of Government of Egypt in distorting either the cost of production or selling prices of Jushi Egypt.

xliii. The SEZ law and regulations are applicable to all special economic zones in Egypt, and the legal regime predates the establishment of the SETC Zone in which Jushi Egypt is based. Chinese law is not applicable in the SETC Zone and the Government of China has not influenced the SEZ Law.

xliv. As opposed to the contentions of the domestic industry, Jushi Egypt employs more than 2000 local people in Egypt that account for more than 90% of the total manpower. All the utilities are purchased locally in Egypt and there is no evidence to establish any distortion in utility costs.

xlv. Contrary to the contention that non-market economy factors prevail in the SETC Zone or that Jushi Egypt is an extension of the Chinese parent company is incorrect as no investigating authority in the world has held that there is a particular market situation in Egypt and Egypt has never been treated as a non-market economy.

xlvi. There is no distortion in cost of raw material, utilities, depreciation, finance costs, SGA expenses, royalty fee, etc. which have been examined by the Authority during the verification. Royalty is part of cost of production.

xlvii. There is no monopoly of trade in Egypt nor are all prices fixed by the Government of Egypt. It cannot be held that Egypt or the SETC Zone are operating under non-market economy conditions or particular market situation exists in Egypt or in the SETC Zone.

xlviii. Since the Authority exercises quasi-judicial function, the parties who relied upon certain state of facts in their favour have to adduce evidence in proof thereof. The petitioners have claimed that distortion and particular market situation in Egypt but have not provided any evidence that establishes the costs in Egypt is either controlled by the Government or distorted.

xlix. Both Turkey and European Commission determined normal value for Jushi Egypt based on its clearances to the domestic tariff area, and did not find a particular market situation. Turkey and European Union terminated anti-dumping investigation against imports of product under consideration from Egypt.

l. Further, USDOC, in investigation on imports of new pneumatic off-the road tires from India, determined normal value for units operating in SEZs based on their clearances to the domestic tariff area.

li. No further adjustments are warranted as the Authority has already made adjustment in respect of Jushi India's losses.

lii. Dumping margin determined considering weighted average normal value and prices of individual export transactions is meant specifically to address the issue of targeted dumping. The domestic industry is first required to find a pattern of export prices which differ significantly among different purchasers, regions or time periods. Weighted average to transaction method can be adopted only when such pattern is identified. Such pattern excludes merely random price variation. No explanation has been provided by the domestic industry as to why differing export transactions cannot be taken into consideration using regular method comparison applied by Authority in all anti-dumping investigations.

liii. Imposition of anti-dumping duty on glass fibre would be against public interest as it has wide application for industrial as well as non-industrial purposes. The domestic industry lacks the technology as well as the capacity to manufacture the different types of glass fibre required by the user industry.

liv. Goa Glass Fibre has 15-25% share in production but it has been acquired by Ultratech and its future is now uncertain. If the anti-dumping duty is imposed, OCIPL would be able to increase its prices arbitrarily since it will have a monopoly on the Indian market. OCIPL has been steadily increasing its prices every quarter since October 2020 which will put burden on the user industry.

lv. The domestic industry has increased its prices post initiation of this investigation, which has affected the performance of the users. The prices have been increased 5 times in 2021.

lvi. Central Government has not extended the anti-dumping duty on imports from China PR keeping in mind the larger public interest despite a positive recommendation by the Authority. The Authority should consider the larger public interest involved in the present investigation as well.

lvii. Acceptance of price undertaking cannot be treated as a separate issue to determination of PCN as price undertaking must be based on dumping margin determined upon fair comparison.

lviii. The contention of the domestic industry that since GCC-TSAIP refused to undertake price undertaking offered by Indian tiles exporters, the Indian Authority should also refuse to consider price undertaking is against the rules of natural justice.

lix. Since no duties were imposed against the imports of the subject goods from China PR, despite the period of investigation being the same as that in present investigation; imposition of duties against imports from Bahrain would be discriminatory and against Article 9 of the Anti-Dumping Agreement

K1A. Limited Post –Disclosure issued to Jushi Egypt

88. The following comments were received from Jushi Egypt in response to the limited post-disclosure statement issued to Jushi Egypt after the post-disclosure hearing was held on 09.11.2021.

i. The Authority has adopted the correct approach by adjusting only the loss of Jushi India for arriving at the net ex-factory export price.

ii. The Authority has given an observation in the disclosure statement that the WTO provisions and Indian regulations provide for adjustment for profits *as well*. This observation is not correct. Article 2.4 of Anti-dumping Agreement provides for adjustment of profit. However, the WTO Panel in US-Stainless Steel (DS 179) has held that Article 2.4 does not contemplate mandatory adjustment of profit as the term used is 'should', which is non-mandatory. Article 2.4 per se does not say that both loss as well as profit should be adjusted in the ex-factory export price. While constructing the ex-factory export price, the

Ld. Authority has the discretion to either implement Article 2.4 or it may decide to deviate from the provision and make adjustment for any other allowance such as adjust "loss".

iii. To adjust profit, the Ld. Authority must also need to know factually and with positive evidence what profit was earned by an unrelated reseller of the subject goods during the POI in India. In the present case, the Ld. Authority has duly examined/verified the loss from the audited financial statements of Jushi India and accordingly, the Ld. Authority has made the loss adjustment on an objective basis.

iv. The Authority has given an observation in the Disclosure Statement that no evidence has been provided to support the claim that packaging cost for domestic and export market is same. The query was raised by the Authority on Friday 26 November 2021 post business hours. The disclosure statement was issued next day on Saturday afternoon (both non-working days in Egypt) containing the said observation. We have placed on record detailed explanation and evidence vide email dated 29 November 2021 at 1:16am. As explained in the said e-mail, to maintain the properties of the glass fibre i.e. 'abrasiveness and the size coated on the product', the Glass fibre packaging has been standardised across all the products by Jushi Egypt and thus, there is no difference in packaging for domestic sales and export sales. The domestic shipments are made in trucks. For exports, the products are shipped in 20 feet or 40 feet containers duly fumigated. The container cost is built into shipping / freight cost as was explained during verification discussion. Therefore, the packaging for both sales in the domestic market and exports to India is same, and Jushi Egypt's claim of same packaging cost for domestic sales and export sales is justified. This can be verified over a virtual verification or an on-site verification.

v. It is stated in the disclosure statement that the packaging expense as claimed by Jushi Egypt has been reduced from both the domestic sales as well as export sales. However, it appears that different packaging expense has been reduced from domestic selling price and ex-factory export price, which has led to a positive dumping margin for Jushi Egypt. However, Jushi Egypt has claimed same packaging expense for both domestic sales and export sales. We request the Ld. Authority to take on record our submissions in this regard and give a finding on whether same or different packaging expense has been reduced from domestic selling price and ex-factory export price.

vi. During multiple verification discussions and written submissions, it has already been established with evidence that customs duty is part of the raw material cost booked by Jushi Egypt, which forms part of the cost of production. Since Jushi Egypt has sold its goods in the domestic market at good profit during the POI, it is evident that Jushi Egypt has recovered its entire cost of production (which includes the raw material cost, which is inclusive of customs duty). SEZ law of Egypt is also very clear on the payment of customs duty by the units located in SETC zone.

vii. The Petitioners have raised the issues regarding PMS at much belated stage. No evidence was also placed on record to support PMS claim. The Petitioners are relying upon the orders passed by European Commission in the anti-subsidy matters, which are not relevant for the present anti-dumping investigation.

viii. The findings given by other investigating authorities are not accepted by DGTR on face value, as the DGTR is legally obligated to reach its own conclusions after examining facts and evidence on record in terms of the provisions of the AD Rules. Merely copying the findings of other investigating authorities is not enough, as factual evidence must be brought on record to substantiate a PMS claim. The Authority has taken this position in the recently issued sunset review final findings in Uncoated Copier Paper from Indonesia and Singapore in respect of PMS claim in Indonesia. In the present case, the Petitioners have not placed on record any factual evidence to support their PMS claim regarding Egypt. Mere presence of Jushi Egypt in an SEZ in itself is not sufficient to establish PMS in the domestic market of the subject goods. Further, the Petitioners have also failed to establish how existence of the alleged PMS has made normal value not comparable with the ex-factory export price of Jushi Egypt under Section 9A(1)(c)(ii) of the Customs Tariff Act, 1975.

ix. The Authority is requested to clarify in the Final Findings that only in respect of Assembled Rovings, the domestic sales to unrelated party have been considered for determining normal value. And in respect of other PCNs such as DR, CS and CSM, all domestic sales (to related and unrelated parties) have been considered for determining normal value.

x. All sales made by Jushi Egypt to related parties were at arm's length which is evident from the detailed verification of sales and the documents submitted by Jushi Egypt in the course of verification. Further, Assembled Rovings (AR) were sold in four grades namely, A, B, C and D and prices of grade A must be compared with grade A; grade B with grade B and so on which would establish that sales of AR to related parties were at comparable prices to sales made to unrelated parties during the POI. This is duly reported in Appendices 3A & 3B and Appendices 4A & 4B. Further, the consideration of only unrelated party sales while ignoring the related party sales of AR is arbitrary and has no basis in the AD Rules.

xi. Without prejudice, as per Jushi Egypt's calculations, the dumping margin of Jushi Egypt is still de-minimis even if the Authority's methodology explained in the disclosure statement is applied. We, therefore, request the Ld. Authority to share with us the MS Excel working of the dumping margin calculation so that we can review the calculations and make appropriate comments.

xii. Jushi Egypt has placed on record evidence on deductions claimed by Jushi Egypt to substantiate that payments have indeed been made by Jushi Egypt in respect of ocean freight, insurance, inland transportation and port handling.

K.2. Submissions by the domestic industry

89. The following submissions have been made by the domestic industry post third oral hearing:

i. The users have been afforded due opportunity of being heard, and no decision was taken by the Authority before hearing them. The users cannot expect a hearing the very second they demand it. By comparison, a third hearing was conducted as the Authority wanted to consider and examine submissions made by the domestic industry and CPIC Bahrain before arriving at a final conclusion.

ii. Contrary to the baseless allegation of the users, the hearing was not conducted as the "behest of" domestic industry. Rather, the scope of hearing covered three major issues, of which two related to the exporter. The purpose of hearing was only to allow the Authority to reach a well-informed conclusion regarding the factors relevant to the present case.

iii. There are several cases where the investigation has been extended after the expiry of the period allowed, such as in IPA. The decision in case of Kumho Petrochemicals being based on facts of the cases which are relied on by the respondent are irrelevant.

iv. In a number of investigations, hearing has been conducted post issuance of disclosure statement as well.

v. It is the responsibility of the exporter to bring all facts before the Authority. The domestic industry will not be held responsible for raising the issue if the exporters fail to disclose the facts before the Authority.

vi. The very purpose of a Disclosure Statement is to allow interested parties to defend their interests. As held by the High Court in the case of Nirma Limited, the Disclosure Statement is not in the nature of draft order. Therefore, contrary to the contention of the users, changes post Disclosure Statement are not limited to correction of gross errors or omissions.

vii. The issue concerning inclusion of H-glass is already settled in the sunset review concerning China PR, and a different view cannot be taken in the present case.

viii. Conditional price undertaking based on the PCN proposed by CPIC Bahrain is not appropriate. While the domestic industry has no objection to accepting an unconditional

price undertaking, the Government of Bahrain refused price undertaking of offered by Indian tiles producers.

ix. Contrary to the claims of the other interested parties, petition itself revealed the PCN methodology proposed. It cannot be claimed that the Authority accepted the petition but rejected the PCN.

x. There is no merit in the contention of the respondent that the product scope if generic, as similar product scopes have been defined in a number of investigations.

xi. Direct rovings, assembled rovings, chopped strands and chopped strand mats are types of glass fibre, which have significant differences in their price and cost.

xii. On one hand, the exporter has contended that the Authority cannot use the PCN methodology adopted by it for the Disclosure Statement as it was not notified within 60 days. On the other hand, the exporter wishes for the Authority to adopt a different PCN methodology at this stage.

xiii. While there is a difference in the physical characteristics of the product types highlighted by the exporter, but there is not a significant difference in the price and cost thereof.

xiv. CPIC failed to demonstrate that the difference in the physical characteristics are affecting price comparability. The Panel in US-Softwood Lumber V held that there is no requirement to adjust for all difference but only those differences which affect the price comparability.

xv. 89% imports from Bahrain are of direct rovings out of which 46% is RODI48 and 22% are RODI24. The comparison of 61% of imports of rovings shows only a difference of 4%.

xvi. The price of other product types as per the PCN methodology proposed by CPIC may have differences but the volume of such product type is low.

xvii. As regards differences in cost of production, the domestic industry has largely produced RODI06, RODI12, RODI24, and RODI48. The difference in the cost of production of these PCNs is less than 5%.

xviii. In case a difference of less than 5% justifies a different PCN, the exporter has not justified the wide difference in the prices of an individual PCN exported by it. CPIC has exported RODI24 at price ranging from Rs. 32,835 per MT to Rs. 68,808 per MT and RODI48 at price ranging from Rs. 32,901 per MT to Rs. 56,643 per MT despite volumes being comparable. Thus, there is no need for any modification in the PCN.

xix. Contrary to the assertion of the interested parties, the domestic industry has raised the issue of finance cost at the application stage, but nothing has been observed by the Authority in this regard.

xx. The domestic industry has only relied on the findings of the European Commission to establish certain facts. However, the domestic industry has not sought that the Authority take the same approach as taken by the European Commission. The domestic industry requests the Designated Authority to consider relevant facts and arrive at its own determination.

xxi. The domestic industry relied upon the findings concerning fabrics only concerning the sale of its raw materials that is the product under consideration here, by Jushi Egypt to its related parties.

xxii. The contention of Jushi Egypt that the anti-dumping investigation concerning imports of glass fibre for withdrawn by domestic industry in European Union due to negative dumping margin has no merit, as it is unsubstantiated.

xxiii. Regarding request of Jushi to issue CVD questionnaire to Government of Egypt, it was emphasized that the domestic industry requested the Authority to examine the countervailability and quantum of subsidies provided, but has highlighted that there exists a particular market situation, which prevents proper comparison.

xxiv. Jushi has relied on the findings of European Commission in the anti-dumping investigation concerning imports of glass fabrics, but failed to highlight that the domestic industry in that case had also alleged significant distortions in Egypt, which could not be examined by European Commission as the law prevented them from considering such submissions post the application. While the exporter has claimed that similar position exists in India, they have failed to explain how the Indian law prevents submissions from being considered at a later stage.

xxv. Reliance on the findings of European Union, USA and Turkey is not appropriate as the practice in these countries would be different that the practice in India that the production of an SEZ unit is not considered as part of domestic production.

xxvi. Regarding participation of Governments of China, it was submitted that as per the provisions of Rule 6 of the Anti-Dumping Rules, the Designated Authority is bound to notify only the producers in the subject country and the government of the subject country. Government of Egypt was notified in the present case. Further, Jushi and Government of Egypt cannot claim to be ignorant of facts concerning SETC Zone.

xxvii. The normal value for Jushi Egypt should be determined based on facts available as it had misrepresented the facts in the response filed. While, it claimed that no import duties were paid for importing raw material, it later stated that it is required to pay customs duty on imported raw material, when the finished goods were sold in the domestic market.

xxviii. The simplistic argument that SEZ law was introduced prior to establishment of SETC Zone cannot be accepted, as the evidence relied upon by the domestic industry refers not only to the SEZ law, but also Co-operation Agreement between India and China.

xxix. Jushi Egypt has misrepresented in its response that it was not required to pay duties on import of raw materials, whereas it has later stated that they have paid duties on import of raw material.

xxx. The sales by SEZ units to the DTA area cannot be considered as domestic sales or sales in the ordinary course of trade as SETC Zone is considered a separate customs area. The sales of product manufactured in the SETC zone in Egypt are treated as imports. It is a consistent practice of the Authority to consider SEZ separate from domestic market.

xxxi. There is a particular market situation with regards to Jushi Egypt and the sales made by it are not in ordinary course of trade as the volume of sales by Jushi Egypt are low and cannot be representative of domestic selling price.

xxxii. The SEZ law states that Economic Zones have a special nature and the producers in such a zone may export their products to local market. Any unit in SEZ is not allowed to freely dispose of its production in DTA.

xxxiii. The sales from Egypt to SETC Zone are considered as exports abroad and thus, no local taxes are paid on any inputs purchased from the domestic area and cost of production does not include local taxes or duties. Jushi Egypt would have to pay taxes if it was located in the domestic tariff area.

xxxiv. The purpose of the SEZ law is to set up projects capable of competing with its counterparts overseas.

xxxv. The Government of Egypt has transferred ownership of state lands and building, provided funds and in kind assets to the SEZ Authority. The laws regulating public authorities are not applicable to SEZ Authority.

xxxvi. SEZ is exempt from laws related to sales tax, fiscal stamps and fees to increase State resources, nor to any other duties or direct / indirect taxes.

xxxvii. Since there is no other producer in Egypt and sales from SETC Zone to DTA are subject to restrictions implies that the supply of product in Egypt is restricted, distorting the market conditions.

xxxviii. Jushi Egypt is a surrogate Chinese producer as it is located in SETC Zone which is an extension of China PR and China PR has provided significant support for establishment of entities in the zone. It has received funding from Chinese owned banks at preferential rates. Jushi Egypt is a fully owned subsidiary of Jushi China, in which Government of China holds a stake. Jushi Egypt procured raw material free of customs duty and obtained technology without payment of royalty from Jushi China. It is being managed by Chinese managers and is part of the export credit insurance taken by Jushi China. Jushi Egypt was set up by Jushi China in order to avoid anti-dumping duty imposed on it by various jurisdictions. Jushi Egypt has received land from Egypt TEDA Investment Company Limited which has 80% shareholding of Chinese state-owned entity.

xxxix. The claim of Jushi that it employs 2000 local people appears to be factually incorrect.

xl. Jushi Egypt has access to utilities at a lower rate because of its location in the SETC zone and the same should be examined by the Authority.

xli. Jushi Egypt has earned good profits because its cost of production is distorted. If the distortion is removed, there would be no profitable sales.

xlii. As regards the procurement of inputs from related parties in China, the domestic industry submitted that inputs includes raw material, finance, services, capital goods, technology and labour. Further, the source of international price relied upon by Jushi is not evidence. The purchase price of the domestic industry may be considered for this purpose.

xliii. Since the findings in the case of Rubber Chemicals were confirmed by the Tribunal as well as Supreme Court, reliance on other investigations is not appropriate.

xliv. In the investigation concerning Australia – A4 Paper, the Panel noted that once the investigating authority has found that the costs are reasonably reflected in the records, and the records are consistent with GAAP, it may nonetheless depart from its obligation to use such records.

xlv. Contrary to the claim of the interested parties, the domestic industry has not sought for Egypt to be treated as a non-market economy.

xlvi. Since China PR has been considered a non-market economy in the anti-dumping investigation for the same product and the same conditions are applicable to Jushi Egypt, it follows that a particular market situation exists.

xlvii. As both the domestic selling price and cost of production of Jushi Egypt are unreliable, the normal value should be evaluated based on export price to third countries.

xlviii. There are significant imports of the subject goods into Egypt, of which majority are from China PR. Imports into Egypt from non-Chinese sources are at much higher prices, as compared to the price of imports from Egypt into India and resultantly, domestic selling price in Egypt.

xlix. Jushi Egypt has not submitted anything on procurement of inputs such as funds, technology, labour, services or capital goods from Jushi China or other related parties. Such procurement should be at arms' length basis. In PX-13 investigation, the Authority adjusted the cost of production of the producer as it received inputs from Chinese entitiy with which the producer had a special relationship. In the present investigation, there is a direct legal relationship between Jushi China and Jushi Egypt.

l. Since Jushi China is operating under non-market conditions, the price of inputs procured from Jushi China cannot be accepted as is and must be compared with international prices. Inputs include raw materials, utilities, investment, technology, manpower, and marketing services.

li. The situation with regards to Jushi Egypt falls within the purview of particular market situation as defined by CBSA, due to government regulations in terms of restrictions on domestic supply, government support programs, distorted input costs and circumstances as

a result of government intervention, in which normal market conditions or patterns of supply and demand do not prevail.

lii. Jushi Egypt sold the subject goods to its related entity in Egypt at non-arm's length prices.

liii. Jushi Egypt has supplied to Jushi India, which has traded the goods at losses. Mere deduction of losses is not sufficient and profits based on average profits of an unrelated trader in India must also be deducted as done for the same importer in anti-dumping investigation on imports of Glass Fibre and articles thereof from China PR. According to financial statements of Saumit Interglobe Private Limited, 3.4% profits are made by the traders. The EC in Stainless Steel Cold-rolled Flat Products from India and Indonesia did not consider the actual profits considered by the related importer, but instead considered a reasonable unrelated importers' profit for determining the export price.

liv. Contrary to the submissions of the other interested parties that the factors cited by the petitioner can be addressed in a countervailing investigation, the Panel in Australia A4 Copy Paper, concluded that particular market situation does not exclude situations that arise from circumstances that include government action categorised as subsidy under the ASCM.

lv. Contrary to the submissions of the other interested parties, the petitioners had raised concerns at the stage of petition and written submissions.

lvi. At the stage of petition, it was highlighted that Jushi Egypt is wholly owned by Jushi China, which is a major Chinese producer of the subject goods and is already attracting anti-dumping duty in India, it may have received capital infusion, loans, capital goods or inputs from such related entities. Since China PR is a non-market economy country, there is a need to examine whether financial contribution and inputs have been received at arm's length prices, as examined in the case of Rubber Chemicals. The cost of production and selling price reported by the producers in subject countries should not be accepted, unless the producers demonstrate that any transaction with related parties are conducted on arms' length basis.

lvii. In the written submissions, the petitioner highlighted that Jushi Egypt has been established in the China-Egypt SETC Zone and is regarded as one of the most successful examples of industrial co-operation between the two countries. A MoU was signed between the two countries to develop free trade economic zone in the north of the Gulf of Suez and China launched "Go Global policy" for Chinese companies to invest abroad. The SETC Zone is an approved overseas trade and co-operation zones, Jushi Egypt benefits from pooled resources of Egypt and China, by virtue of being established in the SETC Zone. There is significant support from China in establishment of Jushi Egypt, since the investment flows from its Chinese counterparts. There is a need to examine the source of investments including other inputs, services, financing, technology or support, if investments or other inputs, services, financing, technology or support are being received from China PR, then there is a need for adjustment of the fair market value thereof. Jushi Egypt has benefitted from subsidies received from Government of Egypt and China as well as preferential lending from the Government of China. Jushi China received preferential financing from Chinese financial institutions, and then allocated the benefit of these loans to manufacturing activities in Egypt. It benefitted from grants by CNBM, a Chinese state-controlled entity, through equity injections and from supply of land at less than adequate remuneration, VAT exemption, import tariff waivers on imported raw materials used for exported goods. Jushi Egypt has been conferred benefits directly and indirectly by Government of Egypt as well as Government of China.

lviii. In the comments to disclosure, the petitioner highlighted that there exists a particular market situation with respect to Jushi Egypt as it is established and operates in the SETC zone and has been set up for the purpose of exports. The sales of the producer are subject to various terms and conditions, by virtue of being in the zone. It has sold a very small volume which cannot be considered for determination of normal value. The exports to European Union would constitute a reasonable basis for the determination of normal value.

The cost of production of Jushi Egypt must be adjusted with regards the inputs, including raw materials and loans received from Jushi China. Since Jushi Egypt is a part of Jushi China Group, interest expense must be consolidated at the level of Jushi China. However, since Jushi China is operating under non-market economy conditions, the interest cost must not be considered at actual interest rate, but international interest rates. The sales to related customers in the domestic industry must be examined and excluded if such sales are not at arm's length. Sales of Jushi Egypt to Jushi India must be examined and adjusted appropriately, as Jushi India has further resold the goods at a loss. The financial statements of Jushi India reveal that it received commission from Jushi Egypt.

lix. As regards increase in prices of subject goods, it was submitted that there was an increase in price of all products from raw materials to downstream products. Energy prices have increased by 54%. However, such an increase is only temporary in nature.

lx. The users have not shared price sensitivity analysis with other interested parties, thereby denying the domestic industry an opportunity to offer comments on it.

lxi. The users have merely assumed that the Central Government did not impose duties against China PR due to public interest, as the Office Memorandum does not provide a reason. Further, merely because the Central Government did not impose duties on imports of Glass Fibre from China PR, it does not imply that any recommendations in the present investigation would not be accepted.

lxii. As regards the procurement of inputs from related parties in China, the domestic industry submitted that inputs includes raw material, finance, services, capital goods, technology and labour. Further, the source of international price relied upon by Jushi is not evidence. The purchase price of the domestic industry may be considered for this purpose.

J.3. Examination by the Authority

90. The Authority notes that most of the submissions by the domestic industry and other interested parties are repetitive in nature. These submissions have already been examined at appropriate places in this Final Findings. At the request of Jushi in response to the limited disclosure to discuss the working of the DM computed, the Authority held discussion with Jushi to explain the workings undertaken to appreciate the correctness of the working. Further, the Authority has examinedall the relevant additional submissions of the interested parties as under:

91. With regard to the contention that the Authority did not notify the Government of Bahrain before initiation of the investigation, it is noted that the Authority vide email dated 24th June 2020 notified the Embassy of the Kingdom of Bahrain in India regarding the receipt of the application for the present anti-dumping investigation.

92. With regards to initiation being based on insufficient and inadequate evidence, the Authority notes that it had sufficient evidence to initiate the present investigation. It is further noted that only prima facie evidence is required at the stage of initiation as held by the High Court in Rajasthan Textile Mills Association V. Dir. General of Anti-Dumping and by Tribunal in Huawaei Technologies Company Limited V. Designated Authority and Automotive Tyre Manufacturer's Association V. Designated Authority.

93. With regards to inadequate time period provided by the Authority for filing comments on disclosure, it is noted that the Authority issued the disclosure statement on 30th July 2021 and notified the 2nd August 2021 as the due date to file comments. However, pursuant to requests by the interested parties, the due date was extended to 16th August 2021. Hence, adequate time was granted to all the parties to file comments on disclosure in order to defend their interests in the present investigation.

94. With regards to exclusion of H-g1ass in the scope of product under consideration and also not to cover it under one PCN with ECR glass, it is noted that the raw materials consumed for both ECR and H Glass are mostly common, with only a few raw materials (less than 10%) being different. Both the products are produced with similar technical process i.e., with almost similar chemicals, at almost the same furnace temperature, followed with the processes of winding, drying and packaging. The process used for the production of both the product types also remains almost the same. The

equipment used for the goods are also overlapping. Therefore, there is no difference between H glass and ECR glass, in terms of the production process, barring a slight difference in raw material and temperature of furnace. The available data shows that the cost difference between the two cited sub-types is not significant i.e., less than 5%. As per the American Society for Testing and Materials (ASTM) D578 standards, H glass does not have a separate nomenclature and this terminology is used in commercial/usage parlance under the broad category of advanced version of ECR glass. H-glass has been stated to be used for wind blade applications on account of its better technical properties as compared to ECR. The Authority recalls the Mid-Term Review (China PR) dated 3rd October 2020 wherein the glass fibre roving used for production of wind grade fabrics for wind mill blade sought to be excluded by the user industry was not considered.

95. With regards to the request for exclusion of Thermoset Chopped Strands from the scope of the product under consideration, it is noted that the domestic industry has produced the same. Therefore, there is no warrant for exclusion of the same.

96. Since ECR Roving LFT has already been excluded from the scope of product under consideration, the submissions of the interested parties have already been addressed.

97. With regards to the contention that captive consumption should not be considered while evaluating the share in production of the domestic industry, it is noted that even if the captive consumption is not considered in the current investigation, the applicant will still account for major proportion of the domestic production in India.

98. With regards to imports made by the petitioner, it is noted that petitioner has not imported the subject goods from the subject country during the injury period. The interested parties have also contended that the petitioner has imported the subject goods from other countries, from its affiliates, and is seeking duty on all other sources. While the imports from other countries do not bring the eligibility of the domestic industry into question, it is noted that, in any case, the imports by the petitioner even from other countries are low.

Particulars	**Volume (MT)**	**Imports as a %**
Imports by OCIPL during Period of Investigation	***	
Total imports	72,226	<3%
Consumption in India	***	<1%
Production of OCIPL	***	<2%
Sales of OCIPL	***	<4%

99. With regards to the cost of production of Jushi Egypt, it is noted that Jushi Egypt has been set up in the Suez Economic and Trade Cooperation Zone and is receiving benefits in terms of procurement of raw material and inputs at duty free rates. The Authority notes the submissions by domestic industry regarding appropriate adjustment of incidences of custom duties while undertaking domestic sales by Jushi Egypt. It is also contended that Jushi Egypt has procured raw material from its parent company situated in China PR and operating in non-market economy conditions.

100. The Authority notes that Jushi Egypt is based in a special economic zone in Egypt and is complying with the Law of Economic Zones of Special Nature ("SEZ Law"). As per Article 42 of the SEZ Law of Egypt, products of entities based in a SEZ shall be subject to customs duties, sales tax and other taxes once such products are sold in/enter the domestic market. Basically, as per Article 42, upon clearance of finished goods from SEZ to domestic tariff area ("DTA"), customs duties which were saved on imported inputs must be surrendered and paid to the Government of Egypt.

101. Jushi Egypt mentioned that upon sales made to DTA, they determine each month the inputs consumed on such domestic sales and compute the customs duty payable to the Government of Egypt. Such amount of customs duty is then entered/debited in the ledger of cost of raw materials for domestic sales and thus, becomes part of the raw material cost. As claimed by Jushi Egypt, this exercise is undertaken every month. While the duty amount for each month is added to the cost of

that month on a recurring basis, the payment of such duty by Jushi Egypt to the Government of Egypt is made in lumpsum. Jushi Egypt produced payment challan copy evidencing payment of customs duties on domestic sales

102. The sales so configured as domestic sales by Jushi Egypt become at par with other normal domestic sales made in Egypt. Hence, the duty amount forgone on the inputs used for domestic sales during the POI have already been captured in the cost of raw materials which forms part of the cost in 80:20 analysis. The Authority notes that sales of product under consideration in domestic market and also exports to India / third country are at profit and therefore the normal value has been computed for sales which are in ordinary course of trade.

103. Additionally, Jushi Egypt also submitted details of customs duties applicable on inputs imported from China. Jushi Egypt also provided international prices of raw materials (viz. exports from India to the world) from UN Comtrade database. The international prices are comparable with the prices at which Jushi Egypt purchased inputs from its related party Jushi China and it was found that the sales to the former are at arm's length prices.

104. With regards to the related party transactions including not only the loss incurred by the related importer i.e., Jushi India and further deduction of profit for arriving at the net export price for Jushi Egypt, the Authority has adjusted the losses incurred by the related importer, Jushi India to sell the product under consideration procured from Jushi Egypt. The Authority notes that it has been following the practice of adjusting only loss in case of determination of NEP, even though it has been argued by the DI that the WTO provisions and the Indian Regulations provide for adjustment for profits as well.The Authority had also adjusted loss in the instant case before the disclosure dated 30.07.2021. However, keeping in view the concerns raised by DI after issuance of the disclosure statement, the quantum of losses of Jushi India considered for adjustments were cross-checked and the same has been rectified based on the consistent practice applied on the Appendix 18 without including any profit. The loss has been computed at Rs.***/MT.

105. The Authority notes that the exporter has claimed same packaging cost for its domestic sales as well as export sales as they use the export packing for domestic packing as well as such sales are limited. The Authority has, therefore, reduced the packaging expense as claimed for both the domestic as well as export sales and has applied the exchange rate on monthly basis both for export and domestic sales for comparison of ex-factory export price and normal value. The minor revisions have also been made on loading of forgone custom duty on cost of raw material for domestic sales.

106. With regard to the contention that Jushi Egypt has sold the goods to related parties domestically, the Authority has compared the price of sales to related parties with sales to unrelated customers, and found from analysis that only one of the PCNs i.e., Assembled Roving is sold in domestic market to the related party at a significantly lower price in comparison to the unrelated party, and has, therefore, not considered the related party transaction of this PCN in order to compute the normal value. However, all the domestic sales of remaining PCN by the exporter have been considered by the Authority, for computation of the normal value.The Authority notes the submission of the exporter to the limited disclosure that under AR further grades need to be considered which the Authority has not considered, thereby, limiting itself only to the four PCNs . In this regard, the Authority holds that submission by Bahrain exporter on this issue have also not been considered.

107. The Authority notes that exclusion of related party transactions when there exists an appreciable price difference between related and unrelated party transactions has been done previously in Case of Anti-dumping duty on Soda Ash Originating in or Exported from Turkey and USA[1] (Case No. OI – 30/2019). In that Finding, it was observed:

"32… . *The Authority notes the submission of the producer/exporter and re-iterates that since there is quite a difference between the domestic selling price to related and non-related entities and that the exporter has not established that sales to related buyer in home market in the ordinary course of trade. The Authority has considered the normal value, based on the direct sales of ETI to independent customers (*** MT) as adopted on the preliminary finding*. Further, the Ordinary

[1] Anti-Dumping Duty Investigation Concerning Imports of Soda Ash Originating in or Exported from Turkey and USA, F. No.6/39/2019-DGTR, Date of Finding: 19th January 2021.

Course of Trade test i.e the OCT test is though common for both related and independent buyers, the test for sales to related parties need to be further evidenced being at Arm's length[2]."

108. The interested parties have submitted that the Authority has not disclosed the calculation of dumping margin, and the methodology for constructed normal value. It is noted that that the normal value and export price determined for each cooperative producer was duly disclosed to it. Further, the dumping margin in range has been disclosed to all interested parties, which would allow interested parties to defend their interests.

109. The Authority even disclosed the changes in the dumping margin to Jushi in the limited disclosure. In relation to the submission of the interested parties that evidence of normal value and export price was not provided by the domestic industry, it is noted that the domestic industry had claimed constructed normal value at the stage of initiation. However, the Authority has determined the normal value and export price based on the responses filed by the producers.

110. Regarding the contention that the import data includes other products imported under the same codes, it is noted that the transaction-wise import data has been sorted to consider only imports of the product under consideration.

111. The interested parties have claimed that the domestic sales of the domestic industry declined, as it increased captive consumption. However, the Authority notes that the domestic industry is holding significant inventories. Had it been able to sell such inventories in the domestic market, its sales would have shown an increase. However, even with significant demand in the market, the domestic industry has witnessed a decline in sales, while its inventories have piled up.

112. With regards to landed price remaining constant in the period of investigation as compared to 2017-18, the Authority notes that the landed price from the subject countries has declined as compared to the base year as well as in comparison to 2017-18.

113. The interested parties have claimed that the capacity during 2018-19 and 2018-19 (Adj.) should not have shown an increase. However, the Authority does not find any merit in the submission. The capacity for the domestic industry increased during the year 2018-19. Therefore, the capacity would be considered proportionately, that is, the former capacity would be considered for the period before shutdown, and the increased capacity would be considered for the period after shutdown. As regards adjusted figures, since the effect of shutdown was required to be segregated, the Authority determined the capacity (excluding shutdown) on a proportional basis, having regard to the period of shutdown.

114. With regards to improvement in the parameters of the domestic industry, it is noted that the Authority has conducted a detailed analysis on the effects of volume and price of imports on the economic parameters of the domestic industry and has concluded that the domestic industry has suffered injury as enumerated hereinabove.

115. Regarding the contention that the capacity utilization of the domestic industry was low due to its new furnace, the Authority notes that the domestic industry has submitted that it achieved high capacity utilization during one of the months towards the end of 2018 itself. Further, in one of the months during 2019, the domestic industry achieved full capacity utilization. Therefore, it cannot be considered that the low capacity utilization during the period of investigation was on account of the furnace being new.

116. Regarding the performance of Goa Glass Fibre, the Authority notes that the producer had participated in the sunset review investigation concerning imports of the product under consideration from China PR. In the final findings [F. No. 7/34/2020-DGTR] dated 24th August 2021, the Authority had noted that the imports had an adverse effect on the economic and financial parameters of Goa Glass Fibre. Accordingly, the Authority concluded that the data of Goa Glass Fibre corroborate similar observations as that of the domestic industry.

[2] The Authority had adopted the same methodology for two other exporters from Turkey in the instant case whose related and unrelated party transactions demonstrated considered price difference.

117. With regards to improvement in market share of the domestic industry, the Authority notes, that the market share of the domestic industry has improved only due to increase in its captive consumption. Market share of the domestic industry in merchant demand has declined over the injury period. Further, the market share of the subject imports has increased over the injury period.

118. The interested parties have contended that the submissions made on causal link have not been considered. It is noted that the Authority has considered all the submissions made by the domestic industry and the other interested parties, to the extent considered relevant, has examined the same in the present Final Findings.

119. The other interested parties have contended that the domestic industry does not have the capability to manufacture all types of product under consideration. The Authority has examined the requests for exclusion of specific types of product under consideration by the other interested parties. Where the domestic industry had not produced a particular product type, the same has been excluded. Therefore, the concern that the imposition of duty would adversely impact public interest due to inability of the domestic industry to supply certain product types is unfounded.

120. With regards to the contention the petitioner has sought anti-dumping duty against various countries, it is noted that the duties were in force only against China PR until 31.10.2021, and are now being considered for Bahrain and Egypt. In each investigation, the Authority has considered dumping, injury and causal link, and recommended duties only if it positively concludes that all three aspects exist. As regards Thailand, the duties were imposed only due to circumvention by the Chinese producers.

121. With regards to imposition of reference price duty, the Authority notes that reference price duty would not be appropriate as there are various PCNs involved which have major price differences.

122. With regard to the contention of CPIC Bahrain concerning further sub-classification of the PCNs, Authority notes that CPIC has suggested PCN establishment at a much deeper level for conforming to ASTM D 578. The ranges suggested based on linear density, diameter, surface width for 4 broad PCNs (Direct Roving, Assembled Roving, Chopped Stands, Chopped Stand Mats) do not relate with overall architecture of the ASTM D 578 standard. Therefore, the Authority notes that this suggestion of PCN is not related to ASTM D 578 standard and Authority considers the four broad PCNs i.e., Direct Roving, Assembled Roving, Chopped Stands, Chopped Stand Mats for the present investigation.

123. Further, the Authority after examining the information provided by the exporter finds that there is no significant difference between the cost of production within the sub-grades of broad PCNs. While there is a difference in the physical characteristics of the product types highlighted by the exporter, but there is not a significant difference in the price and cost thereof.

124. Due to COVID pandemic, the Authority has been conducting limited visits, only domestic, wherever it is extremely necessitated. To address this issue on the PCN methodology, DGTR also undertook onsite verification of the domestic industry and held consultations with the concerned interested parties. The Authority has considered the four PCNs on feasible level of categorisation depending on broad applications, availability of data and PCN categorisation undertaken in same product, separate investigation against China.

125. As regards the price undertaking offered by CPIC Bahrain, the Authority notes that the undertaking was conditional upon the Authority accepting the submissions of the exporter with regard to the PCN methodology and dumping margin determined. The Authority has not considered this request appropriate/ reasonable to consider acceptance of price-undertaking. The Authority, therefore, confirms dumping margin for the exporter as mentioned in the disclosure statement.

126. With regard to the extensions taken for completion of the investigation, the Authority holds that as per the AD Rules the investigation needs to be completed within 12 months and in no case more than 18 months of the date of initiation. In the instant case, the Authority sought mited extensions to comprehensively address the various issues raised by the interested parties in the investigations and to abide by the principles of natural justice. The Authority made diligent efforts to complete case as the earliest in each extension sought, however, on account of unavoidable circumstances and cropping of issues, the Authority had to seek an additional extension before the expiry of the last date

which were duly granted by the Central Government. . Furthermore, it has been held by the Hon'ble High Court of Delhi in Mahindra & Mahindra Ltd. V. Union of India that the Central Government can grant an ex-post facto extension to complete the investigation provided that such an extension is within the period of six months from one year and does not cross the threshold of eighteen months. In light of this judgment, it cannot be said that the continuation of the proceedings beyond 31.10.2021 is illegal and void

127. The interested parties have contended that since duties were not imposed on imports of the product under consideration from China PR, the duties cannot be imposed on imports from Bahrain and Egypt. In this regard, the interested parties have relied upon the provisions of Article 9.2 of the Anti-Dumping Agreement, which provides that when an anti-dumping duty is imposed in respect of any product, such anti-dumping duty shall be collected in the appropriate amounts in each case, on a non-discriminatory basis on imports of such product from all sources found to be dumped and causing injury, except as to imports from those sources from which price undertakings under the terms of the Agreement have been accepted. The interested parties have claimed that since the imports from China were also found to be dumped and causing injury, but no duty was imposed, it would be discriminatory to now impose duties on Bahrain and Egypt. The Authority has examined the same and found that the contention of the interested parties is not appropriate. Article 9.2 of the WTO Agreement on Anti-dumping states:

> "9.2 *When an anti-dumping duty is imposed in respect of any product, such anti-dumping duty shall be collected in the appropriate amounts in each case, on a non-discriminatory basis on imports of such product from all sources found to be dumped and causing injury*, except as to imports from those sources from which price undertakings under the terms of this Agreement have been accepted…."

128. The provisions of Arts. 9.1 and 9.2 are identical to Arts. 8.1 and 8.2 of the Tokyo Round Anti-dumping Code which were interpreted by a GATT Panel in *EC - Imposition of Anti-Dumping Duties on Imports of Cotton Yarn from Brazil* (1995). Following are the relevant excerpts from the Panel's analysis:

"555. The Panel noted that Article 8:2 of the Agreement relevantly provides: "When an anti-dumping duty is imposed in respect of any product, such anti-dumping duty shall be collected in the appropriate amounts in each case, on a non-discriminatory basis on imports of such product from all sources found to be dumped and causing injury, except as to imports from those sources, from which price undertakings under the terms of this Code have been accepted."

The Panel then turned to examine the ordinary meaning of Article 8:2. *The Panel considered that the ordinary meaning of Article 8:2 made clear that the provision was concerned with the collection of duty…. The ordinary meaning of Article 8:2, therefore, made clear that the obligation in Article 8:2 applied only after a decision to impose duties had been taken.*

556. This was confirmed by the context of Article 8:2. The Panel noted that Article 8:1 provides

"The decision whether or not to impose an anti-dumping duty in cases where all the requirements for the imposition have been fulfilled and the decision whether the amount of the anti-dumping duty to be imposed shall be the full margin of dumping or less, are decisions to be made by the authorities of the importing country or customs territory. It is desirable that the imposition be permissive in all countries or customs territories Parties to this Agreement, and that the duty be less than the margin, if such lesser duty would be adequate to remove the injury to the domestic industry" (emphasis added).

557. The Panel considered that Article 8:1 was concerned with two kinds of decisions. *The first was the taking of a decision whether to impose an anti-dumping duty after all conditions for the imposition had been fulfilled ("[t]he decision whether or not to impose...").* The second type of decision was at what level the anti-dumping duty should be set (i.e. "... whether the amount of the anti dumping duty shall be the full margin or less ..."). *The ordinary meaning of Article 8:2 in the context of Article 8:1 revealed that after decisions had been taken to impose a duty (per Article 8:1), and to set the level of the duty (per Article 8:1), Article 8:2 came into effect to require that such duties should be collected in a non-discriminatory manner. Therefore, Articles 8:1 and 8:2 were concerned with different types of decisions taken at different points in time. This confirmed that the obligation contained in Article 8:2 not to discriminate only arose at the time of the collection of the anti-dumping duty, the decision*

whether to impose duty and the correct amount of the duty having been taken in accordance with Article 8:1.

558. …The Panel concluded that the obligation of non-discrimination contained in Article 8:2 arose only at the stage of collection of duties."

From the above analysis it becomes clear that the obligation under Art. 9.2 arises only when the Central Government takes a decision to impose an anti-dumping duty under Art. 9.1 of the WTO Anti-dumping Agreement. Further, the non-discriminatory requirement as required under Art. 9.2 is only at the stage of collection of duties. The Authority also notes the discretion granted to member nations under Art. 9.1 regarding the "decision whether or not to impose an anti-dumping duty in cases where all requirements for the imposition have been fulfilled". The Authority notes that in the SSR investigation the Central Government did not impose duties with respect to exporters from China PR. As no duties were imposed nor were any duties collected in terms of Art. 9.1 of the Agreement the question of violation of the non-discrimination obligation under Art. 9.2 of the Agreement does not arise. Furthermore, no straightjacket formula can be adopted for imposition of duties or non-imposition of duties. Each investigation has to be adjudged on its own merits and consequently the decision "whether or not to impose an anti-dumping duty in cases where all requirements for the imposition have been fulfilled" has to be considered on a case-by-case basis.

Moreover, Ministry of Finance's rejection of DGTR's recommendation is pending in an appeal filed by the domestic industry[3] before the CESTAT against the DGTR's recommednations to impose anti-dumping duties in a SSR investigationa on glass fibre products coming from China PR.

129. Particular Market Situation in case of Egypt: It was contended that in case of Jushi Egypt numerous adjustments on account of various advantages such as cheap raw material, tax and utilities benefits have not been fully mitigated and therefore, the cost is not reliable.

Sub – clause (c)(ii) of S.9A of the Customs Tariff Act, 1975 provides the basis for disregarding the normal value when a particular market situation exists in the domestic market of the exporting country. The sub – clause states:

> "(ii) when there are no sales of the like article in the ordinary course of trade in the domestic market of the exporting country or territory, or *when because of the particular market situation or low volume of the sales in the domestic market of the exporting country or territory, such sales do not permit a proper comparison,* the normal value shall be either-
>
> (a) comparable representative price of the like article when exported from the exporting country or territory to an appropriate third country as determined in accordance with the rules made under sub-section (6); or
>
> (b) the cost of production of the said article in the country of origin along with reasonable addition for administrative, selling and general costs, and for profits, as determined in accordance with the rules made under sub-section(6):
>
> Provided that in the case of import of the article from a country other than the country of origin and where the article has been merely transhipped through the country of export or such article is not produced in the country of export or there is no comparable price in the country of export, the normal value shall be determined with reference to its price in the country of origin."

The Section stipulates that if the Authority determines a particular market situation existing in the domestic market of the exporting country, the Authority can disregard the normal value and choose the alternate methodologies for its construction. It is based on Article 2.2 of the Anti-Dumping Agreement which provides:

> "2.2 When there are no sales of the like product in the ordinary course of trade in the domestic market of the exporting country or *when, because of the particular market situation or the low volume of the sales in the domestic*

[3] M/s. Owens-Corning India Private Ltd. V. Union of India.

> *market of the exporting country, such sales do not permit a proper comparison*, the margin of dumping shall be determined by comparison with a comparable price of the like product when exported to an appropriate third country, provided that this price is representative, or with the cost of production in the country of origin plus a reasonable amount for administrative, selling and general costs and for profits."

The Anti-dumping Agreement does not provide any further guidance as to what constitutes a particular market situation. The Authority notes the interpretation by the WTO Panel of 'particular market situation' as developed in its Report in *Australia – Copy Paper*[4]. The Panel explained:

> "7.21. *We begin by observing that a "situation" is a "state of affairs" or a "set of circumstances". This term is qualified by the terms "particular" and "market" functioning as adjectives in Article 2.2 of the Anti-Dumping Agreement. The situation in question must arise in, or relate to the "market", and the market situation must be a "particular" one. It follows from the qualifier "particular" that the market situation must be "distinct, individual, single, specific". Thus, a fact-specific and case-by-case analysis of the particular market situation is necessarily called for.* In addition, we agree with the observation of the GATT panel in EEC – Cotton Yarn that a "particular market situation" is only relevant insofar as it has the effect of rendering domestic sales unfit to permit a proper comparison. The phrase "particular market situation" does not lend itself to a definition that foresees all the varied situations that an investigating authority may encounter that would fail to permit a "proper comparison". In our view, the drafters' choice to use such a phrase should be treated as a deliberate one. Consequently, while the expression "particular market situation" is constrained by the qualifiers "particular" and "market", it nevertheless cannot be interpreted in a way that comprehensively identifies the circumstances or affairs constituting the situation that an investigating authority may have to consider.
>
> 7.22. There is no dispute between the parties that the underlying circumstances in this case concern or relate to the market for A4 copy paper. However, they disagree as to what makes a situation particular. Indonesia argues that the circumstances must be exceptional and, moreover, affect "the comparability of domestic market prices in such a way as to affect them unilaterally and, thus, prevent them from being compared to export prices". Australia argues that the circumstances must be distinguishable and not general. *In our view, the market situation must be distinct, individual, single, specific but that does not necessarily make it unusual or out of the ordinary — i.e. exceptional."*

Thus, a particular market situation can be understood as those situations, although not exceptional, lead to price distortions in the domestic market rendering the normal value unfit for comparison with the export price. To examine whether a particular market situation exists in the domestic market of an exporting country, the Authority notes that the issues needs to be conclusively established are:

a. Whether the price of the like article in domestic market is fair and reliable and is representative especially when it emanates from a unit situated in SEZ with various tariff, fiscal and logistics concessions and also investments from China?

b. What is the extent of price variation between the transactions occurring between the related and unrelated parties?

130. The Authority notes that the issue of PMS was raised at a belated stage and on the basis of the facts available it is not able to conclusively establish the existence of a PMS in domestic market of Egypt on account of SEZ sales. However, the issues raised by the parties were cross-checked on account of the post-disclsoure comments received and have been addressed.

---

[4] 1Panel Report, *Australia – Anti-Dumping Measures on A4 Copy Paper (Australia–Copy Paper)*, WT/DS529/R, 4 December, 2019.

131. The Authority notes that while the SEZ Law and Regulations of Egypt provide for adjustment of the duty foregone on imported raw material components of products, it is not clear whether such duty is to be applied on cost or price adjustment. The customs duty paid by the exporter on account of DTA sales which was earlier claimed by the exporter on the entire sales of the company was erroneous and accordingly, has been corrected and applied on the cost of production of domestic sales keeping in view that duty foregone which has been evidenced by the exporter having been paid by them. Accordingly, the cost of production has been increased by ***% for domestic sales. Further, the Authority has considered the domestic sales of the exporter after applying the 80:20 test.

132. As regards the related party and unrelated party issue, the Authority notes that it has already been discussed in the foregoing paragraph 112.

L. INDIAN INDUSTRY'S INTEREST & OTHER ISSUES

L.1. Submissions by the domestic industry

133. The following submissions have been made by the domestic industry with regards to Indian industry's interest:

i. The interested parties have not shown an adverse impact of duty on public interest. Anti-dumping duty in force for imports from China PR have not impacted the user industry as all the users have witnessed increase in revenue over the injury period and most users have witnessed increase in profits.

ii. The prices of the domestic industry have remained more or less stable even post the period of investigation. The price increase was necessitated due to the increase in cost of production and mounting losses. Where a seller was selling at losses, it cannot be said that it is setting the price.

iii. Merely because the import of fabrics is allowed at a concessional duty, it does not imply that the domestic industry should be denied lawful remedy against dumping.

L.2. Submissions by other interested parties

134. The following submissions have been made by the other interested parties with regards to Indian industry's interests:

i. The user industry consists of a large number of MSMEs, and the subject goods constitute 30-40% of their cost. The user industry has been suffering from shortage of materials, delayed deliveries and price extortion on the hands of the domestic industry.

ii. Domestic industry is a market leader and can set market price. In October 2020, OCIPL increased the prices of single end rovings and chopped strands. The prices were increased again in January 2021 across all product categories.

iii. Since imports of fabrics are allowed at concessional duties, imposition of anti-dumping duty would severely affect the operations of fabrics and other composites manufacturers.

L.3. Examination by the Authority

135. The Authority notes that the purpose of anti-dumping duty, in general, is to eliminate injury caused to the domestic industry by the unfair trade practices of dumping so as to re-establish a situation of open and fair competition in the Indian market. which is in the general interest of the country. Imposition of anti-dumping measures would not restrict imports from the subject country/territory in any way, and, therefore, would not affect the availability of the product to the consumers.

136. It is recognized that the imposition of anti-dumping duty might affect the price levels of the product manufactured using the subject goods and consequently might have some influence on relative competitiveness of this product. However, fair competition in the Indian market will not be reduced by the anti-dumping measure, particularly if the levy of the anti-dumping duty is restricted to an amount necessary to redress the injury to the domestic industry. On the contrary, imposition anti-dumping measure would remove the unfair advantages gained by dumping practices, prevent the

decline in the performance of the domestic industry and help maintain availability of wider choice to the consumers of the subject goods.

137. With regards to contention made in post disclosure comments that restriction of imports from various sources may create a monopoly situation in India, the Authority notes that the anti-dumping duty on various sources has been recommended by the Authority after detailed examination on dumping, injury and causal link. Since there is more than one producer in the domestic market, the petitioner will not be able to create monopoly situation in the market. Further, imposition of anti-dumping duty does not restrict imports of subject goods in India but only ensures that the same are available at fair price.

138. With regards to the restriction of imports leading to demand-supply gap in the market, the Authority notes that the demand-supply gap does not justify dumping by the exporters in the Indian market.

139. The other interested parties have contended that imposition of anti-dumping duty will have an adverse impact on the downstream industry. The Authority notes that the other interested parties have not substantiated the adverse impact on performance of the downstream industry. Further, there is no evidence to show that the imposition of duty against China PR adversely impacted the users. Therefore, there is no evidence to suggest that any duties against imports from subject countries would adversely impact users. By comparison, the imposition of anti-dumping duty is necessary to prevent the injury to the domestic industry.

M. CONCLUSION

140. The Authority notes that Glass Fibre is quite a technologically advanced product with a wide range of application including wind blades. These diverse applications require the domestic producer to sustain its capabilities to cater to these applications with different types of glass fibre. Having regard to the contentions raised, submissions made, information provided and facts available before the Authority as recorded above and on the basis of the above analysis of dumping and consequent injury to the domestic industry, the Authority con cludes that:

a. The analysis has been carried out grade-wise which indicates that the imports of glass fibre are dumped and the domestic industry has suffered material injury both in terms of volume and price.

b. With regards to the volume effect, the injury has manifested in reduced production, reduced domestic sales and consequently a reduced domestic market share. The price injury is noted through price suppression, price depression and are leading to a positive injury margin of significant quantum.

c. The material injury suffered by domestic industry is on account of the dumped imports for which causality has been established both through the direct nexus to exports and also through the non-attribution analysis.

N. RECOMMENDATIONS

141. The Authority notes that the investigation was initiated and notified to all interested parties and adequate opportunity was given to the domestic industry, Embassy of the subject countries, exporters, importers and other interested parties to provide positive information on the aspect of dumping, injury and causal link. Having initiated and conducted an investigation into dumping, injury and causal link in terms of Rules and having established positive dumping margin as well material injury to the domestic industry caused by such imports, the Authority is of the view that imposition of anti-dumping duty is necessary.

142. Therefore, Authority recommends imposition of anti-dumping measures as an ad valorem duty, to be worked out as a percentage of the CIF value of imports of the subject goods from the subject country. Accordingly, anti-dumping duty equal to the amount arrived at by applying the percentage indicated in Col. 7 of the duty as below is recommended to be imposed on all imports of subject goods originating in or exported from China PR.

DUTY TABLE

S. No.	Heading	Description	Country of origin	Country of export	Producer	Amount	Unit	Currency
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	7019	Glass Fibre as described below*	Bahrain	Bahrain	CPIC Abahsain Fiberglass W.L.L	214.9	MT	USD
2	7019	-do-	Bahrain	Any country including Bahrain	Any other than Sl. No. 1 above	334.5	MT	USD
3.	7019	-do-	Any country other than Bahrain and Egypt	Bahrain	Any	334.5	MT	USD
4.	7019	-do-	Egypt	Egypt	Jushi Egypt for Fiberglass Industry S.A.E.	14.8	MT	USD
5.	7019	-do-	Egypt	Any country including Egypt	Any other than Sl. No. 4 above	27.5	MT	USD
6.	7019	-do-	Any country other than Bahrain and Egypt	Egypt	Any	27.5	MT	USD

**Glass fibre including glass roving (assembles rovings (AR), direct rovings (DR)), glass chopped strands (CS), glass chopped strands mats (CSM) but excluding glass wool, fibre glass wool, fibre glass insulation in wool form, glass yarn, glass woven fabrics, glass fibre fabric, glass woven rovings, chopped strands meant for thermoplastic applications, micro glass fibre with fibre diameter in the range of 0.3 to 2.5 microns, surface mat/surface veil/tissue, wet chopped strands, Cemfil (alkali resistant glass fibre for concrete reinforcement) and ECR roving LFT (long fiber thermoplastic).”*

O. FURTHER PROCEDURE

143. An appeal against the order of the Central Government that may arise out of this recommendation shall lie before the appropriate Forum in accordance with the relevant provisions of the Act.

ANANT SWARUP, Jt. Secy. & Designated Authority

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2021.11.30 23:11:00 +05'30'